

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का

प्रतिवेदन

31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का

प्रतिवेदन

31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक

उत्तर प्रदेश सरकार

http://cagindia.org/states/uttarpradesh/2003

विषय-सूची

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन		**v**
विहंगावलोकन		**vii**
अध्याय-I		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज)	1.2	2
कार्यरत पीएसयूज की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	1.3	5
ऊर्जा-क्षेत्र में सुधार	1.4	7
कार्यविहीन पीएसयूज	1.5	9
सांविधिक निगमों के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका में प्रस्तुत किए जाने की स्थिति	1.6	10
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्संरचना	1.7	11
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के परिणाम	1.8	12
आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण	1.9	17
पीएसयूज की बन्दी हेतु संस्तुति	1.10	17
निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट पैराग्राफों तथा समीक्षाओं पर अनुक्रिया	1.11	18
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.12	18
619-बी कम्पनियाँ	1.13	19
अध्याय-II		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें		
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड		
राज्य के उप-पारेषण नेटवर्क के क्रियाकलाप	2.1	21
उखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के क्रियाकलाप	2.2	43
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड		
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के क्रियाकलाप	2.3	65
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड		
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के क्रियाकलाप	2.4	93

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
अध्याय-III		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रोचक विषय		
सरकारी कम्पनियाँ	3.1	109
सांविधिक निगम	3.2	145
परिशिष्ट	**संख्या**	**पृष्ठ**
सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2003 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बहिर्गमन, बजट से दिये गये ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी	1	163
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी	2	171
प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफ़ी, ऋण जिन पर बिलम्बन अनुमन्य किया गया और वर्ष के दौरान ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन और प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूति को मार्च 2003 की समाप्ति पर दर्शाती हुई विवरणी	3	181
सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	4	185
सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी	5	189
सांविधिक निगमों के परिचालनात्मक कार्यसम्पादन को दर्शाती विवरणी	6	192
आन्तरिक सम्प्रेक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पर टिप्पणियों को दर्शाती विवरणी	7	195
कम्पनियों, जिनके व्यवसाय विगत पाँच वर्षो से 5 करोड़ रूपये से कम थे तथा जिनके लेखे प्रमाणित थे, के व्यवसाय को दर्शाती विवरणी	8	196
कम्पनियाँ, जो लगातार पाँच वर्षो से घाटा दे रही है, जिससे निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाती विवरणी	8अ	197
विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों (आईआर) को दर्शाती विवरणी	9	198
विभागवार ड्राफ्ट प्रस्तरों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित है, को दर्शाती विवरणी	10	199
अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार 619-बी के अन्तर्गत कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी, निवेश एवं समेकित कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी	11	200
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में एक आदर्श पारेषण एवं वितरण व्यवस्था को दर्शाता फ्लो-चार्ट	12	201
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध मे 2002-03 तक पाँच वर्षो की अवधि के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों एवं प्राप्तियों को दर्शाती विवरणी	13	202
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध मे उप-केन्द्रों के विलम्बित ऊर्जीकरण को दर्शाती विवरणी	14	203
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध मे बजटीय सहायता के अन्तर्गत पूर्ण किये गये 33 केवी उप-केन्द्रों एवं लाइनो के समय व लागत अतिक्रमण को दर्शाती विवरणी	15	204

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में बजटीय सहायता के अन्तर्गत अपूर्ण 33 केवी उप-केन्द्रों एवं 33 केवी लाइनो के लागत एवं समय अतिक्रमण को दर्शाती विवरणी	16	206
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में स्वीकृत प्राक्कलन/पैकेज/ विशिष्टियों से अधिक सामग्री की खपत को दर्शाती विवरणी	17	208
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में 33/11 केवी उप-केन्द्रों/लाइनों को ऊर्जीकृत किये जाने के बाद सामग्री के निर्गमन को दर्शाती विवरणी	18	209
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में रेस्पो के मानकों से अधिक किये गये व्यय को दर्शाती विवरणी	19	211
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध मे लाइनों को विखण्डित न करने के कारण सामग्री के दुर्विनियोग को दर्शाती विवरणी	20	213
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निक्षेप-कार्यो के सम्बन्ध में कम निक्षेपों को दर्शाती विवरणी	21	215
लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के परिचालनात्मक निष्पादन को दर्शाती विवरणी	22	216
लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के सम्बन्ध में अवस्थापित और मानकों से अधिक क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों को दर्शाती विवरणी	23	217
लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन की वितरण हानि को दर्शाती विवरणी	24	219
लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के सम्बन्ध में विक्रीत ऊर्जा के रूप में लेखांकित अधिक ऊर्जा के साथ-साथ वास्तविक हानि को दर्शाती विवरणी	25	220
लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के सम्बन्ध में अमीनाबाद और चौक क्षेत्रों में सीआईबी योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व निष्पादित हो चुके कार्यो को दर्शाती विवरणी	26	221
लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं की वृद्धि, संयोजित भार और ऊर्जा के उपभोग को दर्शाती विवरणी	27	223
लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के अल्प प्रभारण को दर्शाती विवरणी	28	225
लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण-पत्र (आरसी) के निर्गमन, वापसी और वसूली को दर्शाती विवरणी	29	226
लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के सम्बन्ध में केबल बिछाने के कार्यो (ईयूसीडी-I) में हुये अतिरिक्त व्यय को दर्शाती विवरणी	30	227
2001-02 तक पाँच वर्षो की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	31	228
2001-02 तक पाँच वर्षो की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के कार्यचालन-परिणाम को दर्शाती विवरणी	32	229
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को पूर्ण किये गये संविदा कार्यो की लाभप्रदता की स्थिति को दर्शाती विवरणी	33	230

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को अपूर्ण संविदा कार्यो की स्थिति को दर्शाती विवरणी	34	232
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	35	233
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कार्यचालन परिणाम को दर्शाती विवरणी	36	234
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में परिचालन के अध्यधीन इकाइयों के कार्यचालन-परिणामों को दर्शाती विवरणी	37	235
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में सितारा स्तर प्राप्त करने के लिये आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं को दर्शाती विवरणी	38	236
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में 2001-02 तक पाँच वर्षो के दौरान अग्रिम आरक्षण केन्द्रों द्वारा अधिप्राप्त व्यवसाय को दर्शाती विवरणी	39	238
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को शीर्ष 14 होटलों में कर्मचारियों के नियोजन को को दर्शाती विवरणी	40	239
शब्दावली	41	240

प्राक्कथन

सरकारी वाणिज्यिक संस्थान जिनके लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते है:

(i) सरकारी कम्पनियाँ,

(ii) सांविधिक निगम, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

2. इस प्रतिवदेन में 86 सरकारी कम्पनियों (46 कार्यरत व 40 कार्यविहीन) और सात सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है तथा इसे समय-समय पर यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है। आठ विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा परिणामों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित किया गया है।

3. उत्तर प्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप 9 नवम्बर 2000 को सृजित उत्तराँचल राज्य के पास 31 मार्च 2003 को 20 सरकारी कम्पनियां (14 कार्यरत व 6 कार्यविहीन) थीं। इनमे से 15 कम्पनियां उत्तर प्रदेश राज्य से स्थानान्तरित की गयी थीं और पाँच कम्पनियों का निगमन उत्तराचंल राज्य द्वारा किया गया था। बीज एवं तराई विकास निगम से सम्बन्धित प्रकरण, 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल), उत्तरांचल सरकार में सम्मिलित किये जायेंगे।

4. 86 सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 सपठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जो कि एक निबंधित संस्था है, की लेखा परीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है।

5. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और उत्तर प्रदेश जल निगम, जो सांविधिक निगम है, के सम्बन्ध में सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है। राज्य वित्तीय निगम (संशोधित) अधिनियम, 2000 के अनुसार, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में सीएजी को भारतीय रिजर्व बैक द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों की सूची में से नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ-साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश

राज्य भण्डारागार निगम के सम्बन्ध में सीएजी को, उसके परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ-साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के मामले में भी सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है। इन समस्त निगमों/आयोग के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अग्रसारित किये जाते हैं।

6. इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो वर्ष 2002-2003 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में संज्ञान में आये तथा वे भी जो पहले ही जानकारी में आ गये थे परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की गई थी। 2002-2003 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों पर विहंगावलोकन

- 31 मार्च 2003 को राज्य में 86 सरकारी कम्पनियों तथा सात सांविधिक निगमों सहित 93 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) थे जबकि 31 मार्च 2002 को 84 सरकारी कम्पनियां व सात सांविधिक निगम थे। वर्ष के दौरान एक सरकारी कम्पनी (84 में से) उत्तरांचल राज्य को स्थानान्तरित की गयी तथा तीन नयी कम्पनियों का निगमन हुआ। 86 सरकारी कम्पनियों में से 46 सरकारी कम्पनियाँ कार्यरत थीं जबकि 40 सरकारी कम्पनियाँ कार्यविहीन थीं। सभी सात सांविधिक निगम कार्यरत निगम थे।

(प्रस्तर 1.1)

- कार्यरत पीएसयू में कुल निवेश 31 मार्च 2002 के 16,322.83 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2003 को 17,135.24 करोड़ रुपये हो गया। कार्यविहीन पीएसयू में कुल निवेश उसी अवधि के दौरान 864.11 करोड़ रुपये से बढ़कर 861.45 करोड़ रुपये हो गया।

(प्रस्तर 1.2 और 1.5)

- कार्यरत पीएसयू को वितरित की गई पूँजी, ऋण तथा अनुदानों/उपदानों के रूप में बजट सहायता, 2001-02 के 2,839.02 करोड़ रुपये से घटकर 2002-03 में 1,990.21 करोड़ रुपये हो गयी। राज्य सरकार ने 2002-03 के दौरान कार्यरत पीएसयू को कुल 949.43 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। सभी पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत बकाया ऋणों की कुल राशि 31 मार्च 2003 को 3,923.12 करोड़ रुपये थी।

(प्रस्तर 1.2.3)

- मात्र एक कार्यरत सरकारी कम्पनी ने वर्ष 2002-03 के अपने लेखे को अन्तिम रूप दिया। दो सरकारी कम्पनियों के लेखे देय नहीं थे। शेष 43 कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सात कार्यरत सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितम्बर 2003 को, एक वर्ष से 14 वर्षों तक विस्तारित अवधियों से बकाये में थे। सभी कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों के लेखे, 30 सितम्बर 2003 को, एक वर्ष से 28 वर्षों तक विस्तारित अवधियों से बकाये में थे।

(प्रस्तर 1.2.4 और 1.5.3)

- अद्यतन लेखों के अनुसार, 11 कार्यरत पीएसयू (आठ सरकारी कम्पनियाँ तथा तीन सांविधिक निगम) ने कुल 69.94 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जिनमें से वर्ष के दौरान मात्र एक सरकारी कम्पनी ने 48 लाख रुपये का लाभांश घोषित किया। इसके विरुद्ध, 33 कार्यरत पीएसयू (31 सरकारी कम्पनियाँ तथा दो सांविधिक निगम) ने अद्यतन लेखों के अनुसार कुल 2,373.11 करोड़ रुपये की हानि उठाई। हानि उठाने वाली कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से 20 कम्पनियों की कुल संचित हानियाँ

6,249.76 करोड़ रुपये की थीं जो उनकी 4,512.11 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थीं। हानि उठाने वाले दो कार्यरत सांविधिक निगमों की संचित हानियाँ कुल 1,453.03 करोड़ रुपये की थीं जो उनकी 500.65 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थीं।

(प्रस्तर 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 और 1.3.4)

- अपने अस्तित्व में आने के पाँच वर्षों के पश्चात् भी 13 कार्यरत कम्पनियों का व्यष्टिगत व्यवसाय, उनके अद्यतन लेखों के अनुसार पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में प्रत्येक में 5 करोड़ रुपये से कम था। पुन:, आठ कार्यरत कम्पनियाँ, लगातार पाँच वर्षों से हानि उठा रही थीं जिससे इनकी निवल परिसम्पत्तियाँ ऋणात्मक हो गई थीं।

(प्रस्तर 1.10)

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

2.1 राज्य के उप-पारेषण नेटवर्क के क्रियाकलाप

राज्य का उप-पारेषण नेटवर्क 66 केवी और 33 केवी की लाइनों और सम्बन्धित उपकेन्द्रों (66/11केवी या 33/11 केवी) से मिलकर बना है। इनका उद्गम पारेषण नेटवर्क (800 केवी से 132 केवी) से और समापन, उपभोक्ता को ऊर्जा की आपूर्ति हेतु प्रणाली को और अधिक नीचे लाकर (11 केवी और नीचे), वितरण नेटवर्क पर होता है। मार्च 2003 के अन्त में, राज्य के पास 13,435 एमवीए की उप-पारेषण क्षमता और 31,465 सर्किट किलोमीटर लाइनें थीं जो 1997-98 की स्थिति पर क्रमश: 37.47 और 10.69 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती हैं। उप-पारेषण प्रणाली न केवल अपेक्षित क्षमता (20,821 एमवीए) के सापेक्ष कम क्षमता (13,435 एमवीए) के कारण अतिभारित थी अपितु पारेषण और वितरण सिरों के मध्य असंगतता से भी चिन्हित थी।

समीक्षा में संज्ञान में आये कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार थे:

- कम्पनी राज्य योजना में प्रक्षेपित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। नये और आवधित उपकेन्द्रों की क्षमता में कुल कमी 2002-03 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि में क्रमश: 35 और 47 प्रतिशत थी।

(प्रस्तर 2.1.4 और 2.1.5)

- कैपेसिटर बैंक ऊर्जा के क्षय की बचत करते हैं, संयन्त्र की भार-वहन क्षमता में वृद्धि करते हैं और उसकी वोल्टेज प्रोफाइल को भी बढ़ाते हैं। कम्पनी नये कैपेसिटर बैंकों के अवस्थापन और क्षतिग्रस्त कैपेसिटर बैंकों की मरम्मत कराने में असफल रही जिसके परिणामस्वरुप प्रणाली में 59.83 करोड़ रूपये मूल्य की वार्षिक ऊर्जा का क्षय हुआ।

(प्रस्तर 2.1.10)

- *नियोजन, समन्वय और कार्य के अनुश्रवण में कमी से प्रणाली चिन्हित रही जो द्वितीयक परिवर्तन प्रणाली की अतिशय क्षमता के रूप में परिणामित हुई। प्रणाली की असंगतता के कारण 19.78 करोड़ रूपये का निवेश निष्प्रयोज्य रहा। कम्पनी ने अलाभप्रद परियोजनायें भी हस्तगत कीं जिसके परिणामस्वरूप कुल 4.76 करोड़ रूपये का निष्क्रिय निवेश हुआ।*

(प्रस्तर 2.1.12, 2.1.17 और 2.1.18)

- *लेखा अभिलेखों का दोषपूर्ण रख-रखाव/यथोचित रख-रखाव न कर कम्पनी ने 77.89 लाख रूपये के स्टाक के दुर्विनियोग में सहायता दी।*

(प्रस्तर 2.1.22)

- *कम्पनी ने जिलाधिकारियों से प्राप्त निधि से अधिक 1.45 करोड़ रूपये का व्यय किया।*

(प्रस्तर 2.1.33)

- *मार्च 1999 से नवम्बर 2001 की अवधि में तीन उपकेन्द्रों पर 2.21 करोड़ रूपये की लागत से सृजित की गयी 15 एमवीए की पारेषण क्षमता निष्प्रयोज्य रही।*

(प्रस्तर 2.1.38)

2.2 लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के क्रियाकलाप

लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन (लेसा), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 11 वितरण क्षेत्रों में से एक है जो राज्य की राजधानी लखनऊ के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ भाग को ऊर्जा की आपूर्ति करने में संलग्न है। 31 मार्च 2003 को लेसा के पास 852 एमवीए की परिवर्तन क्षमता थी जो 1130 एमवीए के संयोजित भार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी। परिणामत: 2002-03 तक पाँच वर्षों की अवधि में प्रणाली 1.25 से 1.38 गुना तक अतिभारित रही। लेसा, पारेषण और वितरण सिरों के मध्य असंगतता, प्रणाली सुधार कार्यों के अनुचित और धीमे क्रियान्वयन, राजस्व के प्रेषणों का अनुश्रवण करने में असफलता के कारण पर्याप्त राजस्व के क्षय और वसूली हेतु अपर्याप्त कार्यवाही जैसी समस्याओं से ग्रसित रहा।

समीक्षा में संज्ञान में आये कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार थे:

- *संयोजित भार के साथ परिवर्तन क्षमता की असंगतता प्रणाली की अतिभारिता के रूप में परिणामित हुई। इससे 34.63 करोड़ रूपये के वितरण परिवर्तक मानकों से अधिक क्षतिग्रस्त हुए।*

(प्रस्तर 2.2.5 और 2.2.7)

- *प्रणाली को पुष्ट करने और तदनुसार अतिभारिता से बचने के उददेश्य से कम्पनी ने क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैलेन्सिंग स्कीम के अन्तर्गत 4 करोड़ रूपये प्राप्त किये। उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि कम्पनी ने बजाय कोई कार्य प्रारम्भ करने*

के, पूर्व निष्पादित कार्यों को अनुदान के विरूद्ध समायोजित कर दिया और राज्य सरकार को असत्य उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया।

(प्रस्तर 2.2.11)

- कैपेसिटर बैंक ऊर्जा के क्षय को बचाते हैं और संयन्त्र की भार-वहन क्षमता को सुधारने के साथ ही उसकी ऊर्जा प्रोफाइल को भी सुधारते हैं। उपकेन्द्रों के भार सिरों पर कैपेसिटर बैंकों के अवस्थापन में कमी के परिणामस्वरूप 7.99 करोड़ रूपये मूल्य की 29.86 एमयू ऊर्जा की बचत की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.9)

- कम्पनी उपभोक्ताओं से 12.82 करोड़ रूपये वसूल नहीं कर सकी क्योंकि या तो यह निर्धारण करने में असफल रही अथवा इसने विहित प्रक्रिया का अतिलंघन करते हुए विलम्बित निर्धारण किया।

(प्रस्तर 2.2.21)

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

2.3 उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के क्रियाकलाप

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना सभी प्रकार के सेतुओं और पहुंच मार्गों के निर्माण, विकास और मरम्मत के मुख्य उददेश्य के साथ की गयी थी। कम्पनी ने निविदाओं में भागीदारी द्वारा प्राप्त किये गये संविदा कार्यों और राज्य सरकार द्वारा उसे दिये गये निक्षेप कार्यों को निष्पादित किया। कम्पनी ने 2002-03 को समाप्त होने वाले समस्त पांच वर्षों की अवधि में परिचालनात्मक हानि वहन की। कम्पनी ने निविदा कार्यों में हानि उठायी क्योंकि यह कुछ प्रकरणों में मूल लागत भी वसूल नहीं कर पायी। निक्षेप कार्यों में इसने स्वीकृत लागत की अपेक्षा अधिक व्यय किया।

समीक्षा में संज्ञान में आये कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार थे:

- मुरादाबाद बाईपास परियोजना की निविदा में दर प्रस्तावित करते समय कम्पनी ने निविदा में निवेश की लागत को भारित नही किया जिसके परिणामस्वरूप लाभ-अंश में 3.09 करोड़ रूपये का ह्रास हुआ।

(प्रस्तर 2.3.8)

- महाराष्ट्र में उल्हास नदी पर सेतु के प्रकरण में पायों के निर्माण हेतु आधार बनाने में असफलता के कारण ऊपरी संरचना के निर्माण और अभिकल्प की क्रियाविधि में परिवर्तन करना पड़ा। इस परिवर्तन के कारण आयी 3.56 करोड़ रूपये की अधिक लागत का दावा ग्राहक से नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.3.11)

- सफ़दरजंग, नई दिल्ली पर कार्यों के निष्पादन में व्ययों के नियोजन और नियंत्रण में असफलता के कारण 7.17 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.3.24)

- *कम्पनी ने 94 निक्षेप कार्यों में स्वीकृत लागत से अधिक व्यय किया। 56 पूर्ण कार्यों में कम्पनी, स्वीकृत लागत से 15 प्रतिशत अधिक लागत की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु, राज्य सरकार के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में असफल रही। इससे 40.89 करोड़ रूपये की हानि हुई।*

(प्रस्तर 2.3.25 और 2.3.28)

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

2.4 उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के क्रियाकलाप

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का निगमन अगस्त 1974 में राज्य में पर्यटन को प्रोन्नत करने के साथ इसके स्वामित्व वाली अथवा इसको हस्तान्तरित की गयी सुविधाओं (होटल, जल-पान गृह, जलक्रीड़ा परिसर इत्यादि) को वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार पर चलाने तक सीमित की गयी पश्चातवर्ती भूमिका हेतु किया गया था। कम्पनी, तथापि, नेतृत्व के अभाव और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने में बरती गयी अनिच्छा के कारण उददेश्यों को प्राप्त करने में असफल रही।

समीक्षा में संज्ञान में आये कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार थे:

- *31 मार्च 2003 को कम्पनी के पास 21 लाभ अर्जित करने वाले और 20 हानिप्रद होटल थे। होटलों का कुल परिचालनात्मक लाभ, 1998 में 1.83 करोड़ रूपये से कम होकर 2002-03 में 1.43 करोड़ रूपये हो गया। होटलों में नियुक्त अयोग्य कर्मचारी और पर्यटन नीति के अनुसार हानिप्रद सुविधाओं के निजीकरण करने में विफलता इस कमी के कारक रहे ।*

(प्रस्तर 2.4.5)

- *पर्यटकों के आगम में भारी वृद्धि के बावजूद अपर्याप्त विपणन-व्यवस्था और सेवाओं की समतुल्य गुणवत्ता सुनिश्चित किये बिना दर-सूची में भारी वृद्धि के कारण कम्पनी पर्यटकों को आकर्षित करने में विफल रही।*

(प्रस्तर 2.4.6)

- *सात होटलों के निजीकरण हेतु निदेशक मण्डल के अनुमोदन के बावजूद, अनिच्छा और अपर्याप्त अनुगामी कार्यवाही के कारण उनका निजीकरण नहीं किया जा सका जिससे 2.84 करोड़ रूपये की हानि हुई।*

(प्रस्तर 2.4.13)

3.सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रोचक विषय

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम

- *एफओआर गन्तव्य दरों पर जिप्सम की अधिप्राप्ति के कारण कम्पनी ने भाड़े पर 3.26 करोड़ रूपये के सीएसटी का परिहार्य भुगतान किया।*

(प्रस्तर 3.1.2)

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

- 'टैनरी' सेक्टर में आवंटन के लिये अर्ह परियोजना हेतु 'लेदर गुड्स' सेक्टर में भूखण्डों का आवंटन कर कम्पनी ने एक उद्योगपति को 1.42 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ पहुंचाया।

(प्रस्तर 3.1.4)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

- अनुबन्ध में असंगत प्रावधानों व अन्य कमियों के फलस्वरूप निजी उत्पादकों से ऊर्जा-क्रय करने पर कम्पनी ने 7.13 करोड़ रूपये की हानि वहन की।

(प्रस्तर 3.1.10)

- सतर्कता समन्वय कम्पनी की दक्षता में योगदान नहीं कर सका क्योंकि यह मात्र एक से दो प्रतिशत मामलों में छापे मार सका व 33 से 60 प्रतिशत मामलों में निर्धारण आरोपित कर सका।

(प्रस्तर 3.1.11)

- परिवर्तकों की दरों में गिरावट की प्रवृत्ति को संज्ञान में लेने में प्रबन्धन की विफलता तथा निविदा के निस्तारण में अनुचित विलम्ब के फलस्वरूप 67.44 लाख रूपये का अधिक व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3.1.12)

- कम्पनी ने अविरल प्रक्रिया उद्योगों पर लागू होने वाले निर्धारित अधिभार को बीजकीकृत नहीं किया और 1.02 करोड़ रूपये की हानि वहन की।

(प्रस्तर 3.1.17)

- दर-अनुसूची की निम्न दरों का प्रयोग कर कम्पनी ने 1.58 करोड़ रूपये की हानि वहन की।

(प्रस्तर 3.1.18)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

- स्वयं के भौतिक कब्जे के अधीन भूमि के स्वामित्व का सत्यापन करने में प्रबन्धन की विफलता के कारण कार्य के समापन में अनुचित विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप 5.80 करोड़ रूपये का परिहार्य भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 3.1.27)

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

- निगम ने एक मुश्त समाधान योजना का अतिक्रमण करते हुये 14.42 करोड़ रूपये का अनभीष्ठ वित्तीय लाभ पहुंचाया।

(प्रस्तर 3.2.1)

- घरेलू बाजार पर आयात नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा ऋणी की ऋण-पात्रता का स्वतन्त्र सत्यापन सीधे उनके बैंकों से करने में हुई विफलता के कारण निगम को 11.68 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.2.2)

- चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित कारपोरेट प्रत्याभूति दाता की नेट-वर्थ को स्वतन्त्र रूप से सत्यापित करने में विफलता के फलस्वरूप 7.09 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.2.3)

- बाण्ड निर्गमन में "पुट एण्ड कॉल" विकल्प को सम्मिलित न करने के विवेकहीन निर्णय के साथ ही ऊंची दर पर व्यवस्थापकों की सेवायें लेने के फलस्वरूप 5.29 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.2.5)

उत्तर प्रदेश वन निगम

- 35 सावधि जमाराशि रसीदों के नवीनीकरण में प्रबन्धन की विफलता एवं मध्यवर्ती अवधि के ब्याज के लिये कोई दावा प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप 2.24 करोड़ रूपये की हानि हुयी।

(प्रस्तर 3.2.8)

अध्याय-I

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

प्रस्तावना

1.1 31 मार्च 2003 को राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन 86 सरकारी कम्पनियाँ (46 कार्यरत कम्पनियाँ तथा 40 कार्यविहीन कम्पनियाँ)[1] तथा सात कार्यरत सांविधिक निगम थे जबकि 31 मार्च 2002 को 84 सरकारी कम्पनियाँ (44 कार्यरत कम्पनियाँ एवं 40 कार्यविहीन कम्पनियाँ) तथा सात कार्यरत सांविधिक निगम थे। एक कार्यरत सरकारी कम्पनी (उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड) उत्तराँचल सरकार को स्थानान्तरित हो गई एवं वर्ष के दौरान तीन नयी सरकारी कम्पनियाँ (उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड और यूपीएसआईडीसी पावर कम्पनी लिमिटेड) निगमित हुयीं। सरकारी कम्पनियों के लेखों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) का लेखा-परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। यह लेखे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा सम्पादित की जाने वाली अनुपूरक लेखा परीक्षा के भी अधीन हैं। राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया गया है और इसके लेखों की लेखा-परीक्षा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ऐक्ट, 1998 की धारा 34(3) के अन्तर्गत सीएजी को प्रदान की गयी है। सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा व्यवस्थाएं नीचे प्रदर्शित की गई हैं:

क्र0 सं0	निगम का नाम	सी ए जी द्वारा लेखा परीक्षा का प्राधिकार	लेखा परीक्षा व्यवस्था
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	सी ए जी द्वारा एकमात्र लेखा परीक्षा
2.	उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	शासपत्रित लेखाकारों द्वारा तथा अनुपूरक लेखा परीक्षा सीएजी द्वारा
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	राज्य भण्डारागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	शासपत्रित लेखाकारों द्वारा तथा अनुपूरक लेखा परीक्षा सीएजी द्वारा
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा
5.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1)	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा
6.	उत्तर प्रदेश वन निगम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	वन निगम अधिनियम में संशोधन प्रतीक्षित है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा भी लेखा परीक्षा की जा रही है
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	शासपत्रित लेखाकारों द्वारा तथा अनुपूरक लेखा परीक्षा सीएजी द्वारा

[1] कार्यविहीन कम्पनियाँ वह है जो कि परिसमापन अथवा बन्दी अथवा संविलयन की प्रक्रिया के अधीन है।

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

कार्यरत पीएसयू में निवेश

1.2 मार्च 2002 के अन्त में 51 कार्यरत पीएसयू (44 सरकारी कम्पनियों एवं सात सांविधिक निगमों) तथा मार्च 2003 के अन्त में 53 कार्यरत पीएसयू (46 सरकारी कम्पनियों एवं सात सांविधिक निगमों) में कुल निवेश निम्न था:

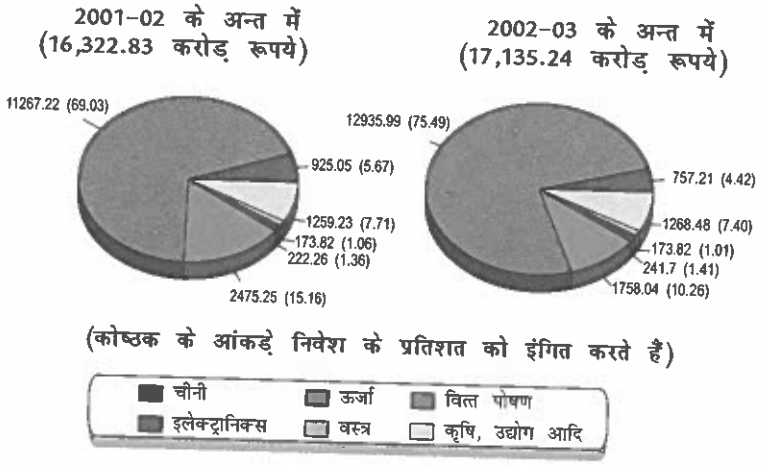
(करोड़ रूपये में)

वर्ष	कार्यरत पीएसयू की संख्या	कार्यरत पीएसयू में निवेश			
		अंशपूंजी	अंश आवेदन राशि	ऋण[1]	योग
2001-02	51	7241.82	1304.99	7776.02	16322.83
2002-03	53	8535.08	1153.91	7446.25	17135.24

कार्यरत पीएसयू में निवेश का विश्लेषण अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

31 मार्च 2002 और 31 मार्च 2003 के अन्त में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूँजी और दीर्घावधि ऋण) और उसके प्रतिशत नीचे पाई चार्ट में दिये गये है:

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश



मुख्यत: ऊर्जा और वित्तपोषण क्षेत्र में अशंपूँजी के अधिक निवेश के कारण ऋण-अशंपूँजी अनुपात वर्ष 2001-02 में 0.91:1 से घटकर वर्ष 2002-03 में 0.77:1 रह गया।

कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

1.2.1 मार्च 2002 के अन्त में 44 सरकारी कम्पनियों तथा मार्च 2003 के अन्त में 46 सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश निम्न था:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	कार्यरत सरकारी कम्पनियों की संख्या	कार्यरत पीएसयू में निवेश			
		अंशपूंजी	अंश आवेदन राशि	ऋण[2]	योग
2001-02	44	6730.00	1302.78	6132.41	14165.19
2002-03	46	8023.26	1151.70	5887.04	15062.00

1 प्रस्तर 1.2 में वर्णित दीर्घावधि ऋणों में उस पर देय और संचित ब्याज सम्मिलित नहीं है।

2 प्रस्तर 1.2.1 एवं 1.2.2 में वर्णित दीर्घावधि ऋणों में उस पर देय और संचित ब्याज सम्मिलित नहीं है।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों में अंशपूँजी तथा ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में निवेश मुख्यत: कृषि एवं समवर्गीय इलेक्ट्रानिक, चीनी, ऊर्जा और वित्त पोषण क्षेत्रों में ऋण एवं अंशपूँजी में वृद्धि के कारण बढ़ गया था।

31 मार्च 2003 को कार्यरत सरकारी कम्पनियों के कुल निवेश में अंशपूँजी और ऋण, 31 मार्च 2002 के 56.71 प्रतिशत तथा 43.29 प्रतिशत की तुलना में क्रमश: 60.91 प्रतिशत तथा 39.09 प्रतिशत था।

कार्यरत सांविधिक निगम

1.2.2 सात कार्यरत सांविधिक निगमों में कुल निवेश मार्च 2002 तथा मार्च 2003 के अन्त में निम्नवत था:

(करोड़ रूपये में)

निगम का नाम	2001-02		2002-03	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	321.37	137.68	321.37	153.74
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	179.28	1,208.17	179.28	1150.57
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	11.17 (2.21)	131.07	11.17 (2.21)	123.53
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	-	19.94	-	0.12
उत्तर प्रदेश जल निगम	-	130.36	-	130.36
उत्तर प्रदेश वन निगम	-	14.75	-	-
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	1.65	-	0.89
योग	511.82 (2.21)	1,643.62	511.82 (2.21)	1559.21

(कोष्ठक के आंकड़े अंश आवेदन राशि को इंगित करते हैं)।

कार्यरत सांविधिक निगमों में अंशपूँजी और ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूति, देयों की माफी एवं ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन

1.2.3 कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों को बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियों, देयों की माफी तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-1 एवं 3 में दिये गये हैं।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों को 2002-03 तक के दो वर्षों में राज्य सरकार से बजट बहिर्गमन (अंशपूँजी और ऋण के रूप में) तथा अनुदान/उपदान नीचे दिये गये हैं:

(राशि: करोड़ रूपये में)

विवरण	2001-02				2002-03			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अ.(i) बजट से अंशपूँजी बहिर्गमन	8	902.96	-	-	4	264.23	-	-
(ii) बजट से दिये गये ऋण	9	374.66	-	-	9	582.35	-	-
योग अ (i)+(ii)		1277.62		-		846.58		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ब-अनुदान/ उपदान								
(i)परियोजनाओं/कार्यक्रमों/योजनाओं को	6	1176.15[1]	2	376.52[2]	6	445.93[3]		
(ii) अन्य	3	6.68[4]	1	2.05	3	695.63[5]	1	2.07
योग ब (i)+(ii)		1182.83	3	378.57		1141.56	1	2.07
कुल बहिर्गमन (अ+ब)	18[6]	2460.45	3[6]	378.57	16[6]	1988.14	1	2.07

वर्ष 2002-03 के दौरान, सरकार ने सात कार्यरत कम्पनियों (832.83 करोड़ रूपये) तथा तीन कार्यरत सांविधिक निगमों (116.60 करोड़ रूपये) द्वारा लिये गये कुल 949.43 करोड़ रूपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। वर्ष के अन्त में 16 कार्यरत सरकारी कम्पनियों (3,028.56 करोड़ रूपये) एवं चार कार्यरत सांविधिक निगमों (894.56 करोड़ रूपये) के विरूद्ध 3,923.12 करोड़ रूपये की राशि की प्रत्याभूति बकाया थी। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के ऋण पुनर्भुगतान के 40.06 करोड़ रूपये को बट्टे खाते में डाल दिया और 170.24 करोड़ रूपये के ब्याज का अधित्याग किया। सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड के ऊपर बकाया बिक्री कर की 21.47 करोड़ रूपये की धनराशि (जोकि पूर्व में स्थगित की गयी थी) का भी अधित्याग किया। 2002-2003 के दौरान दो[7] सरकारी कम्पनियों एवं तीन[7] सांविधिक निगमों द्वारा सरकार को भुगतान किया गया/देय प्रत्याभूति कमीशन क्रमशः 112.67 करोड़ रूपये और 83 लाख रूपये था।

कार्यरत पीएसयू द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण

1.2.4 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कम्पनी के लेखों को, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619-बी सपठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से छः मास के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये। उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ माह के अन्दर विधायिका के सम्मुख भी प्रस्तुत करना होता है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के प्रकरण में, उनके लेखों को सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण, लेखा परीक्षित तथा विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है।

तथापि, जैसा कि परिशिष्ट-2 से देखा जा सकता है, 46 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से केवल एक[8] कार्यरत कम्पनी ने तथा सात कार्यरत सांविधिक निगमों में से किसी भी निगम ने वर्ष 2002-2003 के अपने लेखों को संकल्पित अवधि के अन्दर अन्तिम रूप नहीं दिया। दो[9] कार्यरत सरकारी कम्पनियों के लेखे देय नहीं थे। अक्टूबर 2002 से सितम्बर 2003 तक की अवधि के दौरान, 30 कार्यरत सरकारी कम्पनियों ने पूर्व वर्षों के

1 201.37 करोड़ रूपये अनुदान सम्मिलित है।
2 अनुदान
3 314.15 करोड़ रूपये अनुदान सम्मिलित है।
4 3.62 करोड़ रूपये अनुदान सम्मिलित है।
5 80.75 लाख रूपये अनुदान सम्मिलित है।
6 कम्पनियों/निगमों की संख्या को इंगित करते है जिन्हे सरकार से सम्बन्धित वर्षों में अशंपूंजी, ऋण, अनुदान तथा उपदानों के रूप में बजट का सहयोग प्राप्त हुआ है।
7 16 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और चार सांविधिक निगमों में से जिनके विरूद्ध ऋण बकाया थे, मात्र दो सरकारी कम्पनियों और तीन सांविधिक निगमों ने सूचना उपलब्ध करायी।
8 परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या अ-3
9 परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या अ-9 एवं अ-31

36 लेखों को अन्तिम रूप दिया। इसी प्रकार, उसी अवधि के दौरान पाँच कार्यरत सांविधिक निगमों ने पूर्व वर्षों के सात लेखों को अन्तिम रूप दिया।

30 सितम्बर 2003 को, 43 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सात सांविधिक निगमों के लेखे एक वर्ष से 14 वर्षों तक की अवधि से निम्न विवरण के अनुसार बकाये में थे:

क्र0 सं0	कार्यरत कम्पनियों/सांविधिक निगमों की संख्या		वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	वर्षों की संख्या जबसे लेखे बकाया हैं	परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या का संदर्भ	
	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम			सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम
1	1		1989-90	14	26	
2	2		1991-92	12	12,19	
3	1		1992-93	11	40	
4	2		1995-96	8	10,44	
5	2		1996-97	7	8,16	
6	2	1	1997-98	6	23,25	7
7	2	1	1998-99	5	41,45	5
8	2	1	1999-00	4	29,46	4
9	6		2000-01	3	20,27,28,36,37,42	
10	7		2001-02	2	1,6,7,11,15,30,43,	
11	16	4	2002-03	1	2,4,5,13,14,17,18,21,22, 24,32,33,34,35,38,39,	1,2,3,6

प्रशासकीय विभागों को यह देखना और सुनिश्चित करना होता है कि पीएसयू द्वारा लेखे निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिये गये है और अंगीकृत कर लिये गये है। यद्यपि, सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों और सरकारी कर्मचारियों को लेखा परीक्षा द्वारा अपूर्ण लेखों के बकाये के बारे में त्रैमासिक रूप से जानकारी दी गई थी, सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये और परिणामस्वरूप इन पीएसयू की निवल परिसम्पत्तियों का निर्धारण लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

कार्यरत पीएसयू की वित्तीय स्थितियाँ और कार्यचालन परिणाम

1.3 अद्यतन अन्तिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार, कार्यरत पीएसयू (सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम) के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कार्यरत सांविधिक निगमों के अद्यतन तीन वर्षों के पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार वित्तीय परिणामों को दर्शाती हुई विवरणी क्रमशः परिशिष्ट-4 व 5 में दी गयी है।

43[1] कार्यरत सरकारी कम्पनियों और छः[2] सांविधिक निगमों के अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार, 31 कम्पनियों और तीन निगमों ने क्रमशः 2,179.47 करोड़ रूपये और 193.64 करोड़ रूपये की कुल हानि उठाई, 11 कम्पनियों और चार निगमों ने क्रमशः 27.18 करोड़ रूपये और 76.52 करोड़ रूपये का कुल लाभ अर्जित किया। सरकार के

1 दो कम्पनियो (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या अ-9 और अ-31) के लेखे देय नही थे और एक कम्पनी (परिशिष्ट 2 की क्रम सख्या अ-37) ने अपना प्रथम लेखा प्रस्तुत नही किया।

2 एक सांविधिक निगम (परिशिष्ट -2 की क्रम संख्या ब-7) ने अपने लेखे निवेदित नही किये।

आदेशानुसार कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड की लाभ/हानि को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को स्थानान्तरित किया जा रहा है।

कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

लाभार्जन करने वाली कार्यरत कम्पनियाँ और लाभांश

1.3.1 आठ लाभार्जन करने वाली कम्पनियाँ, जिन्होंने अक्टूबर 2002 से सितम्बर 2003 की अवधि में अपने पिछले वर्षो के लेखों को अन्तिम रूप दिया था, ने कुल 22.72 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया। इनमें से तीन[1] कम्पनियाँ दो या दो से अधिक वर्षो से लगातार लाभ अर्जित कर रही थीं। केवल एक कम्पनी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या अ-38) ने कुल 48 लाख रूपये का लाभांश घोषित किया। सरकार ने न्यूनतम लाभांश भुगतान के लिये कोई लाभांश नीति नहीं तैयार की है।

हानि उठाने वाली कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

1.3.2 हानि उठाने वाली 31 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से 20 कम्पनियों की कुल संचित हानियाँ 6,249.76 करोड़ रूपये की थीं, जो उनकी 4,512.11 करोड़ रूपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थी (परिशिष्ट-2)।

खराब उपलब्धियों और प्रदत्त पूँजी के पूर्ण क्षरण के बावजूद, राज्य सरकार इन कम्पनियों को पूँजी अंशदान, ऋणों की अतिरिक्त प्रदत्ति, ऋणों का अंशपूँजी, उपदान में परिवर्तन आदि के रूप में वित्तीय सहयोग प्रदान करती रही। राज्य सरकार द्वारा 2002-2003 के दौरान नौ कम्पनियों को अंशपूँजी, ऋणों की अतिरिक्त प्रदत्ति, उपदान, ऋण को बट्टे खाते मे डालना, ब्याज को त्याग देना तथा सेल्स टैक्स का अभित्याग कर देने के रूप में उपलब्ध कराया गया वित्तीय सहयोग 1,860.77 करोड़ रूपये का था।

कार्यरत सांविधिक निगम

लाभार्जन करने वाले सांविधिक निगम तथा लाभांश

1.3.3 किसी भी कार्यरत सांविधिक निगम ने सितम्बर 2003 तक 2002-2003 के लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया था।

पाँच कार्यरत सांविधिक निगमों, जिन्होंने सितम्बर 2003 तक अपने पिछले वर्ष के लेखों को अन्तिम रूप दिया था, में से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और उत्तर प्रदेश जल निगम (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या ब-3, ब-5 और ब-6) ने कुल 47.22 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया। इनमे से दो निगमों (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या ब-3 और ब-5) ने दो या दो से अधिक वर्षो से लगातार लाभ अर्जित किया लेकिन कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

[1] परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या : अ-7, 38 एवं 46 ।

हानि उठाने वाले सांविधिक निगम

1.3.4 दो हानि उठाने वाले कार्यरत सांविधिक निगमों, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या ब-1 और ब-2) की कुल संचित हानियाँ 1,453.03 करोड़ रूपये की थीं जो उनकी 500.65 करोड़ रूपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थीं।

कार्यरत सांविधिक निगमों का कार्यचालन सम्पादन

1.3.5 कार्यरत सांविधिक निगमों का कार्यचालन सम्पादन परिशिष्ट-6 में दिया गया है, जिससे निम्न तथ्य उजागर होते है:

- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चालू वाहनों की औसत संख्या (किराये की बसों सहित) 1999-2000 की तुलना में 2001-2002 में छः प्रतिशत तक गिर गई थी। औसत खर्च में बढ़ोत्तरी (1,128 पैसे से 1,247 पैसे) के परिणामस्वरूप प्रति किलोमीटर हानि 1999-2000 की तुलना में 2001-2002 में 116 पैसे से बढ़कर 179 पैसे हो गई। इसी अवधि में धारित अनुपात में कमी (63 प्रतिशत से 57 प्रतिशत) तथा परिचालित यात्री किलोमीटर में कमी (2,316 करोड़ से 2,043 करोड़ किलोमीटर) रही।
- उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के परिप्रेक्ष्य में अतिदेय मूलधन और ब्याज का प्रतिशत 1999-2000 की तुलना में 2001-2002 में 84.74 से बढ़कर 127.31 हो गया जो कि खराब वसूली सम्पादन को दर्शाता था।

नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ

1.3.6 अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार 43 कार्यरत कम्पनियों में नियोजित पूँजी[1] की गणना 9,362.52 करोड़ रूपये की गई तथा उस पर कुल प्रतिलाभ[2], पूर्व वर्ष के (-)72.35 करोड़ रूपये की तुलना में (-)982.01 करोड़ रूपये रहा। इसी प्रकार, छः कार्यरत सांविधिक निगमों के प्रकरण में अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार नियोजित पूँजी और उस पर कुल प्रतिलाभ, पूर्व वर्ष के 130.14 करोड़ रूपये (1.93 प्रतिशत) के कुल प्रतिलाभ की तुलना में क्रमशः 7,440.50 करोड़ रूपये तथा 95.68 करोड़ रूपये (1.28 प्रतिशत) आगणित किया गया।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के प्रकरण में नियोजित पूँजी और नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ के विवरण परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

1.4 आयोग का गठन 10.09.1998 को विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 के अधीन इन मुख्य उद्देश्यों के साथ किया गया कि राज्य में विद्युत का उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा आपूर्ति उचित ढंग से प्रतिपादित की जा सके, राज्य में

1 नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत-प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग को प्रदर्शित करती है सिवाय वित्त पोषण कम्पनियों और निगमों को छोड़कर जहाँ यह कुल प्रदत्त पूँजी के पूर्व एवं अंतिम शेषों के मध्यमान, मुक्त आरक्षित निधि, बाण्ड, जमा तथा ऋण (पुनर्वित्त-पोषण सहित) प्रदर्शित करती है ।

2 नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ के आगणन हेतु, ऋण ली गई निधियों के ब्याज को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है/हानि से घटाया जाता है जैसा कि लाभ हानि खाते में प्रदर्शित किया गया ।

विद्युत उद्योग तथा विद्युत के क्रय, वितरण, आपूर्ति एवं उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, सेवा का स्तर, दर एवं अन्य भार उपभोक्ता के हित एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये जायें जिससे ऐसा वातावरण उत्पन्न हो कि निजी क्षेत्र के उद्यमी राज्य में विद्युत उद्योग स्थापित करने के लिये आकर्षित हों। आयोग एक निगमित निकाय है जिसमें सभापति सहित तीन सदस्य होते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते है। आयोग ने 2001, 2002 एवं 2003 के दौरान लाइसेंसियो (कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड एवं नोयडा पावर कम्पनी लिमिटेड के लिये थोक सम्पूर्ति सहित) के लिये दरें निर्धारित कीं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2002 (वितरण कोड) जारी किया। आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा का दायित्व उपरोक्त अधिनियम की धारा-34 के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। आयोग ने 2000-01 तक के अपने लेखे पूर्ण कर लिये है।

राज्य और केन्द्र सरकार के बीच हुए एमओयू के कार्यान्वयन की स्थिति

1.4.1 चिन्हित मील के पत्थरों सहित ऊर्जा-क्षेत्र में सुधार-कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की संयुक्त वचनबद्धता के क्रम में राज्य व केन्द्र सरकार के मध्य 25 जनवरी 2000 को एक मेमोरेण्डम आफ अन्डरस्टैंडिंग (एमओयू) बना जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

- ऊर्जा सम्प्रेक्षण कार्यक्रम में, उच्च हानि वाले फीडरों के चिन्हांकन को सुविधाजनक बनाने हेतु फीडर-वाइज ऊर्जा लेखों के अनुश्रवण का उल्लेख किया गया है। इस हेतु सभी 11 केवी 7,064 आउटगोइंग फीडर पैनलों पर मीटर लगाये गये और जून 2003 के अन्त में किये गये अनुश्रवण से स्पष्ट हुआ कि 2,333 फीडरों पर लाईन हानियाँ 30-60 प्रतिशत के मध्य विस्तारित थीं। उपभोक्ताओं के परिसरों में मार्च 2004 (मार्च 2005 तक बढ़ाया गया) तक 100 प्रतिशत मीटर लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध, सितम्बर 2003 तक 15.95 लाख इलेक्ट्रानिक मीटर (अनुमानित 28 लाख में से) लगाये गये।

- लखनऊ शहर के 27 केन्द्रों पर आन लाइन कम्प्यूटर बिलिंग की सुविधा दी जा चुकी है। बाद में इसे 17 अन्य जिलों में भी कार्यान्वित किया जाना है।

- एमओयू का अन्य क्षेत्र, वितरण लाभ केन्द्रों की स्थापना था। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने चार वितरण कम्पनियों की स्थापना का निर्णय लिया (14 नवम्बर 2002)। तदनुसार, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ; मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ; दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की स्थापना मई 2003 में की गई।

- रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन के अतिदेय को वित्तीय वर्ष 2009 से 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर प्रतिदान के साथ पुन:निर्धारित किया गया है। पुनश्च: एमओयू की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय पीएसयू के अतिदेयों को प्रत्याभूत किया गया है।

कार्यविहीन पीएसयू

कार्यविहीन पीएसयू में निवेश

1.5 मार्च 2002 के अन्त में तथा मार्च 2003 के अन्त में 40 कार्य विहीन पीएसयू[1] (सभी सरकारी कम्पनियाँ) में कुल निवेश निम्न प्रकार रहा:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	कार्यविहीन पीएसयू की संख्या	कार्यविहीन पीएसयू में निवेश			
		अंशपूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण[2]	योग
2001-02	40	390.01	49.06	425.04	864.11
2002-03	40	390.01	49.06	422.38	861.45

मार्च 2003 के अन्त में कार्य विहीन सरकारी कम्पनियों का वर्गीकरण निम्नानुसार था:

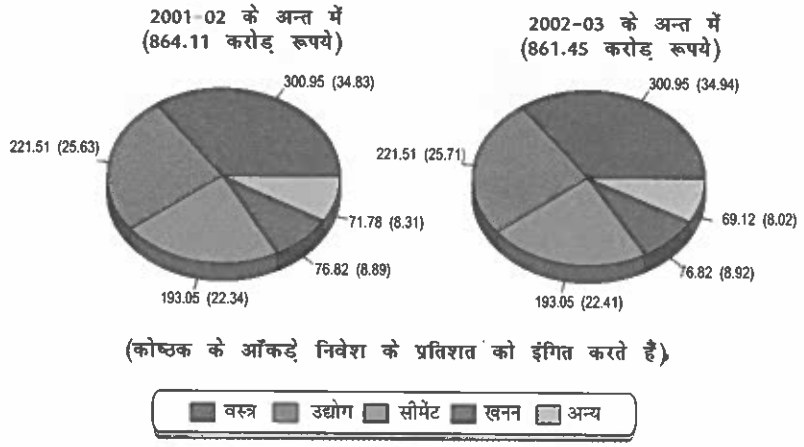
(करोड़ रूपये में)

क्रम सं0	कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों की स्थिति	कम्पनियों की संख्या	निवेश	
			अंशपूँजी[3]	दीर्घावधि ऋण
(प)	परिसमापन/बन्दी के अन्तर्गत	9	12.94	11.04
(पप)	संविलय के अन्तर्गत	2	0.44	2.09
(पपप)	अन्य[4]	29	425.69	409.25
	योग	40	439.07	422.38

उपरोक्त कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों में से नौ सरकारी कम्पनियाँ, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत 7 से 29 वर्षो से परिसमापनाधीन अथवा बन्दी के अन्तर्गत थीं और इन कम्पनियों में 23.98 करोड़ रूपये का महत्वपूर्ण निवेश सन्निहित था। उनके त्वरित परिसमापन अथवा पुनर्जीवन हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

31 मार्च 2002 और 2003 के अन्त में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूँजी और दीर्घावधि ऋणों) और उनके प्रतिशत को निम्न पाई चार्टो में इंगित किया गया है:

कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश



1 कार्यविहीन सांविधिक निगम कोई नही है।

2 दीर्घावधि ऋणों में उस पर देय और संचित ब्याज सम्मिलित नही है।

3 अन्य मे दर्शित कम्पनियों की अशंपूंजी मे 49.06 करोड़ रूपये की अंश आवेदन राशि भी शामिल है।

4 बन्द एवं कार्यविहीन कम्पनियाँ।

बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूतियाँ, बकायों की माफी तथा ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन

1.5.1 राज्य सरकार द्वारा कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों को बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियों, बकायों की माफी तथा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन के विवरण परिशिष्ट-1 व 3 में दिये गये है।

कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों पर कुल स्थापना व्यय

1.5.2 कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों के 2002-03 तक के पिछले तीन वर्षो के दौरान कुल स्थापना व्यय तथा वित्त पोषण के स्रोतों का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

(राशि: करोड़ रूपये में)

वर्ष	पी एस यू की संख्या	कुल स्थापना व्यय	वित्त पोषण				
			निवेश/परिसम्पत्तियों के निस्तारण द्वारा	निजी पार्टियों से ऋण द्वारा	सरकार द्वारा		अन्य
					ऋण	अनुदान	
2000-01	4	0.99	0.92	-	-	-	0.07
2001-02	8	0.98	0.34	-	-	-	0.64
2002.03	5[1]	0.61	0.02	-	-	-	0.59

कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण

1.5.3 30 सितम्बर 2003 को 40 कार्यविहीन कम्पनियों के लेखे 1 से 28 वर्षो तक की अवधि से बकाये में थे जैसा कि परिशिष्ट-2 के उपखण्ड-स से देखा जा सकता है।

कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

1.5.4 अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार, कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट-2 में दिये गये है।

अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार, कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवल पूँजी, नकद हानि/लाभ तथा संचित हानि/लाभ के विवरण नीचे दिये गये है:

(राशि: करोड़ रूपये में)

विवरण	प्रदत्त पूँजी	निवल पूँजी[2]	नकद हानि (-)/ लाभ[3](+)	संचित हानि (-)/ लाभ (+)
कार्यविहीन कम्पनियाँ	384.12	(-) 462.62	(-) 83.77	(-) 880.00

सांविधिक निगमों के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.6 निम्न तालिका, सांविधिक निगमों के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति इंगित करती है:

1 40 कार्यविहीन कम्पनियों में से केवल पाँच कम्पनियों (परिशिष्ट-1 की क्रम संख्या- स-1, 3, 20, 36 और 40) ने ही स्थापना व्यय के विवरण उपलब्ध कराये है।

2 निवल पूँजी, प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त आरक्षित निधि के योग से संचित हानि को घटाकर प्रदर्शित होती है।

3 नकद हानि/लाभ, वर्ष का हानि/लाभ एवं वर्ष के मूल्य ह्रास के योग को प्रदर्शित करती है।

क्र0 सं0	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जब तक के एसएआर विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये गये	वर्ष जिनके एसएआर विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किये गये		
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत किये जाने की तिथि	विधायिका के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1993-94	1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-2001	08.11.1996 20.01.1998 10.09.1999 12.01.2000 11.10.2001 05.10.2002 09-09-2003	सूचना वांछित है
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1992-93	1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000	07.07.1995 18.04.1996 28.08.1998 17.12.1999 27.07.2000 20.10.2001 25.07.2002	सूचना वांछित है
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	1997-98	1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02	27.07.2000 29.05.2001 29.04.2002 13.08.2003	सूचना वांछित है
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम[1]	--	1997-98 1998-99	17.08.2000 23.05.2002	सूचना वांछित है
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	--[2]	1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1995-96	23.02.1998 23.02.1998 27.02.1998 19.08.1999	सूचना वांछित है
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	--[2]	1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-2001	21.10.1997 18.02.1999 03.07.2000 19.09.2001 07.02.2002 13.02.2003	सूचना वांछित है
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम [3]	..	..	..	..

राज्य सरकार ने एसएआर के विधायिका के सम्मुख प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं करायी। अन्य के अलावा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की वर्ष 1993-94 की एसएआर 7 जुलाई 1995 को जारी की गई थी लेकिन इसके प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित सूचना अभी तक प्रतीक्षित है। यह एक गम्भीर प्रकरण है जो शासन द्वारा कार्यवाही चाहता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना[4]

1.7 सरकार द्वारा बनायी गई (जून 1994) पीएसयू के निजीकरण/विनिवेश की नीति में, सभी उपक्रमों (सामाजिक और जन-कल्याण की गतिविधियों तथा सार्वजनिक उपादेयता के

1 लेखापरीक्षण 1997-98 से सौपा गया।

2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की 1990-91 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश जल निगम की 1995-96 से पूर्व की सूचना शासन से वांछित है

3 लेखापरीक्षण 1997-98 से सौपा गया, लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 2003)।

4 पुनर्संरचना मे पीएसयू का संविलयन और बन्दी सम्मिलित है।

कार्य में रत उपक्रमों को छोड़कर) जिनकी वार्षिक हानि 10 करोड़ रूपये से अधिक थी तथा जिन्होंने अपनी निवल पूँजी के 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण कर लिया था, की समीक्षा का प्रावधान था।

निजीकरण/विनिवेश/बीआईएफआर को संदर्भित किये जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा करने तथा निर्णय लेने एवं अन्य विकल्पों जैसे आंशिक निजीकरण, निजी उद्यमियों द्वारा प्रबन्धन, निजी उद्यमियों को पट्टे पर देने आदि की संस्तुति करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) का गठन किया गया (दिसम्बर 1995)। ईसी की संस्तुतियों को लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। अधिकार प्राप्त समिति की संस्तुति पर राज्य डिस्इन्वेस्टमेन्ट आयोग गठित किया गया (नवम्बर 1998) लेकिन यह विघटित हो गया (जनवरी 2000) एवं एक डाईवेस्टमेन्ट आयोग (डीसी) का गठन हुआ (जनवरी 2000)।

विनिवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने हेतु एक केन्द्रीय समिति का भी गठन किया गया (जनवरी 2000)। केन्द्रीय समिति को सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य-चालन में सुधार, संविलयन, पुनर्संरचना, निजीकरण अथवा बन्द करने आदि से सम्बन्धित प्रकरणों को डाइवेस्टमेन्ट आयोग को सन्दर्भित करने का कार्य सौंपा गया। यह उल्लिखित किया गया था कि डाईवेस्टमेन्ट आयोग अपनी संस्तुतियाँ केन्द्रीय समिति को अग्रेषित करेगा।

डाइवेस्टमेन्ट आयोग को 27 सार्वजनिक उपक्रम संदर्भित किये गये, और इन सभी के बारे में डाइवेस्टमेन्ट आयोग ने अपनी संस्तुतियाँ दे दी। केन्द्रीय समिति ने विचारोपरान्त 25 उपक्रमों पर अपनी संस्तुतियाँ दीं। इन संस्तुतियों को लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

- एक उच्च स्तरीय डिसइन्वेस्टमेन्ट कमेटी का गठन किया गया (अप्रैल 2003) और विनिवेश के कार्यों को योजना विभाग को दे दिया गया।

सरकार द्वारा सूचित किया गया (सितम्बर 2003) कि:

- प्रथम चरण में, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की 11 चीनी मिलों एवं उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम की आठ रूग्ण एवं पाँच बन्द चीनी मिलों के विनिवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।
- 27 उपक्रमों पर डाइवेस्टमेन्ट आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कार्य किया जायेगा जो कि डाइवेस्टमेन्ट आयोग को सन्दर्भित थे।
- विभागों/उपक्रमों से, विनिवेश की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में सूचनाएं एकत्रित की जा रही थीं और इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, तृतीय चरण में आवश्यक विनिवेश की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकप) को विनिवेश के कार्य में सलाहकार के रूप में चयनित किया गया है। उच्च स्तरीय विनिवेश कमेटी नीतिगत कार्यवाही का चयन करने और क्रियात्मक संस्तुति हेतु पिकप से सलाह ले रही है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के परिणाम

1.8 अक्टूबर 2002 से सितम्बर 2003 की अवधि के दौरान, 35 सरकारी कम्पनियों (29 कार्यरत और 6 कार्यविहीन) तथा छः सांविधिक निगमों का समीक्षा हेतु चयन किया

गया। पीएसयू की समीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का कुल प्रभाव निम्न प्रकार रहा:

विवरण	लेखों की संख्या			लाख रूपये में		
	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम
	कार्यरत	कार्यविहीन	कार्यरत	कार्यरत	कार्यविहीन	कार्यरत
(i) लाभ में कमी	7	-	2	775.50	-	448.90
(ii) हानि में वृद्धि	8	1	1	40068.98	1.97	7867.00
(iii) हानि में कमी	2	-	-	1279.11	-	-
(iv) महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना	9	1	1	223010.17	68.24	10497.00
(v) वर्गीकरण की त्रुटियाँ	11	2	3	26906.36	29.61	18582.81

नोट: कोई भी सांविधिक निगम कार्यविहीन नहीं है।

उपरोक्त में से कुछ कम्पनियों और निगमों के वार्षिक लेखों की समीक्षा के दौरान देखी गई कुछ मुख्य त्रुटियों और चूकों की चर्चा नीचे की गई है:

1.8.1 सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित पाई गई त्रुटियाँ एवं चूकें

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबबेल कारपोरेशन लिमिटेड (2000-2001)

- अप्रयुक्त सरकारी फण्ड पर 1993-94 तक देय संकलित ब्याज की 4.47 करोड़ रूपये की राशि के अंश आवेदन राशि में एकतरफा परिवर्तन के कारण 4.47 करोड़ रूपये की अंश आवेदन राशि से दर्शाया गया, परिणामस्वरूप चालू दायित्वो एवं प्राविधानों को कम दर्शाया गया तथा अंशपूंजी को 4.47 करोड़ रूपये से अधिक दर्शाया गया।
- विविध देनदारों (6.84 करोड़ रूपये) में 50.52 लाख रूपये अस्वीकार्य बढ़ोत्तरी के दावों के सम्मिलित है, परिणामस्वरूप विविध देनदारों को अधिक दर्शाया गया एवं संचित हानि को 50.52 लाख रूपये से कम दिखाया गया।
- बीजकीकरण और अन्तिम क्रियमाण कार्यों का मूल्यांकन वास्तविक मूल्य पर करने के बजाय जैसा कि मुवक्किल के कार्य की नियम व शर्तो में प्रावधानित था, अनुमानित दर पर किया गया जिससे लाभ-हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में क्रियमाण कार्य (67.54 करोड़ रूपये) को 5.58 करोड़ रूपये से अधिक दिखाया गया, परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 5.58 करोड़ रूपये से लाभ अधिक दिखाया गया।
- कम्पनी ने सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर सरकार से प्राप्त अनुपयोजित निधि के विनिवेश पर अर्जित ब्याज 1.02 करोड़ रूपये को सरकार के खाते में क्रेडिट नही किया, परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ को 1.02 करोड़ रूपये से अधिक दिखाया गया।

छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (1999-2000)

- उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड को पूर्व वर्ष (73.00 लाख रूपये) एवं चालू वर्ष (42.63 लाख रूपये) हेतु चीनी एव बगास के विक्रय पर देय सेवा प्रभार सम्मिलित न किये जाने के कारण विविध लेनदारों (15.98 करोड़ रूपये) को 1.16 करोड़ रूपये से कम दिखाया गया, परिणामस्वरूप वर्ष का लाभ 42.63 लाख रूपये

अधिक दिखाया गया एवं संचित हानि 31 मार्च 2000 को 1.16 करोड़ रूपये से कम दर्शायी गयी।

- चीनी एवं शीरे पर 1.80 करोड़ रूपये के उत्पाद शुल्क के भुगतान के दायित्व का प्रावधान नही किया गया। इस कारण चालू दायित्व एवं व्यापारिक रहतिया 1.80 करोड़ रूपये की सीमा तक कम दर्शाया गया।

दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (2001-2002)

- अन्य प्राप्तियाँ (12.35 करोड़ रूपये)- अप्राप्य अग्रिमों का प्रावधान न किये जाने के कारण चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों को 3.94 करोड़ रूपये से अधिक दिखाया गया, परिणामस्वरूप हानि 3.94 करोड़ रूपये से कम आंकी गई।
- परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण (138.36 करोड़ रूपये) में प्रावधान कम दर्शाये जाने के कारण चालू परिसम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम 12.44 करोड़ रूपये तक निम्नानुसार अधिक दिखाये गये:
 - 11 कम्पनियों को दी गई सहायता का वर्गीकरण हानि के बजाय संदिग्ध में किये जाने से 7.09 करोड़ रूपये का कम प्रावधान;
 - पाँच कम्पनियों को प्रदत्त लीज सहायता को हानि के बजाय संदिग्ध ऋण माने जाने के कारण 5.35 करोड़ रूपये का कम प्रावधान।
- कम्पनी ने 33.53 करोड़ रूपये के सरकारी ऋणों पर अप्रैल 1999 से मार्च 2002 की अवधि हेतु देय ब्याज 15.78 करोड़ रूपये का प्रावधान नहीं किया। सरकार ने 26.03 करोड़ रूपये के ऋणों को 31 मार्च 2002 से ब्याज मुक्त ऋण में परिवर्तित करने के बावजूद ऋणों पर ब्याज माफ नहीं किया। 33.53 करोड़ रूपये पर ब्याज का प्रावधान न किये जाने से संचित हानि 15.78 करोड़ रूपये कम दर्शायी गई (वर्ष के दौरान 5.55 करोड़ रूपये की हानि को सम्मिलित करने पर) एवं वित्तीय व्यय (वर्ष के दौरान) 5.55 करोड़ रूपये से कम दर्शाया गया।
- वित्तीय व्यय (95.44 करोड़ रूपये) 1.41 करोड़ रूपये से कम दर्शाये गये जो हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज (2.10 करोड़ रूपये) एवं महान प्रोटीन्स लिमिटेड (2.00 करोड़ रूपये) में निवेश करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण मन्त्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निधि पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का प्रावधान न किये जाने के कारण था। परिणामस्वरूप चालू दायित्व एवं प्रावधान तथा संचित हानि 1.41 करोड़ रूपये से कम दिखायी गई।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (2001-2002)

- विविध देनदारों में सम्मिलित छः माह की अवधि से अधिक के बकाया ऋणों (27.38 करोड़ रूपये) में 5.14 करोड़ रूपये का ऋण 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया है जिसके लिए केवल 21 लाख रूपये का प्रावधान किया गया, परिणामस्वरूप प्रावधान को 4.93 करोड़ रूपये से कम दिखाया गया। इस कारण विविध देनदार 4.93 करोड़ रूपये से अधिक दिखाये गए एवं वर्ष के लिए हानि इस सीमा तक कम दिखायी गयी।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (2000-2001)

- ऊर्जा विक्रय (185.00 करोड़ रूपये) में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को ऊर्जा विक्रय से प्राप्त राजस्व के 167.18 करोड़ रूपये सम्मिलित है जिसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने लेखों में 149.53 करोड़ रूपये का ऊर्जा क्रय दिखाया है, परिणामस्वरूप 17.65 करोड़ रूपये से आय को अधिक एवं हानि को कम दिखाया गया।
- अन्य आय (19.53 करोड़ रूपये) में कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से वसूली योग्य अप्रदत्त विद्युत बीजकों पर देय विलम्ब शुल्क प्रभार का 2.94 करोड़ रूपये सम्मिलित है। इस प्रकार, हानि एवं दायित्व, दोनो को 2.94 करोड़ रूपये से कम दिखाया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2000-2001)

- 'कोल इन ट्रॉंजिट' (46.90 करोड़ रूपये) में ओबरा को भेजे गए कोल की धनराशि 1.73 करोड़ रूपये सम्मिलित नहीं थी। परिणामस्वरूप 'कोल इन ट्रॉंजिट' एवं दायित्व को 1.73 करोड़ रूपये से कम दिखाया गया।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (2000-2001)

- कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (केस्को) को ऊर्जा के विक्रय (524.68 करोड़ रूपये) में प्रभार 15.30 करोड़ रूपये के बजाय 19.82 करोड़ रूपये सम्मिलित था, परिणामस्वरूप हानि को कम एवं विविध देनदारों को 4.52 करोड़ रूपये से अधिक दिखाया गया।
- ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त राजस्व 9.56 करोड़ रूपये से अधिक दर्शाये गये थे क्योंकि रेलवे ट्रैक्शन के विरूद्ध 373.65 करोड़ रूपये की बिक्री दिखायी गयी जबकि कम्पनी द्वारा जारी किये गये बीजकों की गणना के आधार पर एवं रेलवे द्वारा सत्यापन करने पर 364.09 करोड़ रूपये की धनराशि आती थी। इस प्रकार हानि को कम दिखाया गया एवं विविध देनदारियाँ 9.56 करोड़ रूपये से अधिक दिखायी गयी।
- मेरठ के दो वितरण खण्डों द्वारा ऊर्जा-विक्रय का लेखांकन 78.05 करोड़ रूपये के बजाय 83.34 करोड़ रूपये करने के कारण ऊर्जा-विक्रय से प्राप्त राजस्व 5.29 करोड़ रूपये से अधिक दिखाया गया, परिणामस्वरूप हानि को कम एवं विविध देनदारियों को 5.29 करोड़ रूपये से अधिक दिखाया गया।

कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (1999-2000)

- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित 2.15 रूपये प्रति यूनिट के बजाय 1.94 रूपये प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा का लेखांकन (43,31,31,907.10 यूनिट्स) करने के कारण ऊर्जा क्रय (84.03 करोड़ रूपये) को लाभ-हानि खाते में 9.10 करोड़ रूपये से कम दर्शाया गया।

- सरकारी अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी 2000 के प्रस्तर 4 (4) (डी) के क्रम में 15 जनवरी 2000 से 31 मार्च 2000 की अवधि के एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर आगणित कर्मचारी सीमान्त लाभों का प्रावधान न करने के कारण स्थापना व्यय (8.25 करोड़ रूपये) 1.03 करोड़ रूपये से कम दिखाया गया, परिणामस्वरूप हानि एवं देयतायें 1.03 करोड़ रूपये से कम दिखाये गये।

1.8.2 सांविधिक निगमों से सम्बन्धित पाई गई त्रुटियाँ एवं चूकें

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम (2001-2002)

- लाभ-हानि खाते के क्रेडिट साइड में भण्डारण शुल्क (75.06 करोड़ रूपये) में केन्द्रीय भण्डारागार निगम से वसूली योग्य दिखाये गये 59.30 लाख रूपये (10.95 लाख रूपये चालू वर्ष के सम्मिलित करते हुए) सम्मिलित है जिसे केन्द्रीय भण्डारागार निगम द्वारा न तो स्वीकृत किया गया और न ही भुगतान किया गया लेकिन लेखाओं में इस राशि को वापस नहीं लिखा गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष का लाभ 10.95 लाख रूपये तक, संचित लाभ 59.30 लाख रूपये तक तथा संचित भण्डारण शुल्क 59.30 लाख रूपये से अधिक प्रर्दशित किया गया।

उत्तर प्रदेश जल निगम (2000-2001)

- आपूर्तिकर्ता से प्राप्त सामग्री का लेखाकंन न किये जाने के कारण आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को देय राशि (29.17 करोड़ रूपये) 2.78 करोड़ रूपये से कम दिखायाी गयी जोकि मार्च 2001 तक स्टोर लेजर्स में स्वीकृत एवं लेखांकित की गई लेकिन इस का प्रभाव लेखों में सामग्री लेखे को डेबिट और तदनुरूप दायित्व को केडिट करके नही लाया गया।

1.8.3 पीएसयू के वित्तीय मामलों में सतत अनियमितताएं एवं प्रणाली दोष

सरकारी कम्पनियाँ

- इन्स्टीट्यूट आफ इन्टरप्रीन्योरशिप डेवलेपमेन्ट द्वारा बनाये गये कारपस फण्ड के लिए जुलाई 1999 में 25 लाख रूपये के योगदान को चालू दायित्यों एवं अग्रिमों में सम्मिलित किया गया, जोकि लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाना चाहिए था क्योंकि यह एक प्रकार का दान है एवं कम्पनी द्वारा वसूली योग्य कुछ भी नहीं है। पुनश्चः, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (1) (ई) के अन्तर्गत इस योगदान को देने की सहमति अशंधारकों से प्राप्त नही की गई।

(दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड)

सांविधिक निगम

- वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, उन कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन, जो 01.01.1996 से 31.03.1999 के दौरान सेवा निवृत्त हुए, में भी संशोधन किया गया। तथापि, बढ़ी हुई ग्रेच्यूइटी/पेंशनरी अंशदान के बकाये के

रूप में लेखाओं में 5.63 करोड़ रूपये का प्रावधान, उन कर्मचारियों के लिए जोकि जनवरी 1996 से दिसम्बर 1998 के मध्य सेवानिवृत्त हुए, नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2001 को, संचित हानि एवं अन्य दायित्व दोनों 5.63 करोड़ रूपये तक कम प्रदर्शित किए गये।

- निगम ने वर्ष 1989-90 तक के 8.12 करोड़ रूपये के डेबिट अवशेष का भी मिलान नही किया, जोकि 'इन्टर आफिस रेमिटेन्सस' में सम्मिलित हैं।

(उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम)

- पूँजी एवं दायित्व के अन्तर्गत आय का व्यय पर आधिक्य (29.52 करोड़ रूपये) उन कार्यों के सम्बन्ध में किये गये अधिक सेन्टेज के क्रेडिट को, जहाँ निम्नतर दर पर ऐसा कोई सेन्टेज अनुमन्य नही था, वापस न लिये जाने के कारण 3.51 करोड़ रूपये से अधिक दिखाया गया।

(उत्तर प्रदेश जल निगम)

आन्तरिक लेखा परीक्षण/आन्तरिक नियन्त्रण

1.9 सांविधिक सम्प्रेक्षकों (चार्टड एकाउन्टेन्टस) से यह अपेक्षित है कि वे अपने द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनियों पर आन्तरिक सम्प्रेक्षण/आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालियों को सम्मिलित करते हुए, विभिन्न विषयों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशानुसार, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ए) के अन्तर्गत एक विस्तृत रिर्पोट देगें तथा उन दोषों की पहचान करेंगे जहाँ सुधार की आवश्यकता है। राज्य सरकार से सम्बन्धित, आन्तरिक सम्प्रेक्षण/आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पर सांविधिक सम्प्रेक्षकों द्वारा की गई मुख्य अनुशंसाओं/टिप्पणियों का निदर्शात्मक विवरण परिशिष्ट-7 पर दर्शाया गया है। परिशिष्ट से यह प्रकट होता है कि प्रमुख अनुशंसायें अधोलिखित प्रकृति की है।

आन्तरिक सम्प्रेक्षा प्रणाली कम्पनियों के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं थी, आन्तरिक सम्प्रेक्षण नहीं किया गया था, आन्तरिक सम्प्रेक्षकों द्वारा लिया गया समय व्यवसाय के आकार के अनुरूप नहीं था, अनुपालन तन्त्र दोषपूर्ण पाया गया क्योंकि अवलोकनों और अनुशंसाओं का अनुपालन असाधरण रूप से विलम्बित था।

पीएसयू की बन्दी हेतु संस्तुति

1.10 अपने अस्तित्व में आने के पाँच वर्षो के बाद भी, 13 कार्यरत सरकारी कम्पनियों (परिशिष्ट-8) का कुल टर्न ओवर (बिक्री एवं अन्य आय), अद्यतन लेखों से पूर्ववर्ती पाँच वर्षो में से प्रत्येक में 5 करोड़ रूपये से कम रहा है। इसी प्रकार, 8 कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ (परिशिष्ट-8अ) लगातार पाँच वर्षो तक हानि उठाती रही थीं (अद्यतन लेखों के अनुसार) जिससे निवल अचल परिसम्पत्तियाँ ऋणात्मक हो गयीं। क्षीण टर्न ओवर और लगातार हानियों की दृष्टि से, सरकार को उपरोक्त सरकारी कम्पनियों के कार्य सम्पादन में या तो सुधार करना चाहिये या उनके बन्दीकरण पर विचार करना चाहिये।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों तथा समीक्षाओं पर अनुक्रिया

1.11 लेखा परीक्षण के दौरान पाई गई और मौके पर समाधान न की गई लेखा परीक्षा आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से, पीएसयू के प्रमुख और राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया जाता है। पीएसयू के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर छः सप्ताहों के अन्दर सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से प्रस्तुत करने होते हैं। 63 पीएसयू से सम्बन्धित मार्च 2003 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों ने उजागर किया कि सितम्बर 2003 के अन्त तक 3,376 लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 12,624 प्रस्तर अनिस्तारित पड़े थे। उनमें से 502 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 2,409 प्रस्तरों के उत्तर पाँच वर्षों से अधिक समय से नहीं दिये गये थे। 30 सितम्बर 2003 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभाग-वार विवरण परिशिष्ट-9 में दिया गया है।

इसी प्रकार, ड्राफ्ट प्रस्तरों और पीएसयू की कार्य प्रणाली पर समीक्षाओं को अर्धशासकीय रूप से प्रमुख सचिव, वित्त तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर उन पर उनकी टिप्पणियों तथा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि हेतु अग्रसारित किया जाता है। तथापि, यह देखा गया कि मार्च 2003 से जुलाई 2003 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रसारित चार ड्राफ्ट समीक्षाओं तथा 38 ड्राफ्ट प्रस्तरों में से शासन ने 31 ड्राफ्ट प्रस्तरों और दो ड्राफ्ट समीक्षाओं के उत्तर अब तक नहीं दिये हैं जैसा कि परिशिष्ट-10 में दिया गया है।

यह संस्तुत किया जाता है कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि (क) उन कर्मचारियों के विरूद्ध जो निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट प्रस्तरों/समीक्षाओं के उत्तर भेजने में असफल रहे, कोई कार्यवाही किये जाने की कार्यविधि विद्यमान हो, (ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अति भुगतान की एक समयबद्ध सारणी के अन्दर वसूली करने हेतु कार्यवाही की जाय तथा (ग) लेखा परीक्षा आपत्तियों पर अनुक्रिया देने की पद्धति का पुनरोद्धार किया जाये।

1.12 सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

अवधि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित कुल समीक्षायें एवं प्रस्तर		चर्चा हेतु लम्बित समीक्षायें एवं प्रस्तर	
	समीक्षा	प्रस्तर	समीक्षा	प्रस्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1976-77	2	53	--	4
1977-78	5	28	--	3
1979-80	6	59	--	7
1980-81	6	30	--	1
1981-82	4	73	2	37
1982-83	5	50	3	16
1983-84	4	60	3	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1984-85	2	14	1	6
1985-86	6	22	6	9
1986-87	3	28	1	12
1987-88	8	23	5	8
1988-89	5	22	3	9
1989-90	6	14	1	7
1990-91	6	21	4	19
1991-92	4	38	4	35
1992-93	5	33	3	26
1993-94	5	31	5	23
1994-95	5	41	5	23
1995-96	7	39	6	26
1996-97	8	40	7	20
1997-98	5	67	5	61
1998-99	5	26	5	25
1999-2000	4	41	4	41
2000-2001	5	34	5	34
योग	**121**	**887**	**78**	**456**

619-बी कम्पनियाँ

1.13 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अन्तर्गत पाँच कम्पनियाँ आती थीं जिनमें से तीन कार्यविहीन थीं। परिशिष्ट-11, इन कम्पनियों के उनके अद्यतन उपलब्ध लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी, अंशदान, ऋण एवं अनुदान के माध्यम से निवेश तथा संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों के विवरण को इंगित करता है।

अध्याय-II

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

2.1 राज्य के उप-पारेषण नेटवर्क के क्रियाकलाप

मुख्य अंश

उप-पारेषण नेटवर्क का उद्गम पारेषण नेटवर्क से तथा समापन वितरण नेटवर्क पर होता है। 31 मार्च 2003 को राज्य के पास 31,465 सर्किट कि0मी0 लाइन के साथ 13,435 एम0वी0ए0 की उप-पारेषण क्षमता थी जो 2002-03 को समाप्त हुये पाँच वर्षों में क्रमशः 10.69 एवं 37.47 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।

(प्रस्तर 2.1.1 तथा 2.1.4)

कम्पनी राज्य योजना में प्रक्षेपित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। नये एवं आवधिति उपकेन्द्रों की क्षमता में कुल कमी, 2002-03 को समाप्त हुए पाँच वर्षों में, क्रमशः 35 एवं 47 प्रतिशत रही।

(प्रस्तर 2.1.5)

उप-पारेषण क्षमता अल्प एवं अतिभारित रही। कम्पनी प्रणाली में सुधार के तात्कालिक कार्यों को निष्पादित करने में असफल रही, परिणामतः 24 कार्यों के विलम्बित निष्पादन के कारण 19.58 करोड़ रुपये की ऊर्जा बचत की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.1.6 और 2.1.7)

नये कैपेसिटर बैंक स्थापित करने एवं क्षतिग्रस्तों की मरम्मत करने में असफलता ने प्रणाली में 59.83 करोड़ रुपये वार्षिक मूल्य की ऊर्जा के क्षय होने में सहायता दी।

(प्रस्तर 2.1.10)

प्रणाली कार्यों में योजना, समन्वय एवं अनुश्रवण की कमी द्वारा चिन्हित रही जिसने द्वितीयक प्रणाली को अतिशय प्रवर्तन क्षमता की ओर अग्रसर किया। प्रणाली में असंगतता के कारण 19.78 करोड़ रुपये का निवेश निष्प्रयोज्य रहा। कम्पनी ने कुछ अलाभकारी परियोजनाओं का निष्पादन भी किया जिसके कारण कुल 4.76 करोड़ रुपये का निष्प्रयोज्य निवेश हुआ।

(प्रस्तर 2.1.12, 2.1.16 एवं 2.1.17)

लेखा अभिलेखों का दोषपूर्ण रख-रखाव/यथोचित रख-रखाव न कर कम्पनी ने 77.89 लाख रुपये के स्टाक के दुर्विनियोग को सुगम बनाया।

(प्रस्तर 2.1.22)

कम्पनी निर्माण की अवधि में चोरी गई सामग्रियों के मूल्य (1.34 करोड़ रुपये) की वसूली ठेकेदारों से नहीं कर सकी। कार्यों को विलम्ब से प्रारम्भ करने के कारण कम्पनी ने 91.78 लाख रुपये का अतिशय व्यय किया।

(प्रस्तर 2.1.28 एवं 2.1.29)

कम्पनी ने जिलाधिकारियों से प्राप्त निधि के विरूद्ध 1.45 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया।

(प्रस्तर 2.1.33)

कम्पनी 48.08 करोड़ रुपये के निवेश से पूर्ण किये गये 53 उपकेन्द्रों का उपयोग करने में असफल रही या उनका उपयोग अत्यधिक विलम्ब से किया।

(प्रस्तर 2.1.37)

मार्च 1999 से नवम्बर 2001 की अवधि में 2.21 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित तीन उपकेन्द्रों की परिवर्तन क्षमता निष्प्रयोज्य रही।

(प्रस्तर 2.1.38)

प्रस्तावना

2.1.1 राज्य का उप-पारेषण नेटवर्क 66 के0वी0 एवं 33 के0वी0 लाइनों तथा उनसे संयोजित 66/11 के0वी0 या 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों से मिलकर बनता है। इनका उद्गम पारेषण नेटवर्क (800 के0वी0 से 132 के0वी0) तथा समापन वितरण नेटवर्क पर उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति से होता है। उप-पारेषण नेटवर्क संयोजित भार के 90 प्रतिशत मांग की पूर्ति करता है। पारेषण तथा वितरण नेटवर्क का एक फ्लो चार्ट परिशिष्ट-12 में दर्शाया गया है।

संगठनात्मक ढाँचा

2.1.2 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) का प्रमुख अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक होता है जिसकी सहायता चार निदेशक (तकनीकी, वित्त, पारेषण तथा प्रशासन प्रत्येक के लिये एक) करते हैं। मुख्यालय पर एवं फील्ड में मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, निदेशक (तकनीकी) को योजना बनाने एवं कार्यों के निष्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं। उप-महाप्रबन्धक, मण्डल के प्रमुख होते हैं जिनकी सहायता अधिशासी अभियन्ता करते हैं जो अपने अधीन खण्ड के प्रमुख होते हैं और फील्ड में उप-पारेषण कार्यों का निष्पादन करते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीयक प्रणाली नियोजन संगठन (रेस्पो), जिसके प्रधान मुख्य महाप्रबन्धक होते हैं, कार्यों के मानक एवं विशिष्टियाँ निर्धारित करते हैं तथा उनके अनुमोदन, अनुश्रवण एवं राज्य सरकार को उनकी प्रगति सूचित करने हेतु भी उत्तरदायी होते हैं।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.1.3 दिसम्बर 2002 से अप्रैल 2003 के दौरान लेखा परीक्षा ने 1998-99 से 2002-03 तक के पाँच वर्षों की अवधि की समीक्षा की। इसमें रेस्पो मुख्यालय की नियोजन शाखा तथा फील्ड के 16 खण्डों[1] को समाविष्ट किया गया।

[1] नौ विद्युत द्वितीयक कार्य खण्ड (अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, झाँसी, लखनऊ, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर एवं इलाहाबाद) एक विद्युत कार्यशाला खण्ड, फैजाबाद, तीन विद्युत नागरीय निर्माण खण्ड (इलाहाबाद, वाराणसी तथा मुरादाबाद) और तीन विद्युत नागरीय वितरण खण्ड (मुरादाबाद-I एवं II और अलीगढ़)।

लेखा परीक्षा द्वारा अभिलेखों की नमूना जाँच से प्राप्त परिणामों से सरकार/कम्पनी को जुलाई 2003 में इस विशिष्ट आग्रह के साथ अवगत कराया गया कि वे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सम्परीक्षा समीक्षा समिति (ए0आर0सी0पी0एस0ई0) की बैठक में उपस्थित हों, ताकि समीक्षा को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार/कम्पनी के दृष्टिकोण को समाविष्ट किया जा सके। ए0आर0सी0पी0एस0ई0 की बैठक 16 सितम्बर 2003 को कम्पनी के कार्यपालकों के साथ सम्पन्न हुई तथा उनके दृष्टिकोण को समीक्षा में विधिवत् रूप से समाविष्ट किया गया है। राज्य सरकार के कार्यपालक उक्त बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

लेखा परीक्षा के दौरान संज्ञान में आई अनियमितताओं की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है:

वर्तमान प्रणाली की अपर्याप्त क्षमता

2.1.4 राज्य योजना (1998-03) में प्रक्षेपित लक्ष्य, 2,539 एम0वी0ए0 क्षमता के 619 नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों के निर्माण, 3,830 एम0वी0ए0 के 1,275 वर्तमान उपकेन्द्रों के आवर्धन तथा 33 के0वी0 की 2,839 सर्किट किलोमीटर लाईन के निर्माण का उल्लेख करते थे जिसे कम्पनी ने (2000-01 के वर्ष को छोड़कर, जब लक्ष्य आंशिक रूप से कम निर्धारित किये गये) अंगीकृत कर लिया था।

नीति के अनुसार 66/11 के0वी0 उपकेन्द्रों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई। वर्ष 1997-98 की अपेक्षा उप-पारेषण क्षमता एवं उप-पारेषण लाईनों में वृद्धि, 2002-03 को समाप्त हुये पाँच वर्षो की अवधि में क्रमश: 37.47 प्रतिशत एवं 10.69 प्रतिशत रही जैसा कि निम्न तालिका से देखा जा सकता है:

अवधि	66/11 केवी उपकेन्द्र		33/11 केवी उपकेन्द्र		लाइनों की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर में)	
	संख्या	क्षमता (एमवीए)	संख्या	क्षमता (एमवीए)	66 केवी	33 केवी
31 मार्च 1998 तक	45	455.66	1430	9317	3139	25286.09
2002-03 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि में वृद्धि	--	--	329	3662	--	3039.50
31 मार्च 2003 को	45	455.66	1759	12979	3139	28325.59

नये उपकेन्द्र के निर्माण में 35 प्रतिशत तथा स्थापित उपकेन्द्रों के आवर्धन में 47.10 प्रतिशत की कुल मिलाकर कमी रही

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ

2.1.5 2002-03 को समाप्त हुए पाँच वर्षो के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ परिशिष्ट-13 में दर्शायी गयी हैं। इस तथ्य को देखा जा सकता है कि 1998-99 को छोड़कर जब कमी 47.10 प्रतिशत रही, कम्पनी ने सभी पाँच वर्षो में 33 के0वी0 लाइन के निर्माण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया।

कम्पनी 2002-03 को समाप्त हुए पाँच वर्षो की अवधि (2001-02 को छोड़कर) में लक्ष्यों के अनुरूप नये उपकेन्द्रों का निर्माण नहीं कर सकी। इन वर्षो के दौरान अवनति 11.67-59.95 प्रतिशत तक विस्तारित रही। पाँच वर्षो में 2,539 एम0वी0ए0 की लक्षित क्षमता के निर्माण के विरूद्ध 1,650 एम0वी0ए0 क्षमता को ही प्राप्त किया जा सका, जिसके कारण कुल 35 प्रतिशत की अवनति रही।

कम्पनी वर्तमान उपकेन्द्रों की लक्षित क्षमता का आवर्धन करने में असफल रही। 2002-03 को समाप्त पाँच वर्षो की अवधि में 3,830 एम0वी0ए0 आवर्धन की लक्षित क्षमता के विरूद्व वर्तमान क्षमता में यह मात्र 2,011.50 एम0वी0ए0 का आवर्धन ही कर सकी जिसके कारण कुल 47.48 प्रतिशत की अवनति हुई।

लेखा परीक्षा के विश्लेषण के अनुसार भूमि के अधिग्रहण में देरी, रेलवे लाइन को पार करने की सहमति के लिए विलम्ब से किया गया आवेदन तथा कार्यो के विलम्ब से समापन, उपलब्धि में गिरावट के कारण थे। इसके परिणामस्वरूप प्रणाली अतिभारित हुई।

प्रणाली की अतिभारिता

प्रणाली 1.55 से 1.63 गुणा तक अतिभारित रही

2.1.6 परिवर्तन क्षमता, नेटवर्क से संयोजित भार का 90 प्रतिशत[1] होनी चाहिए। 20,821 एम0वी0ए0 की अपेक्षित क्षमता के विरूद्ध 31 मार्च 2003 को उपलब्ध क्षमता 13,435 एम0वी0ए0 (64.53 प्रतिशत) थी जो 7,386 एम0वी0ए0 (35.47 प्रतिशत) की अवनति के रूप में परिणामित हुई और जो प्रणाली पर 1.55 से 1.63 गुणा तक अतिभारिता को इंगित करती है जैसा कि नीचे वर्णित है:

(एमवीए में)

तिथि तक	संयोजित भार	आवश्यक परिवर्तन क्षमता (संयोजित भार का 90 प्रतिशत)	उपलब्ध परिवर्तन क्षमता	प्रणाली की अतिभारिता[2] की सीमा (गुणा)
31.3.99	19557	17601	10777.00	1.63
31.3.00	20551	18496	11517.50	1.61
31.3.01	22236	20012	12241.50	1.63
31.3.02	22460	20214	12831.00	1.58
31.3.03	23134	20821	13435.00	1.55

यंत्रों की विफलता, निम्नस्तरीय वोल्टेज प्रोफाइल तथा लो पावर फैक्टर के कारण प्रणाली में ऊर्जा का क्षय, प्रणाली की अतिभारिता के कारण होता है। प्रणाली में सुधार के लिए अधोलिखित उच्चीकरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

उच्चीकरण कार्यक्रम

आकस्मिक प्रस्ताव

कम्पनी, कार्यों को पूर्ण करने में हुए अत्यधिक विलम्ब के फलस्वरूप 19.58 करोड़ रुपये मूल्य की ऊर्जा की हानि को नहीं बचा सकी

2.1.7 उपरोक्त कमियों से उबरने के लिए परामर्श अभियन्ता[3] ने ग्रामीण प्रणाली के उच्चीकरण हेतु 64.03 करोड़[4] रुपये लागत का एक आकस्मिक प्रस्ताव (68 कार्य) प्रस्तुत किया (दिसम्बर 1994)। इसमें (i) पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर बैंकों की स्थापना (ii) स्थापित उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि, और (iii) अतिभारिता से मुक्ति तथा अतिरिक्त मांग की पूर्ति हेतु अतिरिक्त उपकेन्द्रों और लाइनों का निर्माण किया जाना

1 कम्पनी की 2001-02 की वार्षिक योजना समीक्षा के अनुसार

2 उपलब्ध क्षमता एवं आवश्यक क्षमता का अनुपात। एक के आधार के विरूद्ध प्रणाली 1.55 से 1.63 गुणा तक अतिभारित रही। इसे डाइवर्सिटी फैक्टर कहते है।

3 श्री आर0 के0 टंडन, परामर्श अभियन्ता, न्यू हैदराबाद, लखनऊ ।

4 इसमें शहरी विद्युत वितरण खण्डों, विद्युत वितरण खण्डों और विद्युत पारेषण खण्डों, जिनके क्रियाकलापों को इस समीक्षा में आवरित नहीं किया गया है, द्वारा शहरों में कराया गया प्रणाली का सुधार (188.80 करोड़ रूपये) सम्मिलित नहीं है।

सम्मिलित था। इन कार्यों को समाप्त करने की निश्चित समयावधि मार्च 1996 थी। जबकि 20.53 करोड़ रुपये मूल्य के 19 कार्य समय से पूर्ण हुए, 21.98 करोड़ रुपये मूल्य के 24 कार्यों का निष्पादन 15-84 माह विलम्ब से हुआ तथा 21.52 करोड़ रुपये मूल्य के 25 कार्य सितम्बर 2003 तक अपूर्ण थे।

कार्यों के विलम्ब से निष्पादन के फलस्वरूप 24 कार्यों पर 19.58 करोड़ रुपये की बचत का उपचयन तथा 25 कार्यों के पूर्ण न होने से 5.58 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत का उपचयन नहीं हो पाया।

बजटीय सहायता

2.1.8 कम्पनी को राज्य सरकार से 54 आंशिक रूप से पूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए (जिसमें आकस्मिक योजना के आठ कार्य सम्मिलित थे) 14 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 21.48 करोड़ रुपये का ऋण, बजटीय सहायता के रूप में प्राप्त हुआ (सितम्बर 1998)। इन कार्यों को प्राथमिकता दी गई क्योंकि कम्पनी इन कार्यों पर मार्च 1998 तक 25.03 करोड़ रुपये का व्यय पहले ही कर चुकी थी। आंशिक रूप से पूर्ण कार्यों को दिसम्बर 1998 तक पूर्ण करना था।

कम्पनी ने 23 प्राथमिकता वाले कार्यों को 1 से 27 माह के विलम्ब से पूर्ण किया

कम्पनी ने 93.5 एम0वी0ए0 की कुल क्षमता वाले 23 कार्यों को 1 से 27 माह विलम्ब से पूर्ण किया। नियोजन, समन्वय तथा अनुश्रवण में कमी को विलम्ब हेतु उत्तरदायी पाया गया।

कम्पनी ने बजटीय सहायता के रूप में 94 करोड़ रुपये का ऋण पुनः प्राप्त किया (मार्च 2002) जिसे 2000-01 तथा 2001-02 में निष्पादित कार्यों के विरूद्ध अनियमित रूप से समायोजित कर दिया। यह राज्य सरकार के मार्गदर्शन के विपरीत था जिसमें ऐसे समायोजनों को प्रतिबन्धित किया गया था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि निधि का समायोजन किसी अन्य कार्य में नहीं हुआ तथा उनका उपयोग नये उपकेन्द्रों के निर्माण तथा वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता के उच्चीकरण के लिये किया गया था। उत्तर स्वीकार नहीं है, क्योंकि महाप्रबन्धक रेस्पो ने स्वीकार किया था (मार्च 2002) कि इन निधियों का समायोजन 2000-01 तथा 2001-02 के कार्यों के विरूद्ध किया गया था।

कैपेसिटर बैंकों का अवस्थापन

2.1.9 कैपेसिटर बैंकों का अवस्थापन उत्कृष्ट वोल्टेज प्रोफाइल के कारण प्रणाली की अतिभारिता को कम करता है, प्रणाली में ऊर्जा के क्षय को 40 प्रतिशत तक बचाता है तथा यंत्रों की भार-वहन क्षमता में 28 प्रतिशत तक सुधार करता है।

कैपेसिटर बैंको के अवस्थापन में अवनति

2.1.10 13 वितरण क्षेत्रों के अभिलेखों की जाँच से स्पष्ट हुआ कि 714.29 एम0वी0ए0आर0[1] (13.46 प्रतिशत) की स्थापित क्षमता के विरूद्ध 31 मार्च 2003 को वांछित क्षमता 5,306.16 एम0वी0ए0आर0 थी। इसमें से भी 435.83 एम0वी0ए0आर0

[1] एमवीएआर मेगावोल्ट एम्पियर रिएक्टिव को इंगित करता है।

कम्पनी अपने कर्मचारियों को कैपेसिटर बैंकों के तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित करने, पर्याप्त क्षमता की स्थापना करने तथा दोषपूर्ण कैपेसिटर बैंकों की मरम्मत कराने में असफल रही जिससे प्रतिवर्ष 59.83 करोड़ रुपये की ऊर्जा की हानि हुई

(61.02 प्रतिशत) खराब पड़ी थी। कैपेसिटर बैंकों की स्थापना एवं रख-रखाव में कम्पनी की असफलता ने 2.40 रूपये प्रति के0डब्ल्यू0एच0 की दर से प्रतिवर्ष 59.83 करोड़ रुपये मूल्य की 249.29 एम0यू0 ऊर्जा के क्षय हो जाने में सहायता दी जो अन्यथा किसी अन्य उपयोगी कार्य हेतु उपलब्ध होती।

अवस्थापन/मरम्मत नहीं किये जाने के कारण निम्नवत् थे:

- अपेक्षित तकनीकी ज्ञान के बिना अप्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा कैपेसिटर बैंकों की मरम्मत, रख-रखाव तथा संचालन किया जाना, यद्यपि इसे 31 मार्च 1993 एवं 31 मार्च 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, वाणिज्यिक, उत्तर प्रदेश सरकार के क्रमश: प्रस्तर 2ए.2.1 तथा 2बी.6.3.2 में इंगित किया गया था;
- नये कैपेसिटर बैंकों के अवस्थापन के लागत-लाभ विश्लेषण के साथ-साथ खराब कैपेसिटर बैंकों की मरम्मत किये जाने में असफलता;
- अगस्त 1999 से खराब पड़े कैपेसिटर बैंकों की मरम्मत हेतु विलम्ब से कार्यवाही प्रारम्भ करना (फरवरी 2003)।

लेखा परीक्षा द्वारा और अधिक किये गये विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि:

- प्रतिवर्ष 1.19 लाख रुपये (0.04958 एम0यू0) की ऊर्जा की बचत के विरूद्ध नये कैपेसिटर बैंकों के अवस्थापन की लागत वर्ष 1997 से 2002 के मध्य वास्तविक रूप से व्यय की गयी लागत के आधार पर 3.51 लाख रुपये प्रति एम0वी0ए0आर0 आती है। इससे स्पष्ट होता है कि कैसेसिटर बैंकों के अवस्थापन के तीन वर्षों के भीतर लागत वसूल हो जाती है। इसलिए कैपेसिटर बेंकों का अवस्थापन मितव्ययितापूर्ण था क्योंकि यह चौथे वर्ष से 1.19 लाख रुपये की बचत देना प्रारम्भ कर देता।
- 435.83 एम0वी0ए0आर0 के खराब कैपेसिटर बैंकों में से मात्र 281.385 एम0वी0ए0आर0 की मरम्मत के प्राक्कलन 23 से 44 माह तक विस्तारित विलम्ब से तैयार किये गये। कुल 11.58 करोड़ रुपये (48.24 एम0यू0) की ऊर्जा-बचत के विरूद्ध 281.385 एम0वी0ए0आर0 के मरम्मत की लागत 2.19 करोड़ रुपये आंकलित की गयी। इसके कारण 9.39 करोड़ रुपये की हानि हुई।
- अगस्त 1999 से मई 2003 के मध्य, 154.445 एम0वी0ए0आर0 क्षमता (435.830-281.385) के शेष दोषपूर्ण कैपेसिटर बैंकों के प्राक्कलन, दोष की सीमा निर्धारित करने में कम्पनी की असफलता के कारण तैयार नहीं किये गये जिसके कारण 0.41 लाख रुपये प्रति एम0वी0ए0आर0 (1.19 लाख रुपये से 0.78 लाख रुपये) की बचत एवं मरम्मत लागत के अन्तर के आधार पर 63.32 लाख रुपये प्रतिवर्ष की ऊर्जा की बचत की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2003) कि मार्च 2003 से जुलाई 2003 के मध्य 106 एम0वी0ए0आर0 के कैपेसिटर बैंकों की मरम्मत की गई तथा उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार आवश्यकता मात्र 1,508 एम0वी0ए0आर0 (5,306.16 एम0वी0ए0आर0 के विरूद्ध) की थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड द्वारा किये गये अध्ययन का परिणाम वृहत स्तर पर वोल्टेज के सुधार (220/132 से ऊपर) के लिये था।

कार्यों का नियोजन

2.1.11 अनार्थिक कार्यों को हाथ में लेने, कार्यों को विलम्ब से पूर्ण करने तथा अधिक लागत से बचने के लिए उचित नियोजन, समन्वय, कार्यों के विभिन्न अवयवों में तालमेल तथा अनुश्रवण इत्यादि मौलिक आवश्यकताएं हैं। वितरण खण्ड, लोड सर्वे डाटा तथा तकनीकी/वित्तीय सम्भाव्यता के आधार पर उपकेन्द्रों तथा उनसे जुड़ी लाइनों के निर्माण/आवर्धन का प्रस्ताव मण्डलीय तकनीकी समिति (जेड.टी.सी.) को प्रस्तुत करते है। जेड.टी.सी. द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव रेस्पो द्वारा परीक्षित एवं अनुमोदित किया जाता है। उनके अनुमोदन के बाद विद्युत द्वितीयक कार्य खण्ड, (ई.एस.डब्ल्यू.) कार्य के प्राक्कलन तथा पैकेज[1] तैयार करते है जिसे महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक स्वीकृत करते है।

लेखा परीक्षा में संज्ञान में आयी कमियों की विवेचना अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है:

प्राथमिक परिवर्तन की तुलना में द्वितीयक परिवर्तन की अधिक क्षमता

प्रणाली की असंगतता के फलस्वरूप 19.78 करोड़ रुपये का निवेश अवरूद्ध रहा

2.1.12 कुण्डा तथा भूपियामऊ के 132 के0वी0 उपकेन्द्रों की प्राथमिक प्रणाली की क्षमता 31 जनवरी 2003 को 80 एम0वी0ए0 थी जबकि द्वितीयक परिवर्तन क्षमता 141.5 एम0वी0ए0 थी जो कि मार्च 1999 से मार्च 2002 की अवधि में 40 एम0वी0ए0 (कुल 181.5 एम0वी0ए0) और बढ़ा दी गयी। इस विसंगति के परिणामस्वरूप द्वितीयक पारेषण प्रणाली पर 101.50 एम0वी0ए0 क्षमता (लागत 14.39 करोड़ रुपये रेस्पो की 2001-02 की लागत अनुसूची के अनुसार) का न्यून उपयोजन हुआ जो तब तक अप्रयुक्त पड़ी रहेगी जब तक कि प्राथमिक उपकेन्द्र की क्षमता को समान अप्रयुक्त सीमा तक नहीं बढ़ाया जाता।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2003) कि प्राथमिक उपकेन्द्रों की क्षमता में 20 एम0वी0ए0 की अतिरिक्त वृद्धि की योजना विचाराधीन है।

इसी प्रकार, 31 मार्च 2003 को दर्शन नगर, फैजाबाद के 132 के0वी0 उपकेन्द्र की 120 एम0वी0ए0 की प्राथमिक प्रणाली के विरूद्ध 110 एम0वी0ए0 की द्वितीयक पारेषण क्षमता को बढ़ाकर (1997-02) 158 एम0वी0ए0 कर दिया गया। यह 38 एम0वी0ए0 (लागत: 5.39 करोड़ रुपये), रेस्पो की लागत अनुसूची 2001-02 के आधार पर उच्चतर क्षमता को दर्शाती है जो निष्प्रयोज्य पड़ी रहेगी जब तक कि प्राथमिक क्षमता को उसी सीमा

[1] पैकेज में भण्डार संगठन द्वारा आपूर्त की जाने वाली और स्थानीय रूप से अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री का विवरण, श्रमिक तथा कार्य के अन्य अवयवों का विवरण सम्मिलित होता है। पैकेज वित्त समन्वय द्वारा सम्बन्धित इकाईयों (भण्डार, पारेषण तथा कार्य निष्पादन खण्ड) को निधि के आवंटन या अवमुक्ति का आधार बनाता है।

तक नहीं बढ़ाया जाता। इस अतिरिक्त वृद्धि की आवश्यकता के परीक्षण के लिए द्वितीयक पारेषण प्रणाली पर अंकित अधिकतम भार सम्बन्धी सूचना मांगी गयी थी (जनवरी 2003) जो कम्पनी द्वारा उपलबध नहीं कराई गई।

अत: कम्पनी ने वृहत विनिवेश (19.78 करोड़ रुपये) से बचने के लिए अपने क्रियाकलापों को सुनियोजित नहीं किया जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपकेन्द्रों की क्षमता में विसंगति के कारण अवरूद्ध पड़ा रहा।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2003) कि दर्शननगर प्राथमिक उपकेन्द्र की अतिभारिता को कम करने के लिए मिल्कीपुर में एक दूसरे प्राथमिक उपकेन्द्र (1x20 एम0वी0ए0 क्षमता) के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया था।

अशुद्ध तकनीकी सम्भाव्यता प्रतिवेदन

2.1.13 तीन एम0वी0ए0 क्षमता का 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र (ग्रामीण), श्रवणखेड़ा, रनिया फीडर (औद्योगिक) से जुड़ी इसकी सम्बन्धित टी-आफ लाइन सहित 86.12 लाख रुपये (पुनरीक्षित लागत 1.25 करोड़ रुपये, मार्च 2002 में) की लागत पर अनुमोदित (1998-99) किया गया। लेखा परीक्षा में यह संज्ञान में आया कि यद्यपि कार्य का समापन मार्च 2002 में हो गया था किन्तु महाप्रबन्धक (वितरण), कानपुर द्वारा रनिया फीडर (औद्योगिक) को टैप करने की अनुमति इस आधार पर न दिये जाने (मई 2002) के कारण कि औद्योगिक फीडर से ग्रामीण क्षेत्र का रोस्टरिंग कार्यक्रम तकनीकी रूप से सम्भव नहीं है, इसे ऊर्जीकृत नहीं किया जा सका। अत: प्रथम अवसर पर औद्योगिक फीडर से ऊर्जा टैप करने का अशुद्ध तकनीकी सम्भाव्यता प्रतिवेदन बनाये जाने से न केवल 7.50 सर्किट किमी0 लाइन के निर्माण में 38.49 लाख रुपये (124.61 लाख रुपये - 86.12 लाख रुपये) की अतिशय लागत आई अपितु उपकेन्द्र का उपयोग भी 12 माह विलम्ब (मार्च 2003) से हुआ।

रेलवे लाइन पारगमन की सहमति हेतु विलम्ब से आवेदन

कम्पनी सहमति प्राप्त करने के लिए रेलवे से सम्पर्क करने में असफल रही जिससे कार्यों के समापन में अत्यधिक विलम्ब हुआ।

2.1.14 भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 18 में यह प्राविधानित है कि रेलवे से लगी या उसके आर-पार जाने वाली शिरोपरि (ओवर हेड) लाइन का निर्माण करने से पूर्व रेलवे से लिखित सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। तद्नुसार, रेलवे से लगी या उसको पार कर जाने वाली लाइनों के निर्माण हेतु किसी भी योजना को बनाते समय यह अनिवार्य है कि रेलवे को आवेदन कर दिया जाये जिससे उनके द्वारा सहमति देने में विलम्ब से बचने को सुनिश्चित किया जा सके। ई0एस0डब्ल्यू0डी0, गोरखपुर तथा इलाहाबाद ने 3.99 करोड़ रुपये मूल्य की चार लाइनों[1] के निर्माण के लिये कार्यारम्भ के पश्चात् 4 से 15 माह (फरवरी 1998 से अप्रैल 2000) विलम्ब से रेलवे से सम्पर्क किया।

1 लक्ष्मीपुर-अड्डाबाजार (17.44 सर्किट किमी) कैम्पियरगंज-सुनौरा (14.74 सर्किट किमी.) राधानगर-आबूनगर (14 सर्किट किमी.) और भूपियामऊ-दिलीपपुर (16.5 सर्किट किमी.)

रेलवे से सम्पर्क करने में विलम्ब (4 से 15 माह) के परिणामस्वरूप, अन्ततोगत्वा कार्यों के समापन में विलम्ब हुआ। सम्प्रेक्षण में विलम्ब के कारण लाभ से वंचित रह जाने की सीमा सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि उक्त योजनाएं ऐसे प्रकरणों में लागत-लाभ-विश्लेषण पर विचार नहीं करतीं।

कार्यों का विध्वंस करने से हानि

2.1.15 जेल चौराहा, झाँसी के 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र (जिसे 75 लाख रुपये की लागत से मार्च 1999 में पूर्ण किया जाना था) के निर्माण का कार्य जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग की सहमति प्राप्त किये बिना सितम्बर 1999 में प्रारम्भ किया गया। दिसम्बर 1999 तक 7 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका था। उपकेन्द्र को पुलिस विभाग द्वारा विखण्डित कर दिया गया (जनवरी 2000)। कार्य का समापन विलम्बत: सितम्बर 2001 में 1.67 करोड़ रुपये की लागत पर हुआ जिसके परिणामस्वरूप 30 माह का समय-अतिक्रमण एवं 92 लाख रुपये का लागत-अतिक्रमण हुआ।

परियोजनाओं की अनार्थिक सम्भाव्यता

2.1.16 कम्पनी ने फील्ड इकाइयों को उप-पारेषण की केवल उन्हीं परियोजनाओं को शुरू करने के निर्देश दिये (मई 2001) जो आर्थिक रूप से सम्भाव्य हों। लेखा परीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि अल्लागंज उपकेन्द्र, शाहजहाँपुर जो ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा की आपूर्ति करता था, कार्य के वित्तीय सम्भाव्यता प्रतिवेदन (एफ0वी0आर0) के अनुसार उसकी 17.84 लाख रुपये प्रतिवर्ष की ऋणात्मक प्राप्ति थी। इसके बावजूद जे़ड0टी0सी0 ने उपकेन्द्र के निर्माण की अनुशंसा की (अगस्त 2002)। रेस्पो ने भी कार्य के लिए 1.23 करोड़ रुपये की लागत का अनुमोदन प्रदान कर दिया। इस प्रकार ई0एस0डब्ल्यू0डी0, बरेली ने जनवरी 2003 से 3 एम0वी0ए0 क्षमता का कार्य प्रारम्भ कर दिया। अलाभकारी परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2003) में उपकेन्द्र की आर्थिक सम्भाव्यता को ठोस बताकर उचित ठहराने का प्रयत्न किया क्योंकि उन्होंने 24 घंटे आपूर्ति के आधार पर सम्भाव्यता तैयार की थी जो कि उपकेन्द्र के ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उचित थी। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि (i) प्रबन्धन ने अपने मूल तकनीकी सम्भाव्यता प्रतिवेदन (टीएफआर) में मात्र 8 घण्टों की आपूर्ति मानी थी और (ii) उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने भी यूपीपीसीएल के निष्पादन की अपनी समीक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों को आठ घण्टे की आपूर्ति उपलब्ध कराने के दावे, जैसा कि टीएफआर में विनिर्दिष्ट है, पर शंका जतायी थी।

इसी प्रकार, 70 एम्पीयर (1.33 एम0वी0ए0[1] के समतुल्य) की अनुमानित मांग वाले मंगारी उपकेन्द्र, फैजाबाद की वित्तीय सम्भाव्यता तैयार नहीं की गयी। 262.5 एम्पीयर की स्थापित क्षमता तथा 100 एम्पीयर के अनुमानित भार वाले पास के पटरंगा उपकेन्द्र के

[1] 1 एमवीए = 33 केवी वोल्टेज पर 52.5 एम्पियर

पास 160 एम्पीयर की अतिरिक्त क्षमता थी। पटरंगा उपकेन्द्र की 160 एम्पीयर की क्षमता मंगारी उपकेन्द्र की 70 एम्पियर की मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार मंगारी उपकेन्द्र पर हुए 83 लाख रुपये के व्यय को बचाया जा सकता था।

अतएव, कम्पनी ने अपने वित्तीय हितों को जोखिम में डालकर आर्थिक रूप से अलाभप्रद परियोजनाओं को हस्तगत किया।

अव्यवहार्य तकनीकी सम्भाव्यता

कम्पनी ने तकनीकी रूप से अव्यवहार्य परियोजनाएँ हाथ में लीं।

2.1.17 कम्पनी किसी भी नए उपकेन्द्र के निर्माण के पहले टी0एफ0आर0 तैयार करती है। टी0एफ0आर0 उस भार को जिससे वर्तमान उपकेन्द्र अतिभारित है तथा नए उपकेन्द्रों को स्थानान्तरित किये जाने वाले भार को इंगित करता है।

कम्पनी ने, प्रत्येक पाँच एम0वी0ए0 क्षमता के, तीन 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बरौली (जुलाई 2001), पनेहरा (मार्च 1999) तथा देवरियाकलाँ (मार्च 2002) में निर्मित एवं ऊर्जीकृत किये तथा 2.70 करोड़ रुपये की कुल लागत (क्रमश: 91.64 लाख रूपये, 93.66 लाख रूपये तथा 85 लाख रुपये) से 787.5 एम्पीयर (प्रत्येक 262.5 एम्पीयर) की पारेषण क्षमता का सृजन किया। उपकेन्द्रों के कमीशन हो जाने के बाद अधिकतम भार बरौली में 65 एम्पीयर (दिसम्बर 2002) पनेहरा में 115 एम्पीयर (अप्रैल 2002) तथा देवरियाकलाँ में 100 एम्पीयर (जुलाई 2002) रहा। लेखा परीक्षा विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि उपकेन्द्रों का उपयोग 24.76 प्रतिशत (बरौली) 43.80 प्रतिशत (पनेहरा) तथा 38 प्रतिशत (देवरियाकलाँ) की सीमा तक रहा। यह इस बात को इंगित करता है कि नये उपकेन्द्र को समायोजित करने के लिए गलत आंकड़ों के आधार पर टी0एफ0आर0 तैयार की गई। 33/11 के0वी0 के नये उपकेन्द्रों के निर्माण के बजाय वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि कर अतिरिक्त मांग की पूर्ति आसानी से की जा सकती थी।

प्रबन्धन ने देवरियाकलाँ के सम्बन्ध में बताया (सितम्बर 2003) कि 3 एम0वी0ए0 क्षमता के स्थान पर 5 एम0वी0ए0 क्षमता के निर्माण का अनुमोदन निकट भविष्य में भार में होने वाली अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखकर किया गया तथा यह कि कम्पनी 3 एम0वी0ए0 के 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण नहीं करती। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने स्वयं ही जनवरी 2003 में 3 एम0वी0ए0 क्षमता के 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र, अल्लागंज का निर्माण किया था जिसकी चर्चा प्रस्तर 2.1.16 में की गयी है। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता खण्ड (ई0डी0डी0, पीलीभीत) ने सूचित किया कि उपकेन्द्र पर अधिकतम भार 100 एम्पीयर (2 एम0वी0ए0) से अधिक नहीं है क्योंकि क्षेत्र में विद्युत की खपत अत्यधिक कम है। अन्य दो उपकेन्द्रों के सम्बन्ध में कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराये गये।

पूर्ण कार्यों के ऊर्जीकरण में विलम्ब

2.1.18 उपकेन्द्र को चालू करने के लिये 33 के0वी0 बे, उपकेन्द्रों को जोड़ने वाली लाइनों या उपकेन्द्रों जैसे संगत कार्यों को पूर्ण किया जाना तथा परिवर्तकों, स्विच गियरों इत्यादि जैसे उपकरणों का उपलब्ध होना अत्यावश्यक है। इसके लिये विभिन्न निष्पादन

खण्डों जैसे पारेषण (बे के निर्माण के लिये) और भण्डार (परिवर्तकों, स्विच गियरों जैसी सामग्री के लिये) के बीच समन्वय होना आवश्यक होता है। साथ ही प्रणाली को एक दूसरे से जोड़ने के लिये सम्बन्धित उपकेन्द्रों या लाइनों को पूर्ण होना चाहिये।

यह संज्ञान में आया कि निष्पादन खण्डों, भण्डार खण्डों तथा पारेषण खण्डों के बीच बे के निर्माण में समन्वय न होने के कारण 8.96 करोड़ रुपये की लागत से बने 12 उपकेन्द्रों को, उनके कार्य पूर्ण होने की तिथि से 2 से 34 माह पश्चात् ऊर्जीकृत किया जा सका। विवरण परिशिष्ट-14 में दिया गया है।

कार्यों का निष्पादन

2.1.19 रेस्पो द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन एवं पैकेज के आधार पर सम्बन्धित भण्डार एवं निष्पादन खण्ड वित्त प्रकोष्ठ से निधि प्राप्त करते है। सामग्री जहाँ भण्डार केन्द्रों से ली जाती है वहीं निष्पादन खण्ड निविदा आमंत्रित कर तथा ठेकेदार के साथ अनुबन्ध निष्पादित कर कार्य प्रारम्भ करते हैं। रेस्पो के अनुमोदन के बिना न तो कोई कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है और न ही क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

निष्पादन खण्डों के अवर अभियन्ता (जे0ई0) सीधे कार्य पर या ठेकेदार को सामग्री निर्गत करते है। कार्य के पूर्ण होने पर जे0ई0 कार्य की माप करता है तथा उसी माप के आधार पर खण्ड द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया जाता है। भण्डार, नगद तथा समायोजन के मासिक लेखाओं से लेखे तैयार किये जाते है। इन लेखाओं के समाशोधन के पश्चात् कार्य-पूर्णता प्रतिवेदन तैयार किये जाते है। नियम आगे प्राविधानित करते हैं कि प्राक्कलनों की स्वीकृति के बिना कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता।

संज्ञान में आयी कमियों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है:

रेस्पो के अनुमोदन के बिना कार्यों का निष्पादन

2.1.20 तीन ई0एस0डब्ल्यू0डी0 (झाँसी, मेरठ तथा बरेली) ने 8 एम0वी0ए0 के उपकेन्द्र की अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया तथा रेस्पो के अनुमोदन के बिना, 1.30 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के विरूद्ध 3.40 करोड़ रुपये की लागत से लाइन की अतिरिक्त लम्बाई का सृजन किया। इस प्रकार 2002-03 को समाप्त हुए पाँच वर्षो की अवधि में 2.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

समय और लागत का अतिक्रमण

2.1.21 कार्यों के लिये निधि की उपलब्धता के बावजूद विलम्ब एवं अतिशय लागत के निम्न प्रकरण संज्ञान में आये:

- 1997-03 के मध्य निर्मित किये गये 370 उपकेन्द्रों में से 31 उपकेन्द्रों के निर्माण में 1998-99 से 2001-02 की अवधि में बजटीय सहायता से निधि निकाले जाने के बावजूद 4 से 48 महीने का विलम्ब हुआ। विलम्ब के फलस्वरूप, मार्च 2003 तक 2.17 करोड़ रुपये (राशि सरकार द्वारा निधि पोषित नहीं) की परिहार्य लागत का अतिक्रमण हुआ जिसका विवरण परिशिष्ट-15 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त 34

उपकेन्द्र, जो कि 1998-99 में प्रारम्भ किये गये, मार्च 2003 के अन्त में अपने निर्धारित समय से एक से चार वर्ष पीछे थे। पुनरीक्षित आंकलन के अनुसार उपकेन्द्रों की लागत 3.31 करोड़ रुपये तक बढ़ गयी। विवरण परिशिष्ट-16 में दिया गया है।

- उपरोक्त के अतिरिक्त, 15 उपकेन्द्रों के मामलों में जहाँ 1998-99 से 2002-03 के मध्य निधि (14.37 करोड़ रुपये) उपलब्ध थी, अभी तक कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप, पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार आठ कार्यों पर 81.28 लाख रुपये की लागत बढ़ जायेगी। 7 कार्यों की लागत में बढ़ोत्तरी को सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि मार्च 2003 तक प्राक्कलन बनाये ही नहीं गये थे।
- वर्ष 1998-99 से 2001-02 की अवधि में क्षेत्रीय पैकेजों के निष्पादन हेतु जिलाधिकारियों द्वारा जिन आठ उपकेन्द्रों के लिये 8.24 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान उपलब्ध कराये गये थे उनमें से तीन कार्य सितम्बर 2003 तक प्रारम्भ नहीं हुए। पाँच कार्य अभी तक प्रगति में थे (सितम्बर 2003)।

जिन विसंगतियों के कारण विलम्ब सम्भव हुआ उनमें सम्मिलित है: (i) निष्पादन करने वाले खण्डों को निधि का विलम्बित स्थानान्तरण जिसके परिणामस्वरूप सामग्री के स्थानान्तरण में भी विलम्ब हुआ। (ii) पारेषण समन्वय द्वारा 'बे' के निर्माण में किया गया विलम्ब (iii) निष्पादन खण्डों को लाइन रूट के निर्णयों को सूचित करने में हुआ विलम्ब तथा निष्पादन खण्डों के बीच समन्वय का अभाव।

लेखा अभिलेखों के दोषपूर्ण रख-रखाव के कारण सामग्री का दुर्विनियोग

लेखा अभिलेखों का दोषपूर्ण रखरखाव/रखरखाव न कर कम्पनी ने 77.89 लाख रुपये के भण्डार के दुर्विनियोग में सहायता दी

2.1.22 ई0एस0डब्ल्यू0डी0, डब्ल्यू0डी0 तथा ई0यू0सी0डी0 द्वारा कार्य पंजिका, निक्षेप कार्य पंजिका, उपभोग विवरणी, कार्य पूर्णता प्रतिवेदन तथा कार्यों के निष्पादित प्राक्कलनों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 77.89 लाख रुपये का दुर्विनियोग हुआ जिसका विवरण निम्नवत् है:

- ई0डब्ल्यू0डी0, फैजाबाद तथा ई0एस0डब्ल्यू0डी0, मेरठ ने पूर्ण कार्य की निष्पादित मात्रा के अनुरूप सामग्री उपभोग विवरणी तथा कार्य पूर्णता प्रतिवेदन तैयार नहीं किये तथा प्रयोगकर्ता खण्ड को 22.44 लाख रुपये मूल्य की सामग्री नहीं सौंपी।
- ई0एस0डब्ल्यू0डी0, कानपुर के अभिलेखों की जाँच से यह विदित हुआ कि लेखाकरण न किये जाने (3.86 लाख रुपये), ठेकेदारों से वापस प्राप्त न होने (1.55 लाख रुपये), सामग्री के अधिक निर्गत होने (4.44 लाख रुपये) तथा दिसम्बर 1993 से मार्च 1998 के मध्य कार्यों[1] पर निर्गत किये गये कैपेसिटर बैंकों (20.18 लाख रुपये) का सुराग न मिल पाने के कारण 30.03 लाख रुपये की सामग्री का दुर्विनियोग हुआ।
- ई0एस0डब्ल्यू0डी0, मेरठ के अभिलेखों की नमूना जाँच से स्पष्ट हुआ कि 19.63 लाख रुपये मूल्य के स्विच गियर, डिस्क-इन्सूलेटर और कण्डक्टर 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र कुराँवा, मुजफ्फरनगर के निर्माण पर दो बार बुक कर दिये गये। जौला-कुराँवा की 33 के0वी0 लाइन पर 4.59 लाख रुपये मूल्य की सामग्री को

[1] 2000-01 में विखण्डित 33 केवी घाटमपुर-जैनपुर लाईन और 33/11 केवी उपकेन्द्र राहिया-कोंच, कानपुर।

अधिक बुक किया गया तथा अप्रैल 1997 से मार्च 1998 की अवधि में सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा प्रयोगकर्ता खण्डों को 1.20 लाख रुपये मूल्य की सामग्री कम हस्तान्तरित की गई। सामग्री की दो बार बुकिंग, महाप्रबन्धक (वितरण) मेरठ द्वारा ई0डी0डी0-II, शामली से ई0एस0डब्ल्यू0डी0, मेरठ को कार्य स्थानान्तरित करने के असंगत निर्णय (जनवरी 1997) के कारण तथा स्थानान्तरित कार्य स्वीकार करने के समय संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार न करने के कारण सम्भव हुई।

प्रबन्धन ने ए0आर0सी0पी0एस0ई0 की बैठक में बताया (सितम्बर 2003) कि लेखा अभिलेखों के रख-रखाव के प्रयास किये जा रहे हैं।

कार्यों पर या ठेकेदार को सामग्री का अधिक निर्गमन

2.1.23 लेखा परीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि पाँच प्रकरणों में तीन खण्डों (कानपुर, मेरठ तथा झाँसी) द्वारा लाइन की लम्बाई में हुई कमी को ध्यान में रखे बिना, 38.16 लाख रुपये मूल्य की सामग्री का निर्गमन (दिसम्बर 1996 तथा फरवरी 2003), वास्तविक आवश्यकता से अधिक कर दिया गया। इसका न तो उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया और न ही वास्तविक आवश्यकता से अधिक निर्गत की गई सामग्री को वापस प्राप्त किया गया और लेखे में लिया गया।

स्वीकृत प्राक्कलन तथा पैकेज की अपेक्षा सामग्री का अधिक उपभोग

2.1.24 ई0एस0डब्ल्यू0डी0, कानपुर तथा ई0यू0सी0डी0, वाराणसी ने 18 कार्यों पर स्वीकृत आंकलन/पैकेज की अपेक्षा 22.45 लाख रुपये मूल्य की सामग्री अधिक निर्गत की (विवरण परिशिष्ट-17 पर)। तथापि न तो प्राक्कलन तैयार किये गये और न ही अधिक निर्गत सामग्री हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई।

ऊर्जीकृत होने के पश्चात् सामग्री का निर्गमन

कम्पनी ने लाइन के ऊर्जीकरण के पश्चात् कुल 2.16 करोड़ रुपये की सामग्री का निर्गमन किया जो कि दुर्विनियोग की सम्भावनाओं से परिपूर्ण है

2.1.25 जब कार्य सभी दृष्टिकोणों से पूर्ण हो जाता है तो केन्द्र और लाइन ऊर्जीकृत घोषित किये जाते हैं। लेखा परीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि कुल 2.16 करोड़ रुपये मूल्य के 31 कार्यों में भण्डार सामग्री तथा यंत्रों का निर्गमन उपकेन्द्रों तथा लाइनों के पूर्णतया ऊर्जीकृत हो जाने की तिथि से 1 से 30 माह पश्चात् तक किया गया। विवरण परिशिष्ट-18 में दर्शाया गया है।

ऊर्जीकरण या कार्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात् सामग्री का निर्गमन दुर्विनियोग की सम्भावनाओं से परिपूर्ण है।

क्षेत्रों द्वारा पुनरीक्षित दरों का अनिर्धारण

2.1.26 रेस्पो, ढुलाई तथा प्रतिष्ठापन प्रभार[1] की दर तथा निर्माण और कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ विस्तृत विश्लेषण के पश्चात् निर्धारित करता है। अगर ढुलाई की दर और प्रतिष्ठापन प्रभार में कोई असंगति होती है तो फील्ड अधिकारी को प्रमाणों सहित अपने महाप्रबन्धक (वितरण) से सम्पर्क करना चाहिये जो रेस्पो को सूचना के अधीन क्षेत्र हेतु पुनरीक्षित ढुलाई तथा प्रतिष्ठापन प्रभार निर्धारित

[1] प्रतिष्ठापन प्रभारों में उपकेन्द्र पर टर्मिनल गैन्ट्री, बसबार, आइसोलेटर, स्विचगियर, ट्रांसफार्मर इत्यादि के प्रतिष्ठापन और लाइन के निर्माण में पोल, कन्डक्टर और इससे सम्बन्धित साज-सामान पर व्यय सम्मिलित है।

करेगा। क्षेत्रों ने इन प्रभारों को पुनरीक्षित नहीं किया यद्यपि वास्तविक रूप से आयी लागत, रेस्पो की लागत सूची की अपेक्षा अधिक थी। परिणामस्वरूप, उच्च दर पर कार्य निष्पादित करने तथा उच्च विशिष्टियों वाली सामग्री को प्रयोग करने से 5.74 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- 328 कार्यों में (129 उपकेन्द्र, वर्तमान उपकेन्द्रों के 51 आवर्धन कार्य तथा 148 लाइन कार्य) सात ई0एस0डब्ल्यू0डी0 दो ई0यू0सी0डी0 और एक ई0डब्ल्यू0डी0 ने रेस्पो दर तालिका की अपेक्षा उच्चतर दर पर ठेकेदारों के साथ अनुबन्ध निष्पादित किये इसके परिणामस्वरूप 2001-02 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि में 5.16 करोड़ रुपये (परिशिष्ट-19) की अधिक लागत आयी।

- ई0एस0डब्ल्यू0डी0, मेरठ ने 1997-98 से 2002-03 की अवधि में 23 उपकेन्द्रों की कंटीले तारों से घेराबन्दी करने में रेस्पो द्वारा निर्धारित दरों की अपेक्षा उच्चतर दरों पर 30.21 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया जिससे 30.21 लाख रुपये की अधिक लागत आयी। अन्य प्रकरणों में, ऐसे कार्य रेस्पो लागत सूची के अनुरूप क्रियान्वित किये गये।

- ई0एस0डब्ल्यू0डी0, मेरठ, झाँसी और कानपुर ने पोल फेन्सिंग, रैकून कण्डक्टर और प्रबलित सीमेन्ट कंक्रीट पोलों के स्थान पर अपेक्षाकृत महंगी चेनलिंक सेक्यूरिटी फेन्सिंग, डॉग कन्डक्टर और स्टील टयूबुलर पोलों का उपयोग किया जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1997 और अक्टूबर 2001 की अवधि में कार्य पर 27.31 लाख रूपये (पोल फेन्सिंग पर 18.41 लाख रूपये डॉग कन्डक्टर पर 4.82 लाख रूपये तथा स्टील टयूबुलर पोल पर 4.08 लाख रूपये) की अतिरिक्त लागत आयी।

- प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2003) कि रेस्पो की दरें केवल ढुलाई और प्रतिष्ठापन प्रभार के लिए थीं जबकि ठेकेदार को स्थानीय सामग्री की व्यवस्था भी करनी होती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपकेन्द्रों और लाइनों के लागत-विश्लेषण में न तो रेस्पो स्थानीय सामग्री को शामिल करता है और न ही अधिक दरों को अनुमोदन के लिए सम्बन्धित महाप्रबन्धक (वितरण) द्वारा रेस्पो को प्रस्तुत किया गया।

सुरक्षा प्रहरियों पर परिहार्य व्यय

2.1.27 अनुबन्ध के सामान्य नियम एवं शर्तें प्राविधानित करते हैं कि सम्पूर्ण निष्पादन अवधि में किसी भी तरह की चोरी, क्षति तथा सामग्री व नियुक्त की गयी मानवशक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर हुई हानि के लिए ठेकेदार, कार्य के समापन तक, पूर्णतया जिम्मेदार होगा तथा तद्नुसार निगरानी रखेगा और ऐसी हानियों के विरूद्ध कार्य सुनिश्चित करेगा। फिर भी दो ई0एस0डब्ल्यू0डी0 (मेरठ तथा बरेली) ने नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र पर सामग्री/यंत्रों की देखरेख के लिये 1997-98 से 2001-02 की अवधि में, उपकेन्द्रों और लाइनों के प्रतिष्ठापन और कमीशनिंग हेतु ठेकेदार के साथ किये गये अनुबन्ध के प्रावधानों के विपरीत, सुरक्षा प्रहरियों की आपूर्ति के लिए 25.28 लाख रुपये के 15 अनुबन्ध किये जिससे कार्य की लागत में 25.28 लाख रुपये की वृद्धि हुई।

निर्माण के दौरान चोरी गयी सामग्री की लागत की वसूली न होना

कम्पनी ठेकेदार से निर्माण की अवधि में चोरी हुई सामग्री के लिए 1.34 करोड़ रुपये वसूल नहीं कर पाई

2.1.28 निर्माण की अवधि में 1.34 करोड़ रुपये मूल्य की भण्डार सामग्री की चोरी हुई (फरवरी-दिसम्बर 2002) परन्तु ठेकेदारों से उसकी लागत वसूल करने के लिए मार्च 2003 तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी।

कार्य को विलम्ब से प्रारम्भ करने के कारण अधिक व्यय

2.1.29 नीचे की तालिका ऐसे प्रकरणों को दर्शाती है जिसमें कार्य को रेस्पो की कार्य योजना में शामिल किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा 1998-99 की बजटीय सहायता के रूप में निधि भी उपलब्ध करा दी गई किन्तु कार्य को प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप 91.78 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

क्रम संख्या	33/11 केवी उपकेन्द्र और उसकी क्षमता		उल्लिखित व्यय	वास्तविक व्यय	अतिशय व्यय	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
	33/11 केवी उपकेन्द्र	क्षमता (एमवीए)	(लाख रूपये में)			
1.	हरार, फतेहपुर	1 X 3	46.61	70.55	23.94	1998-99 में निधि उपलब्ध होने के यावजूद कार्य को विलम्बत: प्रारम्भ करने से मौलिक लाइनरूट में बाद की घटनाओं के कारण लाइनरूट का विपथन हुआ और लाइन की लम्बाई में 1.5 सर्किट किमी. (9.40-7.90 सर्किट किमी) की वृद्धि हुई। उपकेन्द्र का समस्त कार्य पूर्ण हो जाने (अगस्त 2000) के यावजूद स्विच गियरों की विलम्बित आपूर्ति (अगस्त 2001) ने 11 लाख रूपये मूल्य के पावर परिवर्तकों और 2500 लीटर ट्रांसफार्मर आयल की चोरी को सुगम बनाया। इसके परिणामस्वरूप 23.94 लाख रूपये का अतिशय व्यय हुआ।
2.	हरपुर, गंगटही	1 X 3	148.00	178.51	30.51	मुख्यालय द्वारा विलम्ब से निधि के स्थानान्तरण तथा भण्डार खण्ड गोरखपुर द्वारा भण्डार सामग्री की विलम्बित आपूर्ति से कार्य पूर्ण होने में 15 माह का विलम्ब हुआ (दिसम्बर 2000) जिससे 30.51 लाख रूपये की अधिक लागत आई। अप्रैल 98 से दिसम्बर 2000 के मध्य हुई चोरी के कारण प्रयोगकर्ता खण्ड को लिंक लाइन का पुनर्निर्माण कराना पड़ा।
3.	विकमजोत, गोरखपुर	1 X 3	58.27	95.60	37.33	उपकेन्द्र मई 1998 में पूर्ण हो चुका था परन्तु रेल सपोर्ट और 60.48 किमी. कण्डक्टर के हरैया नवाबगंज लिंक लाइन से चोरी के कारण इसे उर्जीकृत नहीं किया जा सका। लिंक लाइन का पुनर्निर्माण (जुलाई 2001) प्रयोगकर्ता खण्ड द्वारा 37.33 लाख रूपये की लागत से किया गया जिससे इस लाइन के उर्जीकरण में 37 माह का विलम्ब हुआ।
		योग	**293.08**	**394.62**	**91.78**	

असंगत निर्णय के कारण कार्य का अपूर्ण होना

2.1.30 जिला योजना के कार्यों के अन्तर्गत जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा ई0डी0डी0-I शाहजहाँपुर को 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र सिंधौली के निर्माण हेतु एक करोड़ रुपये निर्गत किये गये (अगस्त 1999)। इसके लिए, एक करोड़ रुपये का पैकेज स्वीकृत किया गया (1999-2000) जिसमें खण्डों को उपलब्ध करायी जाने वाली निधि का उल्लेख था।

ई0डी0डी0-I शाहजहाँपुर ने अगस्त 1999 एवं मई 2001 के मध्य विभिन्न खण्डों को सिविल कार्यों, पारेषण कार्यों एवं उपकेन्द्रों और लाइन कार्यों के लिए 69 लाख रुपये निर्गत किए जिसके परिणामस्वरूप भण्डार खण्ड के 29.25 लाख रूपये को सम्मिलित करते हुए 30.75 लाख रुपये का कम निर्गमन हुआ। निधि के विलम्बित/अल्प निर्गमन के कारण अभिलेखों में नहीं थे। निधि के विलम्बित निर्गमन एवं अल्प निर्गमन के अलावा, महाप्रबन्धक (वितरण) बरेली ने असंगत निर्णय लेते हुए कार्य को पहले ई0एस0डब्ल्यू0डी0 बरेली को, तत्पश्चात् मई 2000 में ई0डी0डी0-I शाहजहाँपुर को और पुन: जुलाई 2000 में ई0एस0डब्ल्यू0डी0 बरेली को सौपा। भण्डार-लागत के पूर्ण स्थानान्तरण के अभाव में सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त नहीं हो पाई। इसी प्रकार लाइन के अपूर्ण होने के फलस्वरूप, जनवरी 2002 में पूर्ण किये गये 33 के0वी0 'बे' के कार्य का उपयोग नहीं किया जा सका। निधि के अल्प निर्गमन के फलस्वरूप ई0एस0डब्ल्यू0डी0 बरेली द्वारा उपकेन्द्र एवं लाइन कार्य नहीं कराया जा सका।

अत: असंगत निर्णय एवं ई0डी0डी0-I शाहजहाँपुर द्वारा आवश्यक निधि के अल्प एवं विलम्बित स्थानान्तरण के फलस्वरूप मार्च 2003 तक कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

सामग्री का दुर्विनियोग या चोरी एवं निष्क्रिय लाइनों का विखण्डन न किया जाना

2.1.31 लेखा परीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि 31 मार्च 2002 तक कम्पनी के पास 10 निष्प्रयोज्य लाइनें थीं जिस पर 3.91 करोड़ रुपये मूल्य की वृहत सामग्री का उपयोग किया गया था। यह सामग्री एक दशक से निष्प्रयोज्य पड़ी थी। निष्प्रयोज्य लाइनों के विखण्डन हेतु किये गये 20.15 लाख रुपये मूल्य के अनुबन्ध को अन्तिम रूप देते समय यह पाया गया कि कण्डक्टर उपलब्ध नहीं थे। इन सभी प्रकरणों में, लाइनों के विखण्डित न किये जाने के कारण चोरी सम्भव हुई। यद्यपि बेकार पड़ी लाइनों के विखण्डन के लिए ठेका दे दिया गया और अनुबन्ध हो गये (अक्टूबर 1998 से अगस्त 2002) परन्तु कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ (मार्च 2003)। फलस्वरूप न केवल सामग्री की लागत अवरूद्ध रही बल्कि इसके कारण 2.62 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री की चोरी और दुरूपयोग भी हुआ जिसका विवरण परिशिष्ट-20 में दर्शाया गया है।

लाइनों को विखण्डित न किये जाने के कारण कम्पनी ने 2.62 करोड़ रूपये की हानि उठाई।

दुर्विनियोग सम्भव होने के कारण थे: (i) महाप्रबन्धक (वितरण)/सदस्य (वितरण) के निर्देशों (नवम्बर 1993) के बावजूद निष्प्रयोज्य लाइनों को विखण्डित न किया जाना (ii) सम्बन्धित वितरण खण्डों तथा द्वितीयक कार्य खण्डों द्वारा निष्प्रयोज्य लाइनों पर उपलब्ध सामग्री का संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार न किया जाना।

यह भी संज्ञान में आया कि निदेशक (वितरण) ने निष्पादन खण्डों को 4.06 करोड़ रुपये मूल्य की 212.54 सर्किट किमी लम्बाई की बेकार पड़ी 13 अदद 33 के0वी0 लाइनों को विखण्डित करने का निर्देश दिया था (जुलाई 2000)। इसके अतिरिक्त, तीन निष्पादन खण्डों (ई0एस0डब्ल्यू0डी0, कानपुर, वाराणसी और बरेली) ने सितम्बर 2003 तक लाइनों का विखण्डन नहीं किया। विखण्डन में विलम्ब के फलस्वरूप करोड़ों रुपये मूल्य की सामग्री की हानि/क्षति होने की सम्भावना है जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तरों में वर्णित है।

ऐसे प्रकरण मुख्यालय के निर्देशों का अनुपालन करने में फील्ड इकाइयों की असफलता को इंगित करते हैं। इन असावधानियों हेतु सितम्बर 2003 तक किसी उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया।

निक्षेप तथा अन्य कार्य

निक्षेप कार्यों में अल्प प्रभारण

कम्पनी ने निक्षेप कार्यों में प्राप्त निधि से 1.90 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया

2.1.32 कम्पनी ने सरकारी विभागों, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यू0पी0एस0आई0डी0सी0), सिंचाई विभाग तथा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (एम0ई0एस0) को ऊर्जा की आपूर्ति करने हेतु उपकेन्द्रों एवं सम्बन्धित लाइनों के निर्माण को, निक्षेप कार्य के रूप में प्रारम्भ किया। नियम में प्राविधानित है कि किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व निक्षेप की सम्पूर्ण लागत प्राप्त कर ली जानी चाहिए तथा ऐसे कार्यों पर हुए वास्तविक व्यय को सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक लेखे का रख-रखाव किया जाना चाहिए। छः कार्यों में, वास्तविक रूप से व्यय की गयी लागत (9.86 करोड़ रुपये) निक्षेप की राशि (7.96 करोड़ रुपये) से अधिक थी। 1.90 करोड़ रुपये की अधिक लागत निगम/सरकारी विभागों से सितम्बर 2003 तक वसूली नहीं जा सकी थी। विवरण परिशिष्ट-21 में दिया गया है।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि दोषी कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए प्रकरण की जाँच की जायेगी।

प्राप्त निधि से अधिक व्यय

2.1.33 कम्पनी पूर्वांचल विकास निधि तथा बुन्देलखण्ड संतुलित विकास निधि से क्षेत्रीय पैकेज के विरूद्ध, सम्बन्धित जिलाधिकारियों से अनुदान प्राप्त करती है। तीन ई0एस0डब्ल्यू0डी0 (वाराणसी, कानपुर एवं झाँसी) ने 1993-94 से 1996-97 की अवधि में तीन कार्यों[1] हेतु प्राप्त 1.82 करोड़[2] रुपये के विरूद्ध 3.27 करोड़ रुपये का व्यय किया। इसके परिणामस्वरूप 1.45 करोड़ रुपये की निधि की अल्प प्राप्ति हुई क्योंकि जिलाधिकारियों द्वारा अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।

लेखा परीक्षा विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि:

- ई0एस0डब्ल्यू0डी0, जिसने नये प्राक्कलन तैयार किये थे, से परामर्श किये बिना ई0डी0डी0 द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जाना तथा निधि को प्राप्त किया जाना जिसे जिलाधिकारियों द्वारा आदृत करने से इनकार कर दिया गया।
- 1993-94 से 1997-98 तक निधि हेतु मांग का आग्रह नहीं किया गया। ई0एस0डब्ल्यू0डी0, वाराणसी के प्रकरण में कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ; और
- भण्डार संगठन द्वारा सामग्री के निर्गमन में देरी के कारण कार्यों में और विलम्ब हुआ (ई0एस0डब्ल्यू0डी0, उरई कार्य)।

1 33/11 केवी सुजानगंज उपकेन्द्र और मछलीशहर सुजानगंज लाइन (16 सर्किट किमी.), 33 केवी लाइन भरूआ सुमेरपुर-पोथिया (23.5 सर्किट किमी.) और 33/11 केवी नदीगाँव उपकेन्द्र और कोच नदीगाँव लाइन।

2 52.05 लाख रूपये : 1993-94 (पूर्वांचल विकास निधि) 42.72 लाख रूपये : 1995-96 (बुन्देलखण्ड संतुलित विकास निधि) और 86.93 लाख रूपये : 1994-97 (बुन्देलखण्ड संतुलित विकास निधि)।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2003) कि मछलीशहर-सुजानगंज लाइन के प्रकरण में उन्होंने 1.27 करोड़ रुपये के स्थान पर 75.10 लाख रुपये का व्यय किया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 52 लाख रुपये का व्यय मार्च 1998 के पहले ही किया गया था तथा उनके द्वारा स्थापना एवं निरीक्षण प्रभारों की गणना नहीं की गई थी। प्रबन्धन ने 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र, नदीगाँव तथा इसकी कोंच-नदीगाँव लाइन के प्रकरण में, अक्टूबर 2003 तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

क्षतिग्रस्त पावर परिवर्तकों का अनिस्तारण

2.1.34 लेखा परीक्षा की नमूना जाँच से यह संज्ञान में आया कि 1.97 करोड़ रुपये (क्षमता 0.75 एम0वी0ए0 से 5 एम0वी0ए0) मूल्य के 68 क्षतिग्रस्त पावर परिवर्तक ई0डब्ल्यू0डी0, फैजाबाद, ई0एस0डब्ल्यू0डी0, लखनऊ तथा ई0एस0डब्ल्यू0डी0, वाराणसी के पास पड़े हुए थे किन्तु उनके निस्तारण के लिए अब तक (मार्च 2003) कोई प्रयास नहीं किये गये थे।

लेखा परीक्षा में यह भी संज्ञान में आया कि 16.80 लाख रुपये मूल्य (क्र0सं0-66899) का 1998 में निर्मित पावर परिवर्तक (मार्सनमेक, 8 एम0वी0ए0) जखलौन पम्प कैनाल पर स्थापना के लिए भण्डार खण्ड, कानपुर (ई0एस0पी0सी0-I आदेश संख्या-23/93 के विरूद्ध क्रय किया गया) द्वारा आवंटित किया गया। परिवर्तक मई 2000 में कमीशन तथा ऊर्जीकृत हुआ किन्तु उसी माह क्षतिग्रस्त हो गया। दोष दूर करने के लिए प्रकरण फर्म को सूचित किया गया (मई 2000)। फर्म ने अब तक (मार्च 2003) न तो परिवर्तक की मरम्मत की और न ही उसको बदला। ई0एस0डी0, कानपुर ने ई0एस0डब्ल्यू0डी0, झाँसी से क्षतिग्रस्त पावर परिवर्तक को प्राप्त किये बिना, ताकि उसकी मरम्मत आपूर्तिकर्ता से करायी जा सके उसे दूसरा परिवर्तक (एकुरेट मेक क्रम सं0 ए-0061810730015) पुनः आवंटित कर दिया। परिवर्तक जखलौन पम्प कैनाल पर बिना मरम्मत के अब तक (मार्च 2003) पड़ा हुआ है।

क्रांतिक अवसंरचना संतुलनीकरण (सी0आई0बी0) योजना

2.1.35 अतिभारिता की समस्याओं के समाधान के लिए सात जिलों (मुरादाबाद, अलीगढ़, भदोही, जाजमऊ (कानपुर), सहारनपुर, मेरठ तथा लखनऊ) में प्रणाली सुधार का एक प्रस्ताव 1996 में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव अनुमोदित हो गया (सितम्बर 1996) तथा तद्नुसार 1997-98 से 2000-01 की अवधि के दौरान प्रणाली में सुधार के लिए 45.18 करोड़ रुपये (केन्द्र सरकार : 20.45 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार : 24.73 करोड़ रुपये) की आर्थिक सहायता सहायक अनुदान के रूप में यू0पी0पी0सी0एल0 को उपलब्ध करायी गयी। 45.18 करोड़ रुपये में से 13.29 करोड़ रुपये सी0आई0बी0 के अंतर्गत द्वितीयक प्रणाली में सुधार के लिए उपलब्ध कराये गये थे। इन कार्यों के क्रियान्वयन से आपूर्ति की विश्वसनीयता में वृद्धि, अतिभारिता को कम करने में आंशिक राहत तथा नये वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संयोजन

निर्गत करने के लिए कुछ क्षमता की उपलब्धता जैसे लाभों का पूर्वानुमान किया गया था।

प्राप्त निधि, किया गया व्यय तथा वह जो सरकार को सूचित किया गया, का विवरण निम्नवत् है:

परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि	योजना में प्रावधानित परियोजना और पूर्णता			33 केवी कार्यों के लिये प्रावधानित निधि (लाख रूपये में)				वास्तविक लागत (लाख रूपये में)				अधिक निकासी/ अधिक व्यय (-)	शासन को सूचित लागत	अधिक सूचित
		उ[1]	क्ष[2]	ल[3]	उ	क्ष	ल	य[4]	उ	क्ष	ल	य	(लाख रूपये में)		
मुरादाबाद	800.00	2	2	10	225.00	47.00	32.00	**304.00**	145.60	29.55	34.34	**209.49**	94.51	243.00	33.51
मुरादाबाद	1228.00	4	2	3.04	380.00	12.00	21.00	**413.00**	342.13	13.81	46.50	**402.44**	10.56	391.00	(-) 11.44
अलीगढ़	700.00	3	2	26.2	186.00	94.00	194.00	**474.00**	246.58	104.84	138.48	**489.90**	(-) 15.90	536.84	46.94
भदोही	200.00	1	2	2	100.00	23.00	15.50	**138.50**	74.15	33.00	--	**107.15**	31.35	138.50	31.35
	योग	**10**	**8**	**41.24**	**891**	**176**	**262.5**	**1329.50**	**808.54**	**181.20**	**219.32**	**1208.98**	**120.52**	**1309.34**	**100.36**

कम्पनी ने सरकार से अनुचित रूप से 2.03 करोड़ रुपये वसूल किये और कार्यों पर व्यय को गलत रूप से अधिक सूचित किया। यह तंत्र के सुधार एवं तकनीकी हानि को कम करने में भी असफल रही

इन कार्यों के निष्पादन में निम्नलिखित कमियाँ संज्ञान में आयी:

- स्थापना एवं पर्यवेक्षण प्रभारों को भारित न करने के कम्पनी के अपने ही निर्देशों के विपरीत 20 प्राक्कलनों पर 2.03 करोड़ रुपये का स्थापन एवं पर्यवेक्षण प्रभार भारित किया गया। कम्पनी ने ऐसा करके कम-से-कम तीन उपकेन्द्रों के लाभ से उपभोक्ताओं को वंचित रखा जिसका सृजन किया जा सकता था यदि स्थापन एवं पर्यवेक्षण प्रभारों को भारित नहीं किया जाता और 2.03 करोड़ रुपये का समुचित उपयोग होता;
- कम्पनी ने (ई0यू0सी0डी0, मुरादाबाद, अलीगढ़ एवं ई0एस0डब्ल्यू0डी0, वाराणसी) 20 कार्यों पर 12 करोड़ रुपये का व्यय किया जबकि राज्य सरकार को 13.09 करोड़ रुपये का व्यय सूचित किया (सितम्बर 2002)।
- 1.21 करोड़ रुपये की उच्चतर लागत पर प्राक्कलन तैयार किये गये। उक्त राशि सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त स्तर) के अनुमोदन के बिना अन्य कार्यों पर उपयोजित कर ली गई।
- भदोही जिले में प्रणाली सुधार हेतु दो करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध करायी गयी। सम्पूर्ण राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रैल 2000 में निर्गत कर दिया गया यद्यपि 33/11 के0वी0 सुरियावाँ से नेवड़िया एवं मोढ़ से सुरियावाँ लाइन के निर्माण से सम्बन्धित कार्य अपूर्ण थे। 15.50 लाख रुपये की मूल लागत के विपरीत इन लाइनों के निर्माण पर 65.72 लाख रुपये की लागत आयेगी।

1 उ = उपकेन्द्र (संख्या में)
2 क्ष = क्षमता में वृद्धि (संख्या में)
3 ल = लाइन (किमी. में)
4 य = योग

- 1.86 करोड़ रूपये की लागत से कम्पनी ने, तीन 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों (जमालपुर, बालाईकिला एवं रावणटीला) की अनुमोदित 1x5 एम0वी0ए0 क्षमता के विपरीत प्रत्येक के लिये 2x5 एम0वी0ए0 क्षमता का अतिशय सृजन किया। परिणामत: किसी सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त स्तर) के अनुमोदन के बिना 60.58 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ।

- अलीगढ़ क्षेत्र में तकनीकी हानि में कमी को 2 से 3 प्रतिशत दर्शाया गया जबकि यह अलीगढ़ क्षेत्र हेतु 38.99 (1999-2000) से बढ़कर 40.32 प्रतिशत (2001-02) हो गयी (अक्टूबर 2002 में हानि थोड़ी घटकर 38.34 प्रतिशत रह गयी)। मुरादाबाद खण्ड के संदर्भ में तकनीकी हानि में बढ़ोत्तरी हुई एवं 3.50 करोड़ रुपये (1,45,099 एम0यू0 की अतिशय ऊर्जा हानि पर) की अनुमानित बचत नहीं हो पायी।

- सी0आई0बी0 योजना के पूर्ण होने से पहले, मार्च 2002 में क्षतिग्रस्त पावर परिवर्तकों का प्रतिशत 14.56 था जो कि जनवरी 2003 में बढ़कर 19.26 प्रतिशत हो गया (केवल अलीगढ़ के लिये)।

- मुरादाबाद (ई0यू0डी0डी0-I एवं II) में योजना के क्रियान्वयन से पहले ऊर्जा की कुल खपत 105.68 यूनिट प्रति किलोवाट थी (मार्च 1998) जो कि घटकर 73.38 यूनिट प्रतिकिलो वाट (योजना के क्रियान्वयन के पश्चात्) रह गयी (जनवरी 2003)। योजना के पूर्ण होने से पहले औद्योगिक क्षेत्र (लघु एवं मध्यम तथा बड़े एवं भारी उपभोक्ता) में ऊर्जा की खपत 96.93 यूनिट प्रति किलोवाट थी जो घटकर 94.52 प्रति किलोवाट रह गयी (जनवरी 2003)।

यह दर्शाता है कि योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् भी उल्लिखित सुधार नहीं हो पाया।

क्रियान्वयन के पश्चात् स्थिति

2.1.36 जैसे ही उपकेन्द्र एवं लाइन पूर्ण/ऊर्जित हो जायें उन्हें सम्बन्धित ई0डी0डी0 को, उपकेन्द्र के संचालन हेतु, तुरन्त हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिए ताकि वर्तमान उपकेन्द्रों की अतिभारिता को कम किया जा सके और उपभोक्ताओं की भार की माँग को पूरा किया जा सके।

उपकेन्द्रों एवं लाइनों का विलम्बित उपयोग/अनुपयोग

2.1.37 यह संज्ञान में आया कि सितम्बर 1997 से जुलाई 2002 की अवधि में 48.08 करोड़ रुपये की लागत से 53 उपकेन्द्रों को सम्बन्धित लाइनों सहित ऊर्जीकृत/पूर्ण किया गया। 31 मार्च 2003 तक, 14 उपकेन्द्रों को हस्तान्तरित नहीं किया जा सका एवं उपकेन्द्रों के संचालन के लिए कर्मचारी उपलब्ध न होने तथा वर्तमान उपकेन्द्रों से भार लेने हेतु फीडरों के निर्माण न होने के फलस्वरूप 39 उपकेन्द्रों को ऊर्जीकरण के पश्चात् 2 से 44 महीनों के विलम्ब से उपयोगकर्ता खण्डों को हस्तान्तरित किया गया।

कम्पनी द्वारा प्रणाली के उपयोग में असफलता या विलम्ब से उपयोग किये जाने के कारण 6.19 करोड़ रुपये की हानि हुई

ये कार्य 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज वाले ऋण द्वारा पोषित किए गए थे। इन उपकेन्द्रों के उपयोग में विलम्ब के फलस्वरूप (यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के उपकेन्द्रों को छोड़कर) 6.19 करोड़ रुपये के ब्याज का अपव्यय हुआ।

इस प्रकार उपकेन्द्रों के अनुपयोग/विलम्बित उपयोग के कारण न तो कार्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका और न ही 48.08 करोड़ रुपये का व्यय करने के पश्चात् भी उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाया जा सका।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 उपकेन्द्र का अनुपयोग

2.1.38 मार्च 1999 से नवम्बर 2001 के मध्य 2.21 करोड़ रुपये की लागत से तीन 33/11 के0वी0 के उपकेन्द्रों का निर्माण यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के लिये किया गया था परन्तु क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना न होने के कारण इन उपकेन्द्रों पर या तो नगण्य या अत्यल्प भार था जैसा कि निम्न विवरण में दिया गया है।

खण्ड का नाम	उपकेन्द्र का नाम	क्षमता (एमवीए)	लागत (करोड़ रूपये में)	कर्जीकरण की तिथि	अंकित अधिकतम भार
ईएसडब्ल्यूडी, अलीगढ़	एटा	1 X 5	0.85	12/2001	कोई भार नहीं
ईएसडब्ल्यूडी, अलीगढ़	फिरोजाबाद	1 X 5	0.52 (सिविल कार्यों को छोड़कर)	11/2001	कोई भार नहीं (हस्तांतरित नहीं)
ईडीडी-I अलीगढ़	तालानगरी	1 X 5	0.84	03/1999	260 एम्पियर के स्थान पर 20 एम्पियर
		15	2.21		

इस प्रकार 15 एम0वी0ए0 की परिवर्तन क्षमता निष्क्रिय रही। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के साथ किये गये अनुबन्ध में अपेक्षित उपबन्धों के अभाव के कारण कम्पनी इन उपकेन्द्रों के रखरखाव तथा इन उपकेन्द्रों पर नियुक्त कर्मचारियों के स्थापन व्यय के भुगतान पर हुये किसी भी व्यय को वसूल नहीं कर पायी।

निष्कर्ष

उप-पारेषण नेटवर्क की उत्पत्ति पारेषण नेटवर्क से एवं समापन वितरण नेटवर्क पर होता है। अतिभारिता या प्रणाली के किसी भाग को निष्क्रिय होने से बचाने के लिये प्रणाली दोनों सिरों पर संगत होनी चाहिये। कम्पनी, तथापि इन विषमताओं को दूर करने के उपाय खोजने में असफल रही जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली न केवल अतिभारिता से ग्रस्त रही अपितु इसका एक भाग निष्प्रयोज्य एवं अन-ऊर्जीकृत रहा।

कम्पनी की कार्य प्रणाली विभिन्न स्तरों पर नियोजन, समन्वय एवं अनुश्रवण के अभाव से ग्रस्त रही जिसके कारण लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी आयी, कैपेसिटर बैंकों के अवस्थापन या ऊर्जा क्षय को बचाने के लिए इसकी मरम्मत में असफलता हुई, रेलवे लाइनों को पार करने की सहमति हेतु आवेदन विलम्ब से किया गया, कार्य देर से पूर्ण हुए, आर्थिक रूप से अलाभकारी परियोजनाओं को प्रारम्भ किया गया एवं पूर्ण कार्यों का विलम्बित ऊर्जीकरण या उपयोग हुआ। कार्यों का निष्पादन, लेखा अभिलेखों के अभाव या अनुचित रख-रखाव, कार्यों

या ठेकेदार को अधिक सामग्री के निर्गमन, सामग्रियों के अधिक उपभोग, अतिशय व्यय, उच्च विशिष्टियों वाली सामग्रियों के उपयोग, सामग्रियों के दुर्विनियोग और चोरी इत्यादि द्वारा चिन्हित था।

कम्पनी को वृहत हानि से बचने के लिए उचित नियोजन, समन्वय एवं अनुश्रवण क्रियाविधि को प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

प्रकरण प्रबन्धन (प्रबन्धन से सितम्बर 2003 में प्राप्त आंशिक उत्तर पर विचार कर लिया गया है) और सरकार को जुलाई 2003 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2003)।

2.2 लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के क्रियाकलापों पर समीक्षा

मुख्य अंश

लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन (लेसा), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 11 वितरण क्षेत्रों में से एक है जो राज्य की राजधानी लखनऊ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ भाग को ऊर्जा के वितरण में संलग्न है।

(प्रस्तर 2.2.1)

खराब संकलन दक्षता के कारण कम्पनी अपने देयों की वसूली नहीं कर सकी जो 31 मार्च 2003 को 356.13 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 2.2.4)

परिवर्तन क्षमता की कुल संयोजित भार से असंगतता, प्रणाली की अतिभारिता में परिणामित हुई। इसने मानकों से अधिक कुल 34.63 करौड़ रुपये के अतिशय वितरण परिवर्तकों को क्षतिग्रस्त किया।

(प्रस्तर 2.2.5 और 2.2.7)

उपकेन्द्रों के भार सिरों पर कैपेसिटर बैंकों के स्थापन में ह्रास से 7.99 करोड़ रुपये मूल्य की 29.86 एम0यू0 ऊर्जा की बचत की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.6)

वर्ष 2002-03 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों की अवधि में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मानकों से अधिक होने वाली वितरण हानि 2115.19 एम0यू0 थी जिसका मूल्य 561.49 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 2.2.8)

कम्पनी के सतर्कता समन्वय द्वारा ऊर्जा की चोरी और अधिक भार का पता लगाने और सूचित कर दिये जाने के बावजूद दिसम्बर 1999 से जनवरी 2003 तक 99.95 लाख रुपये के निर्धारण को वसूला नहीं जा सका।

(प्रस्तर 2.2.9)

प्रणाली को पुष्ट करने और अतिभारिता को दूर करने के उद्देश्य से कम्पनी ने क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैलेन्सिंग स्कीम के अन्तर्गत 4 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त किया। उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि कम्पनी ने कोई काम प्रारम्भ करने के बजाय पूर्व निष्पादित कार्यों को अनुदान के विरूद्ध समायोजित कर दिया और राज्य सरकार को असत्य उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया।

(प्रस्तर 2.2.11)

कम्पनी उपभोक्ताओं से 12.82 करोड़ रुपये वसूल नहीं कर सकी क्योंकि या तो यह निर्धारण करने में असफल रही अथवा इसने विहित प्रक्रिया का अतिलंघन करते हुए विलम्बित निर्धारण किया।

(प्रस्तर 2.2.21)

प्रस्तावना

2.2.1 पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यू0पी0एस0ई0बी0) ने पावर प्रणाली और ऊर्जा की आपूर्ति के तीव्र सुधार को लक्षित करते हुए लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति उपक्रम (लेसू) को पुनर्गठित कर (अगस्त 1998) लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन (लेसा) कर दिया ताकि राज्य की राजधानी लखनऊ के उपभोक्ताओं की वृद्धिगत माँग को पूरा किया जा सके। लेसा, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के 11[1] वितरण क्षेत्रों में से एक है। यह राज्य की राजधानी, लखनऊ के शहरी क्षेत्रों और उससे लगे हुए कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करने में संलग्न है।

संगठनात्मक ढाँचा

2.2.2 लेसा का सम्पूर्ण प्रबन्धन मुख्य महाप्रबन्धक में निहित है जो कम्पनी के निदेशक (वितरण) को अपनी आख्या देता है। दिन-प्रतिदिन के प्रबन्धन हेतु मुख्य महाप्रबन्धक की सहायता चार उप-महाप्रबन्धक, 21 अधिशासी अभियन्ता और एक उप मुख्य लेखाधिकारी करते हैं। ऊर्जा का वितरण और सम्बन्धित कार्यकलाप[2] तीन परीक्षण खण्डों (मीटरिंग कार्यों हेतु), तीन निर्माण खण्डों (लाइन व उपकेन्द्रों हेतु) और एक प्रणाली सुधार खण्ड (प्रणाली सुधार कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु) की सहायता से 11 वितरण खण्डों द्वारा किया जाता है जिनमें से प्रत्येक, एक अधिशासी अभियन्ता के अधीन होता है। लेसा की कार्यप्रणाली में मितव्ययिता और दक्षता लाने हेतु निर्देशन, नियोजन, अनुश्रवण और योजनाओं और कार्यों के निष्पादन पर नियंत्रण, ऊर्जा के ह्रास वितरण हानियाँ लाइनों व उपकेन्द्रों की मरम्मत व रखरखाव और राजस्व के निर्धारण व वसूली का उत्तरदायित्व मुख्य महाप्रबन्धक में निहित है।

मुख्य महाप्रबधंकों के बारम्बार परिवर्तन ने लेसा की कार्य प्रणाली पर सुस्पष्ट प्रभाव डाला।

2002-03 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षो की अवधि में मुख्य महाप्रबन्धक बारम्बार परिवर्तित हुए क्योंकि 9 मुख्य महाप्रबन्धकों ने उक्त पद को 1 से 16 महीनों की अवधि हेतु धारित किया। इसने लेसा की कार्यप्रणाली पर सुस्पष्ट प्रभाव डाला। प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि बारम्बार परिवर्तन का कारण, मुख्य महाप्रबन्धक के पद पर पदोन्नत अधिकारियों का अल्प सेवाकाल था। सम्प्रेक्षण का अभिमत था कि लेसा के उत्तम कार्यचालन परिणाम हेतु कम से कम दो से तीन वर्षो के सेवाकाल वाले मुख्य महाप्रबन्धक को नियुक्त किया जाना चाहिये।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.2.3 लेसा के कार्यकलापों की पूर्व में की गई समीक्षा, 31 मार्च 1989 को समाप्त हुए वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश शासन में प्रस्तुत की गई थी। समीक्षा पर कोपू[3] द्वारा आंशिक रूप से चर्चा की गई है जिस पर संस्तुति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2003)। वर्तमान समीक्षा नवम्बर 2002 से मई 2003 की अवधि में की गयी जिसमें 1998-99 से 2002-03 तक पाँच वर्षो की अवधि के लेसा के कार्यकलापों जैसे वितरण प्रणाली, बैंक से आदान-प्रदान, वाणिज्यिक निष्पादन, सामग्री की अधिप्राप्ति और कार्यों के निष्पादन इत्यादि का विश्लेषण

1 लेसा, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, झाँसी, आगरा, मुरादाबाद, मेरठ एवं लखनऊ।

2 लाइनों और उपकेन्द्रों का निर्माण मरम्मत और रख-रखाव, प्रणाली सुधार कार्य इत्यादि।

3 सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति।

किया गया जिसमें मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय और लेसा के 18 खण्डों में से 16 खण्डों के अभिलेखों का परीक्षण किया गया।

अभिलेखों की नमूना जाँच के परिणामस्वरूप प्राप्त सम्प्रेक्षण के निष्कर्ष कम्पनी/शासन को जुलाई 2003 में, राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सम्प्रेक्षा समीक्षा समिति की बैठक में भाग लेने की विशिष्ट प्रार्थना के साथ प्रतिवेदित किये गये ताकि समीक्षा को अन्तिम रूप देने से पूर्व कम्पनी/शासन के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाय। राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सम्प्रेक्षा समीक्षा समिति की बैठक 16 सितम्बर 2003 को कम्पनी के कार्यपालकों के साथ सम्पन्न हुई और उनके अभिमत को समीक्षा में विधिवत् सम्मिलित कर लिया गया है।

परिचालनात्मक निष्पादन

खराब संकलन दक्षता के कारण 356.13 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली में कमी आयी।

2.2.4 वर्ष 2002-03 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि में लेसा का परिचालनात्मक निष्पादन परिशिष्ट-22 में दिया गया है।

परिचालनात्मक निष्पादन निम्न के द्वारा चिन्हित था:

- निर्धारित व प्राप्त राजस्व के मध्य भारी अन्तर था जो कि वर्ष 2002-03 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों के दौरान 43.26 करोड़ रुपये और 89.80 करोड़ रुपये के मध्य विस्तारित रहा। राजस्व की वसूली में कुल अवनति 356.13 करोड़ रुपये थी।
- संग्रहण दक्षता सामान्यत: सन्तोषजनक नहीं थी। वर्ष 2000-01 (89.44 प्रतिशत) में सुधार के बावजूद इसे स्थिर नहीं रखा जा सका और 2002-03 में यह घटकर 81.67 प्रतिशत तक आ गयी।
- 2002-03 तक पाँच वर्षों की अवधि में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मानकों (11.5 प्रतिशत) से अधिक होने वाली वितरण हानियाँ 2,115.192 एम0यू0 थीं जिसका मूल्य 561.49 करोड़ रूपये था (प्रस्तर 2.2.8 में संदर्भित)।

सम्प्रेक्षण के निष्कर्षों की चर्चा पश्चात्वर्ती प्रस्तरों में की जा रही है:

वितरण प्रणाली

उप-पारेषण और वितरण प्रणाली में असंगति

2.2.5 लेसा के पास 31 मार्च 2003 को 1129.660 एम0वी0ए0 संयोजित भार के विरूद्ध 62 अदद 33 के0वी0 उपकेन्द्रों पर 852 एम0वी0ए0 की परिवर्तन क्षमता थी जो 277.660 एम0वी0ए0 का अन्तराल प्रदर्शित करती है। प्रणाली की असंगतता के कारण, वर्तमान प्रणाली अतिभारिता से ग्रसित थी जो कि वर्ष 2002-03 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि में 1.25 से लेकर 1.38 गुणा तक विस्तारित थी जिसका विवरण निम्न में दिया गया है:

मार्च	उपकेन्द्रों पर संयोजित भार (एम.वी.ए.)	33 के.वी. उपकेन्द्रों पर परिवर्तन क्षमता (एम.वी.ए.)	अतिभारिता की दर (गुना)
1999	802.663	643.500	1.25
2000	884.305	673.500	1.31
2001	985.251	713.500	1.38
2002	1001.968	723.500	1.38
2003	1129.660	852.00	1.33

प्रणाली हानियों को कम करने तथा वर्तमान प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से बी0एस0ई0एस0[1] लिमिटेड मुम्बई (परामर्शदाता) ने परिवर्तन क्षमता में 264 एम0वी0ए0 की वृद्धि, 157 सर्किट किमी0 शिरोपरि लाइनों को भूमिगत केबिलों में बदलने और 11 के0वी0 उपकेन्द्रों, एल0टी0 कैपेसिटर्स और उच्च परिशुद्धता वर्ग के ऊर्जा मापकों के 2002-03 तक चार वर्षों की अवधि में क्रमबद्ध संस्थापन जैसे कार्यों के सम्पादन द्वारा 6 प्रतिशत भार वृद्धि प्रतिवर्ष को मानकर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (फरवरी 1999)। इसके क्रियान्वयन की अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपये थी। प्रत्याशित लाभ द्वितीय वर्ष में 22.90 करोड़ रुपये, तृतीय वर्ष में 46.46 करोड़ रुपये चतुर्थ वर्ष में 69.81 करोड़ रूपये और पंचम वर्ष से 98.33 करोड़ रुपये था।

लेसा, तथापि, वित्तीय समस्याओं के कारण इन कार्यों को प्रारम्भ करने में असफल रहा। यह लेसा प्रबन्धन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी को इंगित करता है क्योंकि आवश्यक वित्तीय संसाधन, देयों की वसूली द्वारा जुटाये जा सकते थे जो 1997-98 में 269.35 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-03 में 625.49 करोड़ रूपये हो गये। यह निधि प्रस्तावित प्रणाली सुधार योजना की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त थी।

मुख्य महाप्रबन्धक, लेसा ने कहा (सितम्बर 2003) कि उपलब्ध क्षमता अधिक थी यदि औसतन 0.33 गुणा डाइवर्सिटी फैक्टर (उपभोक्ताओं के आगणित औसत भार गुणक के आधार पर निकाला गया) को ध्यान में रखा गया होता। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन से बजटीय सहायता हेतु प्रस्ताव भेजते समय लेसा ने कुल संयोजित भार के आधार पर प्रणाली की अतिभारिता दर्शायी थी (नवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 की समीक्षा के अभिलेखों में)। पुनः, लेसा के अपने परामर्शदाताओं ने भी आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु क्षमता की बढ़ोत्तरी की तात्कालिक आवश्यकता को इंगित किया था किन्तु इस पर कार्य विलम्बतः 2001-02 से प्रारम्भ किया गया। अतः, समय से कार्य प्रारम्भ न करने के कारण प्रत्याशित लाभ अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका (सितम्बर 2003)।

अपर्याप्त प्रणाली प्रतिपूर्ति

2.2.6 कैपेसीटर बैंकों का अवस्थापन, प्रणाली में ऊर्जा के क्षय को कम करने के साथ-साथ अतिरिक्त लाभ के तौर पर उपस्कर की भार वहन क्षमता को बढ़ाता है और प्रणाली के वोल्टेज प्रोफाइल को सुधारता है।

कम्पनी के अपने आंकलन के अनुसार, यदि 24 एम0वी0ए0आर0 क्षमता के कैपेसीटर बैंक की अवस्थापना की जाती है तो उपस्कर की भार वहन क्षमता में 28 प्रतिशत तक वृद्धि तथा ऊर्जा के क्षय में 40 प्रतिशत तक कमी आ जाती है।

सम्प्रेक्षण के दौरान किये गये विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 1.19 लाख रुपये मूल्य की ऊर्जा (0.04958 एम0यू0) की वार्षिक बचत के विरूद्ध, 1997-98 से 2001-02 की अवधि में वास्तविक रूप से व्ययित लागत के आधार पर, नये कैपेसीटर बैंक के स्थापन की प्रति एम0वी0ए0आर0 लागत 3.51 लाख रुपये आंकी गयी। इससे विदित होता है कि

[1] बाम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई।

कैपेसीटर बैंक की अवस्थापना के तीन वर्षों के भीतर ही लागत वसूल हो जाती है। अत: कैपेसिटर बैंकों की अवस्थापना मितव्ययिता पूर्ण होती है क्योंकि यह चौथे वर्ष से ही 1.19 लाख रुपये की बचत देना प्रारम्भ कर देता है।

कैपेसीटर बैंकों की क्षमता के आधार पर, जैसा कि परामर्शदाता ने अभिमत दिया है (फरवरी 1999), 144.100 एम0वी0ए0आर0 की कमी (क्षतिग्रस्त कैपेसीटर बैंकों को सम्मिलित करते हुए) आती है। 2002-03 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि में, 6.14 करोड़ रुपये मूल्य की 22.80 एम0यू0 ऊर्जा की हानि कैपेसीटर बैंकों की स्थापना से रोकी जा सकती थी।

31 मार्च 2003 को क्षतिग्रस्त पड़े 28.500 एम0वी0ए0आर0 के कैपैसीटर बैंकों में केवल छोटी-मोटी खराबी की मरम्मत की आवश्यकता थी। इनमें पोटेंशियल परिवर्तकों, केबलों, पैनेल स्विचों इत्यादि की खराबी सम्मिलित थी जो कि मामूली प्रकृति की थीं। कम्पनी ने, तथापि, इन खराबियों को दूर नहीं किया जिससे 2002-03 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि में 1.85 करोड़ रुपये मूल्य की 7.06 एम0यू0 ऊर्जा की बचत की जा सकती थी।

कैपेसीटर बैंकों के अवस्थापन में ह्रास के कारण 7.99 करोड़ रुपये मूल्य की ऊर्जा की बचत की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि वित्तीय बाधाओं के कारण नये केपेसिटर बैंकों के अवस्थापन व क्षतिग्रस्त कैपेसिटर बैंकों के मरम्मत की प्रगति धीमी रही। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवश्यक कैपेसिटर बैंकों के अवस्थापन में निहित धनराशि 4.33 करोड़ रुपये थी जो कि 7.99 करोड़ रुपये की ऊर्जा की बचत कर सकती थी।

वितरण परिवर्तकों की अधिक क्षतिग्रस्तता

2.2.7 कम्पनी ने निर्धारित किया (मई 1982) कि वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता, अवस्थापित परिवर्तकों की दो प्रतिशत होनी चाहिये। पुन:, परामर्शदाता ने स्पष्ट किया (फरवरी 1999) कि प्रणाली की अतिभारिता उपस्कर की अतिशय विफलता का कारण बनी। वितरण परिवर्तकों का जीवनकाल 25 वर्ष आंका गया है यदि मरम्मत सारणी का पालन किया जाय और संरक्षी उपाय स्थापित हों।

मानकों से अधिक वितरण प्रवर्तक क्षतिग्रस्त हुए जिससे 34.63 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

यह देखा गया कि निवारक अनुरक्षण सारणी और यह कि क्या किसी परिवर्तक का निवारक अनुरक्षण किया गया, को दर्शाने वाले अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया। वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता की दर 2 प्रतिशत के मानक का अतिक्रमण कर गयी और 2002-03 को समाप्त होने वाली पाँच वर्षों की अवधि में 12.50 प्रतिशत और 68.20 प्रतिशत के मध्य विस्तारित रही। मानक से अधिक क्षतिग्रस्त होने वाले परिवर्तकों की कुल संख्या 5,119 अदद थी जिसका कुल मूल्य 34.63 करोड़ रुपये था (परिशिष्ट-23) अधिक क्षतिग्रस्तता का मुख्य कारण अनधिकृत संयोजनों के परिणामस्वरूप परिवर्तकों की अतिभारिता थी।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता के मुख्य कारण अनधिकृत कटिया संयोजन और अनुचित संयोजित भार इत्यादि थे जिसके लिये कार्यवाही की जायेगी।

अतिशय वितरण हानियाँ

2.2.8 वितरण हानियाँ, विक्रय के लिये उपलब्ध ऊर्जा और वास्तविक रूप से विक्रीत ऊर्जा के मध्य अन्तर को इंगित करती है। इसमें अशुद्ध मापन, मापन न होना, सीधे/कटिया संयोजन और अतिशय भार इत्यादि सम्मिलित है।

निम्न तालिका, 1998-99 और 2002-03 के मध्य पाँच वर्षो की अवधि में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के 11.5 प्रतिशत के मानक के विरूद्ध 28.63 से 33.86 के मध्य विस्तारित वितरण हानियों को इंगित करती है।

(दस लाख यूनिटों में)

विवरण	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	योग
प्राप्त ऊर्जा	1899.903	2058.952	2150.022	2296.789	2391.780	10797.446
विक्रीत ऊर्जा	1256.662	1372.373	1524.647	1579.775	1707.092	7440.549
ऊर्जा की हानि	643.241	686.579	625.375	717.014	684.688	3356.897
प्रतिशतता	33.86	33.35	29.09	31.22	28.63	31.09
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मानक के अनुसार हानि	218.489	236.779	247.252	264.131	275.055	1241.706
मानक से अधिक ऊर्जा की हानि	424.752	449.800	378.123	452.883	409.633	2115.191

मण्डलानुसार/खण्डानुसार वितरण हानियाँ परिशिष्ट-24 में दी गयी है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मानकों से अधिक होने वाली वितरण हानियों के कारण 561.49 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि आगणित की गई। यह भी देखा गया कि लेसा ने मीटर विहीन[1] उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा का अधिक उपभोग दिखाकर वास्तविक हानि दोषपूर्ण ढंग से आगणित की। मीटर विहीन उपभोक्ताओं हेतु अधिक ऊर्जा-उपभोग के अशुद्ध लेखांकन के परिणामस्वरूप ऊर्जा की हानि का शुद्ध आगणन विकृत हुआ। इन अधिक इन्द्राजों हेतु लेखांकन के पश्चात् हानि के परिमाण की वास्तविक प्रतिशतता 30.89 से 37.72 तक आयी (परिशिष्ट-25)।

ऊँची वितरण हानियों के मुख्य कारण उप-पारेषण और वितरण प्रणाली में असंगति (प्रस्तर 2.2.5), अपर्याप्त प्रणाली प्रतिपूर्ति (प्रस्तर 2.2.6), ऊर्जा की चोरी रोकने में असफलता (प्रस्तर 2.2.9), उपभोक्ताओं के विरूद्ध तदर्थ बिलिंग के उच्चतर प्रसंग (प्रस्तर 2.2.10) प्रणाली सुधार कार्यो का अनुचित और मन्थर कार्यान्वयन (प्रस्तर 2.2.11 और 2.2.12) और इलेक्ट्रानिक मीटरों के अवस्थापन की धीमी प्रगति (प्रस्तर 2.2.13) थी जिसकी चर्चा उत्तरवर्ती प्रस्तरों में की गयी है:

ऊर्जा की चोरी को नियंत्रित करने में असफलता

ऊर्जा की चोरी और अधिक भार हेतु कम्पनी 99.95 लाख रुपये का निर्धारण करने में असफल रहीं।

2.2.9 ऊर्जा की चोरी में, सीधे/कटिया संयोजनों द्वारा ऊर्जा का अनधिकृत दोहन, मापन उपस्करों में हेरफेर और स्वीकृत भार की अपेक्षा अधिक भार का प्रयोग सम्मिलित है। ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिये कम्पनी का सतर्कता समन्वय उपभोक्ताओं के परिसर में समय-समय पर छापे डालता है और उपभोक्ताओं के विरूद्ध निर्धारण प्रस्तावित करता है।

[1] प्राइवेट ट्यूबवेल (पी.टी.डब्ल्यू.), स्टेट ट्यूबवेल (एस.टी.डब्ल्यू.) और स्ट्रीट लाइट।

ऊर्जा की चोरी के प्रकरणों में, निर्धारित सूत्र[1] के आधार पर, लागू दर-अनुसूची की दर का तीन गुणा और अधिक भार के प्रकरणों में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित वितरण संहिता के अनुसार दर का दो गुणा निर्धारित किया जाना था।

सतर्कता समन्वय ने ऊर्जा की चोरी (वाणिज्यिक बत्ती-पंखा और औद्योगिक उपभोक्ताओं से सम्बन्धित) और अधिक भार पाये जाने के कारण उपभोक्ताओं के विरूद्ध निर्धारण करने हेतु लेसा के वितरण खण्डों को जाँच आख्यायें प्रस्तुत की थीं। यह देखा गया कि दिसम्बर 1999 से जनवरी 2003 की अवधि के दौरान ऊर्जा की चोरी के प्रकरणों (173 प्रकरण) में 16.92 लाख रुपये की राशि और अधिक भार के प्रकरणों (177 उपभोक्ता) में 83.03 लाख रुपये की राशि का निर्धारण नहीं किया गया। इस प्रकार कुल हानि 99.95 लाख रुपये[2] आयी।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि खण्डों के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के अनुसार सम्प्रेक्षण द्वारा इंगित समस्त अल्प निर्धारणों का निर्धारण कर दिया गया है। किन्तु विलम्बित निर्धारणों हेतु न तो किसी उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया और न अब तक कोई वसूली ही की जा सकी (सितम्बर 2003)।

तदर्थ बिलिंग के अधिक प्रसंग

2.2.10 बड़ी मात्रा में हो रही ऊर्जा की चोरी को नियंत्रित करने में असफलता, दोषपूर्ण मीटरों के बदले न जाने और रीडिंग की अनुपलब्धता इत्यादि के कारण उपभोक्ताओं के विरूद्ध होने वाले तदर्थ बिलिंग के अधिक प्रसंगों के कारण और जटिल हो गयी। 31 मार्च 2003 को 4,01,548 उपभोक्ताओं में से 2,63,410 उपभोक्ताओं की बिलिंग तदर्थ आधार पर की गयी थी। सम्प्रेक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, अलीगंज द्वारा अप्रैल 1999 से नवम्बर 2000 की अवधि में 324 उपभोक्ताओं को मीटर विहीन आपूर्ति दी गयी जिससे 23.14 लाख रुपये की हानि हुई।

सम्प्रेक्षण के आग्रह पर यद्यपि उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर स्थापित कर दिये गये और आवश्यक निर्धारण बिल भी जारी कर दिये गये (सितम्बर 2003) तथापि न तो मीटर विहीन संयोजन अवमुक्त करने हेतु किसी उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया और न ही उपभोक्ताओं से अब तक कोई वसूली ही की गयी (सितम्बर 2003)।

प्रणाली सुधार कार्यों का अनुचित और मन्थर क्रियान्वयन

क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैलेन्सिंग (सी.आई.बी.) योजना के अन्तर्गत प्रणाली सुधार कार्यों के निष्पादन हेतु अनुदानों का अनुचित उपयोग

2.2.11 अतिभारिता की समस्या का समाधान करने और लखनऊ शहर के अमीनाबाद और चौक क्षेत्रों में ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्षेत्र की पावर प्रणाली में बहुआयामी सुधार हेतु 7.38 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान का एक प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया (1999-2000)। प्रणाली में सुधार करने का

1 एल×एच×डी×एफ (भार×घंटा×दिन×गुणक)।

2 ऐशबाग: (4.05 लाख रूपये और 37.77 लाख रूपये), अलीगंज: 3.89 लाख रूपये, आलमबाग: 7.75 लाख रूपये, गोमतीनगर: 14.93 लाख रूपये, इन्दिरानगर: 24.90 लाख रूपये और रहीमनगर: 6.66 लाख रूपये।

निहितार्थ चिकन उत्पादों का निर्यात और उसके द्वारा देश के विदेशी मुद्रा भण्डार में योगदान देना था। योजना, जिसमें 33/11 के0वी0 और लो टेन्शन (एल.टी.) उपकेन्द्र और लाइनें, भूमिगत केबल डालना और प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये दूसरे कार्य सम्मिलित थे, जून 2000 में स्वीकृत हुई। अनुदान राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा समान अनुपात में अवमुक्त किया जाना था। योजना में ऊर्जा की हानि से बचाव (1.14 करोड़ रुपये) और ऊर्जा की अतिरिक्त बिक्री (40 लाख रुपये) से 1.54 करोड़ रुपये के वार्षिक आवर्ती लाभ का उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार और भारत सरकार ने क्रमश: मई 2000 और जुलाई 2001 में 2-2 करोड़ रुपये (4 करोड़ रुपये) अवमुक्त कर दिये।

प्रणाली को सम्पुष्ट नहीं किया जा सका क्योंकि उक्त प्रयोजन हेतु प्राप्त 4 करोड़ रुपये के अनुदान के विरूद्ध पूर्व में कराये गये कार्यों को समायोजित कर दिया गया।

सम्प्रेक्षण में देखा गया कि लेसा ने 1998-99 और 2000-01 तक की अवधि में कराये गये विभिन्न कार्यों को अनियमित रूप से योजना में जोड़ दिया। पुन:, इसने अनुदान अवमुक्त हो जाने के पश्चात् कोई कार्य सम्पादित नहीं कराया और 3.87 करोड़ रुपये की लागत वाले पूर्व में ही निष्पादित कार्यों (परिशिष्ट-26) को योजना के अन्तर्गत निष्पादित किया गया दिखाने वाला असत्य प्रमाण पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया। 3.38 करोड़ रुपये (7.38 करोड़ रुपये - 4 करोड़ रुपये) की शेष निधि प्राप्त नहीं की जा सकी और योजना 2002-03 से बन्द कर दी गयी।

अत:, कार्यों के वास्तविक निष्पादन का समर्थन करने वाले पुष्ट साक्ष्यों के अभाव में योजना के विरूद्ध सूचित की गयी कार्य की प्रगति शंकास्पद हो गयी। योजना के अनुचित क्रियान्वयन और शेष अनुदान के प्राप्त न होने के कारण योजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका और 2001-02 में क्षेत्र की वितरण हानियाँ 28 प्रतिशत से बढ़ कर 34 प्रतिशत हो गयीं।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि पूर्व में ही निष्पादित कार्यों का योजना में समामेलन जिलाधिकारी, लखनऊ की अनुमति से किया गया था और भौतिक सत्यापन मण्डलीय उद्योग समिति द्वारा किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा बनायी और अनुमोदित की गयी योजना पूर्व में ही निष्पादित कार्यों के समामेलन का प्रावधान नहीं करती थी। पुन: प्रबन्धन ने पूर्व में ही निष्पादित कार्यों के समामेलन हेतु जिलाधिकारी की सहमति और मण्डलीय उद्योग समिति की भौतिक सत्यापन आख्या की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की।

प्रणाली सुधार कार्यों की मन्थर प्रगति

केबल बिछाने का कार्य

2.2.12 जैसा कि प्रस्तर 2.2.5 में उल्लिखित है, लेसा की वितरण प्रणाली में लम्बे समय से असंगति थी। प्रणाली को उच्चीकृत करने और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से परामर्शदाता की संस्तुतियों के प्रथम चरण में सम्मिलित कार्यों को, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर पुनर्निर्माण परियोजना के अन्तर्गत, विलम्बत: 2001-02 में प्रारम्भ किया गया। परियोजना के अन्तर्गत, लेसा में प्रणाली सुधार कार्यों हेतु 104 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना में शिरोपरि लाइनों का

भूमिगत लाइनों में परिवर्तन, उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि और उपभोक्ता के परिसर में इलेक्ट्रानिक मीटरों की अवस्थापना सम्मिलित थी।

सम्प्रेक्षण में देखा गया कि सामग्री की अधिप्राप्ति और कार्यों का निष्पादन साथ-साथ प्रारम्भ नहीं किया गया और न ही कार्य की प्रगति का निकट से अनुश्रवण किया गया। कार्य-संविदाओं को अन्तिम रूप देने में विश्व बैंक के दिशा-निर्देशों का भी, उसकी मूल भावना के अनुरूप, पालन नहीं किया गया।

कम्पनी ने 803 किमी0 भूमिगत केबलों को बिछाने के लिये 30.98 करोड़ रुपये के 1061 किमी0 एक्स0एल0पी0ई0 केबल की अधिप्राप्ति की (जनवरी से जुलाई 2002)। केबल की अधिप्राप्ति से पूर्व केबल बिछाने की कार्य-योजना नहीं बनायी गयी। 432 किमी0 हेतु कार्य ठेकेदार को दे दिया गया (दिसम्बर 2001 से मई 2002)। पुनः, मार्च 2003 तक 161 किमी0 के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 13.56 किमी0 (8.4 प्रतिशत) केबल बिछाने का कार्य ही पूर्ण हो पाया (मार्च 2003)। कार्यों की धीमी प्रगति का कारण दूसरे सम्बन्धित कार्यों जैसे वितरण परिवर्तकों का केबल से संयोजन और उपभोक्ताओं को संयोजन देने हेतु वितरण स्तम्भों का अवस्थापन जैसे कार्यों का ठेका न दिया जाना था।

इस प्रकार, अनुपयुक्त नियोजन और केबल बिछाने के कार्य की धीमी प्रगति के कारण प्रणाली सुधार योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका। पुनः, इसके परिणामस्वरूप मार्च 2003 तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 3.10 करोड़ रुपये की परिहार्य भण्डार-वहन लागत सहनी पड़ी।

इलेक्ट्रानिक मीटरों की अवस्थापना

2.2.13 मीटर विहीन उपभोक्ताओं की तदर्थ बिलिंग तथा मीटरों के धीमे/त्रुटिपूर्ण ढंग से चलने इत्यादि से होने वाली ऊर्जा की हानि के प्रकरणों को कम करने के लिये ऊर्जा-क्षेत्र की पुनर्निर्माण परियोजना ने शत-प्रतिशत इलेक्ट्रानिक मीटरों की अवस्थापना की परिकल्पना की थी। 4.28 लाख मीटरों की अवस्थापना के लक्ष्य के विरूद्ध मार्च 2003 के अन्त तक लेसा मात्र 1.76 लाख मीटरों की अवस्थापना ही कर सका जिनसे ऊर्जा की हानि को घटाने का उद्देश्य ही विफल हो गया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि धीमी प्रगति का मुख्य कारण उपभोक्ताओं की अशान्ति और प्रतिरोध था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन, जिला प्रशासन की सहायता और जनता को इलेक्ट्रानिक मीटरों की महत्ता के विषय में शिक्षित कर, मीटर लगा सकता था।

बैंक के साथ लेन-देन में अनियमिततायें

2.2.14 वाणिज्यिक और राजस्व मैनुअल के प्रस्तर 6.9 (अध्याय-8) में उपबन्धित है कि वितरण खण्ड में नियुक्त सहायक अभियन्ता और खण्डीय लेखाकार (राजस्व) यह सुनिश्चित करेंगे कि वसूले गये राजस्व का लेखांकन कम्पनी की पुस्तकों और बैंक खातों में ठीक-ठीक कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु दृष्टिगोचर हुए:

बैंक समाशोधन विवरण का न बनाया जाना – प्राप्ति खाता

2.2.15 वितरण खण्ड में नियुक्त खण्डीय लेखाकार (राजस्व) द्वारा राजस्व कैश-बुक व बैंक पास-बुक के अनुसार अवशेषों के अन्तर, यदि कोई हों, का मिलान करने के लिये प्रत्येक माह एक बैंक समाशोधन विवरण बनाया जाना था। सात[1] विद्युत नगरीय वितरण खण्डों में मार्च 2003 के अन्त तक 6 से 24 महीनों का बैंक समाशोधन विवरण लम्बित था। बैंक समाशोधन विवरण के विलम्ब से बनाये जाने में धन के दुर्विनियोग और खाते में देरी से जमा होने इत्यादि का जोखिम था जिसकी चर्चा उत्तरवर्ती प्रस्तरों में की गयी है:

अनगदीकृत चेकें

2.2.16 रहीम नगर और ऐश बाग वितरण खण्डों द्वारा अक्टूबर 1995 से जून 2002 की अवधि में बैंकों में जमा की गयी 49.49 लाख रुपये की राशि की चेकें सितम्बर 2003 तक खाते में जमा हुए बिना पड़ी रहीं।

इन चेकों के विषय में खण्ड के पास कोई विवरण (जैसे उपभोक्ता का नाम, चेक नम्बर और दिनांक, प्रत्येक चेक की धनराशि बैंक में जमा किये जाने की तिथि इत्यादि) नहीं था। परिणामस्वरूप, न तो सम्बन्धित उपभोक्ताओं के खातों को डेबिट किया गया और न ही उनसे अब तक अनगदीकृत चेकों की धनराशि वसूल की गयी (सितम्बर 2003)। यह समस्त चेक पुराने हो गये हैं। सम्प्रेक्षण में पाया गया कि लेसा ने इस धनराशि को प्राप्त करने हेतु आवश्यक विवरणों को पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया।

बैंक खातों में असमाशोधित अन्तर

2.2.17 लेसा के खातों में 84 लाख रुपये के राजस्व का लेखांकन नहीं किया गया था जिसके लिए सितम्बर 2003 तक किसी उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया।

- तीन[2] खण्डों के बैंक स्टेटमेन्ट से बैंक खातों में (मई 1998 से जून 1999) 59.14 लाख रुपये के असमाशोधित अन्तरों का पता चला। ये अन्तर सितम्बर 2003 तक मिलान/लेखांकन के बिना पड़े थे।
- पुनः, इन्दिरा नगर में जून 2001 के बैंक समाशोधन विवरण के माध्यम से मई से दिसम्बर 2000 तक किये गये धन के प्रेषण में 13.32 लाख रुपये की कमी दृष्टिगोचर हुई किन्तु दो वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी इन धन-प्रेषणों के विवरण का पता नहीं लगाया गया।
- विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, हुसैनगंज उपभोक्ताओं से प्राप्त चेकों/नकद को जमा करने के लिये, पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज में एक चालू खाता परिचालित कर रहा था। खण्ड ने, बिलों को तैयार करने, भुगतान प्राप्त करने और उसे बैंक में जमा करने के लिये कम्प्यूट्रानिक्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ के साथ एक अनुबन्ध निष्पादित किया। उक्त फर्म से प्रत्येक मास के अन्त में बैंक समाशोधन विवरण

1 ई.यू.डी.डी. (ऐशबाग, हुसैनगंज, रेजीडेंसी, गोमतीनगर, रहीमनगर, अलीगंज और इन्दिरानगर)।

2 इन्दिरानगर, हुसैनगंज और रहीमनगर।

तैयार करना भी अपेक्षित था। सम्प्रेक्षण में देखा गया कि फर्म द्वारा अप्रैल 2002 में बनाये गये अन्तिम बैंक समाशोधन विवरण में, अक्टूबर 1999 से अप्रैल 2002 की अवधि में लेसा के खाते में जमा न किये गये 11.54 लाख रुपये के नगद/चेकों को इंगित किया गया था। दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु, फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण और अभिलेखों से, सितम्बर 2003 तक इन विषमताओं की पड़ताल नहीं की गयी जो दुर्विनियोग के जोखिम से भरा था।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि मिलान की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 18 महीने से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद बैंक खाते में जमा न किये गये चेक/नकद के कारण हुई कमी की वसूली/मिलान हेतु फर्म के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अनादृत चेक

2.2.18 वाणिज्यिक एवं राजस्व मैनुअल का प्रस्तर 6.8 (अध्याय-8) उपबन्धित करता है कि उपभोक्ताओं, जिनके चेक अनादृत हो गये हों, को तुरन्त सूचित किया जाना चाहिये ताकि अनादृत चेकों के विरूद्ध उनके द्वारा भुगतान किया जा सके। छः[1] विद्युत नगरीय वितरण खण्डों में, अक्टूबर 1998 से अगस्त 2002 की अवधि में, 167 उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गये 44.24 लाख रुपये की राशि के चेक बैंकों द्वारा अनादृत कर दिये गये।

सम्बन्धित उपभोक्ताओं से न तो धनराशि की वसूली की गयी और न ही उनके खातों को डेबिट किया गया जिसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2003 तक उक्त धनराशि बिना वसूली के पड़ी रही। विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, हुसैनगंज और गोमती नगर ने, 97 दूसरे उपभोक्ताओं के अनादृत चेकों को, बैंक द्वारा क्लियरिंग के लिये पुनः प्रस्तुत किया किन्तु 7 दिनों से अधिक होने वाले विलम्ब के लिये, चूक करने वाले उपभोक्ताओं से विलम्बित भुगतान अधिभार (2.73 लाख रुपये) नहीं वसूला गया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि सम्प्रेक्षण के आग्रह पर उपभोक्ताओं के लेखाओं को डेबिट कर दिया गया है किन्तु उपभोक्ताओं के विरूद्ध विलम्ब से डेबिट करने के लिये किसी उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया और अनादृत चेकों को पुनः प्रस्तुत करने के कारण, विलम्बित भुगतान अधिभार भी नहीं आरोपित किया गया।

वाणिज्यिक निष्पादन

2.2.19 ऊर्जा की बिक्री के विरूद्ध शीघ्र और शुद्ध बिलिंग राजस्व की वसूली का सार-तत्व है। इसके लिये नये संयोजनों को शीघ्रतापूर्ण जारी और नवीकरण करना, शुद्ध मापन, उचित दर-अनुसूची के अन्तर्गत बिलिंग, राजस्व की शीघ्रतापूर्ण वसूली, चूक के मामलों में आपूर्ति को विच्छेदित करना, माँग पत्र जारी करना, वसूली प्रमाण पत्र जारी करना और उनकी वसूली का अनुश्रवण करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निम्न विसंगतियाँ पायी गयीं:

[1] रेजीडेंसी, अलीगंज, ऐशबाग, इन्दिरानगर, हुसैनगंज और चौक।

उपभोक्ताओं का अनियत उपभोग प्रतिमान

2.2.20 लेसा के पास 1998-99 के प्रारम्भ में 3.42 लाख उपभोक्ता थे जो 2002-03 के अन्त तक बढ़ कर 4.75 लाख हो गये। उनका संयोजित भार भी इस अवधि में 613.854 के0डब्ल्यू0 से बढ़कर 978.326 के0डब्ल्यू0 हो गया। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिदिन प्रति के0डब्ल्यू0 उपभोग को समान प्राचल पर लाकर किये गये विश्लेषण ने अनियत उपभोग प्रतिमान को इंगित किया। घरेलू बिजली और पंखा, वाणिज्यिक बिजली और पंखा और औद्योगिक बड़े व भारी उपभोक्ताओं इत्यादि के 6.6, 11 और 16.5 यूनिटों के प्रतिदिन औसत उपभोग (भार-गुणक और आपूर्ति घण्टों के आधार पर निकाला गया) के विरूद्ध अंकित किया गया उपभोग अत्यधिक कम और 4.2 से 4.6 यूनिट (घरेलू) 3.6 से 4.3 यूनिट (वाणिज्यिक) और 3 से 6.2 यूनिट (औद्योगिक और बड़े व भारी) तक विस्तारित था।

पुनः, मीटरविहीन श्रेणी की अपेक्षा मीटरयुक्त श्रेणी का प्रतिदिन प्रति के0डब्ल्यू0 उपभोग सदैव अपेक्षाकृत कम था। शासकीय उपभोक्ताओं की अपेक्षा अशासकीय उपभोक्ताओं का उपभोग भी अपेक्षाकृत कम था। इसी प्रकार, मीटरविहीन स्ट्रीट लाइट उपभोक्ताओं ने 2001-02 की अवधि में 13.6 यूनिटों का, समस्त श्रेणियों में सर्वोच्च, उपभोग दर्शाया। ऐसा वास्तविक की अपेक्षा बेहतर स्थिति दिखाने के लिये उपभोग के मानक की तुलना में ऊर्जा के अधिक लेखांकन के कारण था। उपभोग प्रतिमान का विश्लेषण ऊर्जा के रिसाव से सम्बन्ध को इंगित करता है क्योंकि वाणिज्यिक बिजली और पंखा के उपभोक्ताओं के प्रकरण में अपेक्षित 11 यूनिटों के विरूद्ध वास्तविक उपभोग 3.6 और 4.3 यूनिट के मध्य विस्तारित था और औद्योगिक तथा बड़े व भारी उपभोक्ताओं के प्रकरण में अपेक्षित 16.5 यूनिटों के विरूद्ध वास्तविक उपभोग 3 और 6.2 यूनिटों के मध्य विस्तारित था। श्रेणीवार और वर्षवार ऊर्जा का उपभोग परिशिष्ट-27 में दिया गया है।

बिलिंग में अनियमितताऐं

कम्पनी 12.82 करोड़ रुपये की वसूली नहीं कर सकी क्योंकि या तो यह निर्धारण करने में असफल रही अथवा विलम्बित निर्धारण किया।

2.2.21 लेसा, उपभोक्ताओं का बिल उनके परिसर में स्थापित मीटरों में अंकित ऊर्जा के उपभोग के आधार पर बनाता है। उत्तर प्रदेश ऊर्जा नियामक आयोग प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये समय-समय पर बिलिंग की दर निर्धारित करता है। कम्पनी ने शुद्ध और समयबद्ध ऊर्जा बिलों का निर्गमन सुनिश्चित करने और बड़े व भारी पावर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षा धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं और आदेशों के संकलन वाला वाणिज्यिक और राजस्व मैनुअल भी जारी किया है। अभिलेखों की जाँच से स्पष्ट हुआ कि कम्पनी ने विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जो विलम्बित बहीकरण तथा कुल 12.82 करोड़ रुपयों के ऊर्जा मूल्य और अतिरिक्त सुरक्षा धनराशि के अल्प निर्धारण के रूप में परिणामित हुआ जिसका विवरण निम्नवत् है:

क्रम सं0	अनियमितताऐं	खण्ड का नाम ई.यू.डी.डी./ई.डी.डी.	उपभोक्ता का नाम, निहित धनराशि और निर्धारण की अवधि	सम्प्रेक्षा का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नये संयोजनों के बहीकरण व बिलिंग में देरी	ऐशबाग, आलमबाग, गोमती नगर, हुसैनगंज, रेजीडेंसी और रहीम नगर	जुलाई 1999 से दिसम्बर 2002 की अवधि में जारी किये गये 926 नये संयोजनों (घरेलू/अघरेलू) का बहीकरण दो महीनों की निर्धारित अवधि में नहीं किया गया।	2 से 42 महीनों का विलम्बित बहीकरण 42.58 लाख रूपये की आय के विलम्बित अर्जन के रूप में परिणामित हुआ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	दर-अनुसूची का अशुद्ध प्रयोग	ऐशबाग और हुसैनगंज	तीन उपभोक्ता एल.एम.वी.-2 दर-अनुसूची के बजाय एल. एम.वी.-1 दर-अनुसूची के अंतर्गत बिल किये गये जिसके परिणामस्वरूप अल्प निर्धारण हुआ: (i) अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन: 3.24 करोड़ रूपये (अप्रैल 1998 से जुलाई 2000) (ii) उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड: 59 लाख रूपये (जनवरी 1996 से जुलाई 2000) (iii) राजकीय मुद्रणालय: 27.10 लाख रूपये (अप्रैल 1998 से अगस्त 2000)	दर-अनुसूची का अशुद्ध प्रयोग 4.10 करोड़ रूपये के ऊर्जा मूल्य के अल्प निर्धारण के रूप में परिणामित हुआ।
3.	न्यूनतम उपभोग प्रत्याभूति और डिमांड चार्जेज का अल्प निर्धारण	आलमबाग, गोमती नगर और रहीम नगर	दो उपभोक्ताओं की न्यूनतम उपभोग प्रत्याभूति स्वीकृत भार के बजाय निर्गत भार पर अल्प निर्धारित की गई: (i) बेनेट कोलमैन कम्पनी (टाइम्स आफ इण्डिया): अवधि मई 2002 से जनवरी 2003 तक, अवमुक्त भार 1430 के. वी.ए. और निर्गत भार 910 के.वी.ए. (ii) नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च: अवमुक्त भार 550 के.वी.ए. स्वीकृत भार 800 के.वी.ए. अवधि दिसम्बर 1998 से जूलाई 2000 (iii) 38 छोटे और मध्यम श्रेणी के पावर उपभोक्ताओं की न्यूनतम उपभोग प्रत्याभूति 405 रू0/वी.एच.पी./मास के बजाय 300 रू0/वी.एच.पी./मास पर और डिमांड चार्जेज 90 रू0 पर वी.एच.पी./मास के बजाय 45 रू0/वी.एच.पी. /मास पर बिल किये गये	उपभोक्ताओं के विरूद्ध न्यूनतम उपभोग प्रत्याभूति और डिमांड चार्जेज की अल्प बिलिंग 51.94 लाख रूपये के न्यून निर्धारण के रूप में परिणामित हुई।
4.	उपभोक्ताओं के मापन उपस्करों के अनुपयुक्त करेंट ट्रांसफार्मरों (सी.टी.) को परिवर्तित न किया जाना	हुसैनगंज व रेजीडेंसी	(i) सागर होटल (भार 340 के.वी.ए.) के मापन उपस्कर में आवश्यक सी.टी. (50/5 ए.) के विरूद्ध उच्च क्षमता की सी.टी. (150/5 ए.) स्थापित की गयी जो 51 लाख रूपये के अल्प निर्धारण के रूप में परिणामित हुई (अक्टूबर 2000 से दिसम्बर 2002) (ii) मोहन होटल (भार 250 के. डब्ल्यू.) के मापन उपस्कर में आवश्यक सी.टी. (200/5 ए.) के स्थान पर उच्चतर सी.टी. (400/5 ए.) स्थापित की गई जो 6.53 लाख रूपये के अल्प निर्धारण में परिणामित हुई (जूलाई 1999 से अगस्त 2001)	असंगत सी.टी. स्थापित करने के कारण उपभोक्ताओं के मीटरों ने अल्प उपभोग अंकित किया जिसके कारण 57.53 लाख रूपये का अल्प निर्धारण हुआ।
5.	प्रोटेक्टिव लोड चार्जेज का न लिया जाना	गोमतीनगर	खण्ड ने टेल्को (भार 4000 के.वी.ए.) के साथ 500 के. वी.ए. के प्रोटेक्टिव लोड हेतु एक अनुबंध निष्पादित किया। दर-अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता पर प्रोटेक्टिव लोड चार्जेज के भुगतान का दायित्व था किन्तु उसको सितम्बर 2001 से जनवरी 2003 की अवधि में बिल नहीं किया गया।	प्रोटेक्टिव लोड चार्जेज के न लिये जाने के परिणामस्वरूप 12.39 लाख रूपये की अल्प बिलिंग हुई।
6.	क्षतिग्रस्त ऊर्जा मीटरों के प्रकरण में अल्प निर्धारण	ऐशबाग, हुसैनगंज, इन्दिरानगर, रेजीडेंसी और रहीमनगर	यदि यह पाया गया कि उपभोक्ता का मीटर धीमा चल रहा था या क्षतिग्रस्त/जला हुआ था और यदि चेक मीटर स्थापित नहीं था, निर्धारण पूर्ववर्ती तीन महीनों, जब मीटर ठीक अंकन कर रहा था, के औसत उपभोग के आधार पर किया जाना था। यदि नये संयोजन के कारण पूर्ववर्ती लगातार तीन महीनों का उपभोग उपलब्ध न हो तो मीटर स्थापन के पश्चात् तीन महीनों के उपभोग के आधार पर निर्धारण होना था। पाँच[1] उपभोक्ताओं का मीटर क्षतिग्रस्त पाया गया किन्तु कोई निर्धारण नहीं किया गया।	क्षतिग्रस्त मीटरों के मामले में विहित प्रक्रिया का पालन न करने से 19.27 लाख रूपये का अल्प निर्धारण हुआ।
7.	उपभोक्ताओं को अतिरिक्त छूट दिया जाना।	रहीमनगर	चार[2] उपभोक्ताओं को 11 के.वी. वोल्टेज पर आपूर्ति दी गई और उन्हें देय 5 प्रतिशत के स्थान पर 7.5 प्रतिशत की दर से छूट दी गई।	सही दर-अनुसूची प्रावधानों का अनुपालन न करने से चार उपभोक्ताओं को 24.46 लाख रूपये की अतिरिक्त छूट दी गई।

[1] स्टील ऐलाइड, रूक्मिणी कोल्ड स्टोरेज, चरण होटल, डी.आर.एम., उत्तर रेलवे और एच.ए.एल.।

[2] संजय गाँधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान, चीफ एरिया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, भारत पेट्रोलियम, रीजनल स्पेस ऐप्लिकेशन सेन्टर और डायरेक्टर, इस्ट्रीच ग्राउण्ड स्टेशन।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	विद्युत शुल्क का नहीं/कम लिया जाना।	चौक, अलीगंज, रहीमनगर एवं हुसैनगंज	राज्य सरकार की अधिसूचना (जुलाई 1971) के अनुसार विद्युत शुल्क केन्द्र/राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा देय है	चार वितरण खण्डों ने जनवरी 1997 से फरवरी 2003 की अवधि हेतु 22.83 लाख रूपये के विद्युत शुल्क को उद्गृहीत नहीं किया।
9.	अतिरिक्त सुरक्षा राशि का नहीं/कम लिया जाना।	गोमतीनगर, रहीमनगर, इन्दिरानगर और आलमबाग	12 बड़े और भारी उपभोक्ताओं के मामले में 6.41 करोड़ रूपये की अतिरिक्त सुरक्षा राशि को उद्गृहीत नहीं किया गया (परिशिष्ट-28)	4 खण्डों ने 6.41 करोड़ रूपये की अतिरिक्त सुरक्षा राशि को उद्गृहीत नहीं किया।
	योग			12.82 करोड़ रूपये

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि सम्प्रेक्षण द्वारा इंगित किये जाने पर उपभोक्ताओं के विरूद्ध बिल जारी किये गये है। किन्तु न तो वसूली की गयी और न ही बिलों के जारी करने में देरी/न जारी करने हेतु किसी उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया।

आनलाइन बिलिंग प्रणाली

2.2.22 बिलों के भुगतान में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने, राजस्व की शीघ्रतापूर्ण वसूली करने और केन्द्रीय सर्वर के साथ एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) का सृजन करने के उद्देश्य से, लेसा में अगस्त 2001 से आन लाइन बिलिंग प्रणाली प्रारम्भ की गयी। प्रणाली के अधीन तीन नियंत्रण प्रतिवेदन अर्थात नियमित प्रतिवेदन एम0आई0एस0 प्रतिवेदन और तदर्थ प्रतिवेदन उत्पन्न किये जाने थे। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु दृष्टिगोचर हुए:

- क्रियान्वयन खण्डों (वितरण खण्डों) ने नियंत्रण प्रतिवेदनों की हार्ड/साफ्ट कापी उत्पन्न नहीं की।
- स्पाट बिलिंग से आन लाइन बिलिंग को अन्तरित किये गये आँकड़ों की शुद्धता का सत्यापन नहीं किया गया।
- विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, इन्दिरा नगर में फरवरी 2002 से आन लाइन बिलिंग प्रारम्भ की गयी। जनवरी, फरवरी और मार्च 2002 के वाणिज्यिक विवरण-3 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वहाँ जनवरी 2002 में 9.99 करोड़ रुपये के बकायों के साथ एल0एम0वी0-2 के 4,904 उपभोक्ता थे किन्तु मार्च 2002 के अन्त में मात्र 4,483 उपभोक्ता 8.33 करोड़ रुपये के बकायों के साथ बिल किये जा रहे थे। यह दर्शाता है कि हो सकता है 1.66 करोड़ रुपये के बकाया वाले 421 उपभोक्ताओं के लेखों का अब तक (सितम्बर 2003) आन लाइन बिलिंग प्रणाली में अन्तरण न किया गया हो। इसी प्रकार विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, ऐशबाग में 3.12 लाख रुपये के बकाया वाले 44 उपभोक्ताओं के लेखाओं का आन लाइन बिलिंग प्रणाली में अन्तरण नहीं किया गया। यह बाद में इन उपभोक्ताओं की बिलिंग न किये जाने के रूप में परिणामित हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि मामले की गहन जाँच की जायेगी और प्रणाली की कमी को दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

राजस्व की वसूली

2.2.23 निम्न सारिणी 2002-03 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों की अवधि में राजस्व के निर्धारण, वसूली और बकायों को इंगित करती है:

(करोड़ रूपये में)

विवरण	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
वर्ष के प्रारम्भ मे बकाया	269.35	329.51	407.03	450.30	535.69
वर्ष के दौरान निर्धारण	294.89	356.93	409.50	436.98	489.94
वसूली के लिए शेष कुल धनराशि	564.24	686.45	816.53	887.28	1025.63
वर्ष के दौरान वसूली गई धनराशि	234.73	279.42	366.24	351.59	400.14
कुल अवशेष	329.51	407.03	450.29	535.69	625.49
वसूली हेतु धनराशि के सापेक्ष वसूली का प्रतिशत	42	41	45	40	39

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षण द्वारा निम्न बिन्दु अवलोकित किये गये:

- 2002-03 के अन्त तक 625.49 करोड़ रुपये के बकायों के विरूद्ध लेखाओं में दर्शायी गयी राशि 661.96 करोड़ रुपये थी। 36.47 करोड़ रुपये के अन्तर का मिलान नहीं किया गया।
- वाणिज्यिक विवरण ने 2002-03 के अन्त तक 625.49 करोड़ रुपये के वास्तविक बकायों के विरूद्ध 392.17 करोड़ रुपये के बकाया को दर्शाया। 233.32 करोड़ रुपये के अन्तर का कारण 1999-2000 से 2002-03 की अवधि के वाणिज्यिक विवरण में त्रुटिपूर्ण आदि शेष का लिया जाना था।
- राजस्व की वसूली, वसूली योग्य राजस्व के आधे से कम और 2002-03 के अन्त तक पिछले पाँच वर्षों में 39 और 45 प्रतिशत के मध्य विस्तारित थी। वर्ष 1998-99 के प्रारम्भ में 269.35 करोड़ की अवशेष राशि 132.22 प्रतिशत की वृद्धि दर को अंकित करते हुए वर्ष 2002-03 के अन्त में बढ़कर 625.49 करोड़ रुपये हो गयी। पुनः राजस्व वसूली की पश्चगामी प्रवृति, बकायों की उल्लेखनीय वृद्धि में परिणामित हुई जो वर्ष 1998-99 में 329.51 करोड़ रुपये से बढ़कर 90 प्रतिशत की वृद्धि अंकित करते हुए वर्ष 2002-03 में 625.49 करोड़ रुपये हो गयी। पुराने बकायों की वसूली को अधिमानता और प्रमुखता देने के लिये कालानुसार बकायों का विवरण आवश्यक है किन्तु लेसा द्वारा उसे नहीं बनाया गया जिसके परिणामस्वरूप सम्प्रेक्षण द्वारा पुराने और नये देयों के विरूद्ध संकलन की दक्षता का आंकलन नहीं किया जा सका।

बकायों में तीव्र वृद्धि का कारण जैसा कि सम्प्रेक्षण के विश्लेषण में स्पष्ट हुआ, यह था कि लेसा राजस्व वसूली की योजना बनाने, प्रबन्धन करने और अनुश्रवण करने में विफल रहा जिसकी चर्चा निम्न में की गयी है:

देयों की वसूली हेतु अपर्याप्त कार्यवाही

वसूली की अपर्याप्त कार्यवाही के कारण 625.49 करोड़ रुपये का बकाया एकत्रित हो गया।

2.2.24 भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 24 प्राविधानित करती है कि यदि विद्युत बिल का भुगतान देय तिथि के अन्दर न किया जाय तो देय तिथि के 7 दिनों के बाद उपभोक्ता विच्छेदन का अधिकारी हो जायेगा। चूक होने पर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग्स (ड्यूस रिकवरी) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अन्तर्गत एक

मांग सूचना निर्गत की जाती है जिसमें भुगतान हेतु 30 दिनों की अवधि प्रदान की जाती है। तत्पश्चात् बकाया को भू-राजस्व की भाँति वसूल करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत जिला अधिकारी को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। सम्प्रेक्षण में देखा गया कि 7 दिनों के पश्चात् आपूर्ति को कभी विच्छेदित नहीं किया गया जिसने उपभोक्ताओं को लगातार लम्बे समय तक भुगतान के बिना ऊर्जा के उपभोग में सहायता प्रदान की जिसके परिणामस्वरूप बकायों का संचयन हुआ।

पुनः, विश्लेषण ने स्पष्ट किया कि धारा 3 (माँग सूचना) और धारा 5 (वसूली प्रमाण पत्र) के विरूद्ध वसूली अत्यन्त खराब थी जैसा कि नीचे दिया गया है:

- मार्च 2003 के अन्त तक 625.49 करोड़ रुपये के देयों के विरूद्ध 85.20 करोड़ रुपये के देयों की मांग सूचना (13.62 प्रतिशत) जारी की गयी।
- 85.20 करोड़ रुपये के देयों हेतु निर्गत की गई 15,882 अदद मांग सूचना के विरूद्ध मार्च 2003 के अन्त तक वसूली 10.69 करोड़ रुपये (0.13 प्रतिशत) थी।
- 2002-03 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि में वसूली प्रमाण पत्र के विरूद्ध 37.59 लाख रुपये (140 वसूली प्रमाण पत्र) की वसूली हुई जो कि कुल वसूली प्रमाण पत्र की 32.97 करोड़ रुपये की धनराशि का 1.15 प्रतिशत थी।
- 31 मार्च 2003 तक वसूली हेतु प्रेषित 32.97 करोड़ रुपये के 2,925 वसूली प्रमाण पत्रों के विरूद्ध जिलाधिकारी द्वारा मात्र 1.23 करोड़ रुपये के 2,103 वसूली प्रमाण पत्रों की पावती दी गयी। शेष 31.74 करोड़ रुपये के 822 वसूली प्रमाण पत्रों का मिलान नहीं किया गया।
- 5.35 करोड़ रुपये के 1095 वसूली प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा उपभोक्ता मिलने योग्य नहीं, त्रुटिपूर्ण नाम व पता इत्यादि जैसी टिप्पणी के साथ वापस किये गये किन्तु इन्हें सुधार के पश्चात् जिलाधिकारी को वापस नहीं किया गया। परिणामस्वरूप इन प्रमाण पत्रों के विरूद्ध वसूली की सम्भावना क्षीण है (परिशिष्ट-29)।

अनावश्यक पक्षपात् ने देयों के संचयन में सहायता की

2.2.25 विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, हुसैनगंज ने 10 अतिविशिष्ट उपभोक्ताओं (पूर्व मंत्रियों, राजनीतिज्ञों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों) को, जुलाई 2002 तक उनके विरूद्ध काफी समय से पड़े (लेसा द्वारा अवधि नहीं बतायी गयी) 69.88 लाख रुपये के वृहत देयों के बावजूद, विद्युत का उपभोग अनुमत किया। उनके संयोजनों को जुलाई 2002 में विच्छेदित किया गया किन्तु 8.73 लाख रुपये की मात्र 8 से 10 प्रतिशत वसूली के पश्चात् पुनः संयोजित कर दिया गया।

साथ ही, पुनः संयोजन के पश्चात् उन्होंने अपने मासिक बिलों का भुगतान नहीं किया जिससे उनके विरूद्ध अगस्त 2003 तक 79.07 लाख रुपये के देय एकत्रित हो गये। इस प्रकार इन अतिविशिष्ट उपभोक्ताओं के साथ किये गये अनावश्यक पक्षपात के कारण 79 लाख रुपये के देय अब तक (सितम्बर 2003) अप्राप्य है।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि संयोजन मुख्यमंत्री/कम्पनी मुख्यालय से दूरभाष पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार पुनर्संयोजित किये गये।

2.2.26 विद्युत वितरण खण्ड, रहीम नगर ने लखनऊ ऐलायज लिमिटेड, लखनऊ (भार:5040 के0वी0ए0) से, अगस्त 2000 से मई 2002 तक मासिक बिलों के विरूद्ध 17 प्रतिशत कम भुगतान स्वीकार किया जिससे मई 2002 के अन्त तक (6.37 लाख रुपये के विलम्बित भुगतान अधिभार को सम्मिलित करते हुए) 48.33 लाख रुपये का बकाया संचित हो गया। उपभोक्ता ने इसके विरूद्व सितम्बर/अक्टूबर 2002 में 5 लाख रुपये का भुगतान किया। उपभोक्ता का संयोजन विलम्बत: फरवरी 2003 में विच्छेदित कर दिया गया जिससे जनवरी 2003 तक 47.55 लाख रुपये के बकायों के संचयन को सहायता मिली। उक्त धनराशि सितम्बर 2003 तक एकत्र नहीं की जा सकी।

सामग्री की अधिप्राप्ति

2.2.27 लाइनों और उपकेन्द्रों की दिन-प्रतिदिन की मरम्मत और प्रणाली सुधार कार्यों सहित दूसरे कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री की अधिप्राप्ति की आवश्यकता होती है। केन्द्रीयकृत मदों (खम्भे, चालक, परिवर्तक, कलैम्प, केबल, इन्सूलेटर, एंगल इत्यादि) की अधिप्राप्ति कम्पनी के विद्युत भण्डार क्रय मण्डल द्वारा की जाती है और अकेन्द्रीकृत मदों (ज्वाइन्टिंग किट्स, पी0वी0सी0 केबल्स, ओ0सी0बी0 स्पेयर्स, फ्यूज वायर इत्यादि) की अधिप्राप्ति विभिन्न समितियों जैसे अधिशासी अभियन्ता समिति, उप-महाप्रबन्धक समिति और मुख्य महाप्रबन्धक समिति द्वारा की जाती है। वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग-v के परिशिष्ट-XIX के प्रस्तर-11 और 31 उपबन्धित करते है कि सामग्री क्रय करने के लिये निविदा स्वीकार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि दरें, प्रचलित बाजार दरों की सहवर्ती है।

यह देखा गया कि लेसा ने अकेन्द्रीकृत मदों की अधिप्राप्ति के लिये मुख्य महाप्रबन्धक/उप-महाप्रबन्धक समिति स्तर पर प्रबन्ध नहीं किया ताकि दरों में समानता लायी जा सके। परिणामस्वरूप, एक ही मद को विभिन्न खण्डों द्वारा विभिन्न दरों पर अधिप्राप्त किया गया जो 30.34 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय के रूप में परिणामित हुआ जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

केबल का क्रय

2.2.28 मुख्य महाप्रबन्धक ने 77 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न मापों के 15 किमी0 केबल की आपूर्ति के लिए मेसर्स डेक्को इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) दिल्ली को निविदा के माध्यम से एक आदेश प्रस्तुत करते हुए (नवम्बर 2000) एल टी आर्मर्ड एक्स0एल0पी0ई0 केबल की अधिप्राप्ति की। यह देखा गया कि मुख्य आपूर्तिकर्ता से न तो तात्कालिक दर-सूची प्राप्त की गयी और न ही निम्नतम उद्घृत दर की उपयुक्तता प्रचलित बाजार दर और साथ ही साथ लखनऊ स्थित कम्पनी की दूसरी इकाइयों द्वारा अधिप्राप्ति की दर के प्रकाश में, सुनिश्चित की गयी। विद्युत भण्डार क्रय मण्डल-II, लखनऊ ने उसी विशिष्टियों का केबल उसी अविध (नवम्बर 2000) में अपेक्षाकृत निम्न दर पर अधिप्राप्त किया। उच्च दर पर केबल के क्रय के परिणामस्वरूप 16.57 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसका विवरण निम्नवत् है:

केबल का आकार (वर्ग किमी.)	मात्रा (किमी. में)	दर जिस पर क्रय किया गया (प्रति किमी.)	ईएसपीसी II की दर (प्रति किमी.)	दरों में अन्तर (प्रति किमी.)	अतिशय व्यय (लाख रूपये में)
3½ x 120	1.5	2.23	1.60	0.63	0.95
3½ x 185	1.5	3.28	2.43	0.85	1.28
3½ x 240	6	4.21	3.25	0.96	5.76
3½ x 400	6	6.33	4.90	1.43	8.58
योग					16.57

इस सम्बन्ध में यह भी देखा गया कि उसी मद के लिये कम्पनी की निर्गमन दर में दी गयी दरें, जिसमें वर्ष 2000-01 के लिये विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत अधिप्राप्त मदों हेतु भण्डारण व पर्यवेक्षण शुल्क सम्मिलित था, क्रयादेश में अनुमत दर की अपेक्षा कम थीं।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि एल0टी0, एक्स0एल0पी0ई0 केबल, विद्युत भण्डार क्रय मण्डल-II द्वारा 2000-01 की अवधि में अधिप्राप्त नहीं किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विद्युत भण्डार क्रय मण्डल-II ने उसी केबल को विश्व बैंक की योजना के अन्तर्गत उसी माह में अपेक्षाकृत कम दर पर अधिप्राप्त किया था। पुन:, क्रयादेश देने से पूर्व निम्नतम निवेदित दर की उपयुक्तता भी सुनिश्चित नहीं की गयी।

एक्स0एल0पी0ई0/पी0आई0एल0सी0ए0 केबलों हेतु ज्वाइंटिंग किट्स का अपेक्षाकृत उच्च दर पर क्रय

2.2.29 विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड-प्रथम एवं तृतीय ने सितम्बर 2001 से मई 2002 की अवधि में एक्स0एल0पी0ई0/पी0आई0एल0सी0ए0 केबलों के लिये 29.39 लाख रुपये मूल्य की 33 के0वी0 ज्वाइन्टिंग किट्स की अधिप्राप्ति विभिन्न दरों पर की। दरों को अन्तिम रूप देते समय प्रथम निम्नतम और द्वितीय निम्नतम निविदादाताओं द्वारा उद्धृत दरों को इस आधार पर उपेक्षित कर दिया गया कि फर्मों ने अपनी किटों की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जबकि उसी फर्म ने उसी अवधि में वही किट विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, हुसैनगंज को आपूर्त की थी और उसके उत्पाद के विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसी प्रकार मुख्य महाप्रबन्धक, लेसा और विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, हुसैनगंज ने सितम्बर 2001 से मई 2002 की अवधि में उसी विशिष्टि की 17.67 लाख रुपये मूल्य की ज्वाइन्टिंग किट्स (11 के0वी0) की अधिप्राप्ति प्रचलित दर (1039 रूपये से 3900 रुपये प्रति) की अपेक्षा उच्चतर दर (2284 रुपये से 5800 रुपये) पर की थी। इसके परिणामस्वरूप 13.77 लाख रुपये का अतिशय व्यय (7.71 और 6.06 लाख रूपये) हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि ज्वाइन्टिंग किट्स की अधिप्राप्ति विभिन्न इकाइयों द्वारा उपयुक्त दरों पर की गयी थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि साथ की इकाइयों द्वारा इन मदों की अधिप्राप्ति उसी अवधि में अपेक्षाकृत निम्न दरों पर की गयी थी।

कार्यों का निष्पादन

2.2.30 वित्तीय हस्त-पुस्तिका/मैनुअल और आदेशों की हस्त-पुस्तिका के प्राविधानों के अनुसार समस्त विद्युत सम्बन्धी कार्यों के लिये क्षेत्रीय/मण्डलीय स्तर पर एक दर-सूची रखी जानी चाहिये। इन दरों को जब और जिस समय आवश्यक हो पुनरीक्षित करना चाहिये। दर-सूची के अन्तर्गत सम्मिलित न किये गये दूसरे कार्यों के लिये, प्रत्येक कार्य की दरों का एक विस्तृत विश्लेषण प्रत्येक आंकलन के साथ संलग्न किया जाना चाहिये जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्रस्तावित दर किस प्रकार प्राप्त की गयी है।

सम्प्रेक्षण में पाया गया कि उपयुक्त दरों पर संविदाओं का अन्तिमीकरण सुनिश्चित करने के लिये न तो विद्युतीय कार्यों के लिये दर-सूची का रखरखाव किया गया और न ही दरों का विस्तृत विश्लेषण बनाया गया। सम्प्रेक्षण में पायी गयी कमियों की चर्चा निम्न में की गयी है:

एल0टी0 केबल का भूमिगत अवस्थापन

2.2.31 ई0एस0पी0सी0-II, लखनऊ ने विश्व बैंक (आई0बी0आर0डी0) के पैकेज डब्ल्यू0बी0/आर0एस0डब्ल्यू0-21 के विरूद्व एक्स0एल0पी0ई0 केबल बिछाने के लिए दो लाटों में (लाट नं0 1 व 2) अलग-अलग निविदायें आमंत्रित की (जुलाई 2001)। दोनों लाटों के विरूद्व समस्त निविदायें 17 अगस्त 2001 को खोली गयीं। लाट नं0 1 (106 किमी0) के लिए 5.99 करोड़ रूपये की मात्र एक निविदा, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यू0पी0आर0एन0एन0) से प्राप्त हुई थी किन्तु उसे अननुक्रियात्मक और अत्यधिक पाया गया क्योंकि उसने कार्य के लिए अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया और उसके द्वारा उद्धृत लागत, आंकलित लागत (3.60 करोड़ रूपये) से 66 प्रतिशत उच्चतर थी। तदनुसार, विद्युत भण्डार क्रय मण्डल-II के उप महाप्रबंधक ने निविदा को निरस्त करने और नई निविदा आमंत्रित करने की अनुमति दे दी। किन्तु निरस्त करने के बजाय, अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसे बाद में अनुक्रियात्मक घोषित कर दिया गया। तथापि, उच्चतर लागत स्वीकार करने के परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आई0बी0आर0डी0) के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित औचित्य अभिलेखों में नहीं था। फलस्वरूप जब प्रकरण आई0बी0आर0डी0 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्तुत किया गया तो उसने यू0पी0आर0एन0एन0 को कार्य प्रदान करने पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि लागत-विश्लेषण में आंकलित लागत और निविदत्त लागत के मध्य अंतर (66 प्रतिशत उच्चतर) का विवरण नहीं था।

उपरोक्त के बावजूद, कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के निर्देश पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात कार्य यू0पी0आर0एन0एन0 को उसकी मूल लागत

अनुचित निर्णय और दरों की उपयुक्तता सुनिश्चित न किये जाने के कारण भूमिगत एल0टी0 केबल बिछाने का कार्य 93.28 लाख रुपये की अपेक्षाकृत उच्च लागत पर दिया गया।

5.99 करोड़ रूपये पर इस आधार पर दे दिया गया कि यदि निविदा निरस्त की जाती है तो पुनर्निविदाकरण प्रक्रिया 5 से 6 महीनों का समय ले लेगी और पहले से अधिप्राप्त किये गये केबल को वहन करने की लागत बिना किसी उपयोग के ब्याज-प्रभार को आमंत्रित करेगी। किन्तु यह देखा गया कि एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कार्य की प्रगति शून्य थी (सितम्बर 2003)। पुनः, इसी प्रकार के कार्यों (लाट नं0 2 के विरूद्व) के लिए, एस0टी0 इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दी गयी दर 4.75 लाख रूपये प्रति किमी0 थी जबकि यू0पी0आर0एन0एन0 को लाट नं0 1 हेतु दी गई दर 5.63 लाख रूपये प्रति किमी0 थी। यह भी संविदा को उच्चतर दर पर दिये जाने की पुष्टि करती है। अतः अनुचित निर्णय और दरों की उपयुक्तता सुनिश्चित न किये जाने के कारण कार्य को 93.28 लाख रूपये की उच्चतर लागत पर दिया गया और लेसा ने उसी सीमा तक हानि उठाई।

33/11 के0वी0 केबल का भूमिगत अवस्थापन

2.2.32 ई.यू.सी.डी.[1]-प्रथम ने केबल बिछाने के कार्य[2] के लिए इनकैब इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता से खुली निविदा के माध्यम से 48.81 लाख रुपये की निम्नतम दर प्राप्त की (जनवरी 2001)। जब प्रकरण मुख्य महाप्रबन्धक, लेसा कार्य समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने सबसे निम्नतम दर प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया (फरवरी 2001) क्योंकि केबल बिछाने की दर उसी कार्य के लिये विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय की दर की अपेक्षा उच्च थी। ठेकेदार द्वारा दी गयी 47.12 लाख रुपये की सबसे कम लागत समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गयी (जून 2001) और कार्य प्रदत्त कर दिया गया (जून 2001)। यद्यपि ठेकेदार को कार्य सबसे कम दर प्राप्त करने के पश्चात् प्रदत्त किया गया तथापि दर-विश्लेषण की अनुपस्थिति में उसका औचित्य सम्प्रेक्षण द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अनुमत दर उसी वर्ष (2001-02) के दौरान कम्पनी के विद्युत भण्डार क्रय मण्डल-II द्वारा उसी कार्य तथा उसी विशिष्टि हेतु दी गयी लखनऊ में प्रचलित दरों की अपेक्षा उच्चतर थी। इसके परिणामस्वरूप 27.59 लाख रुपये का अतिशय व्यय हुआ जैसा कि परिशिष्ट-30 में दिया गया है।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि लेसा की दरों में सड़क काटने के प्रभार को नहीं जोड़ा गया था। उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है कि सड़क काटने के प्रभार हेतु लेसा द्वारा अनुमत की गयी वास्तविक दर को अतिरिक्त व्यय की गणना करते समय सम्प्रेक्षण द्वारा संज्ञान में ले लिया गया था।

33/11 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण

2.2.33 लखनऊ में प्रणाली सुधार कार्यों के अन्तर्गत भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 2000-01 की अवधि में लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर 8 अदद 33/11 के0वी0

1 विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड

2 33 और 11 के.वी. एक्स.एल.पी.ई.केबल (21 किमी.)।

उपकेन्द्रों की आधारशिला रखी जिसका निर्माण कम्पनी द्वारा 'योजना शीर्ष' के अन्तर्गत अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाना था। तद्नुसार, लेसा के तीन निर्माण खण्डों ने उपकेन्द्रों का विद्युत कार्य सम्पादित किया। विभिन्न क्षमता के 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु कम्पनी के रेस्पो समन्वय ने प्रत्येक वर्ष की सामग्री और श्रम के लिये दर-सूची निर्धारित की है। 10 उपकेन्द्रों में से 8 उपकेन्द्र 2001-02 में पूर्ण और ऊर्जीकृत किये गये। इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षण में निम्न बिन्दु अवलोकित किये गये:

- भीखमपुर, निराला नगर और चन्दन नगर के 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों (2x5 एम0वी0ए0) के निर्माण हेतु, 1.86 करोड़ रुपये के रेस्पो के मानकों के विरूद्ध 3.41 करोड़ रुपये की सामग्री और श्रम का प्रावधान आंकलन में किया गया। इस प्रकार आंकलन में 1.55 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान किया गया।

33/11 के0वी0 के 3 उपकेन्द्रों के निर्माण में 1.27 करोड़ रुपये का मानकों से अधिक व्यय हुआ।

- रेस्पो के 1.86 करोड़ रुपये (सामग्री लागत और श्रम प्रभार) के मानक के विरूद्ध उक्त तीन उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु 3.13 करोड़ रुपये व्यय किये गये जिसके परिणामस्वरूप 1.27 करोड़ रुपये का मानकों से अधिक व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि शहरी उपकेन्द्रों हेतु रेस्पो के मानक नहीं प्रयोग किये जाते। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आंकलन रेस्पो के मानकों के अनुसार अनुमोदित किया गया था और शहरी उपकेन्द्रों के लिये कम्पनी द्वारा कोई अन्य मानक निर्धारित नहीं किये गये थे।

ग्रामीण विद्युतीकरण

2.2.34 विद्युत वितरण खण्ड, रहीम नगर ने 60 लाख रुपये की लागत पर 60.690 किमी0 11 के0वी0 लाइनों, 169.388 किमी0 एल0टी0 लाइनों 11 अदद 25 के0वी0ए0 उपकेन्द्रों के निर्माण द्वारा अम्बेदकर ग्राम योजना और एम0पी0/एम0एल0ए0 कोटा के अन्तर्गत 61 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु, लाइन/उपकेन्द्र प्रतिष्ठापित करने और सामग्री की ढुलाई के लिये, फरवरी 1999 से अक्टूबर 1999 की अवधि में 6 स्थानीय ठेकेदारों के साथ 12 अनुबन्ध निष्पादित किये। ये गाँव 1999-2000 और 2000-01 की अवधि में विद्युतीकृत किये जा चुके थे। रेस्पो के मानकों के अनुसार इन 61 गाँवों की लाइनों और उपकेन्द्रों के प्रतिष्ठापन कार्य और ढुलाई की कुल लागत 32.03 लाख रुपये निकाली गयी जिसके विरूद्ध खण्ड ने 60 लाख रुपये व्ययित किये जो मानकों से 87.32 प्रतिशत उच्चतर था और जिसके लिये अभिलेखों में कोई औचित्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 27.97 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसे बचाया जा सकता था यदि प्रदत्त दरें, रेस्पो के मानकों को दृष्टिगत रखकर विश्लेषित की गयी होतीं।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि कार्य-स्थल की दशा के कारण रेस्पो की दरों का अनुसरण नहीं किया जा सका।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रदत्त प्रतिष्ठापन और ढुलाई की दरें रेस्पो के मानकों की अपेक्षा उच्चतर थीं।

निष्कर्ष

लेसा वित्तीय बाधाओं से ग्रसित था क्योंकि यह निर्धारित किये गये राजस्व और वसूले गये राजस्व के मध्य अन्तर को समाप्त करने, अतिभारिता से बचने के लिये परिवर्तन प्रणाली को सुधारने, परिवर्तकों की अत्यधिक क्षतिग्रस्तता को कम करने, वितरण हानि को घटाने, ऊर्जा की चोरी को रोकने, उचित और समयबद्ध बिल जारी करने और उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने में असफल रहा।

प्रकरण प्रबन्धन और शासन को सूचित किया गया (जुलाई 2003); उनके उत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2003)।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

2.3 उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के क्रियाकलापों पर समीक्षा

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम का निगमन सेतुओं के निर्माण एवं अन्य सिविल कार्यों के लिए अक्टूबर 1972 में हुआ था। कम्पनी ने निविदाओं में भागीदारी के माध्यम से प्राप्त संविदा कार्यों एवं राज्य सरकार द्वारा सौपे गये निक्षेप कार्यों को सम्पादित किया। कम्पनी ने 2001-02 में समाप्त होने वाले पाँच वर्षों के दौरान 82 लाख रुपये से 18.80 करोड़ रुपये तक विस्तारित परिचालनात्मक हानि उठाई।

(प्रस्तर 2.3.1, 2.3.4 और 2.3.5)

कम्पनी ने 2001-02 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों की अवधि में 36 संविदा कार्यों को पूर्ण किया। 22 संविदा कार्यों में इसने लाभ अर्जित किया जबकि 14 कार्यों में इसने हानि उठाई।

(प्रस्तर 2.3.7)

मुरादाबाद बाईपास परियोजना की निविदा में दरों को प्रस्तावित करते समय कम्पनी ने निविदा में निवेश की लागत को भारित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप लाभ का अंश 3.09 करोड़ रुपये कम हो गया।

(प्रस्तर 2.3.8)

महाराष्ट्र में, उल्हास नदी पर सेतु के प्रकरण में, पायों के निर्माण के लिये आधार बनाने में असफल रहने के कारण निर्माण की कार्यप्रणाली और ऊपरी संरचना के परिकल्प को बदलना पड़ा। इस परिवर्तन में आने वाली 3.56 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत का दावा ग्राहक से नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.3.11)

गुजरात सरकार के सेतुओं के छूटे हुए कार्यों में कम्पनी समय-सूची का अनुपालन नहीं कर सकी और 4.20 करोड़ रुपये की कुल हानि उठाई।

(प्रस्तर 2.3.13, 2.3.14 व 2.3.15)

ग्रेड सेपरेटर राजा गार्डेन, नई दिल्ली के संविदा कार्य में ग्राहक जनित विलम्ब हेतु मध्यस्थ-निर्णय में समय से दावा प्रस्तुत न करने के कारण कम्पनी को 3.67 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(प्रस्तर 2.3.16)

सफदरजंग, नई दिल्ली के कार्यों को सम्पादित करने के दौरान व्ययों के नियोजन एवं नियंत्रण में असफलता के कारण 7.17 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.3.24)

कम्पनी ने 94 निक्षेप कार्यों में स्वीकृत लागत से अधिक व्यय किया। 56 पूर्ण कार्यों में कम्पनी, स्वीकृत लागत के 15 प्रतिशत से अधिक लागत की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु

राज्य सरकार के समक्ष मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में असफल रही। इसके परिणामस्वरूप 40.89 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.3.25-2.3.28)

प्रस्तावना

2.3.1 उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कम्पनी के रूप में 18 अक्टूबर, 1972 को हुआ था। कम्पनी के मुख्य उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी प्रकार के सेतुओं एवं पहुंच मार्गो के निर्माण, विकास और रखरखाव, परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु ऋण लेने तथा सिविल/यांत्रिक/वैद्युत कार्यो को भी हस्तगत करना सम्मिलित करते है।

कम्पनी में कार्य की पद्धति व्यापक रूप से ''विभागीय निर्माण प्रणाली'' के रूप में जानी जाती है। निर्माण कार्य सामान्यतया कम्पनी के तकनीकी और अन्य कर्मियों द्वारा विभागीय रूप से किये जाते है। आवश्यक यंत्र एवं उपकरण, औजार एवं संयंत्र, सेन्टरिंग एवं शटरिंग और इस्पात, सीमेण्ट, मौरंग एवं बालू इत्यादि सामग्रियों की अधिप्राप्ति कम्पनी द्वारा की जाती है। कार्य का सम्पादन प्रत्यक्ष रूप से इकाई दर कार्य पद्धति पर आवश्यक श्रमिक नियोजित करके किया जाता है। अत:, कम्पनी की स्थापना कार्य-सम्पादन में मध्यस्थों तथा ठेकेदारों को समाप्त करने के दृष्टिकोण से की गई थी।

वर्तमान में कम्पनी, राज्य सरकार और भारत के अन्दर अन्य सरकारी अभिकरणों के सेतुओं के निर्माण में संलग्न है। 31 मार्च, 2002 को समाप्त पिछले पाँच वर्षो के दौरान कम्पनी ने 1169.30 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य (652.86 करोड़ रुपये मूल्य के संविदा/निविदा कार्य तथा 516.44 करोड़ रुपये मूल्य के निक्षेप कार्य) सम्पादित किये।

संगठनात्मक ढांचा

2.3.2 कम्पनी का प्रबन्धन राज्य सरकार द्वारा नामित तीन से अन्यून और बारह से अनधिक निदेशकों वाले एक निदेशक मण्डल में निहित है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (यू0पी0पी0डब्ल्यू0डी0) के प्रमुख सचिव कम्पनी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रबन्ध निदेशक (एम0डी0), यू0पी0पी0डब्ल्यू0डी0 से मुख्य अभियन्ता स्तर का एक पेशेवर अभियन्ता, मुख्य कार्यकारी होता है जिसकी सहायता एक संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, चार महाप्रबन्धकों (जी0एम0) - महाप्रबन्धक (नियोजन), महाप्रबन्धक (परिकल्प), महाप्रबन्धक (यांत्रिक) और महाप्रबन्धक (विकास), एक वित्त नियंत्रक (उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा से) और एक वित्तीय सलाहकार (शासपत्रित लेखाकार) द्वारा की जाती है।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.3.3 कम्पनी के क्रियाकलापों की समीक्षा पिछली बार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा 1995 में की गई थी जिस पर कोपू में आँशिक चर्चा की गई है और उसकी संस्तुतियाँ प्रतीक्षित है।

वर्तमान समीक्षा, संविदा/निक्षेप कार्यो में कम्पनी की कार्य-दक्षता का मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से उसकी 55 से 60 इकाइयों में से छ: निक्षेप इकाइयों और छ: निविदा इकाइयों का, कृत कार्य के मूल्य और कम्पनी द्वारा हाथ में लिये गये महत्वपूर्ण कार्यो के

सम्पादन के आधार पर, चयन करके नवम्बर 2002 से अप्रैल 2003 के दौरान सम्पादित की गई। इसके अतिरिक्त, 2001-02 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा किये गये सामग्री प्रबन्धन तथा श्रमशक्ति नियोजन को भी इसमें आवरित किया गया।

अभिलेखों की नमूना जाँच के परिणामस्वरूप प्राप्त लेखा परीक्षा गवेषणाऐं राज्य सरकार/कम्पनी को राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (ए0आर0सी0पी0एस0ई0) की बैठक में उपस्थिति होने के विशिष्ट निवेदन के साथ जुलाई 2003 में सूचित की गयीं ताकि समीक्षा को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार/कम्पनी के दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जा सके। सचिव, पी0डब्ल्यू0डी0 (राज्य सरकार के प्रतिनिधि) और कम्पनी के प्रबन्धन के साथ ए0आर0सी0पी0एस0ई0 की बैठक 15 सितम्बर, 2003 को आयोजित की गई थी। उनके दृष्टिकोण पर विचार कर उन्हें समीक्षा में सम्मिलित किया गया है।

वित्तीय स्थिति

2.3.4 2001-02 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम परिशिष्ट-31 एवं 32 में दिये गये है। कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने वाले, परिशिष्टियों से यथाप्राप्त, मुख्य वित्तीय संकेतक नीचे दिये गये है:

(करोड़ रुपये में)

		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
(i)	नियोजित पूँजी	21.92	26.04	31.75	45.39	58.37
(ii)	निवल मूल्य	17.44	21.56	23.29	24.41	22.31
(iii)	अन्य प्राप्तियों को छोड़ने के बाद हानि	3.69	0.82	1.49	2.77	18.80
(iv)	कृत कार्य की लागत का कृत कार्य के मूल्य पर प्रतिशत	98.60	98.14	98.52	99.11	100.89
(v)	कुल निवल परिसम्पत्तियों पर चालू परिसम्पत्तियों का प्रतिशत	91.94	91.29	88.55	89.45	82.62
(vi)	चालू परिसम्पत्तियों का चालू देयताओं पर प्रतिशत	107.96	108.14	106.76	111.99	108.84
(vii)	तरल परिसम्पत्तियों का चालू देयताओं पर प्रतिशत	75.23	74.73	75.07	77.84	74.15

उपरोक्त से यह देखा जा सकेगा कि:

- चालू/स्थाई परिसम्पत्तियों में वृद्धि के कारण 1997-98 से 2001-02 के दौरान नियोजित पूँजी में पर्याप्त वृद्धि हुई।
- परिचालनात्मक क्रियाकलापों ने समीक्षा के अधीन पाँच वर्षों के दौरान 82 लाख रुपये से 18.80 करोड़ रुपये तक विस्तारित हानियों का योगदान किया।
- सम्पुट लाभ नगण्य था क्योंकि पाँच वर्षों के दौरान कृत कार्य की लागत का कृत कार्य के मूल्य पर प्रतिशत 98 और 100 से अधिक के मध्य विस्तारित रहा।
- चालू परिसम्पत्तियों का चालू देयताओं पर और तरल परिसम्पत्तियों का चालू देयताओं पर प्रतिशत (वित्तीय/लीवरेज) क्रमशः 106.76 से 111.99 प्रतिशत तथा 74.15 से 77.84 प्रतिशत के बीच विस्तारित रहा।

कार्य-सम्पादन

2.3.5 कम्पनी द्वारा सम्पादित कार्यों को दो भागों में बाँटा गया है:

(i) संविदा/निविदा कार्य

(ii) निक्षेप कार्य (लागत योग कार्य)

कम्पनी द्वारा संविदा कार्य निविदाओं और वार्ताओं में भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। निविदाओं में भाग लेने का निर्णय प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया जाता है।

निक्षेप कार्य मुख्यत: राज्य सरकार और अन्य सरकारी विभागों द्वारा लागत योग आधार (अर्थात् सेन्टेज[1] प्रभार सम्मिलित करते हुए वास्तविक लागत) पर सौंपा जाता है। उन कार्यों में, जहाँ स्थल सर्वेक्षण, आरेखण और अभिकल्पना कम्पनी को करनी होती है, कम्पनी 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज प्रभार प्राप्त करती है अन्यथा 11.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज प्रभारित किया जाता है।

संविदा/निविदा कार्य

2.3.6 कार्य-स्थल के क्षेत्र में नियुक्त महाप्रबन्धक प्राइस बिड तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। महाप्रबन्धक अपने अधिकार क्षेत्र की किसी भी इकाई को कार्य-स्थल का निरीक्षण करने, बिड तैयार करने एवं अपनी संस्तुतियों के साथ प्राइस बिड मुख्यालय भेजने हेतु निर्देशित कर सकता है। प्राइस बिड में कार्य की अनुमानित लागत और प्रचलित दरों पर उपरिव्यय आगणित किये जाते हैं। कुल बिड का अनुमान लगाने के लिए सम्भावित लाभ का अनुमान लगाया जाता है और कार्य की लागत में जोड़ा जाता है। मुख्यालय पर, बिड को अन्तिम रूप देने हेतु गठित समिति द्वारा प्राइस बिड की जाँच की जाती है और इसकी संस्तुतियाँ अन्तत: प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। तकनीकी बिड निविदा प्रकोष्ठ द्वारा मुख्यालय पर बनाई जाती है।

कार्य सम्पादित करने और व्ययों पर उचित नियंत्रण रखने के लिए कम्पनी विभागीय निर्माण इकाई (डी0सी0यू0) पद्धति प्राक्कलन तैयार करती है, जो कि कम्पनी के एम0डी0 द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कम्पनी ने अपनी गतिविधियों को भारत के भीतर ही सीमित रखा। निविदाओं, जिनमें कम्पनी ने मार्च 2002 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान भाग लिया और ठेके जो वास्तव में प्राप्त किये गये, की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	निविदायें जिनमें भाग लिया गया	प्राप्त ठेका:
1997-98	31	5
1998-99	40	7
1999-2000	10	2
2000-01	40	6
2001-02	51	8
योग	172	28

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि कुल 172 निविदाओं, जिनमें कम्पनी ने भाग लिया, में से यह केवल 28 ठेका प्राप्त करने में सक्षम हो पायी। निविदाओं में सफलता का अनुपात 16.3 प्रतिशत था। इससे इंगित होता है कि कम्पनी अन्य निविदादाताओं से

[1] सेन्टेज - कम्पनी के उपरिव्ययों को वहन करने हेतु प्रभार।

प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम नहीं थी। अभिलेखों से यह परिलक्षित नहीं हुआ कि कम्पनी ने इसके कारणों का विश्लेषण करने तथा अधिक ठेके प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय किये जाने हेतु कोई प्रयास किये थे।

राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2003) कि निविदाओं में भागीदारी सम्बन्धी कम्पनी की दक्षता पर्याप्त रूप से प्रतिस्पर्द्धात्मक थी क्योंकि एक निविदा में औसतन 10 फर्मे/कम्पनियाँ भाग लेती है। पूर्ववर्ती समान प्रकार की बोलियों में असफलता के कारणों और सुधारात्मक उपायों, यदि कोई थे, पर उचित ध्यान दिया गया था। जहाँ तक आवश्यक था बाजार की प्रवृत्ति को भी देखा गया था। सचिव, पी.डब्ल्यू.डी. ने भी ए0आर0सी0पी0एस0ई0 की बैठक में कहा कि निविदा प्राप्त करने में सफलता की दर पूर्णत: संतोषजनक थी और सफलता की दर हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जा सके। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेके प्राप्त करने में कम्पनी का निष्पादन न्यूनतम 30 वर्षों के अनुभव वाली एक प्रमुख सरकारी निर्माण कम्पनी के प्रत्याशित स्तर का नहीं था; कम्पनी द्वारा अंगीकृत सुधारात्मक उपायों का उल्लेख अभिलेखों में नहीं था।

वर्ष 2000-01 की निविदा पत्रावलियों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दरें उद्घृत करने का निर्णय लेते समय, उद्योग में बाजार की वर्तमान प्रवृत्तियों पर कोई विचार किये बिना, केवल अनुमानित व्ययों और सम्भावित लाभ-अंश की गणना कर वित्तीय निविदा तैयार की गई थी।

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कर्नाटक में एस0एच0-63 पर कार्ती-कोल्हार में कृष्णा नदी पर उच्च स्तरीय सेतु के निर्माण के लिये कृष्ण भाग्य जल निगम लिमिटेड की निविदा (अक्टूबर 2000 में खोली गई) में कम्पनी 11 निविदादाताओं में अन्तिम स्थान पर रखी गयी। न्यूनतम प्रस्तावित दर 35.77 करोड़ रुपये थी जबकि कम्पनी की प्रस्तावित दर 66.66 करोड़ रुपये थी जो न्यूनतम दर से 86 प्रतिशत अधिक थी। कम्पनी की दर, यहाँ तक कि दसवें स्थान पर रही निविदा (एफ्कान्स लिमिटेड - 50.72 करोड़ रुपये) से भी 15.94 करोड़ रुपये अर्थात् 31.4 प्रतिशत अधिक थी। इससे इंगित होता है कि प्राइस बिड तैयार करने की प्रणाली बाजार की प्रवृत्ति पर आधारित नहीं थी और इसकी लागत निर्विवाद रूप से ऊँची थी।

संविदा कार्यों का निष्पादन

2.3.7 मार्च 2002 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान लक्ष्य के विरूद्ध कार्य पूर्ण करने की प्रगति नीचे दी गई है:

(संख्या)

वर्ष	कार्यों का आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान शुरू किये गये कार्य	कुल हस्तगत कार्य	वर्ष के दौरान पूर्णता का लक्ष्य	वर्ष के दौरान पूर्ण किये गये कार्य	अन्तिम शेष
1997-98	22	8	30	6	6	24
1998-99	24	5	29	7	7	22
1999-00	22	10	32	11	11	21
2000-01	21	5	26	3	3	23
2001-02	23	3	26	9	9	17

2001-02 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षो के दौरान कम्पनी ने 36 संविदा कार्य सम्पादित और पूर्ण किये। यह देखा गया कि कम्पनी ने इकाइयों को वाणिज्यिक दूरदर्शिता के साथ संचालित करते हुए 22 संविदा कार्यो में लाभ अर्जित किया किन्तु 14 कार्यो में ऐसा कर पाने में असफल रही (परिशिष्ट-33)। लेखा परीक्षा में पाँच पूर्ण कार्यो और चार अपूर्ण कार्यो (परिशिष्ट-34) का परीक्षण किया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि नौ कार्यो में से छः कार्यो में कम्पनी मूल लागत को भी नहीं वसूल कर सकी जैसा कि निम्न सारिणी में दिया गया है:

(लाख रूपये में)

कार्य का नाम	मूल लागत	प्रशासनिक उपरिव्यय		कुल व्यय	प्राप्त मूल्य (मूल्य विचरण/वृद्धि सहित)	अन्य आय	प्रत्याशित लाभ	वास्तविक लाभ (+)/ हानि (-)	मूल लागत की वसूली में कमी
		कार्य स्थल	मुख्यालय						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6 + 7) - (5)	(10) = (2) - (6+7)
ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर राजा गार्डेन, नई दिल्ली (35)*	3845.17	194.55	121.58	4161.30	3767.22	27.36	285.00	- 366.72	50.59
फ्लाई ओवर पीरागढ़ी, नई दिल्ली (36)*	1708.81	95.24	44.82	1848.87	1587.67	67.30	161.00	- 193.90	53.84
उल्हास क्रीक, मुम्बई (29)*	1154.51	71.04	34.20	1259.75	1105.32	--	87.00	- 154.43	49.19
संविदा I-ए एनबीसीसी लेफ्ट ओवर, बड़ौदा (8)*	1893.96	97.80	69.28	2061.04	1886.47	--	231.94	- 174.57	7.49
सविदा I-बी एनबीसीसी लेफ्ट ओवर, बड़ौदा (32)*	1786.45	113.24	72.56	1972.25	1727.04	--	230.59	- 245.21	59.41
भगवान दास मार्ग उपमार्ग, नई दिल्ली (13)**	119.59	12.50	3.68	135.77	94.70	0.24	उपलब्ध नही	- 40.83	24.65

* कोष्ठक के आँकड़ें परिशिष्ट-33 की क्रम संख्या इंगित करते हैं।

** कोष्ठक के आँकड़ें परिशिष्ट-34 की क्रम संख्या इंगित करते हैं।

संविदा कार्यो में संज्ञान में आई अनियमितताओं की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है:

बिड की अविवेकपूर्ण प्रस्तुति

प्राइस बिड भरने में निवेश की अवसर लागत को संज्ञान में न लेना - मुरादाबाद बाई पास परियोजना

प्राइस बिड में निवेश की लागत को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके परिणामस्वरूप लाभ के अंश में 3.09 करोड़ रुपये की गिरावट आई

2.3.8 कम्पनी ने मुरादाबाद बाई पास परियोजना हेतु नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इण्डिया (एन0एच0ए0आई0) की निविदा में भाग लिया और 77.92 करोड़ रुपये का मूल्य प्रस्तावित किया। निम्नतम होने के कारण कम्पनी की निविदा स्वीकार कर ली गई। एन0एच0ए0आई0 की निविदा में एक उपबन्ध था कि निविदादाता मुरादाबाद टोल रोड कम्पनी लिमिटेड (एम0टी0आर0सी0एल0) की समता अंश-पूँजी में चुकता पूँजी के 15 प्रतिशत की सीमा तक अंशदान करने को सहमत होगा और परियोजना के वाणिज्यिक रूप से प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्ष से पहले निविदादाता उसे वापस लेने में असमर्थ होगा। कम्पनी ने अपनी दरें प्रस्तुत करते समय निवेश की लागत को संज्ञान में नहीं लिया अपितु मात्र 4.50 करोड़ रुपये लाभ की प्रत्याशा करते हुये दरों को अंकित कर दिया। कम्पनी को अप्रैल 1999 से अप्रैल 2000 के दौरान एम0टी0आर0सी0एल0 की

समता अंश-पूँजी में 4.50 करोड़ रुपये का निवेश करना पड़ा। निवेश की लागत, कम्पनी द्वारा अन्य उद्देश्यों हेतु अक्टूबर 2000 में लिये गये ऋणों के आधार पर 13.75 प्रतिशत ब्याज दर पर, साढ़े सात वर्षों (निर्माण अवधि एवं पाँच वर्ष) में 4.45 करोड़ रुपये आई जबकि अनुबन्ध के अनुसार निवेश पर प्रत्याशित प्रत्याय 1.36 करोड़ रुपये निकाली गई थी। अत: कम्पनी को दरों का उल्लेख करने में निवेश की अंतरात्मक लागत की मद में न्यूनतम 3.09 करोड़ रुपये प्रभारित किये जाने की आवश्यकता थी किन्तु ऐसा नहीं किया गया। बाद में, निविदा खुलने के पश्चात्, कम्पनी की बिड राशि और द्वितीय न्यूनतम के मध्य 6.50 करोड़ रुपये का अन्तर पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि निविदा हेतु बिड के अशुद्ध आंकलन के कारण निविदा की अवस्था में ही कम्पनी के लाभ के अंश में 3.09 करोड़ रुपये की कमी हो गई थी।

राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2003) कि चूँकि निवेश की कोई लागत नहीं थी, अत: निवेश की लागत को प्रभारित करना प्रासांगिक नहीं था; बिड का आंकलन परियोजना की नकद प्रवाह स्थिति को ध्यान में रखते हुये किया गया था जिसमें किसी प्रकार का ऋण अंतर्विष्ट नहीं था। अत: बिड को अविवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निवेश की अवसर लागत प्रासंगिक थी। इसके अतिरिक्त ऋण कल्पित होता है चाहे उसका उपयोग किया जाये अथवा नहीं, किन्तु एन0एच0ए0आई0 की निविदा की शर्तों के अनुसार, जिसके अन्तर्गत समता अंश-पूँजी में भागीदारी नियमत: आवश्यक थी और कम्पनी की निधियों को वर्षों तक अवरूद्ध रहना था, प्राइस बिड में निवेश की लागत को ध्यान में रखना और सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

अनुमानित लागत से निम्न दर प्रस्तावित करना - उल्हास नदी पर सेतु (महाराष्ट्र)

महाराष्ट्र में उल्हास नदी पर सेतु के लिए प्रस्तावित की गई दर कार्य-योग्य नहीं थी परिणामत: 1.54 करोड़ रुपये की हानि हुई

2.3.9 कम्पनी ने उल्हास नदी पर मुख्य सेतु के निर्माण हेतु पी0डब्ल्यू0डी0, थाणे की निविदा में भाग लिया (जून 1997)। सेतु को ठेकेदार के स्वयं के अभिकल्प के अनुसार निर्मित किया जाना था। कम्पनी ने इस हेतु नियुक्त परामर्शदाता के परामर्श से 9.41 करोड़ रुपये की एकमुश्त दर को अंकित किया। यह दर 8.54 करोड़ रुपये लागत और 87 लाख रुपये के प्रत्याशित लाभ का अनुमान करने के बाद आगणित की गई थी। कम्पनी ने सेतु नवम्बर 2001 में पूर्ण किया। इसने कार्य-निष्पादन में 1.54 करोड़ रुपये की हानि (1.27 करोड़ रुपये नकद हानि) उठाई।

यह देखा गया कि कम्पनी की दर विभाग की अनुमानित लागत (10.64 करोड़ रुपये) से 11.56 प्रतिशत निम्न थी जबकि दूसरे (10.76 करोड़ रुपये) और तीसरे (13.56 करोड़ रुपये) निम्नतम निविदादाताओं द्वारा अंकित दरें विभाग की अनुमानित लागत से ऊपर थीं। इससे स्पष्ट होता है कि कम्पनी ने कार्य की लागत का ठीक प्रकार से आंकलन नहीं किया और मात्र अपनी अनुमानित लागत पर 10.19 प्रतिशत का लाभ भारित कर दिया। इस प्रकार कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दर कार्य योग्य नहीं थी जिसके कारण कम्पनी को इस कार्य पर हानि उठानी पड़ी।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि निविदा डालते समय आंकलित की गई कंक्रीट की 17,238 रुपये प्रति घनमीटर की दर तर्कसंगत थी। उत्तर प्रासांगिक नहीं है क्योंकि कंक्रीट सेतु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का एक हिस्सा मात्र है और प्रस्तावित समग्र दर 10.19 प्रतिशत लाभ और उपरिव्यय प्रभारित करने के बाद भी अनुमानित लागत से 11.56 प्रतिशत निम्न थी।

प्रस्ताव के आंकलन का वास्तविक कार्य पर आधारित न होना - नई दिल्ली में उपमार्ग

2.3.10 उपमार्ग के निर्माण के लिए न्यू देहली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन (एन0डी0एम0सी0) की निविदा के विरूद्ध कम्पनी ने अगस्त 2000 में प्रस्ताव दिया। प्रस्तावित बिड 1.23 करोड़ रुपये थी। वार्ता के दौरान कम्पनी ने दर को 1.15 करोड़ रुपये तक घटा दिया और कार्य को स्वीकार कर लिया।

यह देखा गया कि कम्पनी ने इस उपमार्ग में अन्तर्ग्रस्त वास्तविक कार्य के आधार पर कार्य की लागत का आंकलन करने के बजाय स्वयं द्वारा पूर्व में बनाये गये (मार्च 1996) उपमार्ग के आधार पर आंकलन बनाया और इस पर 10 प्रतिशत का लाभ भारित किया। एन0डी0एम0सी0 के दृष्टान्त पर कम्पनी ने बिना किसी आधार के लगभग 3.5 प्रतिशत लाभ का आंकलन करते हुए दर को पुन: घटा दिया। इस कार्य हेतु एक नई इकाई खोलने की लागत और किये जाने वाले अतिरिक्त उपरिव्ययों को दर प्रस्तुत करते समय ध्यान में नहीं रखा गया। परिणामत: इस कार्य पर कम्पनी को 40.83 लाख रुपये की हानि (नकद हानि: 39.21 लाख रुपये) उठानी पड़ी।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि यह माना गया था कि निर्माण के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण विद्यमान निर्माण इकाई बी0सी0यू0-4/सफदरजंग द्वारा किया जायेगा। चूँकि परियोजना को दिल्ली के प्रमुख स्थान पर निर्मित किया जाना था इसलिए परियोजना का निकट से अनुश्रवण करने एवं शीघ्र पूर्ण करने के उद्देश्य से बाद में एक स्वतंत्र इकाई खोली गई। उच्च जल स्तर होने के कारण निरन्तर जल निकासी करनी पड़ी और जल निकासी की कार्यवाही पर भारी व्यय किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने निकट से अनुश्रवण करने के बाद भी परियोजना को पूर्ण करने में 12 माह (निर्धारित समय) के स्थान पर 17 माह का समय लिया जिसके फलस्वरूप परियोजना पर उच्चतर लागत आई।

बिल आफ क्वान्टिटी का अनुचित आंकलन

कम्पनी उचित बिल ऑफ क्वान्टिटी का आंकलन करने में असफल रही जिसके परिणामस्वरूप प्रस्तरों 2.3.11 व 2.3.12 में यथाचर्चित निम्नलिखित दो मामलों में 3.87 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय संज्ञान में आया।

उल्हास नदी पर सेतु (थाणे, महाराष्ट्र)

2.3.11 महाप्रबन्धक (अभिकल्प) की अनुशंसा पर महाप्रबन्धक (मुम्बई) ने एस0टी0यू0पी0 कन्सल्टेन्ट्स लिमिटेड को, इस आधार पर कि वह सेतुओं के अभिकल्पन में सर्वाधिक अनुभवी थे, उल्हास क्रीक सेतु के निर्माण के लिए अभिकल्प सलाहकार नियुक्त किया।

प्रबन्धन बिल ऑफ क्वान्टिटी का समुचित आंकलन करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 3.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ

सलाहकार को बिल आफ क्वान्टिटी एवं प्रस्तावित की जाने वाली दर का आंकलन, अभिकल्प एवं रेखाचित्र तैयार करना तथा उन पर लोक निर्माण विभाग, थाणे महाराष्ट्र, का अनुमोदन प्राप्त करना था। सलाहकार ने कार्य के लिए 4,621 घनमीटर कंक्रीट के कार्य का आंकलन किया, जिसको निविदा समिति ने दरें उल्लिखित करते समय बढ़ाकर 5,459 घनमीटर कर दिया। कार्य-निष्पादन के दौरान कंक्रीट-कार्य की वास्तविक मात्रा 7,605 घनमीटर निकाली गई। कंक्रीट के कार्य की मात्रा बढ़ानी पड़ी क्योंकि कम्पनी तीन नीवों (पायों) के निर्माण के लिए आधार बनाने में असफल रही जिसके परिणामस्वरूप इन नींवों के निर्माण की कार्य-प्रणाली और तत्सम्बन्धी ऊपरी संरचना के अभिकल्प में परिवर्तन हो गया। इससे न केवल कंक्रीट के कार्य की मात्रा में वृद्धि हुई बल्कि 11.27 मीट्रिक टन अतिरिक्त इस्पात का प्रबलन और 87.949 मीट्रिक टन अतिरिक्त इस्पात कैसियन, जो कार्य में प्रयुक्त किया गया, का निर्माण समाविष्ट हुआ। इसके परिणामस्वरूप 3.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसका दावा पी0डब्ल्यू0डी0 थाणे, महाराष्ट्र से नहीं किया जा सका क्योंकि यह एक एकमुश्त संविदा थी। इस प्रकार, सलाहकार के साथ-साथ प्रबन्धन भी बिल आफ क्वान्टिटी का आंकलन करने में असफल रहा जिसके लिए स्थलीय परिस्थितियों के अनुरूप कम्पनी को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि महाराष्ट्र में पूर्व में इस प्रकार के किये गये अन्य कार्यों एवं निविदा के साथं प्राप्त बोर चार्ट के आधार पर बिल आफ क्वान्टिटी को अन्तिम रूप दिया गया था। वहाँ कठोर चट्टान के ऊपर एक मोटी अपक्षीण एवं रेतीली परत विद्यमान थी जैसा कि बोर चार्ट में भी दिखाया गया था। वे समान रणनीति से आधार स्तम्भ 1 व 2 को पूर्ण करने में सफल रहे परन्तु उन्हें आधार स्तम्भ 3 के निर्माण की कार्य प्रणाली बदलनी पड़ी क्योंकि भारी बाढ़ के कारण तीन वर्षो के दौरान उपलब्ध अपक्षीण चट्टान बह गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आधार स्तम्भ 3 के स्थान पर कोई अपक्षीण चट्टान नहीं थी (निविदा के साथ प्राप्त बोर चार्ट के अनुसार) और कम्पनी को आधार स्तम्भ 3 के निर्माण के लिए इसे कृत्रिम रूप से बनाना था। कम्पनी को कंक्रीट कॉफर डैम विधि से हटकर स्टील फ्लोटिंग कैसियन विधि में जाना पड़ा। कम्पनी ने स्तम्भ 1 व स्तम्भ 2 के निर्माण की कार्य प्रणाली को भी शीट पाइल कॉफर डैम से परिवर्तित कर कंक्रीट कॉफर डैम कर दिया।

उत्तर में आगे यह भी बताया गया कि 1.54 करोड़ रूपये की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए परियोजना की विलम्बन अवधि हेतु 1.82 करोड़ रुपये का दावा प्रस्तुत किया गया था। यह मान्य नहीं है क्योंकि ग्राहक ने पहले ही समय विस्तार को स्वीकृत कर दिया था एवं मूल्य वृद्धि का भुगतान कर दिया था। अत: समान आधार पर पुन: दावा करना न्यायसंगत नहीं था।

शाहजाद नदी के ऊपर सेतु (ललितपुर, यू0पी0)

2.3.12 कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा के आधार पर पी0डब्ल्यू0डी0 ने कम्पनी को ललितपुर के निकट एन0एच0-26 पर शाहजाद नदी के ऊपर सेतु के अभिकल्प एवं

निर्माण हेतु 2.41 करोड़ रुपये का एकमुश्त ठेका सौंपा (जनवरी 2000)। अनुबन्ध-पत्र निष्पादित हुआ (मार्च 2000) जिसके अनुसार कार्य को 18 माह में अर्थात् सितम्बर 2001 तक पूर्ण किया जाना था। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी ने निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न अन्तरिम बोर लॉग्स के आधार पर बिल ऑफ क्वान्टिटी का मूल्य 2.41 करोड़ रुपये आगणित किया। कम्पनी के पास स्वतंत्र मृदा परीक्षण करने का अवसर था, फिर भी, इसने इस पहाड़ी क्षेत्र की वास्तविक प्रकृति एवं संस्तर की जटिलता का आंकलन नहीं किया और यह एकमुश्त ठेके का आधार बना। वास्तविक कार्य सम्पादन के समय वास्तविक आधार-तल एवं पी0डब्ल्यू0डी0 ललितपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा आपूर्तित अन्तरिम बोर लॉग्स के बीच भिन्नता के परिणामस्वरूप बिल ऑफ क्वान्टिटी में बदलाव के कारण कम्पनी ने मूल्य में 30.98 लाख रुपये की वृद्धि अनुमानित की। कम्पनी ने बिल ऑफ क्वान्टिटी में परिवर्तन के कारण चालू देयक में 28.36 लाख रुपये (30.98 लाख रुपये में से) की धनराशि सम्मिलित की जिसका पी0डब्ल्यू0डी0 ललितपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि आधार तल में परिवर्तन के कारण बढ़ी मात्रा के लिए 30.98 लाख रुपये का दावा, मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय राजमार्ग) उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को अनुमोदन हेतु अग्रेषित कर दिया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वतंत्र अन्वेषण के अवसर का उपभोग किये बिना बिल ऑफ क्वान्टिटी का निर्धारण करने से कम्पनी के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई।

छूटे हुए कार्य को प्राप्त करने का अनुचित निर्णय – अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग पर सेतु (संविदा I-ए एवं I-बी)

2.3.13 नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन (एन0बी0सी0सी0) द्वारा छोड़े गये कार्यों के लिए गुजरात सरकार के सड़क एवं भवन विभाग (आर0 एण्ड बी0 डिपार्टमेण्ट) द्वारा अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग परियोजना (विश्व बैंक सहायतित राजमार्ग परियोजना) पर सेतु निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई (अगस्त 1992)। दो संविदायें थी (I-ए एवं I-बी)। संविदा I-ए अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग पर चैनेज 1-17 किलोमीटर के बीच नदियों/धाराओं के ऊपर पाँच मुख्य सेतुओं के बचे हुए निर्माण कार्यों के लिये थी। संविदा I-बी चैनेज 17-38 किलोमीटर के बीच दो मुख्य सेतुओं के बचे हुए निर्माण कार्य के लिए थी। दोनों संविदाओं की समाप्ति की अवधि 27 माह थी। कम्पनी ने I-ए के लिए 15.43 करोड़ रुपये और I-बी के लिए 14.40 करोड़ रुपये की एक निविदा डाली। कम्पनी को दोनों कार्य प्राप्त हुए (मई 1993) और अक्टूबर 1995 तक कार्य पूर्ण करने हेतु परियोजना प्रबन्धक द्वारा अनुबन्धों पर हस्ताक्षर किये गये (जून 1993)। कम्पनी को स्वीकृति पत्र जारी होने के 30 दिनों के अन्दर बैंक-प्रत्याभूति के रूप में कार्य-निष्पादन प्रत्याभूति आर एण्ड बी विभाग को उपलब्ध करानी थी परन्तु इसे 165 दिन व्यतीत होने के बाद 30 नवम्बर, 1993 को प्रस्तुत किया जा सका। बैंक-प्रत्याभूति के विलम्ब से प्रस्तुतीकरण को गुजरात सरकार द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि कम्पनी

को मूलत: निर्धारित समय (27 माह) अर्थात् 19 अक्टूबर, 1995 तक कार्य को पूर्ण कर देना चाहिए। सम्पादित कार्य की विस्तृत समीक्षा से निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश में आये:

संविदा I-ए का सम्पादन (गुजरात)

कम्पनी ने कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण कार्य को पर्याप्त विलम्ब से पूर्ण किया परिणामत: 1.75 करोड़ रुपये की हानि हुई

2.3.14 जनवरी 1994 में प्रारम्भ कार्य निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया जा सका और कम्पनी ने मार्च 1996 तक मात्र 61 प्रतिशत प्रगति प्राप्त की। यह संज्ञान में आया कि कठोर संस्तर के कारण कुंओं की सिंकिंग का कार्य कम्पनी समय से पूर्ण नहीं कर सकी और कुंओं की सिंकिंग का कार्य दिसम्बर 1997 तक जारी रहा जिसके कारण कम्पनी द्वारा नियत निर्माण कार्यक्रमों को कार्य-रूप नहीं दिया जा सका। कम्पनी ने तीन बार समय-वृद्धि के लिए आवेदन किया (i) प्रथम अप्रैल 1996 में, अक्टूबर 1997 तक (ii) द्वितीय सितम्बर 1997 में, जून 1998 तक (iii) तृतीय मई 1998 में, दिसम्बर 1998 तक, जो सभी अस्वीकृत हो गये। आर एण्ड बी विभाग ने सूचित किया (फरवरी 1998) कि कार्य पूर्ण करने में कम्पनी की ओर से हुई स्पष्ट निरन्तर चूकों के अतिरिक्त कार्य में विलम्ब का कोई कारण नहीं था। आर एण्ड बी विभाग ने केवल 19 अक्टूबर, 1995 तक के लिए मूल्य-विचरण एवं मूल्य-वृद्धि को स्वत: अनुमन्य किया (अक्टूबर 1997)। कार्य, अन्तत: दिसम्बर 1998 में पूर्ण हुआ और आर एण्ड बी विभाग, गुजरात सरकार द्वारा यथा प्रमाणित कृत कार्य का समग्र मूल्य मार्च 2002 तक 18.86 करोड़ रुपये आया। इसके विरूद्ध कुल 20.61 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी निविदा डालने से पूर्व कार्य के सभी पहलुओं को समझने में असफल रही। कम्पनी को समय-समय पर अपना निर्माण कार्यक्रम संशोधित करना पड़ा। कम्पनी अपना खर्च नियंत्रित नहीं कर सकी क्योंकि कार्य दिसम्बर 1998 तक चला जो कि कार्य पूर्ण करने के लिए निर्धारित तिथि से 50 माह अधिक था।

इस प्रकार, उस संविदा के अन्तर्गत जहाँ समय संविदा का सार था, कार्य को आठ माह विलम्ब से प्रारम्भ किया गया जिसके कारण कार्य-सम्पादन में 1.75 करोड़ रुपये की हानि (1.38 करोड़ रुपये नकद हानि) हुई जबकि कम्पनी ने प्रारम्भ में 2.32 करोड़ रुपये के लाभ का आंकलन किया था। आर एण्ड बी विभाग ने लिक्विडेटेड डैमेजेज हेतु 25.99 लाख रुपये की वसूली कर ली।

संविदा I-बी का सम्पादन (गुजरात)

परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब से लागत में 2.45 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई

2.3.15 जनवरी 1999 में प्रारम्भ हुआ कार्य जून 2001 अर्थात् कार्य पूर्ण करने की अनुसूचित तिथि के 62 माह बाद पूर्ण किया जा सका। कम्पनी द्वारा माँगा गया समय-विस्तार आर एण्ड बी विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। यद्यपि ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराये गये बोर के आँकड़े और संस्तर वास्तविकता से अधिक भिन्न नहीं थे तथापि कठोर संस्तर एवं बोर के माध्यम से बालू के उछाल के कारण कम्पनी वाँछित स्तर तक कुँओं की सिंकिंग में असफल रही। दिसम्बर 1994 से अगस्त 1999 तक प्रयास जारी रहे और अन्तत: कम्पनी ने कुंओं को उथली अवस्था में, अर्थात् आरेख के अनुसार आधार तल के ऊपर, बाँधने की अनुमति आर एण्ड बी विभाग से माँगी

(अगस्त 1999)। इस प्रकार, परियोजना के निर्माण/पूर्ण करने में अत्यधिक विलम्ब ने निर्माण की लागत को बढ़ा दिया। इस कार्य पर कुल व्यय 19.72 करोड़ रुपये आगणित किया गया जिसके विरूद्ध आर एण्ड बी विभाग द्वारा मार्च 2002 तक प्रभारित कार्य का मूल्य, मूल्य-विचरण एवं मूल्य वृद्धि सहित, 17.27 करोड़ रुपये था। अत: प्रमाणित मूल्य पर 2.45 करोड़ रुपये हानि (1.83 करोड़ रुपये नकद हानि) हुई।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि दोनों संविदाओं के सम्बन्ध में समय-विस्तार के प्रकरणों को आर एण्ड बी विभाग द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया था और समय-विस्तार के प्रकरण गुजरात सरकार के स्तर पर संवीक्षाधीन थे। जैसे ही समय-विस्तार स्वीकृत किया जायेगा, मूल्य वृद्धि एवं मूल्य-विचरण के रूके हुए भुगतान के अवमुक्त होने के कारण हानियों को न्यूनीकृत किया जा सकेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समय विस्तार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही अस्वीकृत किया जा चुका था।

मध्यस्थ-निर्णय के उपबन्ध को प्रवर्तित करने में कम्पनी की असफलता - उपरिगामी मार्ग, राजा गार्डेन नई दिल्ली

2.3.16 देहली टूरिज्म एण्ड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (डी0टी0टी0डी0सी0), नई दिल्ली द्वारा कम्पनी को राजा गार्डेन, नई दिल्ली में रिंग रोड एवं नजफगढ़ रोड के कटाव बिन्दु पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण का कार्य 34.58 करोड़ रुपये के संविदा मूल्य पर सौंपा गया (अप्रैल 1997)। कार्य आरम्भ करने की तिथि 8 मई, 1997 और कार्य पूर्ण करने की तिथि 7 नवम्बर, 1999 के साथ ही कार्य पूर्ण करने की अवधि 30 माह थी। परियोजना मुख्यत: क्षेत्र से संगमरमर बाजार के अन्यत्र चले जाने, मार्ग के अधिकार को विलम्ब से उपलब्ध करा पाने और बियरिंग एवं कार्य आरेखण की उपलब्धता में विलम्ब के कारण विलम्बित हुई। चूँकि विलम्ब डी0टी0टी0डी0सी0 की ओर से हुआ था, इसलिए इसने नवम्बर 2001 तक समय-विस्तार स्वीकृत किया। कार्य नवम्बर 2001 में पूर्ण हुआ जिस पर कुल 41.61 करोड़ रुपये व्यय हुआ। अन्तिम देयक के अनुसार डी0टी0टी0डी0सी0 द्वारा प्रमाणित कार्य का मूल्य 37.67 करोड़ रुपये (मूल्य वृद्धि सहित) था। अत:, 27 लाख रुपये विविध आय को समायोजित करने के बाद कम्पनी को 3.67 करोड़ रुपये की हानि (3.22 करोड़ रुपये नकद हानि) हुई जबकि कम्पनी ने प्रस्ताव देते समय 2.85 करोड़ रुपये के लाभ का आंकलन किया था।

कार्य सम्पादन में डी0टी0टी0डी0सी0 की ओर से हुए विलम्ब के कारण कम्पनी ने 3.67 करोड़ रुपये की हानि उठाई लेकिन मध्यस्थ-निर्णय के उपबन्ध को प्रवर्तित कराने में असफल रही

लेखा परीक्षा में आगे यह देखा गया कि कम्पनी ने मार्च 2002 में अन्य दावों के साथ-साथ लाभ की हानि के लिए डी0टी0टी0डी0सी0 से 5.71 करोड़ रुपये का दावा किया। डी0टी0टी0डी0सी0 द्वारा दावे पर विचार नहीं किया गया (मई 2002)। डी0टी0टी0डी0सी0 द्वारा प्रमाणित कृत कार्य के अन्तिम मूल्य की जानकारी होने के बाद भी कम्पनी ने कार्य में हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए समय से मध्यस्थ-निर्णय हेतु प्रयास नहीं किया और उसके बाद प्रकरण संविदा के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार कालातीत हो गया।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि फरवरी 2002 में 8.97 करोड़ रुपये की राशि का मध्यस्थ-निर्णय दावा दर्ज किया गया था जो कि विद्यमान है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डी0टी0टी0डी0सी0 ने अपने पत्र दिनांक 15 जुलाई, 2003 द्वारा स्पष्ट रूप से बता दिया है कि संविदा के नियमों एवं शर्तों के अनुसार उक्त अनुबन्ध से सम्बन्धित पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान किया जा चुका है।

उप-ठेकेदारों को कार्य सौंपना

2.3.17 उप-ठेकेदारों को सौंपे गये मुख्य कार्यों की स्थिति निम्नवत् थी:

कार्य का नाम	कृत कार्य का मूल्य (लाख रुपये में)	उप-ठेकेदार द्वारा कृत कार्य का मूल्य (लाख रुपये में)	उप-ठेकेदार द्वारा कृत कार्य का प्रतिशत
राजा गार्डेन में उपरिगामी मार्ग	3767.22	648.67	17.22
पीरागढ़ी में उपरिगामी मार्ग	1587.67	362.80	22.85
संविदा I-बी	1727.04	114.79	6.65

कुछ प्रकरण, जहाँ कम्पनी ने स्वयं कार्य करने के बजाय उप-ठेकेदारों को नियोजित किया और तद्नुरूप सौंपे गये कार्यों पर लाभ की हानि उठायी, की चर्चा नीचे की गई है:

पीरागढ़ी एवं राजा गार्डेन, नई दिल्ली में उपरिगामी मार्ग का कार्य

2.3.18 पीरागढ़ी, नई दिल्ली में उपरिगामी मार्ग के निर्माण कार्य में आधार बनाने का कार्य सभी निविदा औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद पाइल वर्क हेतु 4,900 रुपये प्रति रनिंग मीटर, पाइल कैप हेतु 3,850 रुपये प्रति घनमीटर और रिइन्फोर्समेण्ट हेतु 17,375 रूपये प्रति मीट्रिक टन की दर पर पुंज लॉयड लिमिटेड (पी0एल0एल0) को सौंपा गया (मार्च 1999)। फर्म ने उक्त कार्य को 3.63 करोड़ रुपये में पूरा किया। राजा गार्डेन में उपरिगामी मार्ग के कार्य हेतु समान प्रकृति का कार्य भी सौंपा गया था। यह कार्य 6.49 करोड़ रुपये में पूर्ण हुआ।

कम्पनी ने विभागीय रूप से कार्य को निष्पादित नहीं किया और कार्य पर 2.02 करोड़ रूपये की बचत करने में असफल रही।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि पी0एल0एल0 ने केवल ड्रिल मशीन का प्रयोग कर कार्य सम्पादित किया और कम्पनी के यंत्र एवं संयंत्रों को किराये पर लेकर उपयोग किया। कम्पनी ने कभी भी ड्रिल मशीन को किराये पर लेने की सम्भावनाओं का पता नहीं लगाया। यह देखा गया कि पी0एल0एल0 की दरों को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने हेतु आधार बनाने के कार्य की दरों का एक विश्लेषण तैयार किया गया था जिसमें प्रति रनिंग मीटर 4,095.50 रुपये और उपरिव्यय एवं लाभ के लिए 20 प्रतिशत की दर का आंकलन किया गया था। 10.12 करोड़ रुपये का यह 20 प्रतिशत (अर्थात् 2.02 करोड़ रुपये) बचाया जा सकता था और इस परियोजना की हानियों को परिहारित/कम किया जा सकता था यदि कम्पनी द्वारा यह कार्य विभागीय रूप से किया जाता।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि कम्पनी के पास केवल एक हाइड्रोलिक पाइलिंग उपकरण कार्यशील अवस्था में उपलब्ध था और वह भी राजा गार्डेन में प्रयुक्त हो रहा था। राजा गार्डेन में आधार बनाने का कार्य समाप्त होने पर विभागीय रिग को

सफदरजंग उपरिगामी मार्ग के कार्य-स्थल पर स्थानान्तरित किया जाना था। अत: आधार बनाने के कार्य को पुंज लॉयड लिमिटेड को उप-ठेके पर दिया गया।

प्रबन्धन का उत्तर व्यावसायिक दृष्टिकोण के सम्पूर्ण अभाव को इंगित करता है क्योंकि प्रबन्धन 1997 से ही जानता था (डी0टी0टी0डी0सी0 एक कार्य-स्थल से सम्बन्धित कार्य को 1997 में नहीं सौप सकी थी क्योंकि यह विवादित हो गया था और डी0टी0टी0डी0सी0 द्वारा कम्पनी को उसके स्थान पर उपरिगामी मार्ग के निर्माण से सम्बन्धित कार्य सौंपा जाना था) कि कम्पनी को एक अन्य उपरिगामी मार्ग के निर्माण का कार्य सौंपा जायेगा और इसलिए इसको दोनों हाइड्रोलिक पाइलिंग उपकरण कार्यशील अवस्था में रखना चाहिए था अथवा बाजार से पाइलिंग उपकरण को किराये पर लेने हेतु प्रयास करना चाहिए था। कम्पनी द्वारा आधार-निर्माण के कार्य के लिए सितम्बर 1998 में निविदायें आमंत्रित की गई थीं और पी0एल0एल0 एकमात्र अर्ह निविदादाता था। वार्ता के दौरान उसने बताया कि यदि कार्य का क्षेत्र पाइल कैप स्तर तक बढ़ाया जाय तो वह दरों में कमी पर विचार कर सकेगा। इस प्रकार पी0एल0एल0 ने पाइल कैपिंग का कार्य उन्हें सौपने के लिए कम्पनी को बाध्य किया और पी0एल0एल0 को कार्य सौंपते समय कम्पनी ने इसकी दरों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित नहीं किया। अत: कम्पनी ने कार्य के लिए स्वयं के संसाधनों को नियोजित करने के बजाय उसे ठेकेदारों को उपलब्ध करा दिया और ठेकेदार ने केवल अपनी ड्रिल मशीन का उपयोग करके सम्पूर्ण कार्य को पूरा कर दिया।

संविदा I-बी गुजरात

2.3.19 संविदा I-बी के अन्तर्गत कार्य के निष्पादन हेतु सड़क एवं भवन विभाग के साथ किये गये अनुबन्ध (जून 1993) के अनुसार कम्पनी द्वारा कोई भी उपठेकेदार नियोजित नहीं किया जाना था। इस उपबन्ध के विरूद्ध 76 लाख रुपये में विभागीय रूप से सम्पादित किये जाने के लिए अनुमानित संविदा I-बी का सुरक्षा कार्य कम्पनी द्वारा दो[1] ठेकेदारों को सौंप दिया गया (मार्च 2001) जिन्होंने 1.15 करोड़ रुपये में कार्य को पूर्ण किया (जून 2001)। इस प्रकार, अनुबन्ध के उपबन्ध का उल्लंघन करने के अतिरिक्त कार्य को उप-ठेकेदारों को सौंप कर कम्पनी ने 39.09 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि 1993 में संविदा अनुबन्ध करने के पश्चात् उत्पन्न हुई नगद प्रवाह की समस्या के कारण यह कार्य 1999-2000 में ही आरम्भ हो सका एवं ग्राहक से समय-विस्तार प्राप्त करने के लिये इस कार्य का पूर्ण होना अत्यावश्यक था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संविदा-दर पर उप-ठेकेदारों को बैक-टू-बैक बेसिस पर लगाया गया था जबकि यह कार्य कम्पनी द्वारा विभागीय रूप से कम लागत पर किया जा सकता था।

1 आशीष कंस्ट्रक्शन कम्पनी और श्री ट्रेडिंग कम्पनी

उपठेकेदार को अनुचित लाभ - मुरादाबाद बाई पास परियोजना

निम्नलिखित दो मामलों में जैसा कि प्रस्तर 2.3.20 एवं 2.3.21 में वर्णित है, उपठेकेदारों को 39.55 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया गया:

2.3.20 मुरादाबाद बाई पास परियोजना के प्रथम नौ किलोमीटर पहुँच मार्ग (शून्य से नौ किमी0 तक) हेतु तीन लाख घन मीटर {थल परिवहन मंत्रालय (एमओएसटी) की विशिष्टियों के अनुसार} मृदा-कार्य में तटबन्ध के निर्माण का कार्य 44.40 रुपये प्रति घनमीटर (घनीभूत मृदा) की दर पर कम्पनी के मुख्यालय द्वारा बी0 अग्रवाल स्टोन प्रोडक्ट लिमिटेड को सौंपा गया (मई 1999)। अनुबन्ध (अक्टूबर 1999) में स्वीकृत दर अपरिवर्तनीय थी एवं किसी भी कारण से दर में वृद्धि अनुमत नहीं थी। ठेकेदार ने कार्य अक्टूबर 1999 में प्रारम्भ किया। कम्पनी ने ठेकेदार के कार्य-क्षेत्र से मिट्टी के संघनन सम्बन्धी कार्य को निकाल दिया। इस मद के लिये विभागीय दर 12 रुपये प्रति घनमीटर थी। इस प्रकार से प्रभावी दर 32.40 रुपये प्रति घनमीटर आई। फिर भी ठेकेदार को, अनुबन्ध का उल्लंघन करते हुए, हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की कीमतों में वृद्धि का लाभ देने के पश्चात् 40.50 रुपये प्रति घनमीटर की दर दी गई। दर में वृद्धि न्यायसंगत नहीं थी क्योंकि स्वीकृत दर अपरिवर्तनीय थी एवं किसी भी कारण से दर में कोई भी वृद्धि अनुमत नहीं की जानी थी। 25 जनवरी, 2000 को संशोधित अनुबन्ध निष्पादित किया गया जिसमें मात्रा भी घटाकर 1,75,000 घनमीटर कर दी गयी।

कम्पनी को केवल 32.40 रुपये प्रति घनमीटर की दर ठेकेदार को अनुमत करनी चाहिए थी जबकि कम्पनी ने 40.50 रुपये प्रति घनमीटर की दर अनुमत की। इसके परिणामस्वरूप 1,75,236.104 घन मीटर की निष्पादित मात्रा पर 14.19 लाख रूपये का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान हुआ। तटबन्ध कार्य हेतु 47,393.246 घनमीटर की एक दूसरी मात्रा एक अन्य ठेकेदार के माध्यम से 40.50 रुपये प्रति घनमीटर की उसी दर पर सम्पादित करायी गयी जिसके परिणामस्वरूप 3.84 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि जमीनी वास्तविकताओं को समझने, परीक्षित करने एवं विश्लेषित करने के पश्चात् कम्पनी और कार्य के सर्वाधिक हित में निर्णय लिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी के निर्णय ने उपठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाया।

2.3.21 एन0एच0ए0आई0 की मुरादाबाद बाई पास परियोजना के 10 से 11 कि0मी0 एवं 11 से 12 कि0मी0 चैनेज में सड़क कार्य हेतु संघनन सहित मृदा-कार्य में तटबन्ध के निर्माण-कार्य के लिये मेसर्स वर्मा कंस्ट्रक्शन्स मुजफ्फरनगर के साथ दो संविदा बन्ध-पत्र सम्पादित किये गये (दिसम्बर 1999 एवं सितम्बर 2000)। सम्पूर्ण कार्य हेतु अनुमत दरें 51.75 रुपये प्रति घनमीटर एवं 56.93 रुपये घनमीटर थी। संविदा की अवधि 22 दिसम्बर, 1999 से 10 मई, 2000 एवं 1 अक्टूबर, 2000 से 25 जनवरी 2001 थी। ठेकेदार ने 1,77,819.185 घनमीटर कार्य निष्पादित किया।

यह देखा गया कि स्थानीय प्रबन्धन ने उसी कार्य हेतु मेसर्स बिल्टेक इण्डिया कम्पनी, गाजियाबाद को उसी अवधि अर्थात् 1 नवम्बर, 1999 से 15 मई, 2000 के दौरान

42.50 रुपये प्रति घनमीटर की दर स्वीकृत की। इस प्रकार, मेसर्स वर्मा कन्स्ट्रक्शन को उसी अवधि के दौरान 9.25 रुपये प्रति घनमीटर एवं 14.43 रुपये प्रति घनमीटर की अतिरिक्त दर अनुमत की गयी। इसके परिणामस्वरूप 21.52 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ एवं उसी सीमा तक ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचा।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि सड़क परियोजना के एक खण्ड से दूसरे खण्ड में मृदा-कार्य की दरें भिन्न हो सकती हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा द्वारा आगणित अतिरिक्त व्यय बिल्कुल ठीक तुलनीय दरों पर आधारित है।

संयंत्र एवं मशीनों का कम उपयोग

संयंत्र एवं मशीनों का कम उपयोग निम्नलिखित दो प्रकरणों में प्रकाश में आया जिसके परिणामस्वरूप 48.32 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा कि प्रस्तर 2.3.22 एवं 2.3.23 में वर्णित है।

वेट मिक्स मैकेडम (डब्ल्यू0एम0एम0) के रेडीमिक्स की खरीद

2.3.22 ग्रेड सेपरेटर के निर्माण के क्रम में कम्पनी ने वेट मिक्स मैकेडम (डब्ल्यू0एम0एम0) की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित (अप्रैल 2002) की। कम्पनी ने मेसर्स सत्यप्रकाश एण्ड ब्रदर्स, नई दिल्ली की केवल एक निविदा प्राप्त की जिसमें 900 रुपये प्रति घनमीटर की दर प्रस्तावित की गयी थी। फर्म की दर को कम्पनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया (अप्रैल 2002) एवं 7,000 घनमीटर डब्ल्यू0एम0एम0 की आपूर्ति हेतु फर्म के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया गया (मई 2002)। फर्म ने मई 2002 से अगस्त 2002 के दौरान 6,875 घनमीटर डब्ल्यू0एम0एम0 की आपूर्ति की।

यह पाया गया कि कम्पनी की धौलाकुआँ इकाई (बी0सी0यू0 सफदरजंग के कार्यस्थल से 5 कि0मी0 दूर) ने धौलाकुआँ परियोजना पर डब्ल्यू0एम0एम0 कार्य हेतु बैचिंग प्लाण्ट स्थापित कर फरवरी 2002 एवं दिसम्बर 2002 के मध्य 1,659 घनमीटर डब्ल्यू0एम0एम0 का उत्पादन किया। बैचिंग प्लाण्ट को मार्च 2002 से जून 2002 तक निष्प्रयोज्य रखा गया एवं तदोपरान्त कार्य की प्रतीक्षा में अल्प उपयोजित रहा। यदि सफदरजंग इकाई ने कार्य-स्थल पर या इकाइयों के मध्य उचित सामंजस्य बनाने के पश्चात् धौलाकुँआ पर बैचिंग प्लाण्ट स्थापित कर डब्ल्यू0एम0एम0 उत्पादित किया होता तो रेडीमिक्स डब्ल्यू0एम0एम0 की आपूर्ति लेने पर 22.48 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय को बचाया जा सकता था।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि धौलाकुआँ पर डब्ल्यू0एम0एम0 के लगातार उत्पादन हेतु गाराचक्की की आवश्यकता थी, कंक्रीट बैचिंग प्लाण्ट को 1,659 घनमीटर की कम मात्रा के लिये उपयोग किया गया क्योंकि यह 40 एम0एम0 माप के एग्रीगेट को मिश्रित नहीं कर सकता था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एम0ओ0एस0टी0 की विशिष्टियों के अनुसार कंक्रीट बैचिंग प्लाण्ट में 40 एम0एम0 माप के एग्रीगेट को मिश्रित कर डब्ल्यू0एम0एम0 उत्पादित किया जा सकता है और धौलाकुँआ में उत्पादित डब्ल्यू0एम0एम0 भी एम0ओ0एस0टी0 की विशिष्टियों को पूरा करता था।

रेडीमिक्स कंक्रीट की खरीद

2.3.23 उल्हास क्रीक सेतु की निविदा में सेतु में रेडीमिक्स कंक्रीट (आर0एम0सी0) के प्रयोग की कोई शर्त नहीं थी। कम्पनी ने प्रस्ताव तैयार करते समय, विभागीय रूप से उत्पादित की जाने वाली कंक्रीट की दर 2,698 रूपये प्रति घनमीटर आगणित की।

सम्प्रेक्षा में यह देखा गया कि कुल 7,605 घनमीटर कंक्रीट के कार्य में से केवल 1,771 घनमीटर कंक्रीट विभागीय रूप से उत्पादित की गयी तथा शेष 5,834 घनमीटर, नवम्बर 1999 से नवम्बर 2001 के दौरान 3,141 रूपये प्रति घनमीटर की दर पर, 1.83 करोड़ रुपये में बाजार से अधिप्राप्त की गयी। इस प्रकार रेडीमिक्स कंक्रीट की खरीद पर 443 रुपये प्रति घनमीटर का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप संयंत्रों एवं मशीनों के अल्प प्रयोग के अतिरिक्त कुल 25.84 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि सम्प्रेक्षण द्वारा दरों की गणना में नियत लागत के अवयवों पर ध्यान नहीं दिया गया और यह कि इस अवधि के दौरान बैचिंग प्लाण्ट निष्प्रयोज्य नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रेडीमिक्स कंक्रीट की खरीद हेतु केवल परिवर्तनीय लागत पर ध्यान दिया जाना चाहिये था तथा कम्पनी की इकाई ने कंक्रीट के उत्पादन हेतु किसी बैचिंग प्लाण्ट को प्राप्त करने का कभी भी प्रयास नहीं किया।

सफदरगंज, नई दिल्ली में उचित प्रक्रिया अपनाये बिना कार्य का निष्पादन

कार्य के परिमाण में 28.46 प्रतिशत की कमी आई किन्तु कम्पनी ने घटी हुई मात्रा के लिये डीसीयू प्राक्कलन तैयार नहीं किया और परियोजना पर होने वाले व्यय का नियोजन करने और उस पर नियंत्रण रखने में असफल रही जिसके परिणामस्वरूप 7.17 करोड़ रुपये की हानि हुई

2.3.24 कम्पनी ने सफदरजंग, नई दिल्ली के समीप रिंग रोड एवं अरविन्दो मार्ग के विभाजन पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण कार्य के लिये लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली की निविदा में भाग लिया। 33.88 करोड़ रुपये की वार्तोपरान्त निवेदित राशि जो कि 34.58 करोड़ रुपये की आंकलित लागत से 2.02 प्रतिशत कम थी, नवम्बर 1999 में लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत कर ली गई। निविदा में, कम्पनी ने 32.81 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1.07 करोड़ रुपये के लाभ का आंकलन किया था। कार्यारम्भ की तिथि 7 दिसम्बर, 1999 एवं कार्य समापन की तिथि 6 जून, 2002 थी। तथापि, कार्य मई 2003 में पूर्ण हुआ। कम्पनी ने इस कार्य पर 7.17 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

पुन: यह देखा गया कि कार्य दिसम्बर 1999 में आरम्भ किया गया और विस्तृत प्राक्कलन (डी0सी0यू0 पैटर्न प्राक्कलन) बनाने से पूर्व ही धनराशि व्यय की गयी। प्रबन्ध निदेशक द्वारा मई 2002 में 36.99 करोड़ रुपये की राशि का डी0सी0यू0 प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। निविदा में कार्य की अनुमानित राशि (32.81 करोड़ रुपये) की गणना ठीक प्रकार से नहीं की गयी जिससे डी0सी0यू0 प्राक्कलन स्तर पर ही 4.18 करोड़ रुपये की हानि हुई।

यह भी देखा गया कि संविदा के आरम्भ होने के बाद लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली ने आरेख एवं अभिकल्प को परिवर्तित कर दिया (जनवरी 2000) जिसके फलस्वरूप मात्राओं में 28.46 प्रतिशत की कमी आ गई। कम्पनी ने कम हुए कार्य का आंकलन, 33.88 करोड़ रुपये के संविदा मूल्य के आधार पर, 24.24 करोड़ रुपये किया। चूँकि कार्य के परिमाण में कमी हो गई थी अत: नियंत्रण के उद्देश्य से डी0सी0यू0 प्राक्कलन,

कार्य के सम्पूर्ण मूल्य के स्थान पर, कार्य के घटे हुए मूल्य के आधार पर बनाया जाना चाहिए था। तथापि ऐसा नहीं किया गया एवं कम्पनी परियोजनाओं पर अपने व्यय के नियोजन एवं नियंत्रण में असफल रही जिसके परिणामस्वरूप 7.17 करोड़ रुपये की हानि हुई।

शासन ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2003) कि डी0सी0यू0 प्राक्कलन कार्य के निष्पादन के साथ-साथ बनाया गया था और प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति हेतु जुलाई 2000 में मुख्यालय भेजा गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डी0सी0यू0 प्राक्कलन मई 2002 में स्वीकृत किया गया जिससे डी0सी0यू0 प्राक्कलन का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया।

निक्षेप कार्य

2.3.25 1997-98 से 2001-02 के दौरान कम्पनी ने 259 निक्षेप कार्यों को निष्पादित किया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कार्यों की संख्या	स्वीकृत प्राक्कलित लागत	कुल व्यय
1997-98	48	73.57	83.40
1998-99	51	57.10	69.15
1999-00	51	106.61	106.17
2000-01	43	63.04	61.35
2001-02	66	181.73	156.69
योग	**259**	**482.05**	**476.76**

सम्प्रेक्षा ने पाया कि 259 कार्यों में से 94 में कुल व्यय प्राक्कलित लागत से अधिक हुआ।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि जहाँ व्यय स्वीकृत लागत से अधिक थे, संशोधित प्राक्कलन बनाये जा रहे थे।

44.79 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किये गये 37 कार्यों के सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति जारी ही नहीं की गयी।

तकनीकी स्वीकृति

2.3.26 कम्पनी को कार्य प्राप्त हो जाने पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा उसकी तकनीकी स्वीकृति दी जानी होती है जिसके बाद ही कार्य आरम्भ किया जाना चाहिये तथा धनराशि व्यय की जानी चाहिए। सम्प्रेक्षा में देखा गया कि सभी प्रकरणों में कार्य आरम्भ होने के पश्चात् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी जबकि 44.79 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किये गये 37 कार्य ऐसे थे जहाँ तकनीकी स्वीकृति जारी ही नहीं की गई थी।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि सामान्यत: सभी कार्यों के लिये तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है।

अत्यधिक प्रशासनिक उपरिव्यय

16.65 करोड़ रुपये का प्रशासनिक उपरिव्यय अर्जित शतांश से प्राप्त नहीं हुआ

2.3.27 जैसा कि प्रस्तर 2.3.5 में उल्लिखित है, प्रशासनिक उपरिव्यय को आवरित करने तथा लाभ हेतु 11.5 एवं 12.5 प्रतिशत के शतांश पर निक्षेप कार्य निष्पादित किये जा रहे थे जिसके विरूद्ध वास्तविक रूप से निष्पादित कार्यों में उपरिव्यय का प्रतिशत, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 11.32 से 16.67 प्रतिशत के बीच रहा। परिणामत: 16.65

करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा कि नीचे दी गई सारिणी से देखा जा सकता है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निष्पादित निक्षेप कार्यों का मूल्य (रुपये)	व्ययित प्रशासनिक उपरिव्यय (रुपये)	निक्षेप कार्यों के मूल्य पर उपरिव्यय का प्रतिशत (रुपये)	प्राक्कलनों के माध्यम से प्राप्त शतांश (रुपये)	अप्राप्त उपरिव्यय (रुपये)
1997-98	87.96	9.96	11.32	9.07	0.89
1998-99	107.06	12.93	12.07	10.78	2.15
1999-00	106.74	13.27	12.43	11.01	2.26
2000-01	110.86	15.77	14.23	11.43	4.34
2001-02	103.82	18.37	17.69	11.36	7.01
				योग	**16.65**

उपरिव्ययों में वृद्धि की प्रवृत्ति होने के बावजूद कम्पनी ने राज्य सरकार को विचारण हेतु वास्तविक स्थिति सूचित करने (अप्रैल 2002) के अतिरिक्त और कोई भी सुधारात्मक उपाय नहीं किये।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

राज्य सरकार को फार्म-44 एवं 45 का प्रस्तुत न किया जाना

प्रबन्धन 56 पुलों पर व्ययित 40.89 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में असफल रहा।

2.3.28 कम्पनी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पूर्ण हुए सेतुओं का मासिक पूर्णता प्रतिवेदन, फार्म-44 एवं 45 में, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिये। सरकार से अतिरिक्त व्यय की समयबद्ध वसूली हेतु, संशोधित स्वीकृति की त्वरित प्राप्ति के उद्देश्य से, कम्पनी को इन प्रतिवेदनों को समय से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

यह पाया गया कि 31 मार्च, 2002 को 56 सेतु ऐसे थे जहाँ व्ययित धनराशि स्वीकृत लागत के 15 प्रतिशत से अधिक हो गयी थी। अतिरिक्त व्यय की राशि 40.89 करोड़ रुपये थी। कम्पनी सभी 56 सेतुओं से सम्बन्धित फार्म 44 एवं 45 प्रस्तुत करने में असफल रही और इसलिये यह कोई भी संशोधित स्वीकृति नहीं प्राप्त कर सकी। 40.89 करोड़ रुपये की वसूली न होने के कारण कम्पनी के आर्थिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। प्रबन्धन की निष्क्रियता ने अनावश्यक ब्याज के भार को भी आमंत्रित किया जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की जायेगी।

शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2003) कि 24 पुलों के सम्बन्ध में इन फार्मों को अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल-31, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को भेजा गया था परन्तु उन्हें इस अभ्युक्ति के साथ वापस कर दिया गया कि इन्हें लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं के माध्यम से भेजा जाय एवं वे इसे प्रस्तुत करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

निक्षेप कार्यों में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईं:

रेलवे उपरिगामी सेतु (आर0ओ0बी0), कानपुर के निर्माण में मौलिक अभिकल्प का अतिक्रमण

2.3.29 भारतीय सड़क कांग्रेस (आई0आर0सी0) के मानक प्रावधानित करते हैं कि केवल सड़क यातायात के प्रयोग हेतु निर्मित उच्च श्रेणी के पुलों के लिये सड़क मार्ग की चौड़ाई एकल पथ सेतु हेतु 4.25 मीटर एवं द्विपथ सेतु हेतु 7.5 मीटर से कम नहीं

होगी जिसको बहुपथ सेतु हेतु यातायात के प्रत्येक अतिरिक्त पथ के लिये 3.5 मीटर और बढ़ाया जा सकेगा। पुन: मानक विशेष रूप से उल्लिखित करते हैं कि सड़क सेतु या तो एकल पथ, द्विपथ या द्विपथ के गुणक पथ उपलब्ध करायेगा और यह कि द्विदिशात्मक यातायात के साथ त्रिपथ सेतु निर्मित नहीं किया जायेगा।

सम्प्रेक्षा में यह देखा गया कि आई हॉस्पिटल, मेडिकल कालेज रोड, कानपुर पर रेलवे उपरिगामी पुल (आर0ओ0बी0) के अभिकल्पन एवं निर्माण के लिये कम्पनी निष्पादनकारी अभिकरण थी। परियोजना का निधि-पोषण राज्य सरकार एवं रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना था। इस पुल के निर्माण हेतु कम्पनी ने 11 मीटर ढुलाई मार्ग के साथ त्रिपथीय सेतु का प्राक्कलन तैयार किया जिसको व्यय वित्त समिति, जिसमें कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक एक सदस्य थे, द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। कार्य सम्पादन के दौरान मानकों का उल्लंघन करते हुए पुल का अभिकल्प परिवर्तित कर दिया गया और 10.5 मीटर का एक ढुलाई मार्ग निर्मित किया गया जो न तो द्विपथ श्रेणी और न ही त्रिपथ श्रेणी से सम्बन्धित था। सेतु 8.14 करोड़ रुपये की लागत में निर्मित किया गया (नवम्बर 2002)।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि 10.5 मीटर ढुलाई मार्ग के साथ त्रिपथीय सेतु के निर्माण का निर्णय 27 अप्रैल, 1996 को आयुक्त, कानपुर मण्डल द्वारा लिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आयुक्त का निर्णय सेवा पथ के साथ केवल त्रिपथ पुल के लिये था न कि 10.5 मीटर की सुगम ढुलाई मार्ग की चौड़ाई के लिये। चूँकि आयुक्त सेतुओं के अभिकल्प एवं निर्माण के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञ नहीं थे, कम्पनी को उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष तकनीकी अभिकल्प के उल्लंघन को स्पष्ट करना चाहिये था। जिसमें आई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का अतिक्रमण किया गया था।

निर्माण, संचालन एवं हस्तान्तरण (बी0ओ0टी) के अन्तर्गत कम्पनी को अधिक ऋण की स्वीकृति – सोन नदी चोपन पर सेतु

2.3.30 राज्य सरकार ने बी0ओ0टी0 योजना के अन्तर्गत सोन नदी, चोपन पर सेतु के निर्माण हेतु 51.30 करोड़ रुपये की परियोजना लागत इस अनुमान के साथ स्वीकृत की (जुलाई 1996) कि परियोजना लागत का 70 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर पूरा किया जायेगा तथा परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जायेगा। कम्पनी को कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा गया (जुलाई 1996) एवं 12 वर्षों के लिये सेतु से पथकर इकट्ठा करने हेतु प्राधिकृत भी किया गया। व्यय वित्त समिति (ई0एफ0सी0) ने 43.42 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित परियोजना की लागत निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत की (दिसम्बर 1999)।

- राज्य सरकार 14 करोड़ रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध करायेगी।
- बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तों पर प्रत्याभूति देनी थी:

(अ) कम्पनी निर्माण कार्य को अप्रैल 2000 से प्रारम्भ कर 2 वर्ष 6 माह में पूर्ण करने का वचन देगी। विलम्ब की स्थिति में दण्ड देय था और यदि परियोजना समय से पूर्व पूर्ण हो जाती है तो राज्य सरकार का 25 प्रतिशत ऋण माफ होना था।

(ब) ब्याज के साथ बैंक के ऋण और साथ ही साथ शासकीय ऋण के मूलधन का भुगतान पथकर राजस्व से किया जाना था; एवं

(स) पथकर की दर कम्पनी द्वारा निर्धारित की जानी थी।

राज्य सरकार ने 43.42 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते समय (मार्च 2001) सूचित किया था कि कम्पनी द्वारा यूनियन बैंक आफ इण्डिया से 30 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाना है एवं 13.42 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। कम्पनी ने 2000-01 एवं 2001-02 के दौरान राज्य सरकार से 13.42 करोड़ रुपये के ऋण की सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त की एवं 2000-01 के दौरान बैंक से 14 करोड़ रुपये निकाले। इस प्रकार कम्पनी के पास उपलब्ध कुल धन 27.42 करोड़ रुपये था। कार्य जनवरी 1999 में प्रारम्भ हुआ एवं 20.02 करोड़ रुपये की लागत पर दिसम्बर 2001 में पूर्ण हुआ।

सेतु की पूँजीगत लागत 17.87 करोड़ रुपये थी और कम्पनी को केवल सेतु की पूँजीगत लागत के लिये ऋण की आवश्यकता थी। इस प्रकार कम्पनी को 25.55 करोड़ रुपये (43.42 करोड़ रुपये - 17.87 करोड़ रुपये) के ऋण की अधिक स्वीकृति हुई।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा आगे देखा गया कि:

(i) कम्पनी ने 9.55 करोड़ रुपये (27.42 करोड़ रुपये - 17.87 करोड़ रुपये) की ऋण की धनराशि आवश्यकताओं से अधिक निकाली। इसके अतिरिक्त सेतु के पूर्ण होने के पश्चात् यूनियन बैंक आफ इण्डिया से भी 4.75 करोड़ रुपये राज्य सरकार की अनुमति के बिना निकाले। इसके परिणामस्वरूप 45.84 लाख रुपये के अतिरिक्त ब्याज का दायित्व उत्पन्न हुआ।

(ii) कम्पनी ने सेतु के शीघ्र पूर्ण होने के कारण राज्य सरकार के ऋण के भुगतान से 3.35 करोड़ रुपये की छूट स्वतः समायोजित कर ली। राज्य सरकार को न तो पूर्णता प्रमाण-पत्र और न ही सम्पूर्ण ऋण की धनराशि के उपभोग को इंगित करने वाला उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया। यह स्थापित नियमों के प्रतिकूल था।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि कम्पनी ने 18.75 करोड़ रुपये, (निर्माण लागत का 70 प्रतिशत अर्थात 26.80 करोड़ रुपये) परियोजना की लागत के आधार पर, ऋण के रूप में निकाला और चूँकि अतिरिक्त धनराशि नहीं निकाली गई इसलिये किसी अतिरिक्त ब्याज का दायित्व नहीं बना। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि कम्पनी के अभिलेखों के अनुसार सेतु की वास्तविक लागत 20.02 करोड़ रुपये थी।

कार्यविहीन श्रमिकों का स्थानान्तरण न करने के कारण राज्य सरकार पर अनावश्यक भार

कम्पनी के विभागीय श्रमिक कार्यविहीन पड़े रहे जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर 2.57 करोड़ रुपये का अनावश्यक भार पड़ा जैसा कि बाद के प्रस्तर 2.3.31 में वर्णित है।

रेलवे उपरिगामी सेतु, हरदोई

कम्पनी श्रमिक बल तथा संयंत्रों एवं मशीनों को बिना किसी कार्य के कार्य-स्थल पर नियोजित किये रही, परिणामत: राज्य सरकार पर 1.13 करोड़ रूपये का अनावश्यक भार पड़ा।

2.3.31 हरदोई शहर में रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण, जो अक्टूबर 1989 में 3.46 करोड़ रुपये पर स्वीकृत हुआ था, कम्पनी द्वारा मार्च 1997 में प्रारम्भ किया गया। कम्पनी ने मार्च 1999 तक 3.46 करोड़ रुपये के आबंटन के विरूद्ध 3.57 करोड़ रुपये व्यय किये जिसके सापेक्ष कार्य की भौतिक प्रगति 58 प्रतिशत थी। तदोपरान्त निधि की अनुपलब्धता के कारण कम्पनी द्वारा मार्च 2003 तक कोई कार्य नहीं किया गया। राज्य सरकार ने फरवरी 2003 में 7.30 करोड़ रुपये का संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत किया।

सम्प्रेक्षा में यह देखा गया कि यद्यपि कम्पनी यह नहीं जानती थी कि इस परियोजना पर कार्य पुन: कब प्रारम्भ हो पायेगा किन्तु फिर भी मानव-शक्ति एवं संयंत्रों को दूसरे कार्य-स्थल पर स्थानान्तरित करने के बजाय, अप्रैल 1999 से मार्च 2003 तक लगातार, उसी कार्य-स्थल पर रोके रखा गया। परिणामस्वरूप, 1.13 करोड़ रुपये की राशि विभागीय श्रमिकों की मजदूरी, कार्य-स्थल के किराये एवं संयंत्रों पर व्यय के रूप में व्ययित हुई। इसने राज्य सरकार पर अनावश्यक बोझ डाला।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि कार्य के प्रारम्भ होने की सम्भावना थी और इसलिये केवल आवश्यक खर्च किये गये। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्ययों को इस कार्य पर बिना कोई कार्य किये, भारित किया गया था।

चम्बल, इटावा पर सेतु

यह देखा गया कि चम्बल सेतु का कार्य निधि की समस्या के कारण 1991 से 1994 एवं 1996-97 के दौरान रूका रहा। फिर भी इस अवधि के दौरान श्रम-शक्ति एवं संयंत्र जिन्हें इस कार्य पर नियोजित/लगाया गया था, दूसरे कार्य-स्थल पर स्थानान्तरित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप विभागीय श्रमिकों को निष्क्रिय मजदूरी के रूप में 96 लाख रुपये का भुगतान हुआ।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि संयंत्र एवं विभागीय श्रमिकों को इकाई स्तर से दूसरे कार्य-स्थल पर स्थानान्तरित नहीं किया जा सका क्योंकि किसी दूसरे कार्य स्थल पर इनकी आवश्यकता नहीं थी और उन्हें विभागीय श्रमिकों को निष्क्रिय वेतन देना पड़ा।

रेलवे उपरिगामी सेतु-कानपुर

यह देखा गया कि दूसरे निक्षेप कार्य (बिरमा सेतु) के निष्क्रिय विभागीय श्रमिकों के वेतन एवं मजदूरी की 48.02 लाख रुपये की राशि को आर0ओ0बी0, कानपुर के व्यय पर भारित किया गया था। इस अतिरिक्त व्यय ने राज्य सरकार पर 48.02 लाख रुपये का एक अनियमित बोझ अन्तरित किया और दूसरे कार्य पर वास्तविक रूप से हुए व्यय को छिपा दिया।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि बिरमा सेतु के विभागीय श्रमिक रेलवे उपरिगामी सेतु, कानपुर पर स्थानान्तरित किये गये थे। ये आर0ओ0बी0 कानपुर को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण किये जाने में सहायक थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आर0ओ0बी0 कानपुर पर श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी एवं वेतन के भुगतान की समस्या से निबटने के लिये आर0ओ0बी0 कानपुर पर उपलब्ध निधि का उपयोग किया गया था।

राज्य के दिशा-निर्देशों का अतिक्रमण

कम्पनी ने राज्य के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर राज्य सरकार को 35.88 लाख रुपये की रायल्टी जमा नहीं की जैसा कि प्रस्तर 2.3.32 एवं 2.3.33 में वर्णित है।

तटबन्ध तथा पहुंच मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी पर रायल्टी का न काटा जाना – बी0सी0यू0, गोरखपुर

2.3.32 कम्पनी राज्य क्षेत्र की नाबार्ड योजना के अन्तर्गत पहुंच मार्ग सहित सेतुओं का निर्माण करती है। सेतुओं के निर्माण हेतु कम्पनी को तटबन्ध एवं पहुंच मार्ग के लिये मिट्टी की व्यवस्था करनी होती है। उत्तर प्रदेश खनिज (परिहार) (22वाँ संशोधन) नियम 1997 के अनुसार राज्य सरकार को सामान्य मिट्टी पर 4 रुपये प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी देय थी और इसलिये कम्पनी को तटबन्ध एवं पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु खोदी गयी मिट्टी पर रायल्टी देनी थी चाहे उसका प्रबन्ध स्वयं द्वारा किया गया हो या उसे ठेकेदार से खरीदा गया हो।

सम्प्रेक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी ने गोरखपुर में 21 कार्यो पर संविदा अनुबन्ध के माध्यम से/आपूर्ति आदेशों के माध्यम से 4.43 लाख घनमीटर मृदा-कार्य विभागीय रूप से सम्पादित किया (अक्टूबर 2000 से मार्च 2003), परन्तु ठेकेदारों के देयकों से न तो कोई रायल्टी काटी गयी और न ही शासकीय खाते में जमा की गयी। इसके परिणामस्वरूप शासकीय खाते में 17.72 लाख रुपये की रायल्टी जमा नहीं हुई जिसने उसी सीमा तक राजकोष को राजस्व से वंचित किया।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि मिट्टी खनिज संक्रिया के अन्तर्गत नहीं आती और इसलिये रायल्टी को आकर्षित नहीं करती। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने अपनी 8 फरवरी, 2000 की अधिसूचना में स्पष्ट किया था कि तटबन्ध में प्रयुक्त मिट्टी पर रायल्टी देय है। मिट्टी अधिसूचना की तिथि के बाद क्रय की गई थी।

निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिजों पर रायल्टी की वसूली न किया जाना।

2.3.33 उत्तर प्रदेश उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 1964 (22वाँ संशोधन 1997) एवं खान तथा खनिज विकास नियामक अधिनियम, 1957 के अनुसार, रायल्टी के भुगतान के बगैर खनन एवं निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐसी सामग्रियों जैसे पत्थर, बोल्डर, महीन बालू, मोटी बालू, गिट्टी एवं रोड़े का प्रयोग उत्तर प्रदेश उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 57 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है। इस प्रकार बगैर रायल्टी जमा किये किसी भी सामग्री का खनन एवं प्रयोग नहीं किया जा सकता।

कम्पनी की फील्ड इकाइयों ने ठेकेदारों के माध्यम से 1997-98 से सितम्बर 2002 के दौरान 90,800.40 घनमीटर पत्थर की गिट्टी एवं पत्थर के बैलास्ट क्रय किये। इकाइयों ने न तो ठेकेदारों के देयकों से रायल्टी की राशि को घटाया और न ही अन्तिम भुगतान देने से पूर्व उपयुक्त प्राधिकारी से रायल्टी भुगतान प्रमाण-पत्र माँगा। रायल्टी 20 रुपये प्रति घनमीटर की दर पर देय थी। इसके परिणामस्वरूप सरकार को 18.16 लाख रुपये की हानि एवं ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि आपूर्तिकर्ताओं को दी गई दर में रायल्टी जुड़ी हुई थी जिन्होंने इसे क्रशरों से खरीदा था, इसलिये रायल्टी के भुगतान हेतु कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने उपयुक्त प्राधिकारी को रायल्टी का भुगतान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये थे और रायल्टी की राशि को काटकर शासकीय लेखे में जमा करना था।

फार्म III-डी का अनियमित प्रयोग

2.3.34 कार्य दो प्रकार के होते है यथा निविदा कार्य एवं निक्षेप/लागत-योग कार्य आयुक्त, बिक्री कर के आदेशानुसार शासन द्वारा निक्षेप/लागत-योग आधार पर निर्माण हेतु आबंटित कार्य के लिए सामग्री क्रय करने में, अर्थात् जहाँ कम्पनी की स्थिति निष्पादन अभिकरण की है, कम्पनी फार्म III-डी का प्रयोग करने के लिये अधिकृत है। मुरादाबाद बाईपास परियोजना में, कम्पनी की स्थिति निष्पादन अभिकरण की न होकर एक ठेकेदार की थी। इसलिये संविदा कार्य में फार्म III-डी का प्रयोग नियमित नहीं था।

यह देखा गया कि मुरादाबाद बाईपास परियोजना के कार्य को सम्पादित करने वाली मुरादाबाद की इकाई ने फार्म III-डी का प्रयोग कर 3.26 करोड़ रुपये मूल्य का 21 लाख लीटर एच0एस0डी0 खरीदा। व्यापार कर की 12 प्रतिशत की नियमित दर के विरूद्ध रियायती दर 4 प्रतिशत थी। इस प्रकार फार्म III-डी का अनियमित प्रयोग कर कम्पनी ने 26.08 लाख रुपये के व्यापार कर (व्यापार कर की अन्तर राशि) का अपवंचन किया जो राज्य सरकार को देय था।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि काफी अधिक मात्रा के लिये सुनिश्चित आपूर्ति-सारिणी प्राप्त करने हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम से एच0एस0डी0 क्रय किया गया। चूँकि कम्पनी एक राज्य सरकार की कम्पनी है तथा कार्य एन0एच0ए0आई0 से सम्बन्धित है, अतः फार्म III-डी का प्रयोग कर की गई बचत, सार्वजनिक धन की बचत थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फार्म III-डी के अनियमित प्रयोग के अतिरिक्त राज्य सरकार को राजस्व की हानि भी हुई।

सामग्री प्रबन्धन

निर्माण सामग्री, भण्डार एवं पुर्जों की इन्वेन्टरी

2.3.35 पाँच वर्षों के अन्त में सामग्री एवं इन्वेन्टरी के उपभोग की स्थिति निम्नवत् है:

वर्ष	कार्य पर उपभोगित निर्माण सामग्री एवं भण्डार	निर्माण सामग्रियों एवं भण्डारों की इन्वेन्टरी	मासिक उपभोग के अनुसार इन्वेन्टरी
	(लाख रुपये में)		
1997-98	8316.06	1746.38	2.52
1998-99	9162.69	1883.08	2.47
1999-2000	10570.42	1683.79	1.91
2000-01 (अनन्तिम)	10713.32	2009.89	2.28
2001-02 (अनन्तिम)	8162.95	1169.49	1.72

यह देखा गया कि इन्वेन्टरी में 43 लाख रुपये मूल्य का स्कन्ध सम्मिलित था जो भौतिक रूप से विद्यमान नहीं था। कानपुर इकाई के शाखा सम्प्रेक्षकों ने वर्ष 1997-98 से 2001-02 के अपने प्रतिवेदन में यह कहते हुए इसे सूचित किया था कि वे इस स्कन्ध की जाँच एवं सत्यापन करने में असमर्थ है।

प्रबन्धन ने सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा स्कन्ध के दुरूपयोग/हानि हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण की कोई कार्यवाही नहीं की। शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2003) कि सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

निर्माण सामग्री का उपभोग

फार्म-37 का तैयार न किया जाना

2.3.36 निर्माण उद्योग में प्रत्येक संगठन को सामग्री के उपयोग पर नियंत्रण रखना होता है क्योंकि सामान्यतया यह कार्य की लागत का लगभग 60 प्रतिशत होता है। सामग्री उपभोग में दक्षता का आंकलन करने के उद्देश्य से सामग्री के उपभोग के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार एक उपभोग-विवरणी बनायी जानी चाहिए। कम्पनी ने इसे अनिवार्य बना दिया था कि सेतु/परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात् सम्बद्ध अभियन्ताओं द्वारा सामग्री उपभोग विवरण फार्म-37 में बनाया जाना चाहिये। कम्पनी की छः निक्षेप इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि कम्पनी की इकाइयों ने 67.79 करोड़ रुपये की लागत पर 40 पुलों का निर्माण पूर्ण किया परन्तु फार्म-37 में उपभोग विवरण नहीं बनाया गया। कम्पनी के मुख्यालय ने भी इसका अनुश्रवण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप न केवल सामग्री के उपभोग पर प्रबन्धन के नियंत्रण का अभाव रहा, बल्कि सामग्री के अधिक उपभोग की, यदि कोई हो, सम्प्रेक्षण द्वारा नमूना जाँच भी नहीं की जा सकी।

शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2003) कि सभी पूर्ण हुए सेतुओं के सम्बन्ध में फार्म-37 तैयार किये जा रहे है।

मानव शक्ति नियोजन

कम्पनी ने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार विभागीय श्रमिकों को नियोजित करने हेतु किसी पद्धति का विकास नहीं किया।

2.3.37 अत्यधिक विभागीय श्रमिकों के नियोजन पर 31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिये लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के प्रस्तर 2बी.9 में टिप्पणी की गई थी। कम्पनी ने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार विभागीय श्रमिकों के नियोजन हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की। वर्तमान में कम्पनी में ऐसे 5,948 श्रमिक है। कम्पनी द्वारा राज्य सरकार को अप्रैल 2002 में दी गई सूचना के अनुसार 66.5 प्रतिशत श्रमिक सामान्यतया निक्षेप कार्यो में नियोजित किये गये थे और 33.5 प्रतिशत श्रमिक संविदा कार्यो में लगे थे अर्थात् निक्षेप कार्यो एवं संविदा कार्यो में श्रमिकों के नियोजन का अनुपात 3955:1993 था। नीचे दी गई सारणी प्रदर्शित करती है कि कम्पनी द्वारा किया गया नियोजन कार्य के परिमाण के अनुरूप नहीं था साथ ही प्रति श्रमिक उत्पादन प्रदर्शित करता है कि इन श्रमिकों में से अधिकांश निष्क्रिय थे, जैसा कि प्रस्तर 2.3.32 में वर्णित है, निष्क्रिय तथा संविदा इकाइयों में बाजार से अपेक्षाकृत अधिक श्रमिक लगाये गये थे।

(लाख रुपये में)

वर्ष	किये गये कार्य का मूल्य (जमा कार्य)	प्रति श्रमिक उत्पादन	किये गये कार्य का मूल्य (संविदा कार्य)	प्रति श्रमिक उत्पादन
1997-98	8796	2.22	10102	5.07
1998-99	10706	2.70	11474	5.76
1999-00	10674	2.70	15692	7.87
2000-01	11086	2.80	16479	8.27
2001-02	10382	2.62	11539	5.79

कार्यों पर शटरिंग एवं सेन्टरिंग के अपलेखन हेतु प्रावधान

2.3.38 कम्पनी की नीतियों के अनुसार प्रबन्धन द्वारा नियत दरों पर की गयी कंक्रीटिंग के आधार पर शटरिंग एवं सेन्टरिंग का प्रावधान किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 2000-01 तक लागू दर 250 रुपये प्रति कंक्रीटिंग घनमीटर थी जो अप्रैल 2001 से बढ़कर 400 रुपये प्रति कंक्रीटिंग घनमीटर हो गई। नीचे दी गई सारणी प्रदर्शित करती है कि खातों में अपलिखित शटरिंग एवं सेन्टरिंग प्रबन्धन द्वारा नियत दरों के अनुसार नहीं थी तथा 5.58 करोड़ रुपये का कम प्रावधान किया गया था।

(लाख रुपये में)

वर्ष	कुल कंक्रीटिंग घ0मी0 में	अपलिखित शटरिंग एवं सेन्टरिंग	औसत दर	लागू दर	दर में अन्तर	कम प्रावधान
1997-98	171033	381.31	222.95	250	27.05	46.26
1998-99	198681	476.52	239.90	250	10.10	20.07
1999-00	248616	527.40	212.10	250	37.90	94.22
2000-01	240354	447.10	186.00	250	64.00	153.83
2001-02	167514	426.99	254.90	400	145.10	243.06
					योग	**557.41**

निक्षेप एवं निविदा इकाइयों के अभिलेखों के परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि शटरिंग एवं सेन्टरिंग का प्रावधान निक्षेप कार्यों के मामले में निर्धारित दर पर किया गया था परन्तु संविदा कार्यों के मामले में कम दर लगाई गई थी। इस प्रकार संविदा कार्यों के कार्य-व्ययों में शटरिंग एवं सेन्टरिंग के लिये कम दर आरोपित करने के कारण यह कम प्रदर्शित हुई तथा लाभ अधिक प्रदर्शित हुआ जिसने पाँच वर्षों के दौरान 5.58 करोड़ रुपये का प्रभाव डाला। इससे प्रदर्शित होता है कि इस सम्बन्ध में कम्पनी की कोई समान नीति नहीं थी।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि कम्पनी द्वारा संविदा कार्य निविदा की प्रक्रिया से प्राप्त किये गये थे। निविदा प्रस्ताव देते समय ली गयी शटरिंग प्रभार की दरों को ध्यान में रखते हुए कार्य के प्राक्कलन में शटरिंग प्रभार का प्रावधान किया गया और तद्नुरूप इस मद में व्यय को बुक किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय, संविदा या निक्षेप कार्य का भेद किये बिना, समान नीति पर आधारित होना चाहिये।

आन्तरिक सम्प्रेक्षा/आन्तरिक नियंत्रण

2.3.39 कम्पनी के पास वर्ष 1997 एवं 1998 के दौरान कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा समन्वय नहीं था। कम्पनी ने 1999 में अपना आन्तरिक लेखा परीक्षा समन्वय स्थापित किया। इस समन्वय का प्रमुख वित्त नियंत्रक होता है, जो कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को प्रतिवेदन देता है। आन्तरिक सम्प्रेक्षा मैनुअल निदेशक मण्डल द्वारा दिसम्बर 2001 में अनुमोदित किया जा सका। आन्तरिक सम्प्रेक्षा मैनुअल के अनुसार प्रत्येक इकाई का वर्ष में एक बार सम्प्रेक्षण होना है। तथापि यह पाया गया कि 1999-2000 से 2001-02 के दौरान केवल 46 इकाइयों का सम्प्रेक्षण किया जा सका जबकि इन वर्षो में कम्पनी में 55-60 कार्यरत इकाइयाँ विद्यमान थीं। यद्यपि आन्तरिक सम्प्रेक्षा मैनुअल विद्यमान है जिसमें निर्धारित परीक्षण की व्यवस्था की गयी है परन्तु प्रबन्धन ने इकाइयों की लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। सांविधिक सम्प्रेक्षकों ने भी अपने प्रतिवेदन में सूचित किया कि कम्पनी की आन्तरिक सम्प्रेक्षा प्रणाली सामान्यतया इसके व्यवसाय के आकार एवं कार्य की प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं रखती।

इकाइयों के साथ-साथ मुख्यालय के बैंक खातों के संचालन पर कोई आन्तरिक नियंत्रण नहीं था। यह देखा गया कि कम्पनी के बैंक खाते इकाई प्रभारी द्वारा एकल हस्ताक्षर के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे थे जबकि आन्तरिक नियंत्रण बनाये रखने के क्रम में इसे कम से कम दो अधिकारियों (जिनमें से एक वित्त/लेखा विभाग से हो सकता है) के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जाना चाहिये था।

शासन ने बताया (सितम्बर 2003) कि बैंक खातों के संचालन में संयुक्त हस्ताक्षर का प्रकरण निदेशक मण्डल को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। आन्तरिक सम्प्रेक्षा के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि भविष्य में प्रत्येक इकाई की आन्तरिक सम्प्रेक्षा प्रतिवर्ष सम्पादित करायी जायेगी।

निष्कर्ष

कम्पनी ने 2000-01 तक आंशिक लाभ अर्जित किया। यह 2001-02 के दौरान बदलकर हानिप्रद हो गयी। प्रत्येक वर्ष परिचालन हानि हुई क्योंकि किये गये कार्य के मूल्य की तुलना में कार्य का लागत-मूल्य बहुत अधिक (98 से 100 प्रतिशत) था। मुख्यत: ऊँचे प्रशासनिक व्ययों, तथा कार्य को पूर्ण करने में समय/लागत के अतिक्रमण और उप-ठेकेदारों पर अधिक निर्भरता के कारण कम्पनी संविदा कार्यों में विहित लाभ कभी भी प्राप्त नहीं कर सकी। निक्षेप कार्यों में कम्पनी अपने उपरिव्ययों को शतांश आय की सीमा तक नियंत्रित करने में असफल रही। कम्पनी संशोधित स्वीकृति प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार के समक्ष पूर्ण सेतुओं के सम्बन्ध में फार्म 44 एवं 45 प्रस्तुत करने में पूर्णतया असफल रही। संविदा कार्य एवं निक्षेप कार्य दोनों मामलों में कम्पनी ने कार्य के क्षेत्र का ठीक से निर्धारण किये बिना दर प्रस्तावित की/कार्य स्वीकार किया

जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश संविदा एवं निक्षेप कार्यों में अधिक व्यय हुआ, जिसका भुगतान/प्रतिपूर्ति ग्राहक/शासन द्वारा नहीं की गयी।

कम्पनी संविदा कार्य हेतु यथार्थवादी एवं प्रतियोगितात्मक बिडिंग को अपनाकर, उपरिव्ययों पर नियंत्रण रखकर, उपलब्ध अवसंरचना का श्रेष्ठतम उपयोग कर तथा निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण करने का हर सम्भव प्रयास कर और अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

2.4 उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के क्रियाकलापों पर समीक्षा

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का निगमन इसके स्वयं के स्वामित्व वाली अथवा इसे हस्तान्तरित की गई सुविधाओं (होटलों जल-पान गृहों, जल-क्रीड़ा परिसरों इत्यादि) को वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर संचालित करने तक सीमित की गई (मार्च 1975) अनुवर्ती भूमिका सहित राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 1974 में हुआ था।

(प्रस्तर 2.4.1)

प्रबन्ध निदेशकों के बारम्बार स्थानान्तरण के फलस्वरूप अस्थिर नेतृत्व और राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने में दिखाई गई अनिच्छा के कारण कम्पनी घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही।

(प्रस्तर 2.4.2)

31 मार्च 2003 को कम्पनी के पास 21 लाभ अर्जित करने वाले और 20 हानिप्रद होटल थे। बिना सम्भाव्यता वाले होटलों के निजीकरण में प्रबन्धन की निष्क्रियता, समविच्छेद बिन्दु को प्राप्त न करने और अधिभोग अनुपात में गिरावट के कारण होटलों का समग्र परिचालन लाभ 1998-99 में 1.83 करोड़ रुपये से घटकर 2002-03 में 1.43 करोड़ रुपये हो गया।

(प्रस्तर 2.4.5)

पर्यटकों के आगम में भारी वृद्धि के बावजूद, अपर्याप्त विपणन व्यवस्थाओं और सेवाओं की समतुल्य गुणवत्ता सुनिश्चित किये बिना दर-सूची में भारी वृद्धि के कारण कम्पनी पर्यटकों को आकर्षित करने में विफल रही।

(प्रस्तर 2.4.6)

सात होटलों के निजीकरण के लिए प्रबन्ध निदेशकों के अनुमोदन के बावजूद, अनिच्छा और अपर्याप्त अनुगामी कार्यवाहियों के कारण उनमें से किसी का भी निजीकरण नहीं किया जा सका। परिणामत: 2.84 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.4.13)

प्रस्तावना

2.4.1 उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कम्पनी के रूप में 5 अगस्त 1974 को राज्य में पर्यटन को संवर्द्धित करने के उद्देश्य से हुआ था। मार्च 1975 में, सरकार ने कम्पनी की भूमिका को, पर्यटन निदेशालय (डीओटी) द्वारा विकसित और वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर संचालित करने हेतु कम्पनी को हस्तान्तरित सुविधाओं और होटलों के संचालन के

क्रियाकलापों तक सीमित कर दिया। कम्पनी के पार्षद सीमा नियमों और अन्तर्नियमों में विहित उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, बीओटी[1], बीओओटी[2], बीओओएल[3] और बीओएलटी[4] पद्धति के माध्यम से होटलों/जलपानगृहों का अधिग्रहण/क्रय/परिचालन, पर्यटकों को परिवहन सुविधायें उपलब्ध कराना और केन्द्र/राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों के निस्तारण का प्रावधान करते थे। 31 मार्च 2003 को कम्पनी 41 होटलों (एक जल-पान गृह सहित), तीन अग्रिम आरक्षण केन्द्रों (नई दिल्ली, कलकत्ता और मुम्बई में अवस्थित) और पर्यटकों को पैकेज टुअर्स और यात्रा सुविधायें प्रस्तावित करने वाली चार यात्रा इकाइयों (राज्य में महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर अवस्थित) को संचालित कर रही थी।

संगठनात्मक ढाँचा

2.4.2 कम्पनी का प्रबन्धन राज्य सरकार द्वारा नामित पाँच निदेशकों वाले निदेशक मण्डल (बीओडी) में निहित है। कम्पनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों की देख-रेख एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक द्वारा की जाती है जो पिछले पाँच वर्षो से पर्यटन निदेशालय के निदेशक अथवा महानिदेशक के पूर्णकालिक कार्यभार को भी धारण कर रहा था। मुख्यालय पर प्रबन्ध निदेशक की सहायता एक महाप्रबन्धक, कम्पनी सचिव, मुख्य लेखाधिकारी और एक परियोजना अधिकारी करते है। होटल और यात्रा इकाइयों जैसी फील्ड इकाइयों की देख-रेख निगम कार्यालय के सीधे पर्यवेक्षण में कार्यरत प्रबन्धकों द्वारा की जाती है।

प्रबन्ध निदेशकों के बार-बार बदले जाने के परिणामस्वरूप दीर्घकालिक निगमित योजना के निर्माण और लागू करने में पहल-शक्ति का अभाव रहा

मार्च 2003 तक पाँच वर्षो की अवधि में, प्रबन्ध निदेशक का पद 6 से 18 महीनों तक विस्तारित कार्यकाल वाले आठ पदधारकों द्वारा ग्रहण किया गया। पदधारिता में बार-बार परिवर्तन के कारण कार्यप्रणाली में सुधार हेतु किसी दीर्घकालिक कार्य योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में उच्च स्तर पर पहल-शक्ति का अभाव रहा जैसा कि किसी दीर्घकालिक निगमित योजना की अनुपस्थिति सहित उनके विरूद्ध उपलब्धियों के मापदण्डों से स्पष्ट है।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.4.3 कम्पनी द्वारा 1992-93 में आगरा में हाथ में लिये गये मदिरा व्यवसाय से संबंधित क्रियाकलापों की समीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुये वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में की गई थी और सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (कोपू) द्वारा उस पर जून 1998 से अक्टूबर 1999 के दौरान चर्चा की गई थी; उनकी संस्तुतियाँ प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2003)।

फरवरी 2003 से अप्रैल 2003 के दौरान की गई वर्तमान समीक्षा राज्य की पर्यटन-नीति (1998) को लागू करने पर विशेष जोर देने सहित सामान्यत: 2002-03 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षो की अवधि के कम्पनी के कार्य-सम्पादन को आवरित करती है।

1 बीओटी, बनाना, परिचालन और हस्तान्तरण को निरूपित करता है।

2 बीओओटी, बनाना, परिचालन, स्वामित्व में रखना और हस्तान्तरण को निरूपित करता है।

3 बीओओएल, बनाना, परिचालन, स्वामित्व में रखना और पट्टे पर देना को निरूपित करता है।

4 बीओएलटी, बनाना, परिचालन, पट्टे पर देना और हस्तान्तरण को निरूपित करता है।

निगम कार्यालय पर रखे गये अभिलेखों, 41 पर्यटक होटलों और चार यात्रा इकाइयों में से 10 लाख रुपये वार्षिक से अधिक व्यवसाय वाले आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद और रायबरेली जिलों में अवस्थित आठ होटलों और एक यात्रा इकाई (लखनऊ) को परीक्षण हेतु चुना गया। लेखा परीक्षा के निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है:

वित्तीय स्थिति और कार्यचालन-परिणाम

2.4.4 1998-99 से 2002-03 तक के वर्षों में कम्पनी की वित्तीय स्थिति व कार्यचालन परिणाम क्रमश: परिशिष्ट-35 और परिशिष्ट-36 में दिये गये है।

परिशिष्ट-35 और 36 में इंगित कार्यचालन परिणामों और परिसम्पत्तियों व देयताओं के मूल्यों को निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है:

- राज्य सरकार द्वारा 1977-78 में 24 लाख रुपये की अनन्तिम राशि पर कम्पनी को हस्तान्तरित आठ पर्यटक आवास गृहों का अन्तिम क्रय प्रतिफल अब तक (अक्टूबर 2003) अनिर्णीत है, लेखों में परिसम्पत्तियाँ अनन्तिम राशि पर पूँजीकृत की जा चुकी है।
- अट्ठारह पर्यटक आवास गृह जो कि राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रत्याशा में डीओटी द्वारा मार्च 1991 में 3.81 करोड़ रुपये की कुल लागत पर हस्तान्तरित किये गये थे, सरकार द्वारा अब तक (अक्टूबर 2003) अनुमोदित नहीं किये गये। कम्पनी के लेखाओं में उक्त अनन्तिम राशि का पूँजीकरण कर लिया गया।
- ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लेखांकन के आधार को नकद से उपार्जित आधार में परिवर्तित करने के कारण हानि में 2.35 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई परिणामस्वरूप कम्पनी का निवल मूल्य 1999-2000 में पर्याप्त रूप से गिर गया।
- कुल आय की तुलना में कुल परिचालन व्ययों में लगातार वृद्धि के कारण कम्पनी द्वारा 1998-99 में अर्जित नाममात्र का लाभ वर्ष 1999-2000 से हानि में परिवर्तित हो गया।

होटलों और जल-पान गृहों का परिचालनात्मक निष्पादन

2.4.5 2002-03 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों से परिचालन में रहे होटलों का निष्पादन परिशिष्ट-37 में दिया गया है। नीचे दी गई सारिणी 2002-03 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों में होटलों (लाभ अर्जन करने वाले और हानिप्रद) के कार्यचालन परिणामों को संक्षिप्त रूप में दर्शाती है:

(लाख रूपये में)

वर्ष	लाभ अर्जन करने वाले होटल				हानि अर्जन करने वाले होटल				सम्पुट लाभ
	होटलों की संख्या	व्यवसाय	लाभ	व्यवसाय पर लाभ का प्रतिशत	होटलों की संख्या	व्यवसाय	हानि	व्यवसाय पर हानि का प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1998-99	21	880.95	231.17	26.24	30	111.39	47.88	42.98	183.29
1999-00	21	946.05	235.51	24.89	31	145.17	45.50	31.34	190.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2000-01	22	1047.61	236.15	22.54	30	120.85	44.18	36.56	191.97
2001-02	23	1019.13	192.82	18.92	16[1]	80.71	27.77	34.41	165.05
2002-03	21	1013.23	187.94	18.55	20[2]	98.59	44.98	45.62	142.96
योग		**4906.97**	**1083.59**			**556.71**	**210.31**		**873.28**

लेखा परीक्षा में यथाविश्लेषित, सम्पुट लाभ में गिरावट/हानि के प्रमुख कारण थे:

- प्रबन्ध निदेशकों के निजीकरण के निर्देशों के विरूद्ध इकाइयों का संचालन;
- अधिभोग में गिरावट; और
- समविच्छेद बिन्दु को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विक्रय राशि में भारी गिरावट।

इनकी चर्चा क्रमश: प्रस्तर 2.4.6, 2.4.14 और 2.4.15 में की गई है।

होटलों का घटता अधिभोग

2.4.6 31 मार्च 1999 को 8.81 करोड़ रुपये के कुल वार्षिक व्यवसाय वाले 21 लाभ अर्जक होटलों में से 5.28 करोड़ रुपये (60 प्रतिशत) के कुल वार्षिक व्यवसाय वाले सात होटलों के कार्य सम्पादन में पाँच वर्षों की अवधि में अधिभोग और लाभ के रूप में गिरावट आई। 1998-99 की उपलब्धियों की तुलना में इस गिरावट की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गई है:

(लाख रूपये में)

इकाई का नाम	1998-99			2002-03			गिरावट प्रतिशत में	
	व्यवसाय	लाभ	अधिभोग (प्रतिशत)	व्यवसाय	लाभ	अधिभोग (प्रतिशत)	लाभ	अधिभोग
गोमती, लखनऊ	232.43	66.52	55.53	225.88	21.75	44.80	67.30	10.73
कुशीनगर	34.31	15.14	17.19	23.84	0.60	9.00	96.04	8.19
इलाहाबाद	103.27	36.06	60.98	117.68	25.66	41.87	28.84	19.11
वाराणसी	70.34	10.49	61.80	70.55	9.10	47.34	13.25	14.46
फतेहपुर सीकरी	23.37	4.19	13.73	14.99	(-)5.85	7.31	239.62	6.42
मुरादाबाद	49.16	14.83	71.00	56.50	14.24	44.20	3.98	26.80
सोनौली	15.23	2.63	44.25	12.69	(-)0.85	27.00	132.32	17.25
योग	**528.11**	**149.86**		522.13	**64.65**			

पर्यटकों के आगमन में भारी वृद्धि के बावजूद कम्पनी पर्यटकों को आकर्षित करने में विफल रही

लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश में आये:

- कम्पनी के होटलों में पर्यटकों के ठहरने का प्रतिशत 2002-03 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि में पर्याप्त रूप से घटा है जैसा कि नीचे दी गई सारिणी से देखा जा सकेगा:

(पर्यटकों की संख्या लाख में)

होटल का नाम	1998-99			2002-03		
	गन्तव्य पर पर्यटकों का आगमन[3]	होटल में ठहरने वाले पर्यटक	होटल में ठहरने वाले पर्यटकों का कुल आगमन पर प्रतिशत	गन्तव्य पर पर्यटकों का आगमन	होटल में ठहरने वाले पर्यटक	होटल में ठहरने वाले पर्यटकों का कुल आगमन पर प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गोमती, लखनऊ	5.12	0.26	5.08	7.83	0.21	2.68
कुशीनगर	1.02	0.07	6.86	1.21	0.04	3.31

1 2001-02 के दौरान बन्द 11 होटलों को छोड़कर ।

2 मार्च 2003 तक बन्द 12 होटलों को छोड़कर ।

3 स्रोत: पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
इलाहाबाद	74.19	0.24	0.32	123.30	0.17	0.14
वाराणसी	3.76	0.19	5.05	26.87	0.15	0.56
फतेहपुर सीकरी	3.02	0.02	0.66	19.85	0.01	0.05
मुरादाबाद	1.40	0.07	5.00	2.08	0.05	2.40
सोनौली	0.81	0.12	14.81	0.48	0.07	14.58

पर्यटकों के आगमन में भारी वृद्धि के बावजूद (सोनौली को छोड़कर) उपरोक्त होटलों के अधिभोग में गिरावट आई। कम्पनी के होटलों के लिए पर्यटकों की वरीयता में गिरावट के कारणों का प्रबन्धन द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया।

सेवा की गुणवत्ता में सुधार किये बिना दर-सूची में तीव्र वृद्धि के कारण अधिभोग में गिरावट आई

- सेवाओं की गुणवत्ता में निजी होटलों से समानता को सुनिश्चित करने वाले किसी मानदण्ड के अभाव में, निजी क्षेत्र के समान प्रकार के होटलों में प्रचलित दरों को ध्यान में रखते हुए लागू की गई दर-सूची में भारी वृद्धि, प्रति-उत्पादक सिद्ध हुई और परिणामत: होटलों के अधिभोग में गिरावट आई जैसा कि नीचे दी गई सारिणी से देखा जा सकता है:

(प्रतिशत में)

होटल का नाम	संशोधन की तिथि	विद्यमान दरों पर वृद्धि का विस्तार	संशोधन पूर्व अधिभोग	संशोधन के बाद छ:माही अधिभोग
गोमती, लखनऊ	अप्रैल 1998	29-50	63.54	58.37
	अक्टूबर 1999	8-33	55.53	51.03
	अक्टूबर 2001	(-) 3 - (-)15	42.53	44.75
कुशीनगर	अप्रैल 1998	70	13.42	10.27
	अक्टूबर 1999	33-36	17.19	16.43
	अक्टूबर 2001	12.50-13.33	11.73	8.10
इलाहाबाद	अक्टूबर 2001	21-30	60.94	41.92

उपरोक्त सारिणी से देखा जा सकेगा कि गोमती होटल, लखनऊ के प्रकरण में अक्टूबर 1999 की वृद्धि को अक्टूबर 2001 में वापस ले लिया गया। परिणामत:, अधिभोग स्तर में 2.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दर-सूची में वृद्धि करना और बाद में वापस लिया जाना इस संबंध में किसी स्थिर नीति के अभाव को इंगित करता है। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने, स्वयं के होटल के सापेक्ष, अन्य निजी होटलों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न सेवाओं और ऐसी सेवाओं की गुणवत्ता का विश्लेषण नहीं किया।

राज्य की पर्यटन नीति और इसका क्रियान्वयन

राज्य की पर्यटन नीति

2.4.7 पार्षद सीमा नियमों और अन्तर्नियमों में अधिकृत बहुत से क्रियाकलापों में से, कम्पनी की प्राथमिकतायें, राज्य सरकार की दीर्घकालिक पर्यटन नीति के माध्यम से, सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होती है जिसके अन्तर्गत कम्पनी को एक विशिष्ट भूमिका दी गई थी। दिसम्बर 1998 में घोषित पर्यटन नीति (नीति) में उद्योग की गुणवत्ता में सुधार द्वारा पर्यटन को मुख्य उद्योग की तरह विकसित करने पर बल दिया गया और कम्पनी को प्रत्यक्ष रूप में निम्नलिखित दायित्व सौंपे गये,

- पाँच सर्किटों[1] में अवस्थित महत्वपूर्ण इकाइयों की सुविधाओं का विस्तार तथा उच्चीकरण और सितारा स्तर की प्राप्ति द्वारा उनको विदेशी पर्यटकों के लिए उपयुक्त बनाना।
- जहाँ आवश्यक हो, इकाइयों का निजीकरण करना।
- भविष्य में केवल लाभप्रद इकाइयों का संचालन और हानि उठाने की सम्भावना वाली इकाइयों का निजीकरण करना।
- अन्य होटलों और टुअर आपरेटर्स के सहयोग से लाभप्रद पैकेज टुअर्स का प्रारूप तैयार करना और संचालन करना।
- अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये, ख्यातिलब्ध घरेलू और विदेशी दौरा एवं यात्रा अभिकरणों से अनुबन्ध निष्पादित करना।
- ग्राहकों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये, कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना।

पर्यटन पर राजकीय नीति का क्रियान्वयन

2.4.8 कम्पनी ने सूक्ष्म स्तरीय नियोजन को प्रभावी बनाने के लिये नीति के क्रान्तिक क्षेत्रों की पहचान नहीं की थी और अल्पकाल के साथ ही दीर्घकाल में प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य भी तय नहीं किये थे। नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये किसी मापदण्ड और समय-योजना की अनुपस्थिति में, उद्देश्यों की प्राप्ति में विलम्ब प्रबन्धन द्वारा असंवीक्षित रहा।

सुविधाओं का विस्तार एवं उच्चीकरण

सितारा स्तर प्राप्त करने के लिये सुविधाओं का उच्चीकरण

2.4.9 नीति अभिलेखों में, सुविधाओं के उच्चीकरण हेतु राज्य सरकार ने कोई निधि पृथक रूप से रक्षित नहीं की थी। नीति में, अंश-पूँजी, ऋण और कम्पनी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर केन्द्र सरकार की सहायता के रूप में प्राप्त वित्तीय सहायता पर विचार किया गया था।

कम्पनी ने 12 होटलों में सितारा स्तर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किये

सितारा स्तर प्राप्त करने के लिये, एक होटल में वांछित न्यूनतम सुविधायें परिशिष्ट-38 में दी गई हैं। कम्पनी ने पूर्व में ही (1997-98 तक) अपने होटलों में से एक[2] हेतु तीन सितारा स्तर प्राप्त कर लिया था। यह 2002-03 में समाप्त पाँच वर्षों के दौरान केवल तीन होटलों[3] हेतु सितारा स्तर प्राप्त कर सकी।

नीति के चार वर्षों से अधिक समाप्त हो जाने के बावजूद भी, कम्पनी के दो परिपथों के किसी भी होटल में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने लायक सितारा स्तर की सुविधायें नहीं थीं। कम्पनी ने उच्चीकरण की आवश्यकता वाले समर्थ होटलों की पहचान के लिये कोई वृहत उपक्रम नहीं किया और ऐसे उच्चीकरण से होने वाले लागत-लाभ

1 बुद्ध, अवध, विन्ध्य, बुन्देलखण्ड और बृज (आगरा-मथुरा)।

2 गोमती होटल लखनऊ-अवध परिपथ।

3 झाँसी-बुन्देलखण्ड परिपथ में एक सितारा, पर्यटक आवास गृह आगरा और फतेहपुर सीकरी-बृज सर्किट में दो सितारा

का विश्लेषण भी नहीं किया। नीचे की सारिणी प्रत्येक परिपथ में होटलों की संख्या और सितारा स्तर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कमरों वाले सम्भाव्य होटलों की संख्या इंगित करती है:

परिपथ का नाम	होटलों की संख्या	सम्भाव्यता वाले होटलों की संख्या	सितारा स्तर वाले होटलों की वास्तविक संख्या
अवध व विविध	16	5	1
बुन्देलखण्ड	6	3	1
विन्ध्य	2	2	-
बृज (आगरा-मथुरा)	8	3	2
बुद्ध	9	3	-
योग	**41**	**16**	**4**

कम्पनी ने, फिर भी, सम्भाव्यता वाले होटलों में सितारा स्तर प्राप्त करने के कोई प्रयास नहीं किये और न ही इस संबंध में किसी योजना का निर्माण किया (अक्टूबर 2003)।

होटल सुविधाओं में गिरावट

2.4.10 2002-03 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि में केवल चार होटल जोड़े गये लेकिन उत्तराँचल में दो होटलों के हस्तान्तरण और होटलों को दक्षतापूर्वक चलाने में प्रबन्धन की विफलता के कारण 12 होटलों (2001-02 में 11 और 2002-03 में एक होटल) की बन्दी के कारण प्रभावी परिचालित होटल वास्तव में 1998-99 में 51 से घटकर 2002-03 में 41 रह गये।

होटलों की शय्या क्षमता में वृद्धि

2.4.11 1 अप्रैल 1998 में 1506 शय्या क्षमता वाले 596 कक्षों के विरूद्ध, 2001-02 और 2002-03 के दौरान बंद/हस्तान्तरित इकाइयों में क्षमता की हानि को समायोजित करने के बाद 31 मार्च 2003 को परिचालित होटलों की क्षमता 1516 शय्याओं वाले 601 कक्षों की थी जो पाँच वर्षों की अवधि में क्षमता में हुई नगण्य वृद्धि को इंगित करती है।

पूर्व में ही निम्न अधिभोग वाले चार होटलों की क्षमता का विस्तार किया गया

आगे यह देखा गया कि चार होटलों में 28 शय्याओं सहित 18 कक्षों की सीमा तक क्षमता में वृद्धि (90 शय्याओं सहित 50 कक्षों की कुल वृद्धि में से) निम्न अधिभोग के कारण अनावश्यक थी जैसा कि निम्नलिखित सारिणी से देखा जा सकेगा:

होटल का नाम	विस्तार पूर्व क्षमता		विस्तार पूर्व अधिभोग का प्रतिशत	विस्तारित क्षमता		विस्तार के पश्चात् 2002-03 के लिये अधिभोग का प्रतिशत
	कक्षों की संख्या	शय्याओं की संख्या		कक्षों की संख्या	शय्याओं की संख्या	
कुशीनगर, देवरिया	36	102	19.40	41	92[1]	9.0
निरंजना, सोनौली	12	48	55.82	20	76	27.0
श्रावस्ती, बहराइच	2	4	17.70	4	8	5.34
कदम्ब, मथुरा	8	16	23.60	11	22	15.11
योग	**58**	**170**		**76**	**198**	

अत: इन होटलों की क्षमता वृद्धि से, जहाँ क्षमता आंशिक रूप से उपयोजित (50 प्रतिशत से कम) रही, कम्पनी या पर्यटकों के लिए इच्छित उद्देश्य की पूर्ति न कर केवल शासकीय निधियों का अवरोधन किया।

[1] 20 शय्याओं वाली डोरमेट्री को बैंक्वेट हाल/भण्डार कक्ष में बदलने के कारण शय्या क्षमता मे कमी आयी ।

परिचर्चा के दौरान (सितम्बर 2003), प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा जाँच निष्कर्षों को स्वीकार किया और आश्वस्त किया कि भविष्य में क्षमता का विस्तार उच्च अधिभोग और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की सामर्थ्य रखने वाले होटलों तक सीमित रखा जायेगा।

मार्गीय सुविधाओं का विस्तार

कम्पनी और पर्यटन निदेशालय के बीच समन्वय के अभाव के कारण 12 मार्गीय सुविधाओं, जिनसे इच्छित उद्देश्य की पूर्ति न हो सकी, के निर्माण में 2.76 करोड़ रुपये अवरूद्ध रहे

2.4.12 नियोजन, स्थल का चयन और इसके निर्माण सहित पर्यटक सुविधाओं का विकास डीओटी द्वारा किया जाता है। सुविधाओं के विकास के बाद उन्हें कम्पनी को वाणिज्यिक परिचालन के लिए हस्तान्तरित कर दिया जाता है। डीओटी और कम्पनी के बीच कोई समन्वय नहीं था क्योंकि नई इकाइयों की स्थापना के लिए स्थान और कार्य-स्थल के चयन में डीओटी ने कम्पनी से परामर्श नहीं किया था।

डीओटी ने 2.41 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और 35.07 लाख रुपये की राज्य सहायता से 12 मार्गीय सुविधाओं (सीमित आवासीय सुविधा वाले जलपान गृह सहित) का विकास (1998 और 2001 के बीच) किया। इन इकाइयों के वाणिज्यिक रूप से सम्भाव्य न होने के कारण कम्पनी प्रारम्भ में इनके अधिग्रहण के लिए सहमत नहीं थी परन्तु बाद में राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन सुविधाओं को अधिग्रहीत करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2001)। कम्पनी द्वारा आगे यह तय किया गया कि इन इकाइयों का संचालन न किया जाये अपितु इन्हें पाँच वर्षों के प्रबन्धन ठेके के आधार पर पट्टे पर देने के प्रयास किये जायें। फिर भी इन सुविधाओं का अब तक (सितम्बर 2003) न तो अधिग्रहण किया गया न ही बीओडी के निर्णयानुसार उनको पट्टे पर देने का कोई प्रयास किया गया।

अत: डीओटी द्वारा किये गये 2.76 करोड़ रुपये के व्ययों से इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी और सम्पूर्ण राशि अवरूद्ध रही।

इकाइयों के निजीकरण में प्रगति

1998 के पूर्व निजीकरण में प्रगति

2.4.13 सरकार ने निजीकरण के लिए पूर्व में ही चिन्हित 15 इकाइयों के सम्बन्ध में नियम व शर्तों और प्रक्रिया के निर्धारण का सम्पूर्ण अधिकार कम्पनी के निदेशक मण्डल के पक्ष में अनुमोदित (दिसम्बर 1993) व निहित किया। निदेशक मण्डल की उपसमिति ने प्रारम्भ में सात होटलों के लिए प्रस्तावों पर विचार किया (मई 1994) और निम्नलिखित प्रस्तावों की स्वीकृति की अनुशंसा की (नवम्बर 1994):

इकाई का नाम	अनुज्ञप्ति धारक का नाम	अनुज्ञप्ति की अवधि	वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क	
			अवधि (वर्ष)	राशि (लाख रूपये में)
होटल ताज खेमा, आगरा	इण्डियन होटल कम्पनी, नई दिल्ली	30 वर्ष	1-5	45.00
			6-10	55.00
			11-15	65.00
			16-30	75.00
पर्यटक आवास गृह, जगदीशपुर, सुल्तानपुर	मोहन होटल, लखनऊ	30 वर्ष	1-10	1.30
			11-20	1.50
			21-30	1.70
मथुरा के पाँच पर्यटक आवास गृह	एन0बी0पी0 कैटरर्स एण्ड होटेलियर्स, मथुरा	30 वर्ष	1-5	8.63
			6-10	10.79
			11-20	11.86
			21-30	13.04

यद्यपि, निदेशक मण्डल ने प्रस्ताव स्वीकृत किये (अप्रैल 1995), कम्पनी किसी परिसम्पत्ति को पट्टे पर नहीं दे पाई। प्रबन्धन के कार्यों और अनुगामी कार्यवाहियों पर लेखा परीक्षा के निष्कर्षों की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गई है:

इकाई का नाम	बोर्ड को यथासूचित उठाये गये कदमों की स्थिति (नवम्बर 1995)	लेखा परीक्षा निष्कर्ष
होटल ताज खेमा, आगरा	भूमि संरक्षित वन के अन्तर्गत आती है और इसलिये वन भूमि के संरक्षण के लिये आवश्यक संशोधन प्रारम्भ किये गये है और उसके पश्चात् अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा	कथित भूमि वन विभाग द्वारा मई 1978 में निदेशक मण्डल को हस्तान्तरित की गई थी और उक्त भूमि पर निर्माण कार्य वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने से पहले पूर्ण हो चुका था तद्नुसार, कम्पनी भूमि को पट्टे पर देने की स्थिति मे थी
पर्यटक आवास गृह, जगदीशपुर	अनुमोदित पक्षकार से अनुबन्ध का निष्पादन प्रगति मे है	अनुबन्ध अब तक (सितम्बर 2003) निष्पादित नहीं किया गया
मथुरा के पाँच पर्यटक आवास गृह	फर्म की वित्तीय स्थिति और वार्षिक पट्टा शुल्क अग्रिम जमा करने में उनकी असमर्थता को दृष्टिगत रखते हुए उनके पक्ष मे पूर्व निर्णय को रद्द करने का निर्णय लिया गया	बोर्ड ने नई निविदा जारी करने के निर्देश दिये (नवम्बर 1995)। अब तक (सितम्बर 2003) कोई कार्यवाही नहीं की गई

अनुमोदन के बावजूद प्रबन्धन की अनिच्छा के कारण सात होटलों का निजीकरण प्रभावी नहीं हो सका

अत: अनिच्छा और प्रबन्धन द्वारा पर्याप्त अनुगामी कार्यवाही के अभाव में किसी भी इकाई का निजीकरण नहीं किया जा सका। ये इकाइयाँ, नीचे दी गई तुलनात्मक स्थिति के अनुसार, निविदाओं के पट्टा शुल्क की तुलना में नाम-मात्र के लाभ/हानि पर संचालित की जा रही थीं:

(लाख रूपये में)

इकाई का नाम	अवधि	निविदा के अनुसार कुल प्राप्य पट्टा शुल्क	अर्जित नकद लाभ (+)/उठाई गई हानि (-)	उठाई गई समग्र हानि
ताज खेमा, आगरा	1997-98 से 2001-02	235.00	(+) 37.78	197.22
जगदीशपुर	1997-98 से 2001-02	6.50	(-) 13.79	20.29
मथुरा के पाँच पर्यटक आवास गृह	1997-98 से 2001-02	45.31	(-) 21.44	66.75
योग		**286.81**	**(+) 2.55**	**284.26**

यदि परिसम्पत्तियों को पट्टे पर दिया जाता तो कम्पनी 2.84 करोड़ रुपये अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती थी।

1998 से निजीकरण में प्रगति

2.4.14 क्रेताओं की प्रतिक्रिया और 1994-95 में जारी की गई निविदाओं के विरूद्ध प्रकाश में आई बाध्यताओं के आधार पर, कम्पनी ने निजीकरण के लिये नियम व शर्तों और दिशा-निर्देशों के सामान्य अनुमोदन के लिये एक प्रस्ताव विलम्ब से राज्य सरकार को प्रस्तुत किया (जनवरी 1998)। कम्पनी द्वारा यथा प्रस्तावित निजीकरण की शर्तें सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई (जुलाई 1998)।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, 90 वर्षीय पट्टे के द्वारा पर्यटन निदेशालय की सम्पत्तियों के निस्तारण के लिए कम्पनी को राज्य सरकार के एक अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया। प्रस्तावों की प्राप्ति न होने पर, परिसम्पत्तियों को 30 वर्ष के अल्पकालीन पट्टे पर

दिया जाना था अन्यथा पाँच वर्षो के लिए ठेके पर प्रबन्धन के आधार पर दिया जाना था।

केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित अथवा अन्य विभागों की भूमि पर विकसित सम्पत्तियाँ केवल पाँच वर्ष के प्रबन्धकीय ठेके पर दी जा सकती थी। परिसम्पत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित की जानी थी परन्तु सरकारी स्वामित्व वाली सम्पत्तियाँ केवल सरकार के अनुमोदन से निस्तारित की जा सकती थीं।

राज्य सरकार द्वारा शर्तो एवं दिशा-निर्देशों के अनुमोदन (जुलाई 1998) के बाद इस प्रकरण में आगे बढ़ने हेतु कम्पनी ने कोई निविदा अब तक (सितम्बर 2003) जारी नहीं की। यहाँ तक कि सरकारी आदेश में यथा निर्दिष्ट मार्गदर्शन और अर्हता-पूर्व मापदण्ड भी अब तक (सितम्बर 2003) तय नहीं किये गये। पुन: कम्पनी ने, विशेषतया निम्न समर्थता वाली इकाइयों के लिए, प्रत्याशित क्रेताओं की प्रतिक्रिया का आंकलन करने के लिये सम्भावित क्रेताओं से कोई खुली अभिरूचि की अभिव्यक्ति/पूर्व-अर्हता भी आमन्त्रित नहीं की। कम्पनी, बिना कोई वास्तविक मूल्यांकन किये, परिसम्पत्तियों के निस्तारण के लिए निम्न वर्णित दो अतिरिक्त उपायों को अनुमन्य करने की अनुमति देने सहित सरकारी आदेश में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिये सरकार के पास पहुँची:

- कम्पनी को ''निर्माण, परिचालन और हस्तान्तरण'' तथा ''निर्माण, परिचालन, पट्टे पर देना और हस्तान्तरण'' प्रणाली में प्रवेश के लिए अधिकृत करना जिससे आधारभूत संरचना के विकास के लिए पूँजी आकर्षित की जा सके।
- सरकारी स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियों हेतु प्रबन्धकीय ठेके को अन्तिम रूप देने के लिये निदेशक मण्डल को पूर्ण शक्तियों का प्रत्यायोजन।

राज्य सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित था (सितम्बर 2003)। इस बीच, कम्पनी ने अपने द्वारा किये गये संदर्भ पर शासन की अनुमति चाहने का आधार लेते हुए निजीकरण की दिशा में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। पिछले नौ वर्षो की अवधि में, कम्पनी होटल ताज खेमा, आगरा के जल-पान गृह के पट्टे और लखनऊ के जल-क्रीड़ा परिसर के दो वर्ष के अल्पकालीन पट्टे को ही अन्तिम रूप दे सकी जो 20 इकाइयों के सापेक्ष बहुत कम था।

पुन:, कम्पनी ने 1997-98 और 1998-99 में पर्यटन निदेशालय से अधिग्रहीत दो बिना सम्भाव्यता वाले होटलों (शिकोहाबाद और चुनार) का परिचालन शुरू कर दिया। निदेशक मण्डल ने इन दो होटलों के निजीकरण को अनुमोदित किया (सितम्बर 1998) लेकिन पट्टे पर देने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए प्रबन्धन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रबन्धन का यह उत्तर (जुलाई 2003) कि इन होटलों का अधिग्रहण राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार किया गया था, उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार कार्य न करने के फलस्वरूप इन होटलों के परिचालन से 25.69 लाख रुपये की नकद हानि हुई (कुल आय 13.42 लाख रुपये और कुल व्यय 39.11 लाख रुपये)।

अत:, निजीकरण के जटिल प्रकरण की आधारभूत वास्तविकतायें और समस्यायें अनसुलझी रहीं। आठ वर्षों की अवधि में निजीकरण में नगण्य प्रगति, हानि उठाने वाली इकाइयों के निजीकरण हेतु राजकीय नीति के अनुसरण में कम्पनी की उदासीनता की द्योतक थी। प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2003) कि निजीकरण की नीति में संशोधन के जारी होने के बाद ही निजीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया जायेगा। उत्तर मान्य, नहीं है क्योंकि कम्पनी ने न तो अतिरिक्त उपायों को प्रस्तावित करने से पूर्व निजीकरण के लिये रूपात्मकता की परिकल्पना करने के कोई प्रयास किये और न ही राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अतिरिक्त उपायों के परिप्रेक्ष्य में सम्भाव्यता वाली इकाइयों का, यदि कोई हो, विवरण उपलब्ध कराया ताकि निर्णय लेने में सुगमता हो सके।

हानि उठाने वाली इकाइयों का संचालन

कम्पनी ने हानि उठाने वाली इकाइयों का परिचालन जारी रखा और घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही

2.4.15 कम्पनी, पर्यटन नीति (1998) के विरूद्ध, यहाँ तक कि इन इकाइयों की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु किसी विशिष्ट योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन के बिना, हानि उठाने वाले इकाइयों का परिचालन करती रही। परिणामत:, 31 मार्च 2003 को 20 हानि उठाने वाले होटलों में से नौ के प्रकरण में कम्पनी ने 1999-2000 से 2002-03 के दौरान कुल 73.73 लाख रुपये की हानि उठाई जैसा कि नीचे दिये गये संक्षिप्त परिचालन परिणामों से देखा जा सकेगा:

(लाख रूपये में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	कुल व्यवसाय	कुल व्यय	कुल हानि	पिछले चार वर्षों की अवधि में वार्षिक अधिभोग का विस्तार (प्रतिशत में)
1.	शाहजहाँपुर	30.83	41.27	10.44	44-49
2.	श्रावस्ती	1.65	9.53	7.88	5-6
3.	तात्यागंज	14.38	24.13	9.75	22-37
4.	कपिलवस्तु	1.50	7.79	6.29	1-6
5.	देवगढ़	0.38	2.21	1.83	7-10
6.	जगदीशपुर	13.08	23.13	10.05	34-53
7.	नीमसार	7.01	18.85	11.84	14-33
8.	शिकोहाबाद	6.26	15.80	9.54	21-52
9.	महोबा	20.34	26.45	6.11	20-27
	योग	95.43	169.16	73.73	

उपर्युक्त नौ होटलों में से, पाँच होटल[1] 70 प्रतिशत (पिछले पाँच वर्षों की अवधि में कम्पनी के किसी भी होटल द्वारा कभी भी प्राप्त उच्चतम) के अधिभोग पर भी अपने स्थापना व्यय की प्रतिपूर्ति कर पाने में व्यवहारिक रूप में सक्षम नहीं हो पायेंगे।

राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किये बिना हानि उठाने वाली इकाइयों के परिचालन को अविवेकपूर्ण रूप से जारी रखने के कारण न केवल शासकीय नीति का उल्लंघन हुआ अपितु कम्पनी को हानि भी उठानी पड़ी।

बिना सम्भाव्यता वाली नव-अधिग्रहीत इकाइयों का परिचालन

2.4.16 राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, कम्पनी ने अप्रैल 1999 और जनवरी 2003 के बीच पर्यटन निदेशालय से चार इकाइयाँ अधिग्रहीत कीं। इन चार इकाइयों में से दो इकाइयाँ (पर्यटक आवास गृह संकिसा और यात्री निवास अयोध्या) प्रबन्धन द्वारा परिचालन हेतु सम्भाव्यता विहीन पाई गई (जनवरी-फरवरी 2001) जबकि अन्य दो

[1] नीमसार, तात्यागंज, जगदीशपुर, शिकोहाबाद और शाहजहाँपुर ।

इकाइयों (पर्यटक आवास गृह बटेश्वर एवं यात्री निवास, इलाहाबाद) की सम्भाव्यता आंकलित नहीं की गई। तथापि, कम्पनी ने भविष्य में केवल लाभ देने वाली इकाइयों के परिचालन और हानि उठाने की सम्भावना वाली इकाइयों के निजीकरण की नीति का उल्लंघन करते हुए इन सभी इकाइयों को वाणिज्यिक परिचालन पर रख दिया। इन इकाइयों का परिचालन हानिप्रद उद्यम सिद्ध हुआ और वह भी पर्यटकों के लिए कोई सार्थक अंशदान किये बिना, जैसा कि नीचे दी गई संचित स्थिति से देखा जा सकता है:

इकाई का नाम	प्रारम्भ होने का वर्ष	अर्जित कुल आय	उठाई गई हानि	अधिकतम अधिभोग का प्रतिशत	शय्या क्षमता
		(लाख रूपये में)			(संख्या)
पर्यटक आवासगृह, बटेश्वर, आगरा	1999-2000	1.42	9.82	2-6	12
पर्यटक आवासगृह, संकिसा	2002-03	0.05	2.83	शून्य	4
यात्री निवास, अयोध्या	2002-03	0.59	0.16	1.5	60
यात्री निवास, इलाहाबाद	2002-03	0.31	2.07	12	60
योग		2.37	14.88		

यदि कम्पनी ने इन इकाइयों को वाणिज्यिक परिचालन पर न रखा होता तो 14.88 लाख रुपये की हानि को बचाया जा सकता था।

अन्य होटलियर्स और टुअर आपरेटर्स के सहयोग से पैकेज टुअर्स का निरूपण और परिचालन

2.4.17 कम्पनी ने पर्यटकों को विभिन्न गन्तव्यों तक पहुँचने में सहायता के लिए 42 पैकेज टुअर्स का निरूपण किया। नीचे की सारिणी 2001-02 को समाप्त पिछले पाँच वर्षो के लिए पैकेज टुअर्स के परिचालन परिणामों को इंगित करती है:

(लाख रूपये में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ
1997-98	20.28	18.80	1.48
1998-99	33.10	17.69	15.41
1999-00	54.40	35.12	19.28
2000-01	65.18	41.40	23.78
2001-02	73.06	48.11	24.95

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु संज्ञान में आये:

- कम्पनी ने सुधारात्मक उपाय किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक पैकेज के प्रकरण में लाभप्रदता और वृद्धि की समीक्षा हेतु पैकेज-वार आय और व्यय के विवरण नहीं बनाये थे।
- टुअर्स के परिचालन को केवल पाँच पैकेज तक सीमित रखा गया। इनमें से लखनऊ एवं आगरा के दो स्थानीय स्थल-भ्रमण और दिल्ली से परिचालित एक पैकेज का प्रबन्धन, उद्गम स्टेशन पर अवस्थित कम्पनी की स्थानीय इकाइयों द्वारा किया गया जबकि अवशेष दो पैकेजों का परिचालन कम्पनी के अभिकर्ता द्वारा उत्तराँचल राज्य के अन्दर किया गया। बाकी के 37 पैकेज, स्वयं के विपणन नेटवर्क और किसी होटल और टुअर आपरेटर से गठबन्धन की अनुपस्थिति में पिछले पाँच वर्षो के दौरान कभी भी संचालित नहीं किये गये।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2003) कि ये पैकेज पर्यटकों को उनकी मांग पर प्रस्तावित किये जाते थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन ने अपने द्वारा निरूपित पैकेज टुअर्स के विपणन हेतु कोई प्रयास नहीं किये। इसके अतिरिक्त प्रबन्धन का यह दृष्टिकोण पर्यटन नीति के अनुरूप था।

- कम्पनी ने परिचालित न हो पाये पैकेजों को बढ़ावा देने हेतु सिद्ध सामर्थ्य और साधन सम्पन्न स्थानीय यात्रा-अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए कोई निविदा कभी जारी नहीं की। यहाँ तक कि दो पैकेज, जो इस शीर्षक के अन्तर्गत आय के मुख्य अंशदाता थे, के लिए यात्रा-अभिकर्ताओं की नियुक्ति, कम्पनी को इनके द्वारा स्वत: दिये गये प्रस्ताव पर की गई थी।
- यद्यपि, कम्पनी के पास इसके होटल के कमरों की बुकिंग की अधिप्राप्ति के लिये राज्य के बाहर आठ विपणन अभिकर्ता थे तथापि कम्पनी ने पैकेज टुअर्स की अधिप्राप्ति के लिये उनके साथ गठबन्धन पर विचार नहीं किया। सितम्बर 2001 में प्रबन्धन ने निर्णय लिया कि पैकेज टुअर्स की बुकिंग उसके विपणन अभिकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त की जायेगी लेकिन अब तक (सितम्बर 2003) केवल एक पक्षकार के साथ ही ऐसे एक अनुबन्ध को अन्तिम रूप दिया गया। पर्यटन का प्रोत्साहन और पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु टुअर पैकेजों का परिचालन स्थानिक रहा और पर्यटन-नीति के अनुरूप व्यवसाय के संवर्द्धन के लिये अभिकर्ताओं/टुअर आपरेटर्स की नियुक्ति में कम्पनी की विफलता के कारण बहुत कम आगे बढ़ा।

अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सुविख्यात घरेलू और विदेशी अभिकरणों से अनुबन्ध का निष्पादन

2.4.18 यात्रा एवं विपणन अभिकर्ता आवास एवं पर्यटक गन्तव्यों के लिये यात्रा सुविधाओं के अग्रिम आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के द्वारा पर्यटन के संवर्द्ध में केन्द्रीय भूमिका अदा करते हैं। तद्नुसार, नीति में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुविख्यात घरेलू और विदेशी अभिकर्ताओं के माध्यम से विपणन नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर दिया गया।

आन्तरिक स्रोतों से व्यवसाय की अधिप्राप्ति

2.4.19 कम्पनी के पास इसके होटलों में आवास की अग्रिम बुकिंग उपलब्ध कराने और निगम कार्यालय द्वारा सौंपे गये पैकेज टुअर को परिचालित करने हेतु राज्य के बाहर अवस्थित छ: अग्रिम आरक्षण केन्द्र (एआरसी) (जुलाई 2002 से कम होकर तीन) और राज्य में अपटुअर्स के नाम से संचालित चार यात्रा इकाइयाँ थी।

2001-02 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान एआरसी द्वारा प्राप्त व्यवसाय की मात्रा और इस मद में कम्पनी की शुद्ध आय परिशिष्ट-39 में दी गई है। लेखा परीक्षा में अग्रिम आरक्षण केन्द्र के कार्य सम्पादन की समीक्षा से यह परिलक्षित हुआ कि कम्पनी ने तीन अग्रिम आरक्षण केन्द्रों (चण्डीगढ़, अहमदाबाद और चेन्नई) को उनके द्वारा प्राप्त किये गये अल्प व्यवसाय के साथ-साथ इस तथ्य के आधार पर बन्द कर दिया (जुलाई

2003) कि उनकी आय (बुकिंग राशि पर 10 प्रतिशत की दर से कमीशन) उनके उपरिव्ययों की पूर्ति कर पाने में असमर्थ थी।

अभिकर्ताओं से विपणन गठबन्धन में प्रवेश करने जैसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना, जिससे कि सम्भावित ग्राहकों को खींचा जा सके और व्यवसाय की हानि को पूरा किया जा सके, अग्रिम आरक्षण केन्द्र बन्द कर दिये गये।

बाह्य स्रोतों से व्यवसाय की अधिप्राप्ति

2.4.20 कम्पनी ने विपणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिये अब तक (सितम्बर 2003) कोई निविदा जारी नहीं की है। कम्पनी द्वारा सभी आठ अभिकर्ताओं की नियुक्ति उनके स्वयं द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर की गई थी। किसी प्रचार-प्रसार के बिना और अर्हता-पूर्व मापदण्ड को निर्धारित किये बिना नियुक्त किये गये ऐसे अभिकर्ता मई 1999 से दिसम्बर 2002 के दौरान केवल नाम-मात्र के व्यवसाय का अंशदान कर सके, जैसा कि नीचे दी गई अभिकर्तावार स्थिति से देखा जा सकेगा:

क्र0 सं0	अभिकर्ता का नाम	अनुबन्ध की तिथि	अनुबंन्ध की समाप्ति पर देय तिथि	अनुबन्ध की तिथि से दिसम्बर 2002 तक प्राप्त व्यवसाय का मूल्य (लाख रुपये में)
1	मै. हिमलचूरा ट्रैवेल एण्ड टुअर्स, कोलकाता	मई 1999	मई 2003	1.61
2	मै. लिंक इण्डिया टुअर्स एण्ड ट्रैवेल्स, कोलकाता	सितम्बर 1999	सितम्बर 2003	2.05
3	मै. साईमास, पुणे	नवम्बर 2000	नवम्बर 2004	2.66
4	मै. बलबीर ट्रैवेल सर्विस, हरिद्वार	जून 2001	जून 2003	0.14
5	मै. अक्षय सुविधा, पुणे	जुलाई 2001	जुलाई 2003	0.04
6	मै. रामकृष्ण ट्रैवेल्स, कोलकाता	अगस्त 2001	अगस्त 2003	0.44
7	मै. स्वास्तिक टुअर्स एण्ड ट्रैवेल्स, कोलकाता	फरवरी 2001	फरवरी 2003	शून्य
8	मै. होटल रायचक, 24 परगना (पश्चिम बंगाल)	जुलाई 2002	जुलाई 2004	0.01

इस सम्बन्ध में संज्ञान में आया कि:

- अभिकर्ताओं का शून्य निष्पादन, अर्हता-पूर्व के मानदण्ड तय करने के बाद खुली निविदा के माध्यम से सुविख्यात घरेलू और विदेशी अभिकर्ताओं की नियुक्ति द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिये प्रबन्धन का ध्यान आकृष्ट करने में विफल रहा।
- राज्य के बाहर विपणन अभिकर्ताओं का नेटवर्क तीन राज्यों में आठ अभिकर्ताओं (पश्चिम बंगाल में पाँच, पुणे में दो और उत्तराँचल में एक) तक सीमित था। अन्य राज्यों/जिलों से या तो स्वयं के विपणन नेटवर्क द्वारा या ऐसे बिना प्रतिनिधित्व वाले राज्यों में विपणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति के माध्यम से व्यवसाय की अधिप्राप्ति के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।
- यद्यपि, कम्पनी ने दो वर्षों की अवधि के लिए पारस्परिक आधार पर व्यवसाय उपलब्ध कराने हेतु मार्च 2001 और अगस्त 2002 के दौरान सात राज्यों के राज्य पर्यटन निगमों से समझौता ज्ञापन निष्पादित किये थे, तथापि यह व्यवस्था अपना कार्य करने में विफल रही क्योंकि कोई भी पक्षकार व्यवसाय को उपलब्ध नहीं करा सका। इसी बीच, पश्चिम बंगाल पर्यटन निगम से हुआ समझौता ज्ञापन, नवीनीकरण के कोई प्रयास किये बिना ही मार्च 2003 में समाप्त हो चुका था।

- अत: कम्पनी, पर्यटन नीति के अनुरूप, जिसमें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुविख्यात घरेलू और विदेशी अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया था, कोई पहल करने में विफल रही। निविदा जारी करने की बात तो दरकिनार, निविदादाता की पात्रता के लिए पूर्व अर्हताओं को भी अब तक (सितम्बर 2003) कम्पनी ने अन्तिम रूप नहीं दिया है।

जनशक्ति प्रबन्धन

कर्मचारियों का नियोजन

2.4.21 नीचे दी गई सारिणी 31 मार्च, 2003 को कर्मचारियों की स्वीकृति और वास्तविक उपलब्धता की स्थिति को इंगित करती है:

क्र0सं0	कर्मचारियों की श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	वास्तविक नियमित कर्मचारी	कमी	दैनिक वेतन भोगियों की संख्या
1	प्रबन्धक	37	32	5	शून्य
2	फ्रण्ट आफिस असिस्टेंट	40	14	26	5
3	खाद्य एवं पेय सहायक	11	6	5	2
4	रूम ब्वाय/बैरा	203	112	91	40
5	कॉमि I, II, III	164	80	84	23
6	हाउस कीपिंग अटेण्डेंट/कक्ष परिचारक	13	11	2	शून्य

कर्मचारियों की कमी के कारण कम्पनी फ्रण्ट आफिस, खाद्य एवं पेय विभागों और हाउस कीपिंग के विशिष्ट कार्यों हेतु अन्य कार्य विवरण के कर्मचारियों/दैनिक वेतन भोगियों को नियुक्त करती रही। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा निष्कर्ष निम्नवत है:

- 31 मार्च 2003 को 17 होटल (30 लाख रुपये से 55 लाख रुपये के बीच के व्यवसाय वाले चार होटलों[1] को सम्मिलित करते हुये) ऐसे थे जो प्रबन्धक स्तर से नीचे के कर्मचारियों द्वारा चलाये जा रहे थे। यह देखा गया कि इन चार होटलों में से एक होटल[2] में 1999-2000 से 2002-03 के दौरान विदेशी पर्यटकों का वार्षिक आगमन 336 से 814 था जो होटल के कुल पर्यटक आगमन के 21 से 36 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।
- 15 लाख रुपये से 1.17 करोड़ रुपये के बीच विस्तारित वार्षिक व्यवसाय वाले कम्पनी के शीर्ष 12 होटलों में, 31 मार्च 2003 को कर्मचारियों की नियुक्ति की स्थिति की समीक्षा (परिशिष्ट-40) ने दर्शाया कि इन महत्वपूर्ण होटलों में अत्यन्त विशिष्ट पद रिक्त थे।

यह विदित होगा कि यद्यपि वाराणसी, फतेहपुर सीकरी, ताज खेमा (आगरा) और कुशीनगर के होटलों में पर्याप्त विदेशी पर्यटकों का आगमन था फिर भी सभी महत्वपूर्ण कार्य अन्य कार्य विवरण वाले व्यक्तियों/दैनिक वेतनभोगियों द्वारा सम्पादित किये जा रहे थे जिससे सेवाओं की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा और जिसने पर्यटकों द्वारा ले जाई जाने वाली बुरी छवि को बढ़ावा दिया।

1 झाँसी, मुरादाबाद, हिण्डन-गाजियाबाद और ताज खेमा, आगरा।

2 ताज खेमा, आगरा ।

आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण

2.4.22 कम्पनी की स्वयं की आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा नहीं थी न ही इसने आन्तरिक लेखा परीक्षा की नियम पुस्तिका बनाई। फिर भी इसने लेखांकन की नियम-पुस्तिका तैयार कर ली है।

कम्पनी की आन्तरिक लेखा परीक्षा इसकी एक या अधिक लेखांकन इकाइयों के लिए नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स की फर्म द्वारा की जाती है।

चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स की फर्मों द्वारा की गई लेखा परीक्षा का क्षेत्र कर लेखा परीक्षा, औचित्य लेखा परीक्षा के साथ-साथ नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रबन्धन द्वारा जारी स्वीकृतियों और लेन-देनों का कम्पनी की लेखांकन नियम पुस्तिका के अनुसार लेखांकन के अनुपालन को सुनिश्चित करने को आवरित करती है। लेखा परीक्षा के लिये फर्मों को विस्तृत जाँच सूची उपलब्ध करायी जाती है और प्रत्येक प्रतिवेदन के लिये निर्धारित तिथियों के अन्दर इन्हें त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक प्रतिवेदन, प्रबन्धन को प्रस्तुत करना होता है। महत्वपूर्ण गवेषणाएं मुख्य लेखाधिकारी के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक के संज्ञान में लाई जातीं है। प्रबन्धन आन्तरिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर पर्याप्त अनुगामी कार्यवाही कर रहा था।

लेखा परीक्षा में यह संज्ञान में आया कि प्रबन्धन ने स्वयं के कर्मचारियों वाली आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा की स्थापना की सम्भावना का पता नहीं लगाया।

निष्कर्ष

कम्पनी अपनी सुविधाओं को वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर चलाने के घोषित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि यह हानि उठाने वाले होटलों का निजीकरण करने या बिना सम्भाव्यता वाली सुविधाओं की कार्य प्रणाली में सुधार करने में विफल रही। होटलों के संचालन के लिए अनुपयुक्त कर्मचारियों के नियोजन, पर्यटन नीति के अनुसरण से विमुखता और वाणिज्यिक सम्भाव्यता वाली परियोजनाओं को हाथ में लेने की रणनीति और पहल की कमी के कारण कम्पनी लगातार हानियों पर चल रही थी।

कम्पनी को पर्यटकों के आगमन में सुधार के उपाय विकसित करने और उन्हें कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

अध्याय-III

3.सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बंधित विविध रोचक विषय

3.1 सरकारी कम्पनियाँ

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम

3.1.1 दोषपूर्ण निविदाकरण और नियन्त्रण के अभाव के कारण परिहार्य हानि

निविदा के मूल्य निर्धारण में विदेशी मुद्रा की गलत विनिमय दर के प्रयोग और व्यय तथा अनुश्रवण पर नियन्त्रण के अभाव के कारण बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान धरन (नेपाल) के निर्माण में 2.62 करोड़ रूपये की परिहार्य हानि हुई।

भारत सरकार ने इण्डो-नेपाल मित्रता संधि के अन्तर्गत धरन (नेपाल) में बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) को सौपा। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने सीपीडब्लूडी से जुलाई 1995 से अगस्त 1996 के दौरान तीन चरणों में 20.43 करोड़ नेपाली रूपये (एनआर) में उक्त संस्थान के निर्माण का कार्य प्राप्त किया और 25.60 करोड़ नेपाली रूपये की लागत पर 1999-2000 में पूर्ण किया। कम्पनो को सीपीडब्लूडी से 21.41 करोड़ नेपाली रूपये का अन्तिम भुगतान प्राप्त हुआ (मार्च 2000 तक)। परिणामत: 4.19 करोड़ नेपाली रूपये (2.62 करोड़ भारतीय रूपये (आईआर) के तुल्य) की हानि हुई जिससे बचा जा सकता था यदि प्रबन्धन ने निविदा देते समय प्रचलित विनिमय-दर को अपनाया होता और व्यय के ऊपर नियन्त्रण रखा होता, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- निविदा की शर्तो के अनुसार, प्रस्ताव नेपाली रूपये में देना था। कम्पनी ने निविदा का मूल्य 7.56 करोड़ भारतीय रूपये (मुख्य भवन का कार्य/प्रथम चरण) आंकलित किया और 100 आईआर:149 एनआर की विनिमय-दर प्रयोग करते हुये 11.20 करोड़ नेपाली रूपये हेतु उसे प्रस्तुत कर दिया जो कि वार्ता के पश्चात् 11.02 करोड़ नेपाली रूपये के मूल्य पर स्वीकृत कर लिया गया। चूंकि निविदा के समय (जून 1995) प्रचलित वास्तविक विनिमय दर 100 आईआर:160 एनआर थी, कम्पनी को निविदा का मूल्य 12.10 करोड़ नेपाली रूपये उद्धृत करना चाहिये था। गलत विनिमय दर अपनाने के कारण निविदा अल्पमूल्यांकित रही जिसके कारण कम्पनी को 90 लाख नेपाली रूपये की हानि वहन करनी पड़ी।
- कम्पनी, सामग्री-क्रय और श्रमिक-नियोजन इत्यादि हेतु कम्पनी वर्किंग मैनुअल में विहित नियन्त्रण उपायों का प्रयोग करने में असफल रही। इसके अतिरिक्त, सामग्री तथा श्रमिक लागत की उपयुक्तता भी सुनिश्चित नहीं की गई। कार्य के मापन के अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया। इन कारणों से 2.25 करोड़ नेपाली रूपये की हानि हुई।

- कम्पनी द्वारा अनुसरण की जा रही लेखा पद्धति के अनुसार, कार्य-स्थल पर नियुक्त अभियन्ताओं/भण्डार पालकों को निर्गत की गयी सामग्री का लेखांकन उनके द्वारा 'कार्य-स्थल पर सामग्री' लेखा के अन्तर्गत किया जाना चाहिए और शेष निकाल कर उसका मिलान उपभोग विवरण के सन्दर्भ में करना चाहिए। नौ अभियंताओं/भण्डारपालकों ने 'कार्यस्थल पर सामग्री' लेखे तैयार नहीं किये थे। तद्नुसार, कार्य पर निर्गत की गयी कुल निर्माण सामग्री का मिलान उनके द्वारा प्रस्तुत (कार्य के समापन पर) उपभोग विवरण से करने पर 80 लाख नेपाली रूपये की कमी प्रकाश में आयी।
- कम्पनी ने भारतीय बाजार से क्रय किये गये स्टील व सेलीटेक्स बोर्ड पर आबकारी की छूट का लाभ उठाने हेतु ग्राहक से आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया और न ही स्थानीय बाजार से क्रय की गयी स्टील के सम्बन्ध में नेपाल सरकार से बिक्री कर की छूट प्राप्त की, यद्यपि इन अनुतोषों की कुल धनराशि को ध्यान में रखते हुए ही निविदा की दरों का निर्धारण किया गया था। इससे सामग्री के क्रय में कुल 11.12 लाख नेपाली रूपये का अतिशय व्यय हुआ।
- समायोजन हेतु निर्धारित नियन्त्रण का प्रयोग किये बिना विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं/खुदरा-दर श्रमिकों (पीआरडब्लू) को अग्रिम दे दिये गये। कार्य के समापन पर कुल 12.87 लाख नेपाली रूपये के असमायोजित अग्रिम की वसूली कम्पनी द्वारा संदेहास्पद मानी गयी।

प्रबन्धन ने उक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुये कहा (अगस्त 2003) कि 25 कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रगति में है। तथापि जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने (अक्टूबर 2000) के पश्चात् तीन वर्षो से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी अब तक (सितम्बर 2003) किसी उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया (जून 2003); उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2003)।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम

3.1.2 रेल भाड़े पर केन्द्रीय बिक्री कर का परिहार्य भुगतान

एफओआर गन्तव्य दरों पर जिप्सम की अधिप्राप्ति के कारण कम्पनी ने भाड़े पर 3.26 करोड़ रूपये के सीएसटी का परिहार्य भुगतान किया

विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही 'सोडिक लैण्ड रिक्लैमेशन परियोजना' के अन्तर्गत लाभार्थियों को वितरण के लिये कम्पनी कृषि-श्रेणी के जिप्सम की अधिप्राप्ति करती है।

कम्पनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा आमंत्रित करके जिप्सम की अधिप्राप्ति करती रही जिसमें निविदादाताओं से एफओआर गन्तव्य दरों को उद्धृत करने की अपेक्षा की जाती थी और केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी), जैसा कि वैधानिक रूप से लागू हो, अतिरिक्त देय होता था (भाड़े के तत्व पर)। इस प्रकार, एक्स-वर्क्स दरों के बजाय एफओआर गन्तव्य दरों का आह्वान करने और कार्य प्रदान करने की प्रथा से भाड़े पर सीएसटी का अतिरिक्त भार सम्मिलित हो जाता था। कम्पनी ने एक्स-वर्क्स दरों (गन्तव्य तक भाड़ा कम्पनी के जिम्मे पर) को आमंत्रित नहीं किया ताकि इसकी सीएसटी की देनदारी को

सीमित किया जा सके। आदेश देते समय (जनवरी 2001), तथापि, कम्पनी ने राजस्थान राज्य की तीन फर्मों पर सीएसटी के भुगतान को एक्स-वर्क्स मूल्यों तक सीमित करने हेतु एक अतिरिक्त उपबन्ध जोड़ दिया। कम्पनी द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त उपबन्ध आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि निविदा की शर्तों के साथ-साथ उद्धृत संयुक्त दरें दर्शाती है कि संविदा एफओआर गन्तव्य के लिए थी और इसलिये भाड़े सहित बीजक की कुल राशि पर सीएसटी देय था।

यह देखा गया (फरवरी 2002) कि 1999-2000 से 2002-2003 के दौरान 12.31 लाख टन जिप्सम की अधिप्राप्ति हेतु दिये गये 83.38 करोड़ रूपये के भाड़े पर कम्पनी ने 3.26 करोड़ रूपये सीएसटी का भुगतान किया। इस प्रकार कम्पनी ने स्वयं द्वारा भाड़े के सीधे भुगतान सम्बन्धी उपबन्ध के साथ एक्स-वर्क्स दरों के आधार पर निविदा आमंत्रित न कर भाड़े पर सीएसटी के रूप में 3.26 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय किया जो परिहार्य था।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2003) कि कम्पनी द्वारा विश्व बैंक और केन्द्रीय/राज्य सरकार के साथ किये गये अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार रेल-हैड तक परिवहन-लागत की प्रतिपूर्ति कम्पनी को की जानी थी और जिप्सम के परिवहन की देख-रेख के लिये इसे प्रत्येक प्रेषक स्टेशन पर स्थल कार्यालय खोलना पड़ता जिसकी अतिरिक्त लागत भाड़े पर 5 प्रतिशत तक आ सकती थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्रेषक स्टेशन पर स्थल कार्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं थी और परिवहन की व्यवस्था 'फ्रेट टू पे' की रेलवे रसीद जारी करके की जा सकती थी जिसका परामर्श स्वयं आपूर्तिकर्ताओं के कर-परामर्शदाताओं द्वारा भी दिया गया था।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया (जून 2003); उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2003)।

3.1.3 स्वशक्ति परियोजना के क्रियान्वयन में हानि

कम्पनी ने 1300 रूपये प्रति समूह की अनुमोदित दर के विरूद्ध 1983 रूपये तथा 2522 रूपये प्रति समूह की दर से वास्तविक व्यय किया जिसके फलस्वरूप 76.22 लाख रूपये की हानि हुई

ग्रामीण महिलाओं को समर्थ बनाने तथा उनके विकास हेतु विश्व बैंक द्वारा सहायतित् स्वशक्ति परियोजना का क्रियान्वयन, राज्य के 15 जिलों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी महिला कल्याण निगम के साथ हुए एक समझौते (एमओयू) के तहत कम्पनी द्वारा राज्य के 13 जिलों में किया जा रहा था। विश्व बैंक के आग्रह पर भारत सरकार की केन्द्रीय परियोजना सहायता इकाई (सीपीएसयू) के साथ एक और एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया (अगस्त 2001) जिसके अन्तर्गत कम्पनी ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिये एक अलग अस्तित्व प्राप्त कर लिया। एमओयू में सीपीएसयू को सीधे भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सूचित करने की रूपात्मकता बतायी गयी थी।

योजना के अन्तर्गत, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को महिला स्वसहायता समूह (समूह) बनाने के लिये नियुक्त किया गया जिसके लिये उनको भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दर से पारिश्रमिक दिया जाना था।

लेखा परीक्षा में पाया गया (जनवरी 2003) कि कम्पनी ने बिना भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के 1300 रूपये प्रति समूह की अनुमोदित दर के विरूद्ध वर्ष 2001-2002 और आगे के वर्षों के लिये 1924 रूपये प्रति समूह की दर से भुगतान हेतु एनजीओ के साथ अनुबन्ध किये। तथापि कम्पनी ने, वर्ष 2001-02 और 2002-03 की अवधि में वास्तवकि व्यय क्रमश: 1983 रूपये प्रति समूह तथा 2522 रूपये प्रति समूह की दर से किया जिसके कारण 76.22 लाख रूपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2003) कि 1300 रूपये प्रति समूह से अधिक हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से कराने के प्रयास किये जा रहे है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि गैर सरकारी संगठनों के साथ उच्चतर दरों पर अनुबन्ध करने तथा भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना अनुबन्ध की दरों की अपेक्षा उच्चतर दर पर किये गये व्यय का कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा दावे की ग्राह्यता 1300 रूपये प्रति समूह की अनुमोदित दर तक सीमित कर दी गयी (अगस्त 2002)।

प्रकरण सरकार को जून 2003 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2003)।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

3.1.4 आवंटी को अनुचित लाभ

'टैनरी' सेक्टर में आवंटन के लिये अर्ह परियोजना हेतु 'लेदर गुड्स' सेक्टर में भूखण्डों का आवंटन कर कम्पनी ने एक उद्योगपति को 1.42 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ पहुंचाया।

कम्पनी द्वारा विकसित बन्थर (जिला: उन्नाव) का लेदर टैक्नोलॉजी पार्क (एलटीपी) दो सेक्टरों अर्थात, चर्मशोधन प्रक्रिया प्रयुक्त करने वाले उद्योगों की स्थापना के लिए 'टैनरी' तथा परिष्कृत चमड़े को कच्चा माल के तौर पर उपयोग करने वाले उद्योगों की स्थापना हेतु 'लेदर गुड्स' क्षेत्रों में बंटा है। पशुवध एवं चर्मशोधन प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में प्रदूषणकारी तरल के बहिस्त्राव के कारण 'टैनरी' सेक्टर में पर्याप्त प्रदूषण नियन्त्रण युक्ति के रूप में बन्द अपवाह तन्त्र एवं केन्द्रीय बहिस्त्राव शोधन संयन्त्र (सीईटीपी) स्थापित किये जाने का प्रावधान था। इसीलिए 'टैनरी' सेक्टर में भूमि की दर (460 रूपये प्रति वर्ग मीटर साथ में 75 रूपये प्रति वर्ग मीटर सीईटीपी प्रभार) 'लेदर गुड्स' सेक्टर (370 रूपये प्रति वर्ग मीटर) की अपेक्षा अधिक निर्धारित की गई थी।

जे.एस. इण्टरनेशनल (आवंटी) द्वारा प्रस्तुत (सितम्बर 2000) परियोजना की रूपरेखा में वधशाला की स्थापना और श्वान-चर्वण तथा कुत्तों का समस्त प्रकार का भोजन, हिमीकृत माँस, अस्थि और माँस व्यन्जन इत्यादि का उत्पादन सम्मिलित था। इसलिये कम्पनी ने उसे 66000 वर्ग मीटर भूमि 'टैनरी' सेक्टर में आवंटित की (अक्टूबर 2000) परन्तु आवंटी ने 'टैनरी' सेक्टर में आवंटन के विरूद्ध इस आधार पर आपत्ति की (अक्टूबर 2000) कि उनकी परियोजना में चर्मशोधन प्रक्रिया सम्मिलित नहीं थी और

इसलिये उनको 'टैनरी' सेक्टर हेतु लागू दर पर प्रभारित नहीं किया जाना चाहिए। कम्पनी ने आवंटी के अनुरोध को स्वीकार करते हुये उसे 85,774 वर्ग मीटर भूमि, 3.21 करोड़ रूपये के भुगतान पर, 'लेदर गुड्स' सेक्टर हेतु लागू दर पर आवंटित कर दी (दिसम्बर 2000)।

लेखा परीक्षा में पाया गया (अगस्त 2001) कि परियोजना की रूपरेखा के अनुसार प्रक्रिया में पशुवध तथा चर्मशोधन में प्रयुक्त होने वाले रसायनों इत्यादि का प्रयोग निहित था जिसमें बड़ी मात्रा में प्रदूषित करने वाला बहिस्त्राव होता जिसके लिये 'लेदर गुड्स' सेक्टर में सीईटीपी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसलिये आवंटी की परियोजना मूलत: केवल 'टैनरी' सेक्टर में आवंटन हेतु अर्ह थी। 'टैनरी' सेक्टर में भूमि का आवंटन न करके कम्पनी ने आवंटी को 1.42 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ पहुंचाया (165 रूपये प्रति वर्ग मीटर का अन्तर × 85774 वर्ग मीटर आवंटित भूमि)।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2003) कि आवंटी की परियोजना में चर्मशोधन प्रक्रिया सम्मिलित नहीं थी इसलिये भूमि का पुन: आवंटन 'लेदर गुड्स' सेक्टर में किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि श्वान चर्वण और भोजन, हिमीकृत माँस और अस्थि व माँस व्यन्जन इत्यादि के उत्पादन की प्रक्रिया में भारी मात्रा में पानी के प्रयोग के अतिरिक्त पशुवध तथा कच्चे चमड़े, चर्मशोधक तथा परिष्कारक रसायनों का कच्चे माल के तौर पर प्रयोग समाविष्ट है जो बड़ी मात्रा में प्रदूषित बहिस्त्राव करने को बाध्य हैं। इसलिये परियोजना 'लेदर गुड्स' सेक्टर में आवंटन हेतु अर्ह नहीं थी।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया (जून 2003); उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2003)।

3.1.5 प्रतिपूर्ति के अधिक भुगतान से निधि का अवरोधन

एस.एल.ए.ओ. द्वारा की गई माँग की शुद्धता सत्यापित किये बिना, न्यायालय द्वारा दिये गये पंचाट से अधिक दरों पर उन्हें प्रतिपूर्ति का भुगतान किये जाने के कारण 69.40 लाख रूपये की निधि अवरूद्ध रही।

कम्पनी ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ), मुरादाबाद के माध्यम से टिगरिया गाँव में 171.46 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया (जनवरी 1982)। भू-स्वामियों को की जाने वाली प्रतिपूर्ति का निर्धारण सितम्बर 1986 में एसएलएओ द्वारा 10,156 रूपये प्रति एकड़ घोषित किया गया। तद्नुसार मांगी गयी प्रतिपूर्ति कम्पनी द्वारा जमा कर दी गयी (अप्रैल 1991) परन्तु 15 भू-स्वामियों ने निर्धारित प्रतिपूर्ति स्वीकार नहीं की तथा दरों की वृद्धि हेतु जिला न्यायालय की शरण में चले गये (1987)। यद्यपि, जिला न्यायालय ने भूमि की श्रेणी तथा वर्तमान उपयोग पर विचार किये बिना ही 40,741 रूपये प्रति एकड़ की समान दर पर प्रतिपूर्ति निर्धारित कर दी (मई 1989) फिर भी एसएलएओ ने बिना कोई विवरण दिये 1989-90 तथा 1990-91 की अवधि में 40,741 रूपये प्रति एकड़ से 1,64,472 रूपये प्रति एकड़ की दर पर कुल 1.06 करोड़ रूपये की अतिरिक्त मांग प्रस्तुत की जो कि भूमि की श्रेणी पर आधारित थी। कम्पनी ने

एसएलएओ की इस प्रकार उठाई गई मांग की शुद्धता की जाँच, न्यायालय के आदेश के सन्दर्भ में किये बिना निधि अवमुक्त कर दी।

कम्पनी द्वारा जिला न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील करने पर उच्च न्यायालय ने दर को पुन: बढ़ाकर (मई 1995) 50,000 रूपये प्रति एकड़ कर दिया परन्तु उच्चतम न्यायालय ने इस दर को घटाकर (मार्च 1996) 35,000 रूपये प्रति एकड़ कर दिया। इस आदेश के अनुसार 69.40 लाख रूपये की राशि एसएलएओ से वसूल की जानी थी जिसने कम्पनी से प्राप्त राशि का वितरण किसानों को पहले ही कर दिया था। कम्पनी द्वारा लम्बे पत्राचार के बावजूद अन्तिम निर्णय के पश्चात सात साल व्यतीत हो जाने के बाद भी राशि की वसूली नहीं हो सकी (मार्च 2003)। कम्पनी द्वारा प्रयत्न करने पर सरकार ने जुलाई 2001 में बकायों की वसूली भू-राजस्व के रूप में करने के निर्देश जारी किये परन्तु राजस्व परिषद द्वारा संस्तुति न मिलने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

इस प्रकार इस भुगतान से पूर्व एसएलएओ द्वारा मांगी गई दरों की कोई जांच किये बिना अधिक मांग के विरूद्ध अतिरिक्त प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के कारण 69.40 लाख रूपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ जो 16 प्रतिशत (सरकारी ऋण पर ब्याज की दर पर आधारित) प्रतिवर्ष की दर से दस वर्षों में 1.10 करोड़ रूपये के ब्याज की परिणामी क्षति सहित अवरोधित रहा जिसकी वसूली की संभावना, प्रकरण में इतना लम्बा समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कोई ठोस प्रगति न होने के कारण, क्षीण है।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2003) कि एसएलएओ द्वारा प्रस्तुत मांग की जाँच, विवरण प्रस्तुत न किये जाने के कारण नहीं हो पायी तथा जिला न्यायालय के कुर्की के आदेश से बचने के लिये श्रेणीबद्ध दरों पर उनकी माँग का भुगतान करना पड़ा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि श्रेणीबद्ध दरों पर मांगी गयी प्रतिपूर्ति तथा जिला न्यायालय के कुर्की के आदेश, दोनों को एक समान दर पर प्रतिपूर्ति हेतु जिला न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेश के संदर्भ में चुनौती दी जा सकती थी। शासन ने बताया (अगस्त 2003) कि जिलाधीश को वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। तथापि प्रबन्धन की त्रुटि के कारण हुई 1.10 करोड़ रूपये की ब्याज की हानि की वसूली संभावित नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

3.1.6 किराये के कोल्ड स्टोरेज में चीनी के असुरक्षित भंडारण के कारण हानि

पुराने अपरिचालित कोल्ड स्टोरेज में पर्याप्त बीमे के बिना चीनी के भण्डारण से 1.19 करोड़ रूपये की हानि हुई।

अमरोहा चीनी फैक्टरी के विद्यमान गोदाम पिछले सत्र की अविक्रीत चीनी से भरे हुये थे। 2001-02 के पेराई सत्र में भण्डारण की समस्या से निपटने के उद्देश्य से कम्पनी ने वांछित स्थान जोया रोड, अमरोहा स्थित कोल्ड स्टोरेज में किराये पर लेने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2001)। इस उद्देश्य के लिये तकनीकी सलाह मैसर्स अहलूवालिया एसोसियेट, मेरठ (निजी तकनीकी परामर्शदाता) से प्राप्त की गई (अक्टूबर 2001) जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज के स्वामी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिकल्प के आधार पर कोल्ड

स्टोरेज के कक्षों की सुरक्षित भार-वहन क्षमता का आगणन खम्भों, लकड़ी की अलमारियों, आरसीसी की छतों की भौतिक क्षमता और अमोनिया गैस पाइपों की स्थिति का आंकलन किये बिना किया। तद्नुसार अमरोहा फैक्टरी द्वारा 1.20 लाख कुन्तल चीनी के भण्डारण के लिये कोल्ड स्टोरेज के दो कक्षों को 2.10 लाख रूपये के मासिक किराये पर ले लिया गया (दिसम्बर 2001)। पट्टादाता के साथ हुये समझौते के अन्तर्गत कम्पनी को स्टाक का, सभी खतरों के विरूद्ध, बीमा कराना था। कम्पनी ने, तथापि, स्टाक का बीमा मात्र चोरी एवं आग के लिये कराया। पट्टाकर्ता ने भवन का कोई बीमा नहीं करवाया।

लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट हुआ (सितम्बर 2002) कि अमरोहा चीनी फैक्टरी ने जनवरी 2002 में उक्त कोल्ड स्टोरेज के दो कक्षों में 1.03 लाख कुन्टल चीनी का भण्डारण किया। जनवरी 2002 के अन्तिम सप्ताह में कोल्ड स्टोरेज की कक्ष संख्या 1, जहाँ 37,450 कुन्टल चीनी रखी थी, के तीन खम्भे अत्यधिक भार के कारण ढह गये। परिणामस्वरूप रैक के प्लेटफार्म पर बिछी अमोनिया गैस की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई तथा वहाँ भण्डारित समस्त चीनी नम एवं खराब हो गई। प्रबन्धन ने 2 अगस्त 2002 तक, जबकि कक्ष की छत वर्षा से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, चीनी को स्थानान्तरित करने हेतु कोई त्वरित कार्यवाही नहीं की (स्थानान्तरित/बिक्रीत 908 कुन्टल चीनी को छोड़कर)। इसके बाद भी प्रबन्धन केवल 11,996 कुन्टल वर्षा से नम चीनी ही इस कक्ष से स्थानान्तरित कर सका तथा शेष 24,546 कुन्टल चीनी को मलवे के नीचे दबी रहने दिया क्योंकि बाद में, 5 सितम्बर 2002 को भारी वर्षा के कारण छत ढह गयी थी। 6 सितम्बर से 27 अक्टूबर 2002 के बीच प्रबन्धन ने मलबे में दबी 24546 कुन्टल चीनी में से 21590 कुन्टल चीनी अपनी फैक्टरी में स्थानान्तरित कर दी तथा 2.956 कुन्टल चीनी खोई हुई सूचित की गयी। क्षतिग्रस्त चीनी (21,590 कुन्टल) का विक्रय, दिसम्बर 2002 में निविदा के माध्यम से प्राप्त, 974 रूपये से 1025 रूपये प्रति कुन्टल की विभिन्न दरों पर 2.15 करोड़ रूपये में किया गया।

कम्पनी द्वारा ली गयी बीमा पालिसी के अन्तर्गत चीनी की हानि के लिये प्रस्तुत (सितम्बर 2002) 3.30 करोड़ रूपये के दावे का, जिसे पुनरीक्षित कर 1.19 करोड़ रूपये (विक्रय से प्राप्त 2.15 करोड़ रूपये घटाकर तथा कोल्ड स्टोरेज पर किये गये 3.88 लाख रूपये के व्यय को जोड़कर) कर दिया गया, कोई परिणाम नहीं मिला क्योंकि बीमा पालिसी में प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा आवरित नहीं थी। इस प्रकार, गोदाम की भौतिक क्षमता का आंकलन किये बिना तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली हानियों के विरूद्ध बीमा पालिसी के अपर्याप्त आवरण के फलस्वरूप कोल्ड स्टोरेज में चीनी भण्डारण से 1.19 करोड़ रूपये की हानि हुई। कम्पनी चीनी को अपनी रामपुर की बन्द चीनी फैक्टरी (अमरोहा से 60 किलोमीटर दूर) के गोदाम में भण्डारण कर इस हानि से बच सकती थी जोकि किफायती भी होता क्योंकि जुलाई 2002 तक कोल्ड स्टोरेज के स्वामी को भुगतान किये गये 13.84 लाख रूपये के किराये के विरूद्ध अमरोहा फैक्टरी से रामपुर फैक्टरी तक की ढुलाई की लागत 14.68 लाख रूपये मात्र होती।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2003) कि भार सहने की क्षमता का आंकलन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से हो सकता था जोकि व्यावहारिक नहीं था तथा कम्पनी द्वारा आग और विशेष आपदा के विरूद्ध बीमा पालिसी ली गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऐसा कोल्ड स्टोरेज जिसका उपयोग पिछले कई वर्षों से नहीं हो रहा था, की भार-सहन क्षमता के आंकलन में अधिक सावधानी बरती जानी चाहिये थी तथा यदि डिस्ट्रक्शन टेस्ट संभव नहीं था तो प्रबन्धन को रामपुर फैक्टरी में चीनी का भण्डारण करने का विकल्प चुनना चाहिये था। इसके अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज के स्वामी के साथ किये गये समझौते की धारा 10 के प्रावधानों के अन्तर्गत कम्पनी को समस्त स्टाक का सभी जोखिमों के विरूद्ध बीमा कराना था लेकिन उसने सिर्फ आग तथा चोरी के जोखिम को आवरित करने वाली बीमा पालिसी ली।

शासन ने प्रबन्धन के उत्तर का समर्थन किया (अगस्त 2003) जोकि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मान्य नहीं है।

3.1.7 ब्राउन शुगर का पुनर्प्रसंस्करण न करने के कारण हानि

सम्बन्धित उत्पादन वर्ष के अगले पेराई-सत्र में ब्राउन शुगर का पुनर्प्रसंस्करण करने के बजाय उसका विक्रय करने से 83.73 लाख रूपये की हानि हुई।

प्रचलन के अनुसार किसी सत्र की ब्राउन शुगर को अगले पेराई सत्र में पुनर्प्रसंस्कृत कर अच्छी चीनी बनायी जाती है ताकि उसके अधिक अच्छे मूल्य मिलें और अवरोधित/भण्डार का तरलीकरण हो सके। कम्पनी के पिछले निष्पादन के अनुसार ठीक अगले वर्ष ब्राउन शुगर का पुनर्प्रसंस्करण करने से 80 से 90 प्रतिशत अच्छी चीनी प्राप्त हो जाती थी।

कम्पनी की भटनी, लक्ष्मीगंज तथा देवरिया इकाईयां ब्राउन शुगर की आंशिक मात्रा का पुनर्प्रसंस्करण अगले पेराई सत्र में करती रही थीं (1988-89 से 2001-02) तथा एक बड़ा भण्डार प्रतिवर्ष आगे लाया जाता रहा था जोकि 2001-02 में संचित होकर 18,339 कुन्टल तक पहुंच गया।

लेखा परीक्षा (मार्च 2002) में पाया गया कि कम्पनी ने इस संचित चीनी को जुलाई/अगस्त 2002 में 200 रूपये प्रति कुन्टल से लेकर 625 रूपये प्रति कुन्टल की दर पर, कुल 85.30 लाख रूपये में विक्रय कर दिया। यह पाया गया (अप्रैल 2002) कि यदि कम्पनी सम्बन्धित उत्पादन वर्ष के ठीक बाद के पेराई सत्र में ब्राउन शुगर का पुनर्प्रसंस्करण करती तो कम से कम 80 प्रतिशत (14,671 कुन्टल) अच्छी चीनी प्राप्त करती तथा सम्बन्धित पुनर्प्रसंस्करण के वर्ष में प्रचलित 700 रूपये से लेकर 1400 रूपये प्रति कुन्टल की दर से विक्रय करने पर 1.76 करोड़ रूपये प्राप्त करती। इस प्रकार ब्राउन शुगर का पुनर्प्रसंस्करण न करने से, जोकि मितव्ययितापूर्ण भी होता, कम्पनी को 83.73 लाख रूपये की हानि हुई (पुनर्प्रसंस्करण की लागत : 10.27 लाख रूपये घटाकर तथा 20 प्रतिशत शीरे का विक्रय मूल्य : 3.30 लाख रूपये जोड़कर)।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2003) कि पुनर्प्रसंस्करण में अतिरिक्त ईधन की जरूरत पड़ती जोकि गन्ने की उपलब्धता में कमी तथा पेराई सत्र की अल्पावधि के कारण नहीं मिल पाता था जिससे इन इकाईयों में पुनर्प्रसंस्करण पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उत्तर अस्पष्ट है क्योंकि एक सत्र में उत्पादित 635 कुन्तल से 2350 कुन्तल ब्राउन शुगर का पुनर्प्रसंस्करण अगले सत्र में दूसरी इकाईयों से ईधन का प्रबन्ध कर सरलता से किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त प्रबन्धन का यह मत कि अच्छी चीनी की प्राप्ति 50 से 80 प्रतिशत के मध्य होती, सही नहीं है क्योंकि यह संख्या अनुमानित है जो 2002-03 (1 से 14 साल के उपरान्त) में पुनर्प्रसंस्करण के अवबोधन पर आधारित है जबकि उत्पादन वर्ष के ठीक अगले पेराई सत्र में पुनर्प्रसंस्करण करके न्यूनतम 80 प्रतिशत अच्छी चीनी की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त प्रबन्धन का यह मत कि पुनर्प्रसंस्करण में 140 रूपये प्रति कुन्तल की लागत आती, सही नही है क्योंकि इसमें अधिकांशत: 2001-02 में हुये पुनर्प्रसंस्करण के प्रकरण में ब्राउन शुगर की इन इकाईयों से दूसरी इकाईयों तक ढुलाई की लागत सम्मिलित है जबकि यदि पुनर्प्रसंस्करण सम्बन्धित वर्षो में उन्हीं इकाईयों में किया जाता तो पुनर्प्रसंस्करण की लागत 56 रूपये प्रति कुन्तल तक सीमित रहती क्योंकि माल ढुलाई पर कोई लागत नहीं आती।

प्रकरण शासन को जून 2003 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2003)।

3.1.8 अपव्यय

रेगुलेटर्स के अवस्थापन पर किया गया 16.69 लाख रूपये का व्यय, अपव्यय सिद्ध हुआ।

हस्तचालित नियन्त्रण प्रणाली से होने वाले उतार-चढ़ाव के परिहार के लिये कम्पनी ने "फीड वाटर रेगूलेटरी सिस्टम" (एफडब्लूआरएस) को कमीशन किया (1998-99) ताकि अमरोहा चीनी फैक्टरी में ब्वायलर की जलापूर्ति को स्वनियन्त्रित किया जा सके। एफडब्लूआरएस ने प्रारम्भ से ही कार्य नहीं किया। परिणामस्वरूप जल-सम्भरण हाथों से ही नियन्त्रित होता रहा जिससे जलापूर्ति में उतार-चढ़ाव तथा सुपरहीटर क्वायल्स को क्षति पहुंचती रही।

कम्पनी ने उपरोक्त समस्या के निदान तथा ब्वायलर के ड्रमों में जल-स्तर को स्वत: बनाये रखने के लिये धीरज प्रसाद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली को 19.64 लाख रूपये की लागत पर दो सेट कोपफीड वाटर रेगूलेटर की आपूर्ति तथा इनकी अवस्थापना एवं कमीशनिंग का आदेश दिया (अक्टूबर 1998)। आपूर्तिकर्ता ने दिसम्बर 1998 तथा जनवरी 1999 में रेगुलेटर्स का अवस्थापन तथा उसे कमीशन किया। मुख्य अभियन्ता द्वारा यह प्रमाणित किये जाने पर (जनवरी 1999) कि रेगुलेटर्स निर्विघ्न तथा संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं, आपूर्तिकर्ता को 85 प्रतिशत का भुगतान (16.69 लाख रूपये) कर दिया गया तथा आदेश के नियम व शर्तो के अनुसार एक वर्ष के संतोषजनक प्रदर्शन हेतु शेष 15 प्रतिशत (2.95 लाख रूपये) रोक लिया गया। क्रयादेश के नियम व शर्तो में, तथापि, रेगूलेटर की गारन्टी/वारन्टी का कोई प्रावधान नहीं था।

लेखा परीक्षा ने पाया (सितम्बर 2002) कि अवस्थापन के एक सप्ताह के बाद ही वाटर रेगूलेटर्स ने बॉयलर को अधिक पानी देना प्रारम्भ कर दिया। बार-बार अनुस्मारक भेजने के बाद भी आपूर्तिकर्ता उपकरण को ठीक नहीं कर सका और परिणामस्वरूप जल-सम्भरण की प्रक्रिया का हस्तचालित नियन्त्रण किया जाता रहा (सितम्बर 2003)। प्रबन्धन ने न तो आपूर्तिकर्ता के जोखिम व लागत पर रेगूलेटर्स को ठीक कराने का प्रयास किया और न ही उसके विरूद्ध खराब रेगूलेटर्स की आपूर्ति के लिये कोई विधिक कार्यवाही ही प्रारम्भ की। इस प्रकार, रेगूलेटर्स पर किया गया 16.69 लाख रूपये का व्यय, अपव्यय सिद्ध हुआ तथा उसका उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2003) कि स्वयं की तकनीकी सलाह पर किये गये परिवर्तन के बाद भी प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही थी तथापि, प्रणाली को रेगूलेटर के आपूर्तिकर्ता की सहायता से अगले सत्र तक ठीक कराने के लिये कार्यवाही की जायेगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि आपूर्तिकर्ता स्वयं अपने पूर्व प्रयासों में असफल रहा था तथा कम्पनी के हितों की सुरक्षा के लिये आपूर्तिकर्ता से कोई गारन्टी/वारन्टी प्राप्त नहीं की गयी थी।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया (जून 2003); उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2003)।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

3.1.9 न्यून लाभ सहभागिता के आधार पर नियुक्त किये गये अतिरिक्त समन्वयकों को अनुचित लाभ

अतिरिक्त कोयला समन्वयकों को उन्ही जनपदों में न्यून लाभ सहभागिता पर नियुक्त किया गया जहाँ उच्च लाभ सहभागिता पर एक कोयला समन्वयक पूर्व से कार्यरत था जिसके फलस्वरूप 18.51 लाख रूपये की हानि हुई।

कम्पनी, उद्योग निदेशक द्वारा अपने पक्ष में किये गये आवंटन के सापेक्ष कोल इण्डिया लिमिटेड की इकाइयों से स्टीम व स्लैक कोल की अधिप्राप्ति हेतु कोयला समन्वयकों को नियुक्ति करती है। कोयले का विक्रय मूल्य, जैसा कम्पनी द्वारा निर्धारित किया जाता है, गन्तव्य स्थल पर कोयले की लैण्डेड कास्ट पर 10 प्रतिशत लाभ सहित होता है जिसे निर्धारित अनुपात में समन्वयकों व कम्पनी के मध्य बाँट लिया जाता है।

लेखा परीक्षा में यह पाया गया (अगस्त 2001) कि खुली निविदा के आधार पर कम्पनी ने एस.के. जैन एण्ड कम्पनी, मेरठ को दो वर्षों के लिये स्टीम व स्लैक कोयले के आठ डम्पों/जिलों हेतु, लाभ का 70 प्रतिशत कम्पनी व 30 प्रतिशत समन्वयक के साझा आधार पर सहयोगी नियुक्ति किया (सितम्बर 1996) जिसकी अवधि को बढ़ाकर सितम्बर 2000 तक कर दिया गया। संविदा अवधि के दौरान, एस.के. जैन एण्ड कम्पनी के साथ पहले से साझा किये जा रहे उच्चतर लाभ की अपेक्षा न्यूनतर लाभ स्वीकार करने के औचित्य में, सहभागियों द्वारा परिचालन की लागत का कोई विश्लेषण किये बिना ही कम्पनी ने दिसम्बर 1997 से दिसम्बर 1998 की अवधि के लिये 50:50 की अल्पलाभ-साझेदारी के आधार पर उन्हीं जनपदों में तीन अतिरिक्त समन्वयकों को नियुक्त कर दिया (दिसम्बर 1997)। इसके अतिरिक्त, कोई निविदा आमंत्रित किये बिना अतिरिक्त

समन्वयकों की अवधि पुन: एक वर्ष के लिये (दिसम्बर 1999 तक) बढ़ा दी गयी (जनवरी 1999)।

इस प्रकार, उच्च लाभ-सहभागिता पर आधारित संविदा के प्रभावी रहते हुये न्यून लाभ सहभागिता पर अतिरिक्त समन्वयकों की नियुक्ति के फलस्वरूप कम्पनी को 18.51 लाख रूपये की हानि हुई।

प्रकरण जून 2003 में प्रबन्धन व शासन को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2003)।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

3.1.10 निजी उत्पादकों से ऊर्जा क्रय में हानि

अनुबन्ध में असंगत प्रावधानों व अन्य कमियों के फलस्वरूप निजी उत्पादकों से ऊर्जा क्रय करने पर कम्पनी ने 7.13 करोड़ रूपये की हानि वहन की।

उत्तर प्रदेश शासन ने अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में भागीदारी के लिये एक नीति निर्धारित की (अक्टूबर 1994) जिसके लिये चीनी मिलों तथा अन्य कृषि-उद्योगों से निकला जैविक ईंधन (यथा बैगास) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। इस प्रकार उत्पादित ऊर्जा एक ऊर्जा-क्रय अनुबन्ध (पीपीए) के आधार पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा क्रय की जानी थी।

कम्पनी ने आठ निजी उत्पादकों (पीजी)[1] के साथ नवम्बर 1995 से दिसम्बर 1998 के मध्य 48.3 एमडब्ल्यू की सीमा तक उनकी अतिरिक्त ऊर्जा को क्रय करने हेतु अनुबन्ध किये (जिन्हें जनवरी 2000 से मार्च 2002 के मध्य पुनरीक्षित किया गया)।

इन पीजी के पीपीए की नमूना जाँच, लेखा परीक्षा के दौरान जुलाई 2001 से मई 2002 के दौरान की गई तथा संज्ञान में आयी विसंगतियाँ (7.13 करोड़ रूपये की समेकित हानि के रूप में परिणामित) निम्नवत् हैं:

(क) ऊर्जा निष्क्रमण प्रणाली की अनुरक्षण लागत पीजी से वसूल न होना

इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 की धारा 18-ए, अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधानित करती है कि उत्पादन कम्पनी यथा पीजी को उत्पादन-गृहों व उनसे सम्बन्धित लाईनों, उप-केन्द्रों तथा उनसे सम्बद्ध मुख्य पारेषण लाईनों को संस्थापित, संचालित तथा अनुरक्षित करना होगा। पीजी से हुये अनुबन्धों में यह प्रावधानित था कि वे कम्पनी के

1 धामपुर शुगर मिल्स, बाराबंकी (15.11.1995; 15 एम.डब्ल्यू.हेतु); धामपुर शुगर मिल्स, असमौली, मुरादाबाद (15.11.1995; 6 एम.डब्ल्यू.हेतु); मोनेट इण्डस्ट्रीज, मुजफ्फरनगर (30.12.1995; 1.8 एम.डब्ल्यू. हेतु); अगौता शुगर एण्ड कैमिकल्स, बुलन्दशहर (10.6.1996; 2.5 एम.डब्ल्यू. हेतु); जे.के. शुगर मिल्स, बरेली (17.7.1996; 6.5 एम.डब्ल्यू. हेतु); सिम्भौली शुगर मिल्स, हापुड़ (16.12.1996; 5 एम.डब्ल्यू. हेतु) तथा एस.आई.ए.एल.-एस.बी.ई.सी. बायो एनर्जी, मेरठ (17.12.1998; 7 एम.डब्ल्यू. हेतु); धामपुर शुगर मिल्स, धामपुर (15.11.1995; 4.5 एम.डब्ल्यू. हेतु)।

ग्रिड-केन्द्र तक ऊर्जा निष्क्रमण प्रणाली अपनी स्वयं की लागत पर उपलब्ध करायेंगे। अनुबन्धों में आगे यह भी प्रावधानित था कि जब तक प्रणाली का निर्माण नहीं होता, वे कम्पनी की उपलब्ध प्रणाली का उपयोग करेंगे यह सुविधा देते समय कम्पनी ने कार्य-निष्पादन के लिये कोई समयावधि निर्धारित नहीं की और न उनसे अनुरक्षण लागत वसूल करने की शर्त ही रखी। सिम्भौली शुगर मिल्स लिमिटेड, गाजियाबाद के प्रकरण में एक प्रावधान विलम्बत: (मार्च 2002) समाहित किया गया जिसके अनुसार पीजी द्वारा उपयोग में लाई गयी प्रणाली की अनुरक्षण लागत के मद में (निष्क्रमण प्रणाली की अनुमानित लागत का) न्यूनतम 1.5 प्रतिशत वसूल किया जाना था। अनुबन्ध में एक प्रभावी प्रावधान की अनुपस्थिति ने प्रणाली की अनुरक्षण लागत व वित्तीय लागत हेतु प्रभार के बिना ही कम्पनी की निष्क्रमण प्रणाली के सतत् उपयोग को सुविधाजनक बना दिया।[1]

पीजी द्वारा कम्पनी को शुद्ध विक्रीत/बीजकीकृत उर्जा के 12.5 प्रतिशत चक्रिक शुल्क (लाईन भाड़ा) पर आधारित (जैसा कि पीजी की अन्य इकाईयों से उर्जा निष्क्रमण हेतु प्रभारित किया जा रहा है) चार पीजी के मामले में अप्रैल 1996 से जुलाई 2002 तक 5.37[2] करोड़ रूपये की हानि हुई।

(ख) ऊर्जा निष्क्रमण हेतु निर्मित पारेषण लाईनों की लागत में भागीदारी का शक्ति-वाह्य प्रावधान

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, बाराबंकी का अनुबन्ध, ऊर्जा-निष्क्रमण प्रणाली (132/11 केवी) की लागत स्वत: वहन करना प्रावधानित करता है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 18-ए के अनुरूप था। कम्पनी ने अधिनियम की अपेक्षाओं के विपरीत उक्त उपबन्ध को परिशोधित करते हुए (जनवरी 2000) यह प्रावधानित किया कि 132 केवी बाराबंकी केन्द्र तक 132 केवी लाईन का निर्माण कम्पनी द्वारा किया जायेगा जिसकी 50 प्रतिशत लागत पीजी से वसूल की जायेगी।

मिल को 5.28 करोड़ रूपये तथा कम्पनी को 4.50 करोड़ रूपये का व्यय वहन करना था। निर्माण कार्य जून 2003 तक प्रारम्भ नहीं हुआ और न ही मिल का अंश वसूल हुआ। यह तथ्य फिर भी शेष रहता है कि पीजी, कम्पनी की ऊर्जा निष्क्रमण प्रणाली का नि:शुल्क उपयोग करती रही।

इस प्रकार पीजी का भार स्वीकार करने का शक्ति-वाह्य कृत्य करना पीजी के हित के लिये कम्पनी द्वारा व्यय की जाने वाली अस्वीकार्य लागत के रूप में परिणामित हुआ।

(ग) एक निजी उत्पादक के साथ अलाभकारी ऊर्जा अनुबन्ध

मै. मोनेट इण्डस्ट्रीज, मुजफ्फरनगर के साथ निष्पादित (दिसम्बर 1998) एक पीपीए के प्रावधानानुसार क्षेत्र के ग्रामीण उपभोक्ताओं को वितरण हेतु ऊर्जा-निष्क्रमण 11 केवी

1 चूँकि ऊर्जा निष्क्रमण प्रणाली पर ज्ञातव्य व्यय-लागत उपलब्ध नही कराई गई अत्एव लेखा-परीक्षा मे अनुरक्षण लागत की वसूली न होने से परिणामित हानि का आंकलन नही किया जा सका।

2 जेके शुगर मिल्स, बरेली (1.56 करोड़ रूपये); धामपुर शुगर मिल्स, बाराबंकी (3.46 करोड़ रूपये); धामपुर शुगर मिल्स, असमौली, मुरादाबाद (0.26 करोड़ रूपये); तथा धामपुर शुगर मिल्स, धामपुर (0.09 करोड़ रूपये)।

पोषकों से होना था। इसके अतिरिक्त, पीजी द्वारा आपूर्तित ऊर्जा का बीजकीकरण, पीजी के आपूर्ति बिन्दु पर स्थापित मीटर में अंकित उपभोग के अनुसार होना था। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के दौरान यह परिलक्षित हुआ कि क्षेत्र में अ-मीटरीकृत आपूर्ति के कारण 60 प्रतिशत से अधिक लाईन हानियों तथा 2.475 रूपये प्रति यूनिट की क्रय दर के सापेक्ष 1.80 रूपये प्रति यूनिट की दर से की जा रही ऊर्जा की बिक्री के बावजूद, कम्पनी ने 33/11 केवी उप-केन्द्र जहाँ आवक मीटर लगाया जा सकता था, से आपूर्ति लेने के स्थान पर 11 केवी ग्रामीण पोषक से आपूर्ति का अनुबन्ध कर लिया।

मार्च 1998 से फरवरी 2002 तक कम्पनी ने पीजी को 0.62 एमयू ऊर्जा हेतु भुगतान किया जिसके सापेक्ष उपभोक्ताओं को मात्र 0.19 एमयू ऊर्जा की बिक्री की गई। परिणामत: 1.07 करोड़ रूपये मूल्य की 0.43 एमयू ऊर्जा की हानि हुई।

महाप्रबन्धक (वितरण), सहारनपुर ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2002) तथा भारी हानि के परिप्रेक्ष्य में पीपीए के निरस्तीकरण को संस्तुत किया। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने भी यह स्वीकार किया (अगस्त 2000) कि पीजी द्वारा ऊर्जा निष्क्रमण 132 केवी उपकेन्द्र से होना चाहिये था। कम्पनी द्वारा इस सम्बन्ध में अद्यतन (सितम्बर 2003) कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस प्रकार, निजी उत्पादकों से किये गए अनुबन्ध का निष्पादन कम्पनी के हित में लाभकारी नहीं था तथा यह 1.07 करोड़ रूपये की हानि में परिणामित हुआ।

(घ) निर्धारित प्रणाली हानियों को न घटाने से हानि

पीजी से आयातित एवं निर्यातित उर्जा का मापन ऊर्जा निष्क्रमण प्रणाली के आने व जाने वाले पोषक पैनलों पर मीटर स्थापित करके होना था। जहाँ इस प्रकार के मीटर नहीं लगाये गये थे, वहाँ आयातित ऊर्जा से 5 प्रतिशत की कटौती की जानी थी तथा इस कटौती के पश्चात् शुद्ध ऊर्जा पर भुगतान होना था। तथापि, सिम्भौली शुगर मिल्स, गाजियाबाद के प्रकरण में अप्रैल 1997 से अप्रैल 1999 तक की अवधि में (इसके बाद मीटर स्थापित हो गए), विद्युत वितरण खण्ड, हापुड़ इस मद में 21.68 लाख रूपये की कटौती करने में विफल रहा।

(ड.) छूट की हानि

पीजी को किये गए भुगतानों पर कम्पनी 2.5 प्रतिशत की छूट ले सकती है यदि भुगतान तीस दिनों के अन्दर किया गया हो।

विद्युत वितरण खण्ड, बरेली तथा बड़ौत (मेरठ) ने क्रमश: जे.के. शुगर मिल्स, बरेली तथा एसआईएएल एसईबीसी बायो एनर्जी लिमिटेड, मेरठ को दिसम्बर 1997 से जून 2001 के दौरान भुगतान करने में विलम्ब किया और 47.19 लाख रूपये (क्रमश: 21.00 लाख रूपये तथा 26.19 लाख रूपये) की छूट का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहे।

प्रकरण प्रबन्धन व सरकार को जून 2003 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2003)।

3.1.11 सतर्कता समन्वय के क्रियाकलाप

सतर्कता समन्वय कम्पनी की दक्षता में योगदान नहीं कर सका क्योंकि यह मात्र एक से दो प्रतिशत मामलों में छापे मार सका व 33 से 60 प्रतिशत मामलों में निर्धारण आरोपित कर सका।

घरेलू, वाणिज्यिक, लघु व मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं (100 बीएचपी भार तक) द्वारा की जाने वाली विद्युत चोरी को पकड़ने और रोकथाम करने तथा अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कदाचार तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों की छानबीन कराने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (बोर्ड) ने प्रवर्तन (पुलिस) समन्वय का गठन किया था (1970)। 14 जनवरी 2000 से बोर्ड के त्रि-विभाजन के पश्चात यह समन्वय उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) से सम्बद्ध हुआ। इस समन्वय का प्रमुख महानिरीक्षक सतर्कता (आई.जी.वी.) पदनामित एक अधिकारी होता है जिसकी सहायता दो पुलिस अधीक्षक, एक सतर्कता हेतु तथा एक प्रवर्तन हेतु (एसपीवी तथा एसपीई) द्वारा की जाती है। सतर्कता समन्वय पर कदाचार व भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों की छानबीन का दायित्व है तथा प्रवर्तन समन्वय पर उपभोक्ताओं के परिसर में छापे मार कर विद्युत चोरी पकड़ने व उसकी रोकथाम करने का दायित्व है। 31 मार्च 2003 तक समन्वय में कुल 318 व्यक्ति (सतर्कता: 12 तथा प्रवर्तन: 306) कार्यरत थे। इन कर्मियों की स्थापन लागत 5.65 करोड़ रूपये से 6.64 करोड़ रूपये के मध्य थी जिसके सापेक्ष उनके प्रस्ताव पर 2002-03 तक तीन वर्षों में मात्र 2.31 करोड़ रूपये से 3.46 करोड़ रूपये के मध्य ही वसूली की गई थी।

समन्वय के 2002-03 तक तीन वर्षों के क्रियाकलापों की समीक्षा लेखा परीक्षा के दौरान (फरवरी व मार्च 2003) की गई। मुख्यालय कार्यालय व पाँच विद्युत वितरण खण्डों (ईडीडी)[1] के अभिलेखों की नमूना जाँच में अधोलिखित विसंगतियाँ परिलक्षित हुईं:

(i)आईजीवी तथा प्रतिनियुक्ति पर अन्य कर्मचारी वर्ग का बारम्बार परिवर्तन

मार्च 2003 तक 10 वर्षों के दौरान 13 व्यक्तियों ने 27 से 577 दिनों की समयावधि के लिए आईजीवी का पदभार (एक आईजीवी के 815 दिनों की आन्तरायिक समयावधि को छोड़कर) ग्रहण किया। इसी प्रकार, 2001-02 तक तीन वर्षों के दौरान आठ निरीक्षकों/उप-निरिक्षकों ने 3 दिन से 11 माह की समयावधि के लिए पदभार ग्रहण किया।[2]

राज्य सरकार के निर्देशों (दिसम्बर 1979) के विपरीत, कार्यालय अध्यक्ष और अन्य कर्मचारी वर्ग की अल्पावधिक तैनाती के कारण कम्पनी सतत् नेतृत्व, कर्मियों द्वारा विद्युत चोरी की पकड़ व रोकथाम करने तथा शिकायत के मामलों के त्वरित निस्तारण के लाभों से वंचित रही। यह कमी भारी लाईन हानियों के रूप में परिलक्षित हुई, जो

1 ई.डी.डी-I, इलाहाबाद; ई.डी.डी-II, झाँसी; विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-I, II व III, गाज़ियाबाद

2 2002-03 के सम्बन्ध में तथा अन्य कर्मचारी वर्ग की स्थिति लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गई।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 11.5 प्रतिशत के मानक के विरूद्ध 1998-99 से 2002-03 तक 26.83 - 41.00 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, मार्च 2003 के अन्त तक शिकायत/कदाचार के 137 लम्बित प्रकरणों में से 27 प्रकरण 5-12 वर्षो से अधिक समय से लम्बित थे तथा एक प्रकरण 33 वर्षो से अधिक समय से लम्बित था। लेखा परीक्षा में विलम्ब के कारणों की जॉच नहीं की जा सकी क्योंकि प्रकरण मई 2003 में सरकार व प्रबन्धन के संज्ञान में लाए जाने के बावजूद आईजीवी ने प्रकरण पत्रावलियॉ उपलब्ध नहीं करायीं जिससे इन प्रकरणों की स्थिति आंकलित नहीं हो सकी।

सतर्कता समन्वय ने कहा (सितम्बर 2003) कि समन्वय में उच्चस्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई थी और यह कि इससे क्रियाकलाप प्रभावित नहीं हुए क्योंकि क्रियान्वयन स्तर का कर्मचारी वर्ग, निरीक्षकों व पुलिस उप-अधीक्षकों का था। इसके आंतरिक्त, कदाचार व शिकायतों के प्रकरणों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण थे: (i) अभिलेखों की उपलब्धता में विलम्ब, (ii) महत्वपूर्ण गवाहों का बारम्बार स्थानान्तरण तथा (iii) जॉच अधिकारियों की प्रवर्तन कार्यो में पूर्व व्यस्तता। उत्तर, शासकीय नीति के अतिक्रमण की पुष्टि करते हैं।

(ii) स्वीकृत उद्देश्यों की प्राप्ति में व्यावसायिक उपगम्यता की कमी

छापामार दलों के क्षेत्रीय मुख्यालयों में उपलब्ध वितरण मण्डलों के अधीक्षण अभियन्तागण (एसईडी), छापा मारने की योजना बनाने हेतु नोडल अधिकारी (एनओ) बनाये गये थे। एनओज को उन उपभोक्ताओं/क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए जहॉ बड़े पैमाने पर विद्युत चोरी सम्भावित थी, एक सप्ताह में चार दिवसीय कार्य-योजनायें बनानी थी। छापामार दलों का नेतृत्व सहायक अभियन्तागणों को करना था जिनके निर्देशों का पालन दल के अन्य सदस्यों को करना था। सम्बन्धित वितरण खण्डों के अधिशासी अभियन्ताओं को छापा रिपोर्टो के आधार पर तत्काल निर्धारण-बीजक बनाने थे। प्रक्रिया में यह भी विहित था कि सम्बन्धित मुख्य क्षेत्रीय अभियन्तागण (सीजेडई) तथा अधीक्षण अभियन्तागण (एसई) समस्त सम्बन्धित कर्मचारी-सदस्यों (उप-अधीक्षक व उनके निरीक्षकों सहित) की एक बैठक आहूत करेंगे तथा उन विसंगतियों की जॉच करेंगे जिसके कारण निर्धारण नहीं हो पाता। इन विसंगतियों को छापामार दलों के संज्ञान में लाया जाना था जिससे भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो। सीज़ेडई व एसई को यह भी सुनिश्चित करना था कि आख्या की तिथि के तीन से छ: दिनों के अन्दर, उपभोक्ता के निर्धारणोपरान्त आख्या की एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रतिलिपि छापामार दलों को भी दी गई हो।

लेखा परीक्षा के दौरान यह परिलक्षित हुआ कि कार्य-प्रणाली निम्नलिखित सीमाओं तक विसंगतिपूर्ण थी:

- इसमें (छापामार दलों की सीमा में आने वाले) सभी उपभोक्ताओं को आवरित करते हुए एक युक्तिसंगत समय-सीमा के अन्दर (यथा, एक से तीन वर्षो में) कम से कम एक बार छापों की आवर्तता तथा पोषकवार ऊर्जा-लेखे के आधार

पर अत्यधिक चोरी वाले पोषकों को आवरित करने की शर्त नहीं थी। समन्वय ने एनओज की प्रति जाँच हेतु किसी तन्त्र का विकास नहीं किया।

- और अधिक विश्लेषण में पाया गया कि 2002-03 तक तीन वर्षों के दौरान छापामार दलों द्वारा अपनी सीमाओं के उपभोक्ताओं को आवरित करने में कमी 98 से 99 प्रतिशत थी (केवल 1-2 प्रतिशत उपभोक्ता आवरित थे)[1] तथा प्रस्तावित निर्धारण के सापेक्ष निर्गत निर्धारण में कमी 40 से 67 प्रतिशत[2] थी।
- इसी अवधि के दौरान इस प्रकार के निर्धारण के सापेक्ष देयों की वसूली 15 से 34 प्रतिशत तक थी।

यह भी परिलक्षित हुआ कि छापामार दलों ने केवल घरेलू (एलएमवी-1) तथा वाणिज्यिक (एलएमवी-2) श्रेणी के उपभोक्ताओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया वह भी केवल नगरीय क्षेत्रों में जहाँ संयोजित भार का मात्र 29-31 प्रतिशत ही था; तथा लघु, मध्यम पावर, निजी नलकूपों व अन्य श्रेणियों (एलएमवी-3 से एलएमवी-6) के शेष उपभोक्ता बड़ी संख्या में उपेक्षित रहे।

सतर्कता समन्वय ने कहा (सितम्बर 2003) कि उपखण्ड अधिकारियों से सम्बद्ध होने तथा उनका स्वतंत्र अस्तित्व न होने के कारण छापामार दल वस्तुतः अक्रियाशील हो गए थे। पुनः, एलएमवी-3 से एलएमवी-6 तक की उपेक्षा सम्बन्धी मत सही था और जब तक फील्ड अधिकारियों द्वारा सभी उपभोक्ताओं को आवरित करने का विस्तृत कार्यक्रम नहीं निरूपित किया जाता, समस्त उपभोक्ताओं की छानबीन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता।

उपरोक्त विसंगतियां राज्य में विद्युत-चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के घोषित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उचित परिदृश्य में व्यावसायिक उपगम्यता की कमी को इंगित करती है।

(iii) अनुश्रवण की कमी के कारण छापे के प्रकरणों का अनिर्धारण

समन्वय ने सर्वप्रथम अक्टूबर 2001 में छापामारी का लक्ष्य निर्धारित किया। उस समय तक छापे असंगत रूप में मारे जाते थे। एनओज द्वारा सूचित प्रकरणों के सापेक्ष निर्धारण निर्गम हेतु अनुश्रवण की कोई व्यवस्था नहीं थी। सीजेडई तथा एसई, जोकि अनिर्धारण के प्रकरणों की समीक्षा तथा छापामार दलों को निर्देश निर्गत करने के उत्तरदायी बनाए गए थे; वे निर्देश जारी करने में असफल रहे जिसके कारण छापामार आख्याओं में विसंगति बनी रही तथा अनिर्धारण में परिणामित हुई। ईडीडी-I, इलाहाबाद में यह पाया गया कि दिसम्बर 2001 से मार्च 2002 तक की अवधि में ऊर्जा-चोरी की 17 छापा आख्याओं (16 मामलों में 19.93 लाख रूपये निर्धारण प्रस्तावित तथा एक मामले में निर्धारण

1 2002-03 तक समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान आईजीवी की परिसीमा में आने वाले 7977278 से 8390931 उपभोक्ताओं में से मात्र 85606 से 183740 उपभोक्ताओं पर ही छापे मारे गए थे।

2 2002-03 तक समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान 26964 से 48410 मामलों में से केवल 12549 से 16110 मामलों में ही निर्धारण निर्गत किये गए; तथा अनिर्धारण के कारण इंगित नहीं किये गए।

उपलब्ध नहीं कराया गया) पर सहायक अभियन्ता के हस्ताक्षर नहीं थे (यहाँ तक कि एक मामले में अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर भी नहीं पाये गये)। अतएव, ये आख्यायें बोर्ड द्वारा जुलाई 1996 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण के उद्देश्य से खण्ड द्वारा अवैध मानी गई। तथापि, सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के हस्ताक्षर लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। ये छापा आख्यायें पत्रावली के हवाले कर दी गईं। नगरीय विद्युत वितरण खण्ड-I, II और III गाजियाबाद व ईडीडी-II, झाँसी के प्रकरणों में भी अप्रैल 1999 से मार्च 2002 तक की अवधि में 350 उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत चोरी के निर्धारण निर्गत नहीं हो सके क्योंकि निर्धारण को सुगम बनाने हेतु दल, छापामारी के समय संयोजित भार का सत्यापन व उल्लेख करने में विफल रहा। इस असावधानी के लिए न तो किसी उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया और न ही इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई दिशा-निर्देश ही निर्गत किये गये।

सतर्कता समन्वय ने उत्तर में कहा (सितम्बर 2003) कि उल्लिखित कमियों की छानबीन की जा रही थी, तथा ईडीडी-I, इलाहाबाद ने उपभोक्ताओं का निर्धारण इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें अक्टूबर 2000 के प्रावधान ज्ञात नहीं थे जो उपभोक्ता के परिसर की जाँच के प्रकरणों में अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ताओं के स्थान पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत करते थे।

(iv) छापा आख्याओं के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के कारण विलम्बत: निर्धारण

निर्धारित प्रक्रिया (जुलाई 1996) में यह प्रावधानित है कि छापे के अधिकतम छठे दिन तक छापा आख्यायें सम्बन्धित वितरण खण्डों को प्रस्तुत कर दी जानी चाहिये। लेखा परीक्षा के दौरान यह परिलक्षित हुआ कि चार खण्डों (ईयूडीडी-I, II व III, गाजियाबाद तथा ईडीडी-II, झाँसी) को 250 उपभोक्ताओं की छापा आख्यायें 1 से 24 माह के विलम्ब से (209 मामले: 1-6 माह, 30 मामले:[1] 7-12 माह; 1 मामला: 13-18 माह तथा 10 मामले: 19-24 माह) प्रस्तुत की गयीं, परिणामत: अप्रैल 1998 से मार्च 2001 तक की अवधि में 5.30 करोड़ रूपये का निर्धारण विलम्ब से हो पाया।

सतर्कता समन्वय ने कहा (सितम्बर 2003) कि प्रकरण की छानबीन की जा रही है।

इन मामलों को प्रबन्धन व सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2003); उनके उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2003)।

3.1.12 परिवर्तकों के क्रय पर परिहार्य हानि

परिवर्तकों की दरों में गिरावट की प्रवृत्ति संज्ञान में लेने में प्रबन्धन की विफलता तथा निविदा-निस्तारण में अनुचित विलम्ब के फलस्वरूप 67.44 लाख रूपये का अधिक व्यय हुआ।

पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड) की निर्धारित प्रक्रिया (अक्टूबर 1971) यह प्रावधानित करती है कि निविदाएँ आमन्त्रित

[1] 3 से 8 माह तक विलम्ब के 18 मामले सम्मिलित हैं।

करने के 11 सप्ताह के अन्दर (निविदाओं का निस्तारण, संस्तुतियाँ व बोर्ड का अनुमोदन : 10 सप्ताह तथा तत्पश्चात आदेशों का निर्गमन : 1 सप्ताह) भण्डार की अधिप्राप्ति हेतु क्रयादेश को अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहिये। इस परिप्रेक्ष्य में, 67.44 लाख रूपये की परिहार्य हानि वाले निम्नलिखित प्रकरण संज्ञान में आये:

(अ) विद्युत भण्डार क्रय मण्डल-I, लखनऊ (ईएसपीसी-I) को मुख्य अभियन्ता एवं भण्डार नियन्त्रक (सीईसीएस) द्वारा 2001-02 हेतु आवश्यकता सूचित की गई। (1 जनवरी 2001) ईएसपीसी-I ने 10 नग 10 एमवीए परिवर्तकों के लिये निविदाएँ आमन्त्रित कीं (20 फरवरी 2001)। सामान्य व तकनीकी भाग को खोलने की तिथि 26 मार्च 2001 थी। बिना कोई कारण बताए, खोलने की तिथि 20 अप्रैल 2001 तथा पुन: 19 मई 2001 तक बढ़ाई गई। तथापि, निविदा खोलने की तिथि को पुन: 30 मई, 2001 तक इस आधार पर बढ़ाया गया कि एक निविदाकार ने कतिपय तकनीकी बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण माँगा था। प्राइस बिड 17 जुलाई 2001 को सामान्य व तकनीकी भाग खोलने की तिथि 30 मई 2001 के 6 सप्ताह से अधिक समय के बाद खोली गयी। कारपोरेट भण्डार क्रय समिति (सीएसपीसी) ने मै. पी.एम. इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नोयडा द्वारा उद्धृत न्यूनतम आगणित मूल्य 61.48 लाख रूपये को संस्तुत किया (29 सितम्बर 2001) और निविदा आमन्त्रण की तिथि से 44 सप्ताह (निर्धारित 11 सप्ताह के सापेक्ष) से अधिक समय बाद दिसम्बर 2001 में आदेश जारी किया गया।

इसी मध्य, सीईसीएस ने ग्रीष्म ऋतु के लिए सात और परिवर्तकों की तत्काल अतिरिक्त माँग सूचित की (मार्च 2001)। चूँकि तब तक नई निविदायें नहीं खोली गई थीं, सीएसपीसी ने निर्णय लिया (अप्रैल 2001) कि पूर्व निविदा के सापेक्ष (1999 का 1107) इन परिवर्तकों को खरीदा जाय (आगणित इकाई दर 63.22 लाख रूपये पर, जिसकी वैधता मार्च 2001 में समाप्त हो गई थी)। पुरानी दरों पर परिवर्तकों की खरीद का निर्णय लेते समय सीएसपीसी ने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि परिवर्तकों की दरों में गिरावट की प्रवृत्ति थी (5 एमवीए 1995 में 13.23 लाख रूपये से 2000 में 10.20 लाख रूपये; 8 एमवीए: 1996 में 16.07 लाख रूपये से 1999 में 15.62 लाख रूपये तथा 10 एमवीए: 1999 में 63.22 लाख रूपये से 2001 में 61.48 लाख रूपये) तथा बाद की निविदा में समर्थनकारी धारा को सम्मिलित नहीं किया जिसके द्वारा कम दरों के प्रकरण में वित्तीय हितों की रक्षा हो सकती थी। समिति ने (मई 2001 के आदेश के सापेक्ष) छ: परिवर्तक पूर्व के आगणित मूल्य 63.22 लाख रूपये पर (बाद की निविदा के 61.48 लाख रूपये की दर के सापेक्ष) क्रय कर लिए (वर्तमान आपूर्तिकर्ता यथा एक्यूरेट ट्रान्सफार्मर लिमिटेड, नई दिल्ली से दो नग परिवर्तकों सहित) जिसके परिणामस्वरूप 10.44 लाख रूपये की हानि हुई।

प्रबन्धन का उत्तर (जुलाई 2003) कि पुरानी दरों पर आदेश देते समय बाद की निविदाओं की दरें ज्ञात नहीं थीं, मान्य नहीं था क्योंकि प्रबन्धन को जानकारी थी तथा वह निविदाओं को अन्तिम रूप देने में निर्धारित समय सारणी अपनाने में तथा क्रयादेश में

समर्थनकारी धारा को सम्मिलित करने में विफल रहा। परिवर्तकों के मूल्य में गिरावट की प्रवृति थी।

(ख) उपकेन्द्र परिकल्प मण्डल-I (एसएसडीसी-I) लखनऊ के अभिलेखों की नमूना जॉच (जनवरी 2003) से यह ज्ञात हुआ कि विशिष्टि सं 481 के अन्तर्गत चार नग 100 एमवीए परिवर्तकों के क्रय करने हेतु निविदायें आमन्त्रित की गई थीं (अगस्त 1998) जिनके खुलने की तिथि 7 अक्टूबर 1998 (जोकि बढ़ाकर 23 अक्टूबर 1998 की गई) थी। आठ वैध निविदाओं के भाग II, 5 फरवरी 1999 को खोले गए तथा निविदाएँ सीएसपीसी को 27 मई 1999 को भेजी गयीं। सीएसपीसी ने आपूर्तिकर्ताओं से न्यूनतम दरें (रॉक बॉटम रेट्स) माँगीं तथा 19 नवम्बर 1999 को मै. जीईसी एलस्टोम की 1.11 करोड़ रूपये की न्यूनतम एफओआर दरों को अनुमोदित किया। आपूर्ति आदेश दिसम्बर 1999 में निर्गत किये गए। कम्पनी ने निर्धारित 11 सप्ताह के समय के सापेक्ष लगभग 17 महीने का समय लगाया।

उपरोक्त प्रक्रिया के दौरान कम्पनी ने उसी आपूर्तिकर्ता (मै0 जीईसी एलस्टोम) को एक नग 100 एमवीए परिवर्तक की आपूर्ति का एक आदेश दिया (3 सितम्बर 1998) जोकि उनकी विशिष्टि सं0 ईएसडी-463 के सापेक्ष पूर्व प्रेषित अप्रैल 1997 के आदेशों के तारतम्य में था तथा अप्रैल 1997 में तय की गई दर (1.68 करोड़ रूपये) पर मार्च 1999 में की गई आपूर्ति के लिए भुगतान किया गया।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 100 एमवीए परिवर्तकों की एफओआर दरों में गिरावट की प्रवृति थी क्योंकि उसी फर्म ने उसी आपूर्ति के लिए 1.11 करोड़ रूपये की दर उदधृत की थी (5 फरवरी 1999)। इससे स्पष्ट है कि कम्पनी 100 एमवीए परिवर्तकों की दरों की गिरती प्रवृत्ति को समझ पाने में विफल रही तथा अगस्त 1998 के चार परिवर्तकों के पश्चातवर्ती प्रस्ताव को निर्धारित अवधि में अन्तिम रूप देने का कोई प्रयास नहीं किया ताकि उसमें एक और परिवर्तक की आवश्यकता को सम्मिलित किया जा सके जिसे पूर्ववर्ती दरों पर क्रय किया गया था।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2003) कि 10 सप्ताह के अन्दर निविदाओं का निस्तारण उन प्रकरणों पर लागू होता है जहाँ निविदा सूचना के समय विशिष्टियाँ दी जाती है न कि 2 भाग वाली निविदाओं पर। पुनः, यह आशा नहीं थी कि बाद की निविदाओं में दरें कम हो जायेंगी।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि कम्पनी ने पहले ही उसी तकनीकी विवरण तथा मेक के लिए अगस्त 1998 में निविदाएँ आमन्त्रित कर ली थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्तराल की अवधि में क्रय हुए परिवर्तकों की दरें नई दरों की अपेक्षा अधिक न हों; क्रयादेश में वर्तमान और नई दरों में से निम्नतर दर तक सीमित करने वाली समर्थनकारी धारा की उपस्थिति कम्पनी को वित्तीय हानि से बचा सकती थी।

इस प्रकार, क्रय-प्रबन्धन के विवेकहीन नियोजन, निविदाओं के निस्तारण में अनुचित विलम्ब तथा वित्तीय हितों की रक्षा हेतु समर्थनकारी धारा को समाहित करने में विफलता

के फलस्वरूप एक नग 100 एमवीए परिवर्तक के क्रय पर 57 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रकरण सरकार को मई/जून 2003 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2003)।

3.1.13 करेन्ट परिवर्तक के क्रय में अतिरिक्त व्यय

अनुचित आधार पर न्यूनतम प्रस्ताव अस्वीकृत करने के फलस्वरूप कम्पनी को 12.25 लाख रूपये की हानि हुई।

उप-महाप्रबन्धक विद्युत उपकेन्द्र परिकल्प मण्डल-II, लखनऊ द्वारा 132 व 220 केवी उप-केन्द्रों में उपयोग हेतु 400-200/1 ए 36 केवी सीटी रेटिंग के 360 नग करेंट परिवर्तक क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई। निविदा के भाग-1 में अर्हतापूर्व शर्तें थीं तथा भाग-2 में मूल्य विवरण था। निविदा का भाग-1, 19 नवम्बर 2001 को खोला गया जिसमें तीन निविदाएँ अर्हतापूर्व शर्तो को पूरा करती थीं। इस आधार पर 18 जनवरी 2002 को भाग-2 अर्थात मूल्य-विवरण खोला गया तद्नुसार गंतव्य तक एफओआर की दरें प्रति नग 11,842.00 रूपये (मै. फ्लोरल) 14,162.90 रूपये (मै. हेप्टा केयर) तथा 14,731.40 रूपये (मै. मेहरू) थीं।

कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी 2002) से ज्ञात हुआ कि निदेशक (पारेषण) भण्डार क्रय समिति (एसपीसी) ने मै0 फ्लोरल के न्यूनतम प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि केस्को द्वारा प्रदत्त अनुभव-प्रमाणपत्र में फर्म द्वारा हेरफेर किया गया था तथा फर्म को कालीसूची में डाले जाने की संस्तुति थी। शेष दो पार्टियों से न्यूनतम दरें माँगी गईं। सीटी की संख्या को 540 नग तक बढ़ाते हुए आपूर्ति आदेश (मै0 हैप्टाकेयर 486 नग तथ मै0 मेहरू 54 नग) मार्च 2002 में 14,110.90 रूपये प्रति सीटी की दर पर जारी किये गए।

फ्लोरल के प्रस्ताव की अस्वीकृति न्यायोचित नहीं थी क्योंकि एसपीसी की फर्म को काली सूची में रखने की संस्तुति, उनके ही विधि अधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत की गई थी कि उपलब्ध सामग्री का उल्लेख न केवल काली सूची में डालने के निमित्त; वरन् प्रतिभूति धनराशि जब्त करने हेतु भी अपर्याप्त था। फर्म को काली सूचीकृत किये जाने की संस्तुति (फरवरी 2002) के बाद भी, एसपीसी ने स्वयं एक दूसरी निविदा विशिष्टि सं0 ईएसडी-151 के अन्तर्गत दिसम्बर 2002 में मै0 फ्लोरल से सीटी अधिप्राप्त कर ली।

इस प्रकार, मै0 फ्लोरल के प्रस्ताव की अनुचित अस्वीकृति के कारण 12.25 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ, जो कि कम्पनी के वित्तीय हित में नहीं था।

प्रकरण प्रबन्धन (मई 2003) और शासन (जून 2003) को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2003)।

3.1.14 असावधानी के फलस्वरूप हानि

दुर्विनियोजित भण्डार की वसूली हेतु समयानुसार कार्यवाही करने में विफलता के फलस्वरूप कम्पनी ने 17.26 लाख रूपये की हानि वहन की।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधानित करती है कि खण्ड के प्रत्येक अनुभाग/भण्डार धारक को भण्डार सामग्री की प्राप्तियों व निर्गमनों के मासिक लेखे प्रस्तुत करने चाहिये। यदि लेखे न प्रस्तुत हो सकें; तो निर्गत की गई भण्डार सामग्री की सीमा तक सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विविध अग्रिम बुक किया जाना चाहिये तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लागत-वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिये।

विद्युत वितरण खण्ड (ईडीडी), अमरोहा के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह परिलक्षित हुआ (मार्च 2003) कि खण्ड के एक अवर अभियन्ता (जेई) ने जनवरी 1993 से जुलाई 1993 के मध्य 17.98 लाख रूपये मूल्य की भण्डार सामग्री प्राप्त की थी, किन्तु उसके द्वारा लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये। इसी बीच (सितम्बर 1993) उनका स्थानान्तरण ईडीडी-II, मुजफ्फरनगर हो गया। ईडीडी, अमरोहा के अधिशासी अभियन्ता ने, निर्गत भण्डार का लेखाकरण होना सुनिश्चित किये बिना ही उन्हें ईडीडी-II, मुजफ्फरनगर के लिये अवमुक्त कर दिया। दिसम्बर 1993 में ईडीडी, अमरोहा द्वारा भण्डार के दुर्विनियोग की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मई 1996 में 17.98 लाख रूपये का विविध अग्रिम बुक किया गया, किन्तु वसूली सम्बन्धी कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई। चूँकि चार निरीक्षण आख्याओं (जनवरी 1997 से अगस्त 2001 तक) में बारम्बार आपत्ति उठाये जाने के बाद भी खण्ड द्वारा विविध अग्रिम रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया, लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति सत्यापित नहीं हो सकी।

सात वर्ष बाद (जुलाई 2000) अधिशासी अभियन्ता, अमरोहा ने जेई, ईडीडी-II, मुजफ्फरनगर से विविध अग्रिम की वसूली के लिए अधिशासी अभियन्ता, ईडीडी-II, मुजफ्फरनगर से कहा। ईडीडी-II, मुजफ्फरनगर मात्र 0.72 लाख रूपये की वसूली कर सका और 30 अप्रैल 2001 को जेई सेवानिवृत्त हो गए। उनके सेवा-निवृत्ति देयकों को ईडीडी, चन्दौसी में लम्बित एक अन्य 2.33 लाख रूपये के विविध अग्रिम के विरूद्ध समायोजित कर दिया गया। वर्तमान में उनका कोई दावा लम्बित नहीं है जिससे यह बकाया वसूल किया जा सके।

अप्रैल व जून 2001 में दो और प्राथमिकी दर्ज कराई गई किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो सकी क्योंकि माननीय जनपद न्यायालय द्वारा (26 जुलाई 2001) जमानत दे दी गई। विलम्ब से निर्गत वसूली प्रमाणपत्र इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया कि जेई के नाम कोई चल या अचल सम्पत्ति राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है।

प्रकरण प्रबन्धन व शासन को सूचित किया गया (जून 2003); उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2003)।

3.1.15 उच्च दरों पर कार्य-निष्पादन से हानि

कम्पनी ने, एक खण्ड द्वारा निष्पादित सिविल कार्य की अपेक्षा दूसरे खण्ड द्वारा निष्पादित लगभग समान सिविल कार्य में अत्यधिक उच्चतर दरें स्वीकृत की और 49.43 लाख रूपये की हानि उठायी।

जनवरी 2000 से मार्च 2003 के दौरान गोमती नगर, लखनऊ में एक 132 केवी उपकेन्द्र तथा इस उपकेन्द्र के पोषण हेतु 132 केवी उपकेन्द्र संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई), लखनऊ से एक 132 केवी डबल सर्किट एलआईएलओ (लाईन इन लाईन आउट) लाईन का निर्माण किया गया। इसका निर्माण बढ़ती माँगों की आपूर्ति तथा लाईन हानियों को घटाने के उद्देश्य से किया गया था। 132 केवी उपकेन्द्र व 132 केवी लाईन का निर्माण कार्य क्रमशः विद्युत जानपद निर्माण खण्ड-II (ईसीसीडी) लखनऊ तथा विद्युत पारेषण लाईन व प्रतिष्ठापन इकाई (ईटीएलईयू), वाराणसी द्वारा किया गया।

लेखा परीक्षा के दौरान (मार्च 2003) यह परिलक्षित हुआ कि ईटीएलईयू ने उक्त लाईनों के टावरों के प्रतिष्ठापन हेतु अपेक्षित आधार के निर्माण हेतु मै0 ज्योति इंजीनियरिंग वर्क्स, फतेहपुर से दो अनुबन्ध (9-ईटीएलईयू/99-2000 तथा 3-ईटीएलईयू/2000-01; क्रमशः जनवरी 2000 व सितम्बर 2000 के दौरान) निष्पादित किये। इसी प्रकार, ईसीसीडी ने मै0 राजकुमार, गोरखपुर से उपकेन्द्र के निर्माण का एक और अनुबन्ध निष्पादित किया (अप्रैल 2000)। अनुबन्धों के परीक्षण (मार्च 2003) से यह परिलक्षित हुआ कि ईसीसीडी ने जिन कार्यों हेतु दरें स्वीकृत की थीं उन्हीं कार्यों हेतु ईटीएलईयू ने अत्यधिक उच्च दरें स्वीकृत कर दीं। परिणामतः यूपीपीसीएल को 49.43 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय-भार वहन करना पड़ा जिसका विवरण निम्नवत है:

अनुबन्ध मद क्रमांक	मद का विवरण	ईटीएलईयू द्वारा स्वीकृत दर	ईसीसीडी द्वारा स्वीकृत दर	अन्तर	ईटीएलईयू द्वारा निष्पादित मात्रा	अतिरिक्त व्यय
1	2	3	4	5(3-4)	6	7(5×6)
		(रूपये प्रति घन मीटर)			(घन मीटर में)	(रूपये में)
1	समस्त भूमि कार्यों सहित आधार हेतु गडढे खोदना, उन गडढों की पुनः भराई, समतलीकरण आदि, सामान्य टावरों के लिये	125	23.10	101.90	11210.05	1142304.00
2	1:2:4 के अनुपात में समस्त सामग्री सहित आधार में कंक्रीट/प्रबलीकृत स्टबों की चिमनी का प्लास्टर व ढलाई किन्तु सीमेन्ट की लागत रहित	2795	1245.76	1549.23	2453.051	3800340.00
योग						4942644.00

यह पाया गया कि ईटीएलईयू द्वारा स्वीकृत दरें 441 प्रतिशत तथा 124 प्रतिशत उच्चतर थीं जिससे स्पष्ट है कि दरों की उपयुक्तता अनुबन्ध करते समय सुनिश्चित नहीं की गई थी, जैसा कि अप्रैल 1970 के यूपीएसईबी के आदेश सपठित पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य

विद्युत परिषद (वर्तमान उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड) के हाईडिल मैनुअल ऑफ आर्डर (एचएमओ) के प्रस्तर 360(2) के अन्तर्गत अपेक्षित था।

प्रबन्धन ने उत्तर में कहा (जुलाई 2003) कि सिविल पक्ष के कार्य पारेषण-लाईन कार्यों के समरूप नहीं थे, अतएव, इनकी दरों की तुलना नहीं हो सकती। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दोनों ही कार्य लखनऊ में लगभग समान कार्यस्थल/मृदा-परिस्थितियों में निष्पादित हुये थे। पुन: दरें जो कि 441 व 124 प्रतिशत तक उच्चतर थीं उनका न तो विश्लेषण और न दरसूची (एसओआर) से उनके विचलन का अनुमोदन ही प्राप्त किया गया।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया (मई 2003); उनके उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2003)।

3.1.16 सुमेल संयन्त्र के सुसंगत भार को न घटाने के फलस्वरूप हानि

कम्पनी ने भार घटाया किन्तु सुमेल संयन्त्र स्थापित नहीं किया। इससे अतिरिक्त भार प्रवाह व ऊर्जा की चोरी सुगम हो गयी फलत: 27.09 लाख रूपये की हानि हुई

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) नियमावली, 1984 के प्रस्तर 10 (ख) सपठित कम्पनी के राजस्व व वाणिज्यिक मैनुअल में निहित आदेश यह प्रावधानित करते हैं कि भार में कमी तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक कि स्विचगियर में संस्थापित मीटर संयन्त्र, परिवर्तक व सी.टी (करेन्ट परिवर्तक) भी घटाये गये भार के अनुसार बदले नहीं जाते। पुन: वर्तमान भार को घटाने के इच्छुक उपभोक्ता को पुनरीक्षित बिल्डिंग एवं लोड (बी एण्ड एल) प्रपत्र प्रस्तुत करना होता है तथा भार घटाने की औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद नया अनुबन्ध करना होता है।

लेखा परीक्षा के दौरान यह परिलक्षित हुआ (अक्टूबर 2002) कि विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर (कानपुर देहात) ने मैसर्स एल कान्त पेपर मिल, कानपुर देहात के आवेदन (13 दिसम्बर 2000) पर भार को 1240 केवीए (एचवी-2 के अन्तर्गत बिलयोग्य) से घटाकर, 16 जनवरी 2001 से 211 केवीए (240 बीएचपी) कर दिया। खण्ड ने मीटर के सीटी अनुपात को बदल कर 20/5 एम्पियर कर दिया (381 केवीए तक भार वहन हेतु) तथा उपभोक्ता को 750 केवीए रेटिंग के परिवर्तक को 250 केवीए रेटिंग के परिवर्तक से बदलने का निर्देश दिया, (10 मई 2001) उपभोक्ता ने, तथापि, निर्देश का पालन नहीं किया (मार्च 2003)। 5 जनवरी 2001 को कम्पनी ने एक नया अनुबन्ध कर लिया तथा 16 जनवरी 2001 से भार को संगत क्षमता वाले एक परिवर्तक की संस्थापना सुनिश्चित किये बिना ही घटा दिया। इससे संयोजित भार से 315.20 केवीए (जनवरी 2001) तथा 302.40 केवीए (फरवरी व मार्च 2001) अधिक भार का आहरण सहज हो गया।

ऊर्जा का अधिक आहरण तब स्पष्ट हुआ जब कम्पनी के छापामार दल ने पाया (जून 2001) कि उपभोक्ता ने मीटर की सील के साथ छेड़-छाड़ की थी तथा वर्तमान सीटी को 50/5 एम्पियर वाली उच्च क्षमता की सीटी से बदल दिया था (जिसकी भार ग्रहण क्षमता 952.9 केवीए थी) जिससे ऊर्जा की चोरी हुई। फिर भी दल ने अपनी आख्या में संयोजित भार अंकित नहीं किया। इसके कारण उपभोक्ता के निवेदन पर एरिया लेविल कमेटी ने दल द्वारा प्रस्तावित 33.87 लाख रूपये के निर्धारण बीजक (750 केवीए पर

आधारित) को 6.78 लाख रूपये (211 केवीए संयोजित भार पर आधारित) में सुगमता से पुनरीक्षित (1 जुलाई 2002) कर दिया।

कम्पनी के कर्मियों द्वारा जानबूझ कर दिखाई गयी निष्क्रियता से ऊर्जा की सहज चोरी हुई जिसके फलस्वरूप 27.09 लाख रूपये (33.87 लाख रूपये में से 6.78 लाख रूपये घटाकर) की हानि हुई।

प्रकरण प्रबन्धन व शासन को सूचित किया गया (मार्च 2003); उनके उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2003)।

3.1.17 उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ देने से हानि

कम्पनी ने अविरल प्रक्रिया उद्योगों पर लागू होने वाले निर्धारित अधिभार को बीजकीकृत नहीं किया और 1.02 करोड़ रुपये की हानि वहन की।

अविरल प्रक्रिया उद्योगों पर 15 प्रतिशत अधिभार को भारित न करके कम्पनी ने उन्हें 1.02 करोड़ रूपये का लाभ दे दिया जैसा कि निम्न में वर्णित है:

(क) 9 अगस्त 2000 से प्रभावी एचवी-2 दर अनुसूची के प्रस्तर 4 के अन्तर्गत टिप्पणी (ए) के अनुसार उन उपभोक्ताओं से 15 प्रतिशत अधिभार वसूला जाना था जो कि प्रतिबन्धित/शीर्ष घण्टों में विद्युत उपभोग का विकल्प दें। संशोधनपूर्व दर-अनुसूची के अन्तर्गत प्रतिबन्धित घण्टों के दौरान अविरल विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने वाले अविरल प्रक्रिया उद्योगों को भी 9 अगस्त 2000 से, कम्पनी के आदेश दिनांक 8 सितम्बर 2000 के स्पष्टीकरण के अनुसार, 15 प्रतिशत अधिभार का भुगतान करना था चाहे 15 सितम्बर 2001 तक कोई भी विकल्प प्राप्त न हुआ हो। दर-अनुसूची संरचना बाद में परिमार्जित की गई। पूर्ववर्ती यूपीएसईबी ने बीओ संख्या 1003 एचसी/एसईबी-586 दिनांक 9 अप्रैल 1986 द्वारा शीतगृहों को अविरल प्रक्रिया उद्योग में सूचीबद्ध किया था।

विद्युत वितरण खण्ड (ईडीडी), प्रतापगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच से यह परिलक्षित हुआ (अगस्त 2002) कि उक्त आदेश के प्रतिकूल, अधिशासी अभियन्ता ने पाँच शीतगृहों से इस आशय के स्वीकृति पत्र ले लिये थे कि वे शीर्ष घण्टों में विद्युत उपभोग नही करेगें और उन्हें 15 प्रतिशत अधिभार से मुक्त कर दिया। उक्त आदेश के अतिक्रमण में किया गया अधिशासी अभियन्ता का यह कार्य 9 अगस्त 2000 से 15 सितम्बर 2001 के दौरान 10.03 लाख रूपये की हानि में परिणामित हुआ जिसका विवरण निम्नवत् है:

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	संयोजित भार (केवीए में)	श्रेणी/संयोजन संख्या	बीजकीकृत धनराशि (रूपये में)	वसूल न किया गया 15 प्रतिशत अधिभार (रूपये में)
1.	प्रतापगढ़ कोल्ड स्टोरेज	140	एचवी-2/14	1667844	250176
2.	प्रताप कोल्ड स्टोरेज	88	एचवी-2/34	879859	131979
3.	अवध कोल्ड स्टोरेज	200	एचवी-2/13	1727203	259080
4.	शाही कोल्ड स्टोरेज	125	एचवी-2/33	944600	141690
5.	रोमा कोल्ड स्टोरेज	129	एचवी-2/15	1464336	219650
योग					1002575

(ख) 16 सितम्बर 2001 से प्रभावी, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ईआरसी) द्वारा जारी दर अनुसूची प्रावधानित करती है कि उपभोक्ता (एचवी-2 श्रेणी) जोकि शीर्ष/प्रतिबन्धित घण्टों में आपूर्ति का चयन नहीं करते वे भी अपनी संयोजित माँग की 15 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा का उपभोग कर सकेंगें। प्रतिबन्धित घण्टों के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा उपभोग करने की स्थिति में चूक की पुनरावृत्ति की संख्याओं

हेतु संयोजित भार पर 75 रूपये प्रति केवीए का दण्ड वसूला जायेगा। 2 जनवरी 2003 को जारी पुन: स्पष्टीकरण में मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने मत व्यक्त किया कि शीर्ष घण्टों के उल्लघंन के मामलों में, त्रुटि की पुनरावृत्ति की संख्याओं की उपेक्षा करके औद्योगिक उपभोक्ताओं पर दण्ड केवल एक बार प्रतिदिन की दर से आरोपित होना चाहिए। स्पष्टीकरण ईआरसी द्वारा बाद की दर सूची में भी अपनाया गया जोकि 9 नवम्बर 2002 से प्रभावी था। तद्नुसार एक दिन के सभी उल्लंघनों को एक उल्लंघन मानते हुए दण्ड की वसूली की जानी थी।

विद्युत वितरण खण्ड-I, रायबरेली (नवम्बर 2002) तथा विद्युत वितरण खण्ड-III, मथुरा (फरवरी 2003) के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह परिलक्षित हुआ कि चूक करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा शीर्ष/प्रतिबन्धित घण्टों के दौरान भार के 15 प्रतिशत से अधिक का उपभोग करने पर, शीर्ष घण्टा अतिक्रमण पर किये जाने वाले दण्ड आरोपण के बीजक या तो निर्गत नहीं हुये या उल्लंघनों की संख्या कम करके निर्गत किये गये। इसके फलस्वरूप 91.60 लाख रूपये का दण्ड कम प्रभारित हुआ जिसका विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	उपभोक्ताओं के नाम व संयोजित भार	दिनों की संख्या जिनमें उल्लंघन हुआ	दिनों की संख्या जिसपर दण्डशुल्क आरोपित हुआ	दिनों की संख्या जिन पर दण्ड शुल्क आरोपणीय था किन्तु आरोपित नहीं हुआ	कम आरोपित दण्ड शुल्क (75 रूपये × संयोजित भार × कालम 5) (लाख रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (4-3)	(6)
	ईडीडी-I, रायबरेली				
1.	यूपी स्टेट स्पिनिंग मिल, 2000 केवीए	75	31[1]	44	66.00
2.	रायबरेली फ्लोर मिल, 120 केवीए	04	...	04	0.36
3.	फैसनर इण्डिया लिमिटेड, 92 केवीए	49	...	49	3.38
4.	एफ.आई. इण्डस्ट्रीज, 103 केवीए	16	...	16	1.24
	ईडीडी-III, मथुरा				
5.	स्वराज, 180 केवीए	11	3	08	1.08
6.	एस.डी कोल्ड स्टोरेज, 175 केवीए	68	5	63	8.27
7.	यमुना कोल्ड स्टोरेज, 154 केवीए	07	3	04	0.46
8.	किशन कोल्ड स्टोरेज, 132 केवीए	09	3	06	0.59
9.	बलदेव कोल्ड स्टोरेज, 148 केवीए	16	5	11	1.22
10.	मथुरा कोल्ड स्टोरेज, 176 केवीए	26	4	22	2.90
11.	गोवर्धन कोल्ड स्टोरेज, 150 केवीए	45	4	41	4.61
12.	सुनन्दा कोल्ड स्टोरेज, 180 केवीए	14	3	11	1.49
	योग				**91.60**

[1] ईडीडी-I, रायबरेली द्वारा सम्प्रेक्षा के दृष्टांत पर 46.50 लाख रूपये का दण्ड प्रभारित किया गया।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि मुख्य महाप्रबन्धक (वाणिज्यिक) के पत्र दिनांक 2 जनवरी 2003 में निहित परामर्श के अनुसार दण्ड का आरोपण किया गया था। उत्तर उचित नहीं है क्योंकि खण्डों द्वारा उल्लंघनों की गणना का अशुद्ध आगणन किया गया था।

प्रकरण शासन को मई/अप्रैल/जून 2003 में सूचित किये गये; उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2003)।

3.1.18 दर-अनुसूची के अशुद्ध प्रयोग से हानि

दर-अनुसूची की निम्न दरों का प्रयोग कर कम्पनी ने 1.58 करोड़ रूपये की हानि वहन की।

9 अगस्त 2000 से प्रभावी दर-अनुसूची एचवी-2 की मद संख्या चार में निहित टिप्पणी (क) के अनुसार बीजकीकृत धनराशि का 15 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार उन उपभोक्तओं पर आरोपित किया जायेगा जो प्रतिबन्धित/शीर्ष घण्टों के दौरान विद्युत के उपभोग का चयन करेंगे। इसके अतिरिक्त, अविरल प्रक्रिया उद्योग जो कि पुनरीक्षण-पूर्व दर-अनुसूची के अन्तर्गत प्रतिबन्धित अवधि में लगातार आपूर्ति ले रहे थे उन्हें भी 9 अगस्त 2000 से 15 प्रतिशत अधिभार का भुगतान करना होगा (परिषदादेश दिनांक 8 सितम्बर 2000 के अनुसार ऐसे प्रकरणों में कोई विकल्प लेने की आवश्यकता नहीं थी) तथापि 16 सितम्बर 2001 से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा दर-अनुसूची पुनरीक्षित कर दी गयी तथा प्रभार की दर को प्रतिबन्धित/शीर्ष घण्टों के दौरान उपभोग करने वाले तथा न करने वाले उपभोक्ताओं के लिये अलग-अलग कर दिया गया।

विद्युत वितरण खण्ड (ईडीडी)-I, अलीगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2003) से परिलक्षित हुआ कि पशुपति कास्टिंग (संयोजित भार 3300 केवीए) 9 अगस्त 2000 से पूर्व एचवी-1 अविरल श्रेणी के एक उपभोक्ता थे (तत्पश्चात एचवी-1 अनुसूची को एचवी-2 अनुसूची में समाहित कर लिया गया)। उपभोक्ता ने शीर्ष/प्रतिबन्धित घण्टों में आपूर्ति की सुविधा लेने अथवा न लेने का कोई विकल्प नहीं दिया था। उपभोक्ता एचवी-2 अविरल श्रेणी के अन्तर्गत बीजकीकरण योग्य था। तथापि, खण्ड ने उपभोक्ता को एचवी-2 विरल प्रक्रिया के अन्तर्गत गलत बीजकीकृत किया जिसके फलस्वरूप अगस्त 2000 से जनवरी 2003 तक की अवधि में 1.58 करोड़ रूपये के राजस्व का अल्प प्रभारण हुआ।

प्रकरण प्रबन्धन को (मई 2003) तथा शासन को (जून 2003) सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2003)।

3.1.19 न्यून बीजकीकरण

लागू उच्चतर दर-अनुसूची के स्थान पर कम्पनी ने न्यूनतर दर-अनुसूची लागू की और 15.76 लाख रूपये की हानि वहन की।

न्यूनतम 500 केडब्लू संयोजित भार वाली टाउनशिप, सार्वजनिक संस्थानों की आवासीय कालोनियाँ जो कि एकल बिन्दु पर आपूर्ति प्राप्त करती हों, तथा घरेलू उद्देश्यों हेतु संयोजित भार के 80 प्रतिशत से कम का उपयोग न करते हो उन्हें 16 सितम्बर 2001 से प्रभावी दर-अनुसूची की एलएमवी-4 श्रेणी के अन्तर्गत बीजकीकृत किया जाना था

(इसके पूर्व इन उपभोक्ताओं को एलएमवी-1 श्रेणी के अन्तर्गत बीजकीकृत किया जाता था)।

अगस्त 2002 में लेखा परीक्षा के दौरान की गयी नमूना जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि विद्युत वितरण खण्ड-I, शाहजहाँपुर ने 630 केवीए (536 केडब्ल्यू) संयोजित भार वाली आयुध वस्त्र फैक्टरी, शाहजहाँपुर की आवासीय कालोनी का एलएमवी-1 श्रेणी के अन्तर्गत अशुद्ध बीजकीकरण किया जबकि परिशोधित दर-अनुसूची के अनुसार 16 सितम्बर 2001 से इनका बीजकीकरण एलएमवी-4 के अन्तर्गत होना चाहिए था। इसके फलस्वरूप अक्टूबर 2001 से मार्च 2003 की अवधि के दौरान 15.76 लाख रूपये का न्यून बीजकीकरण हुआ।

प्रकरण प्रबन्धन व सरकार को मई 2003 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2003)।

3.1.20 भार की अनियमित अवमुक्ति

कम्पनी ने अविरल प्रक्रिया उपभोक्ता को विद्यमान लाईन की अनुचित टेपिंग द्वारा भार अवमुक्त किया जिसके परिणामस्वरूप 'बे' की लागत तथा अविरल प्रक्रिया अधिभार, कुल 23.14 लाख रूपये वसूल नहीं कर सकी।

महाप्रबन्धक (वितरण) कानपुर क्षेत्र ने मै0 फ्रन्टियर एलायज स्टील्स, कानपुर को दर-अनुसूची एचवी-2 (अविरल प्रक्रिया) के अन्तर्गत 1200 केवीए भार इस शर्त के साथ स्वीकृत किया (जनवरी 2001) कि भार किसी भी लाइन की टैपिंग द्वारा अवमुक्त नहीं किया जायेगा तथा स्वतन्त्र पोषक से भार की अवमुक्ति हेतु कम्पनी के आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

विद्युत वितरण खण्ड (ईडीडी), अकबरपुर, कानपुर देहात के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह संज्ञान में आया (सितम्बर 2002) कि उक्त आदेशों के प्रतिकूल, उपमहाप्रबन्धक (वितरण), कानपुर ने उपभोक्ता के उस प्राकल्लन को अनियमित अनुमोदन दे दिया (मार्च 2001) जिसमें यूपीपीसीएल की 11 केवी औद्योगिक पोषक लाइन को टैप कर भार अवमुक्त किया जाना था। तकनीकी रूप से लाइन की टैपिंग सुरक्षित नहीं थी क्योंकि इसके परिणामस्वरूप पोषक व पोषक लाइनों पर भार वृद्धि होती। कथित लाइन की टैपिंग करके उपभोक्ता को भार अवमुक्त किया गया (जून 2001) जिसके परिणामस्वरूप स्वतन्त्र पोषक आपूर्ति के प्रकरण में वसूली जाने वाली 17.13 लाख रूपये की 'बे' की लागत वसूल नहीं की जा सकी।

पुनः, यह भी देखा गया कि उपभोक्ता का बीजकीकरण 15 प्रतिशत अधिभार वसूले बिना ही किया जा रहा था जो कि 9 अगस्त 2000 से प्रभावी दर-अनुसूची एचवी-2 (अविरल प्रक्रिया) के अन्तर्गत वसूली योग्य था, क्योंकि उपभोक्ता का भार जनवरी 2001 के आदेशानुसार एचवी-2 अविरल प्रक्रिया श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकृत था। तथापि उपभोक्ता के आग्रह पर फरवरी 2002 से अविरल प्रक्रिया उद्योग के अन्तर्गत बीजकीकरण प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार जून 2001 से जनवरी 2002 की अवधि के दौरान उपभोक्ता का 6.01 लाख रूपये का न्यून बीजकीकरण किया गया।

महाप्रबन्धक (वितरण), कानपुर क्षेत्र ने कहा कि उपभोक्ता ने विरल प्रक्रिया हेतु आवेदन किया था किन्तु उसे अविरल प्रक्रिया हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा उपभोक्ता से हुये अनुबन्ध में यह कहीं भी उल्लिखित नहीं था कि प्रक्रिया विरल है अथवा अविरल। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भार अविरल प्रक्रिया के लिये अवमुक्त किया गया था तथा खण्ड उसी निमित्त अनुबन्ध निष्पादन हेतु बाध्य था तथा तद्नुसार ही बीजक निर्गत किया जाना था।

प्रकरण प्रबन्धन व शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2003); उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2003)।

3.1.21 असावधानी के कारण हानि

उपभोक्ता के परिसर में तथा केन्द्र के पोषक पर लगे मीटरों में उर्जा के अन्तर का संज्ञान लेने में कम्पनी की विफलता ने ऊर्जा की चोरी को सुगम बनाया जिसके परिणामस्वरूप 2.56 करोड़ रूपये की हानि हुई

विद्युत वितरण खण्ड-I, वाराणसी के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2000) से यह स्पष्ट हुआ कि 11 केवी स्वतन्त्र पोषक से अवमुक्त 750 केवीए (862.50 एचपी) भार वाले मैसर्स एस.के ग्लास वर्क्स के परिसर में संस्थापित एक वैद्युत-यांत्रिक मीटर 3 सितम्बर 1998 को इलेक्ट्रॉनिक मीटर से बदला गया था। अप्रैल 1994 व जून 1995 के परिषदादेश में निहित ऊर्जा चोरी सुनिश्चित करने हेतु उप-केन्द्र के जावक-पोषक पैनल पर मई 1998 से जुलाई 1999 के दौरान ऊर्जा उपभोग को चिन्हित किये बिना ही, अधिशासी अभियन्ता (वितरण) तथा अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) ने उपभोक्ता के परिसर का मापन अंकित कर दिया।

मेमोरी रीडिंग इन्स्ट्रूमेण्ट (एमआरआई) के माध्यम से नवम्बर 1998, फरवरी 1999, मार्च 1999, मई 1999 व जुलाई 1999 में उपभोक्ता परिसर व उपकेन्द्र में संस्थापित मीटरों के आंकड़ों को लिया गया तथा उन्हें फरवरी 1999, जुलाई 1999 व सितम्बर 1999 में वितरण खण्ड को भेजा गया। एमआरआई के अंकन व उपकेन्द्र के अंकन में 25 अप्रैल 1998 से जुलाई 1999 के दौरान 20.79 लाख यूनिटों का अन्तर पाया गया जिसका मूल्य 83.54 लाख रूपये था।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (जनवरी 2000), खण्ड ने उपभोक्ता पर 83.54 लाख रूपये की एक अतिरिक्त माँग (फरवरी 2000) निर्गत कर दी। उपभोक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में एक वाद दायर कर दिया, जिसमें उपभोक्ता को मुख्य महाप्रबन्धक (सीजीएम) ईस्ट जोन, वाराणसी के समक्ष अपील दायर करने हेतु निर्देशित किया गया (अप्रैल 2000)। लेखा परीक्षा निष्कर्ष से सहमत होते हुए सीजीएम ने निर्णय दिया (जून 2002) कि उपभोक्ता को 85.36 लाख रूपये (83.54 लाख रूपये के स्थान पर) हेतु बीजकीकृत किया जाये। अपीलेट कमेटी की रिपोर्ट (जून 2002) में भी यह इंगित किया गया था कि अधिशासी अभियन्ता (वितरण) व अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में विफल रहे क्योंकि उन्होंने उपभोग में भारी अन्तर पाने के बाद भी ऊर्जा की चोरी की प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। इसके परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई (कन्ज्यूमर्स) रेगुलेशन, 1984 के नियम 22(ख)

(जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता को प्रचलित लागू दर के तीन गुने पर बीजकीकृत होना था) के अन्तर्गत 2.56 करोड़ रूपये का, एमआरआई रिपोर्टों से सिद्ध ऊर्जा की चोरी का, बीजकीकरण नहीं हुआ। उपभोक्ता ने अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 85.36 लाख रूपये जमा नहीं किये और माननीय उच्च न्यायालय में एक वाद दायर कर दिया (नवम्बर 2002)। न्यायालय ने वसूली को इस आधार पर स्थगित कर दिया कि किसी भी समय-बिन्दु पर प्रबन्धन द्वारा ऊर्जा की चोरी हेतु कोई जाँच नहीं की गयी थी। प्रकरण अभी तक न्यायालय में लम्बित है (मार्च 2003)।

इस प्रकार, प्रबन्धन अधोलिखित बिन्दुओं पर विफल रहा:

- प्रथम अवसर पर ही उपकेन्द्र व उपभोक्ता के परिसर में मीटर रीडिंग की तुलना द्वारा ऊर्जा के अन्तर की पहचान;
- जाँच के तुरन्त पश्चात् प्राथमिकी का दर्ज कराना।

इन चूकों से 2.56 करोड़ रूपये (1.71 करोड़ रूपये के दण्ड सहित) की हानि परिणामित हुई। इन चूकों के लिए प्रबन्धन द्वारा कोई दायित्व निर्धारित नहीं किया गया। प्रकरण प्रबन्धन व सरकार को सूचित किया गया (मई 2003); उनके उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2003)।

3.1.22 उपभोक्ता को अनुचित लाभ देने से हानि

प्रक्रिया के अनुसार पुराने बकायों की वसूली करने तथा चेक की वसूली का पश्चातवर्ती अनुश्रवण करने में विफलता से कम्पनी ने 98.91 लाख रूपये की हानि वहन की।

पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने, जुलाई 1995 व सितम्बर 1996 में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) द्वारा वित्त पोषित, चूक करने वाली इकाइयों से बकाया वसूली की प्रक्रिया का सरलीकरण किया था। तद्नुसार यूपीपीसीएल के अधिशासी अभियन्ता (ईई) को (1) यूपीएफसी द्वारा अंगीकृत किये जाने की तिथि से चूक करने वाली इकाइयों की आपूर्ति के स्थायी विच्छेदन (2) उच्चतम बिक्री लागत की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने तथा (3) यूपीएफसी व यूपीपीसीएल के मध्य निष्पादित (मई 1995) अनुबन्ध के अनुसार समांशता आधार पर यूपीएफसी से बकायों की वसूली हेतु, उत्तरदायी बनाया गया था।

बकायों का भुगतान न करने पर यूपीएफसी ने सुशीला ऐलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, फतेहपुर (भार: 1350 केवीए) को 1.50 करोड़ रूपये विक्रय मूल्य पर वैभव कास्टिंग एण्ड ऐलॉयज (प्राइवेट) लिमिटेड, कानपुर को बिक्री (30 मई 2001) कर दिया। चूक करने वाली इकाई का कब्जा यूपीएफसी द्वारा जून 2001 में प्राप्त किया गया था। यूपीएफसी तथा नई इकाई में एक विक्रय-अनुबन्ध निष्पादित हुआ (मई 2001) जिसके अनुसार पुराने विद्युत बकाया का 50 प्रतिशत नई इकाई द्वारा वहन किया जाना था। नया संयोजन अवमुक्त करने हेतु स्वीकृत आदेश (अगस्त 2001) यह भी निर्दिष्ट करता था कि पुराने संस्थापन के विरूद्ध बकाया वसूली के पश्चात ही नयी इकाई को भार अवमुक्त किया जायेगा।

लेखा परीक्षा के दौरान (अगस्त 2002) यह संज्ञान मे आया कि विद्युत वितरण खण्ड (ईडीडी), फतेहपुर द्वारा पुरानी इकाई से 93 लाख रूपये वसूल किया जाना था। यद्यपि, ईडीडी के पास निम्नलिखित विकल्प थे किन्तु वह किसी भी विकल्प के क्रियान्वयन में विफल रहा:

- यूपीएफसी के पास उपलब्ध विक्रय धनराशि में से समांशता आधार पर अपने बकाये की भागीदारी;
- यूपीएफसी व नई इकाई के मध्य विक्रय अनुबन्ध के अनुसार नई इकाई से 50 प्रतिशत भाग (46.58 लाख रूपये) की वसूली; तथा
- स्वीकृति-पत्र की शर्तो के अनुसार नया संयोजन अवमुक्त करने के पूर्व (दिसम्बर 2001) नई इकाई से सम्पूर्ण बकाये की वसूली।

यह पुन: देखा गया कि महाप्रबन्धक वितरण, इलाहाबाद ने नये संयोजन के विरूद्ध प्रतिभूति (10.58 लाख रूपये) तथा प्रणाली भारण शुल्क (10.92 लाख रूपये) क्रमश: छ: तथा तीन किश्तों में वसूलना निर्धारित किया (अगस्त 2001) था। नई इकाई ने एक किश्त के रूप में 3.53 लाख रूपये का भुगतान किया (दिसम्बर 2001) तथा पश्चातवर्ती दो किश्तों व जनवरी 2001 के निर्धारण बीजक के विरूद्ध 9.83 लाख रूपये का एक चेक जमा किया (फरवरी 2002)। प्रक्रिया के अनुसार फरवरी 2002 में चेक की वसूली प्रस्तुतीकरण के सात दिनों के अन्दर सुनिश्चित नहीं की गई और अप्रैल 2002 तक उपभोक्ता को विद्युत उपभोग करने दिया गया, तत्पश्चात् चेक अनादृत हो जाने के कारण आपूर्ति विच्छेदित कर दी गयी। 21.76 लाख रूपये मात्र के लिये वसूली प्रमाण पत्र जारी हुआ (जुलाई 2002) जिसे लेखा परीक्षा के दृष्टांत पर (जनवरी 2003) पुनरीक्षित कर 52.33 लाख रूपये कर दिया गया।

इस प्रकार, प्रक्रिया के अनुसार पिछले बकायों की वसूली के बिना नई इकाई को भार अवमुक्त करने तथा नई इकाई के प्रकरण में पश्चातवर्ती चेक की वसूली के अनुश्रवण में कमी के फलस्वरूप 98.91 लाख रूपये (46.58 लाख रूपये + 52.33 लाख रूपये) बिना वसूली के रह गये।

प्रकरण प्रबन्धन को मई 2003 में तथा शासन को जून 2003 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2003)।

3.1.23 प्रान्तीय सरकार के अविवेकपूर्ण आदेश के फलस्वरूप उपभोक्ता को अनुचित लाभ

प्रान्तीय सरकार के अविवेकपूर्ण आदेश के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2003 तक कम्पनी ने 18.23 लाख रूपये की हानि वहन की जोकि और अधिक हो सकती थी

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रिफार्म एक्ट, 1999 (14 जनवरी 2000 से प्रभावी) की धारा 12(2)(क) में यह प्रावधानित था कि दर-अनुसूची संरचना को अनुमोदित या नियन्त्रित करते समय, प्रान्तीय सरकार अनुदान देने हेतु नीति-निर्धारण निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत थी (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन - दर-अनुसूची संरचना निर्धारित करने वाले एक अभिकरण - द्वारा समायोजित अनुदानों के अतिरिक्त) जोकि किसी क्षेत्र

से सम्बन्धित केवल एक श्रेणी अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए विद्युत आपूर्ति के निमित्त होगी। तथापि, राज्य सरकार के लिए स्वंय द्वारा स्वीकृत ऐसे किसी भी अनुदान हेतु लाइसेंस धारक को अनुदान प्रतिपूरित करना आवश्यक था तथा इस प्रतिपूर्ति की मात्रा यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित होनी थी।

विद्युत वितरण खण्ड-I, बुलन्दशहर के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह परिलक्षित हुआ (मार्च 2003) कि इकाई, सूरज वनस्पति लिमिटेड, बुलन्दशहर (जनवरी 1990 से चल रहे 3200 केवीए के भार को जून 2001 में घटाकर 2500 केवीए तथा अक्टूबर 2002 में पुन: घटाकर 2000 केवीए किया गया) रूग्ण हो गयी तथा बोर्ड फॉर इण्डस्ट्रियल एण्ड फाईनेन्शियल रिकन्सट्रक्शन (बीआईएफआर) के अन्तर्गत पंजीकृत हुई (तिथि उपलब्ध नही है) तथा बीआईएफआर पैकेज से सम्बन्धित निर्णय के अनुसार (अप्रैल 2002) राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना था कि उपभोक्ता की इकाई विद्युत कटौती से मुक्त थी। तद्नुसार, राज्य सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय ने कम्पनी को निर्देशित किया (अगस्त 2002) कि जब तक उत्पादन प्रारम्भ नहीं होता, उपभोक्ता को विद्युत कटौती से मुक्त[1] रखा जाये तथा पुराने बकाये की वसूली स्थगित[2] रखी जाये। तत्पश्चात बकायों की वसूली 10 समान मासिक किश्तों में की जाये।

इसी मध्य, अन्य लाभों यथा आगामी पाँच वर्षो तक उपभोक्ता को विद्युत प्रभारण व विद्युत ड्यूटी के भुगतान से मुक्त रखे जाने सम्बन्धी प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन था। राज्य सरकार के आदेश का पूर्वानुमान लगाते हुये कम्पनी ने विरोध किया तथा राज्य सरकार को यह सूचित किया (अगस्त 2002) कि बीआईएफआर के स्वीकृत पैकेज के अनुसार, राज्य सरकार से फर्म को केवल अविरल आपूर्ति वांछित थी। पाँच वर्षो तक विद्युत प्रभारों व विद्युत ड्यूटी के स्थगन हेतु फर्म के आवेदन पर बीआईएफआर द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। बाद में यह भी कहा गया कि इससे 9.23 करोड़ रूपये के विद्युत प्रभारों की वसूली का स्थगन सुगम हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप 5.54 करोड़ रूपये का विलम्ब भुगतान अधिभार भी वसूल न किया जा सकेगा।

अन्तत:, राज्य सरकार ने यह निर्देशित किया (नवम्बर 2002) कि (1) उपभोक्ता द्वारा भुगतान योग्य विद्युत प्रभारों व विद्युत ड्यूटी को पाँच वर्षो तक स्थगित रखा जाये (2) इनके साथ-साथ अधिभार छठे वर्ष से दसवें वर्ष की अवधि में वसूला जाये तथा (3) स्थगन अवधि में विलम्ब भुगतान अधिभार न वसूला जाये।

कम्पनी ने इस छूट के बराबर प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु आवेदन किया। राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को प्रतिपूर्ति के भुगतान का निर्णय सूचित नहीं किया गया (मार्च 2003)। पुन: राज्य सरकार द्वारा इन आदेशों को जारी करते समय यूपीईआरसी से भी परामर्श नहीं लिया गया।

1 अपरिहार्य परिस्थितियों में 50 प्रतिशत विद्युत कटौती की जानी थी।

2 निर्णय की तिथि तक कोई बकाया लम्बित नहीं था।

इस निर्णय के फलस्वरूप, नवम्बर 2002 से अक्टूबर 2003 तक उपभोग की गई 2.28 करोड़ रूपये की ऊर्जा तथा 18.23 लाख रूपये का विलम्ब भुगतान अधिभार वसूल नहीं किया जा सका। इस बकाये के विरूद्ध कम्पनी के पास मात्र 37.47 लाख रूपये की प्रतिभूति उपलब्ध थी जो तात्कालिक देयों के सापेक्ष पहले ही कम थी। भुगतान न होने की स्थिति में कम्पनी के पास वसूली का कोई अन्य विकल्प ही नहीं था।

इस प्रकार, विद्युत बकाये का स्थगन (जिसमें वर्तमान बकाया: 2.28 करोड़ रूपये तथा विलम्ब भुगतान अधिभार: 18.23 लाख रूपये भी सम्मिलित थे) रिफार्म्स एक्ट के प्रावधानों व बीआईएफआर की संस्तुतियों के प्रतिकूल था। तात्कालिक बकाये ने भी उपलब्ध प्रत्याभूति की सीमा को पार कर लिया था। अतएव नवम्बर 2002 का शासनादेश न्यायोचित नहीं था जिसने कम्पनी की आर्थिक स्थिति को संकट में डाल दिया।

प्रकरण प्रबन्धन (अप्रैल 2003) तथा सरकार (जून 2003) को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2003)।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)

3.1.24 दर-अनुसूची के अनुचित प्रयोग से हानि

दर-अनुसूची के अनुचित प्रयोग के फलस्वरूप कम्पनी ने 4.97 करोड़ रूपये की हानि वहन की

प्रतिरक्षा संस्थान अपनी उत्पादक इकाइयों हेतु विद्युत का अविरल (शीर्ष घण्टों सहित) उपभोग करते है जैसा कि पूर्वगामी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा वचन दिया गया था (अगस्त 1986)। तद्नुसार, यह संस्थान अविरल प्रक्रिया उद्योगों पर लागू दरों (एचवी-2 सूची) के अनुसार बीजकीकरण योग्य है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, कानपुर (केस्को) के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह संज्ञान में आया (जून 2002) कि आपूर्ति शर्तो के प्रतिकूल, केस्को ने कानपुर के दो उपभोक्ताओं को एचवी-2 दर-अनुसूची में विरल प्रक्रिया उद्योगों पर लागू न्यून दरों पर बीजकीकृत कर दिया। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 1998 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान मैसर्स इण्डियन गन फैक्टरी (2.98 करोड़ रूपये) जिनका जून 1992 से भार 12000 केवीए था तथा मैसर्स इण्डियन आर्डनेन्स फैक्ट्रीज़ (1.99 करोड़ रूपये) जिनका भार 12000 केवीए था (अनुबन्ध की तिथि उपलब्ध नहीं करायी गयी) के मामलों में कुल 4.97 करोड़ रूपये का अल्प निर्धारण हुआ। तथापि, अविरल प्रक्रिया के अन्तर्गत बीजकीकरण, पहले मामले में मार्च 2002 से तथा दूसरे मामले में नवम्बर 2001 से प्रारम्भ हुआ था।

प्रबन्धन ने कहा (जून 2003) कि बीजक, उपभोक्ताओं द्वारा विरल प्रक्रिया के अन्तर्गत हस्ताक्षरित अनुबन्धों के अनुसार जारी किये गये थे। उत्तर अविरल प्रक्रिया हेतु अनुबन्ध निष्पादित कराने में केस्को की विफलता को स्पष्ट करता है क्योंकि परिषद द्वारा अगस्त

1986 में स्वयं दिये गये वचन के अनुसार चौबीसों घण्टे ऊर्जा की उपलब्धता बनाये रखने के लिये आपूर्ति को अविरल आधार पर दिया जाना अपेक्षित था।

प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (जून 2003); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2003)।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3.1.25 हाईड्रोलिक कपलिंग की अनुचित मरम्मत से हानि

ओबरा इकाई ने नीति के प्रतिकूल, हाईड्रोलिक कपलिंग की मरम्मत, लागत (74.53 लाख रूपये) के 97 प्रतिशत पर करवायी वह भी निष्फल सिद्ध हुई

पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया (अक्टूबर 1975) यह प्रावधानित करती है कि जब संयन्त्र की मरम्मत लागत उसके तत्कालीन बाजार दर के 45 प्रतिशत से अधिक हो तो नया संयन्त्र ले लेना चाहिये।

लेखा परीक्षा के दौरान 'ब' ताप विद्युत गृह (बीटीपीएस), ओबरा के टरबाईन अनुरक्षण खण्ड के अभिलेखों की नमूना जाँच में (अगस्त 2002) यह देखा गया कि सम्पूर्ण भार (200 एमडब्लू) पर ताप विद्युत गृह की इकाई को चलाने के निमित्त, तीन ब्वायलर फीड पम्पों में से प्रत्येक में इस ब्वायलर से जोड़ने के लिये हाइड्रोलिक कपलिंग की आवश्यकता थी। बीटीपीएस की इकाई संख्या 10 में जुलाई 2000 में दो कपलिंग क्षतिग्रस्त हो गए। बीटीपीएस ने वीओआईटीएच इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद (मूल उत्पादक) से एक कपलिंग 77.21 लाख रूपये मूल्य पर क्रय की (दिसम्बर 2001) जोकि निष्प्रयोज्य पड़ी रही। उसी फर्म से दूसरे कपलिंग की मरम्मत (अगस्त 2000 के आदेश के विरूद्ध अक्टूबर 2002 में) 74.53 लाख रूपये की लागत पर करवायी गयी; उसे भी संस्थापित नहीं किया गया (मार्च 2003)। मरम्मत की लागत, नये कपलिंग के मूल्य (77.21 लाख रूपये) का 97 प्रतिशत थी और उसे भी इस आधार पर निष्प्रयोज्य रखा गया कि कपलिंग संस्थापन के लिये आधारभूत चबूतरे का पुनर्निर्माण किया जाना था। इस प्रकार 74.53 लाख रूपये का व्यय निष्फल हो गया। फलतः इकाई को (200 एमडब्लू के सापेक्ष) मात्र 80 एमडब्लू पर चलाया जाता रहा जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन 2.88 एमयू (मूल्य 40.61 लाख रूपये प्रतिदिन) का कम उत्पादन हुआ जैसा कि अगस्त 2000 में स्वतः स्वीकार किया गया।

इस प्रकार, 74.53 लाख रूपये का निष्फल व्यय करने के अतिरिक्त, अल्प उत्पादन के कारण अगस्त 2000 से सितम्बर 2003 के मध्य प्रबन्धन ने 40.61 लाख रूपये प्रतिदिन की उत्पादन हानि वहन की।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2003) कि तीन कपलिंग्स में से, इकाई को सम्पूर्ण भार पर चलाने हेतु दो की आवश्यकता थी तथा एक को अतिरिक्त के रूप में रखा गया था। पुनः एक कपलिंग की मरम्मत का निर्णय इसलिये लिया गया क्योंकि नये कपलिंग के संस्थापन में आधार-परिवर्तन, रिक्ति-परिवर्तन, संयान्त्रिक तकनीकी, परिशोधित संस्करण इत्यादि निहित थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने पहले से ही एक नया कपलिंग क्रय कर लिया था जिसके संस्थापन में भी उक्त इंगित परिवर्तन आवश्यक थे।

प्रकरण सरकार को मई 2003 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2003)।

3.1.26 असावधानी के कारण अतिरिक्त भुगतान

कम्पनी ने मुकदमे की पैरवी में बरती गयी असावधानी के कारण 48.51 लाख रूपये की हानि वहन की

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवियूएनएल) का 'ब' ताप विद्युत गृह (बीटीपीएस) ओबरा, विभिन्न कोयला खदानों से एक्स-वर्क्स मूल्य पर कोयला क्रय करता है। बीटीपीएस स्थल तक कोयले का परिवहन रेल डिब्बों के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। 1986 के दौरान रेलवे द्वारा भाड़ा बीजकों का निर्गमन अनुचित रूप से डिब्बों की वहन क्षमता (सीसी) जमा 2 एमटी के आधार पर किया गया। नियमानुसार लाभ प्राप्ति (सीसी भार ऋण एक एमटी) के लिये बीटीपीएस ने माननीय उच्च न्यायालय में, 1986 में एक याचिका दायर की। दिनांक 11 अगस्त 1987 के अन्तरिम आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने नियमानुसार भाड़े का भुगतान अनुमत किया। इसके पश्चात, तद्नुसार भुगतान किये गये। 1993 में रेलवे ने सीसी भार जमा 5 एमटी का दावा करना प्रारम्भ किया। बीटीपीएस ने 1993 में एक और याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने 1993 की याचिका को 1986 की याचिका के साथ मिला दिया और पूर्ववर्ती अन्तरिम आदेश लागू करने का निर्णय लिया (1993)। तद्नुसार बीजकों का सत्यापन व भुगतान जुलाई 1999 तक किया गया। इसी मध्य, मामले की सुनवाई हुई और फरवरी 1999 मे एक पक्षीय निर्णय हुआ क्योंकि बीटीपीएस ने याचिका-निस्तारण के अनुश्रवण हेतु अपना कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया था। यह तथ्य बीटीपीएस के संज्ञान में घटना के 28 माह बाद अर्थात जून 2001 में आया। बीटीपीएस ने अगस्त 1987 के अन्तरिम आदेश को जनवरी 2002 में पुनर्जीवित करा लिया। जनवरी 2002 तक यथा स्थिति बनाये रखी गयी।

बीटीपीएस की असावधानी से पूर्व में दायर की गयी याचिका की अस्वीकृति का लाभ उठाते हुये रेलवे ने सीसी भार जमा 2 एमटी के आधार पर अगस्त 1999 से अगस्त 2002 तक (न्यायालय के निर्णय को उपेक्षित करके फरवरी से अगस्त 2002 सहित) भाड़े की मांग की व भुगतान पाया। इसके परिणामस्वरूप 48.51 लाख रूपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ (अन्तरिम आदेश पुनर्जीवन के दिनांक जनवरी 2002 से अगस्त 2002 तक 16.83 लाख रूपये सहित) जोकि मुकदमे की पैरवी में कमी तथा न्यायालय के आदेश के अनुसार भुगतान करने में कम्पनी की विफलता का द्योतक था। रेलवे ने अधिक भुगतान वापसी के बीटीपीएस के दावे को (सितम्बर 2002) अस्वीकार कर दिया।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2003) कि रेलवे को भाड़े का भुगतान, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा रेलवे को आपूर्तित विद्युत सम्बन्धी देयता के समायोजन के पश्चात किया गया था, अतएव यूपीआरवीयूएनएल रेलवे के अति भुगतान को समय से न जान सका। इसके पश्चात प्रबन्धन ने अतिरिक्त भुगतान वापसी का दावा किया था जिसे रेलवे ने अस्वीकृत कर दिया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रेलवे के भुगतान हेतु यूपीपीसीएल को भेजे जाने के पूर्व, भाड़ा बीजकों का विधिवत् सत्यापान यूपीआरवीयूएनएल द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, प्रकरण व भुगतान अनुश्रवण में यूपीआरवीयूएनएल की असावधानी के कारण 48.51 लाख रूपये का अधिक भुगतान हुआ।

प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (मई 2003); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2003)।

3.1.27 प्रबन्धन की चूक के कारण मूल्यवृद्धि का परिहार्य भुगतान

स्वयं के भौतिक कब्जे के अधीन भूमि के स्वामित्व का सत्यापन करने में प्रबन्धन की विफलता के कारण कार्य के समापन में अनुचित विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप 5.80 करोड़ रूपये का परिहार्य भुगतान हुआ

'ब' ताप विद्युत गृह (बीटीपीएस), अनपरा के निर्माण के दौरान इसके 2×500 एमडब्लू संयन्त्र की राख निस्तारण हेतु बेल्वाडाह में प्राकृतिक शुष्क क्षेत्र के ऊपर मुख्य राख डाईक का निर्माण प्रस्तावित था। 1989-90 में यह निर्णय लिया गया कि रिहन्द जलाशय से एक छोटी फ्रिन्ज काटकर राख डाईक का भाग पानी के नीचे बनना चाहिये जिसके लिये 34.10 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। मुख्य राख डाईक व स्पिल-वे का निर्माण-कार्य हिन्दुस्तान स्टीलवर्क कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, नई दिल्ली (एचएससीएल) को, कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि अगस्त 1998 सहित, दिया गया (अगस्त 1995)। अनुबन्ध में एक धारा सम्मिलित थी जिसके अन्तर्गत प्रावधानित था कि ऐसे कारणों से, जिसके लिये ठेकेदार उत्तरदायी नहीं है, यदि कार्य-निष्पादन का समय बढ़ाया जाता है तो मूल्य वृद्धि देय होगी।

इस तथ्य के बावजूद कि वांछित भूमि (31.76 हेक्टेयर माप वाले मौजा बेल्वाडाह के भूखण्ड संख्या 77, 78, 79, 1614, 1615) परियोजना के भौतिक स्वामित्व में थी तथा परियोजना के विद्युत जनपद अनुरक्षण खण्ड-II के पास उपलब्ध सन् 1977 के मूल नक्शे में चिन्हित थी कार्य-निष्पादन हेतु वन विभाग से अतिरिक्त भूमि बीटीपीएस को हस्तान्तरित करने हेतु निवेदन किया गया (मई 1996)। वन विभाग के निवेदन पर (नवम्बर 1996), परियोजना प्राधिकारियों ने निजी अभिकरणों को किराये पर लेकर सर्वेक्षण व चिन्हांकन कराने का आदेश दिया (मई 1997)। तथापि, वन संरक्षक ने सूचित किया (जुलाई 1997) कि प्रस्तावित भूमि का स्वामित्व परियोजना के पास ही है, अतएव केवल वृक्षों को काटने की अनुमति ही वांछित होगी। तत्पश्चात, परियोजना प्राधिकारियों ने दिसम्बर 1997 में अनुमति मांगी जोकि भारत सरकार द्वारा जनवरी 1999 में तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 1999 में प्रदान की गई। तत्पश्चात, स्पिल-वे परिकल्पित किया गया तथा एचएससीएल ने अक्टूबर 2001 में कार्य 32.50 करोड़ रूपये की लागत पर समाप्त किया जिसमें 5.80 करोड़ रूपये की मूल्य वृद्धि सम्मिलित थी।

इस प्रकार, फिक्स्ड ऐसेट्स रजिस्टर के रख-रखाव अथवा स्वंय के भौतिक स्वामित्व में स्थित भूमि के मूल नक्शे के सत्यापन में परियोजना प्राधिकारियों की विफलता, अवांछित विलम्ब के रूप में परिणामित हुई जिसके फलस्वरूप 5.80 करोड़ रूपये की मूल्य वृद्धि का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2003) कि विलम्ब, निजी अभिकरणों द्वारा क्षेत्र की सर्वेक्षण रिर्पोट के विलम्बित प्रस्तुतीकरण, विस्फोटक के उपयोग हेतु लाइसेन्स की प्राप्ति, तकनीकी जाँच आख्याओं, वृक्षों के काटने की अनुमति, कम्पनी द्वारा स्टील व सीमेन्ट आदि की अनापूर्ति के कारण हुआ था। उत्तर, केवल प्रबन्धन द्वारा भूमि-स्वामित्व के अपने ही अभिलेखों के सत्यापन तथा समय-अनुसूची के अनुसार कार्य का समापन सुनिश्चित करने के लिये अग्रिम रूप से विभिन्न अन्य गतिविधियों के सामन्जस्य में विफलता का द्योतक है। यह क्षेत्र के उन भू-वैज्ञानिक आँकड़ों का उपयोग करने में भी विफल रहा जो कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के पास उपलब्ध था।

प्रकरण सरकार को मई 2003 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2003)।

3.2 सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

3.2.1 एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ऋणियों को अनभीष्ठ लाभ

निगम ने एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत, दिशा निर्देशों का अतिक्रमण करते हुये, बकाया देयों का निबटारा किया और 14.42 करोड़ रूपये का अनभीष्ठ वित्तीय लाभ पहुंचाया।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा उठाये जा रहे अक्रियाशील सम्पत्ति के भार को कम करने के उद्देश्य से निदेशक मण्डल ने एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का अनुमोदन (मार्च 1999) करते हुये चूक करने वाले ऋणियों को वितरण की अवधि, उद्योग के स्थान, ऋणियों के वर्ग और प्रतिभूति के मूल्य के आधार पर आंकलित राशि पर देयों के पुनर्भुगतान का अवसर प्रदान किया। दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान था कि 1997 के बाद के वितरण के प्रकरणों का निर्णय पूर्ण दायित्वों के भुगतान पर होना था जबकि अन्य प्रकरणों में ओटीएस की राशि को, बोर्ड द्वारा अनुमोदित मैट्रिक्स के आधार पर, अवशेष मूलधन के साथ अवशेष सामान्य ब्याज के न्यूनतम प्रतिशत और अन्य व्ययों को आवरित करना था।

निगम द्वारा अप्रैल 1999 से दिसम्बर 2002 के बीच निर्णीत प्रकरणों की नमूना जाँच में, निम्न तालिका में प्रस्तुत प्रकरण प्रकाश में आये, जो कि ओटीएस के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे जिसके कारण निगम को हानि हुयी और जिसने अन्ततोगत्वा ऋणियों को 14.42 करोड़ रूपये का अनभीष्ठ वित्तीय लाभ पहुंचाया:

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	पक्षकार का नाम एवं अन्तिम वितरण का वर्ष	सकल देय	उपलब्ध प्रतिभूति	मैट्रिक्स के अनुसार न्यूनतम ओटीएस	ऋणी द्वारा प्रस्तावित ओटीएस	स्वीकृत की गयी ओटीएस	माफ किये गये देय	अनभीष्ठ लाभ	लेखा परीक्षा का अभिमत
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(सी-जी)	(आई)	
1.	रामा पेपर मिल्स लिमिटेड, बिजनौर, 1998	5.91	17.94	5.91	2.90	2.90	3.01	3.01	निगम ने, इस आशंका में कि प्रवर्तक की प्रतिभूति (मूल्य 3.08 करोड़ रूपये) के लिये योग्य क्रेता मिलने में कठिनाई होगी क्योंकि सम्पत्ति एक छोटे कस्बे में स्थित थी, 2.90 करोड़ रूपये पर ओटीएस अनुमोदित कर दिया जबकि आईडीबीआई ने प्राइम प्रतिभूतियों का प्राप्य मूल्य 14.86 करोड़ रूपये आंकलित किया था जोकि निदेशकों की 7.04 करोड़ रूपये की व्यक्तिगत मौजूदा सम्पत्ति के अतिरिक्त थी।
2.	कृष्णा सिन्थेटिक्स लिमिटेड, नोयडा, 1997	1.55	1.25	1.55	1.18	1.18	0.37	0.37	प्रबन्धन ने चूक करने वाली इकाइयों की भूमि का मूल्यांकन सर्किल दर 5000 रूपये प्रति वर्ग मीटर के विरूद्ध 4000

									रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर किया। इसके अतिरिक्त भवन तथा प्लाण्ट एवं मशीनरी के ह्रासित मूल्य पर क्रमश: 45 तथा 20 प्रतिशत की अनुचित छूट दी जिससे 38.10 लाख रूपये का कम मूल्यांकन हुआ और परिणामस्वरूप 37.17 लाख रूपये माफ किया गया।
3.	रिच हारवेस्ट डेयरी प्रोडक्टस लिमिटेड, सहारनपुर, 1996	4.97	1.54	4.97	1.85	1.85	3.12	3.12	निगम ने 2.36 करोड़ रूपये के प्रस्तावित ओटीएस को इस आधार पर निरस्त कर दिया (सितम्बर 1999) कि वह प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य (2.38 करोड़ रूपये) से कम था तथा जमानत राशि से समर्थित नही था। निगम ने बाद मे (मार्च 2002) 1.85 करोड़ रूपये के घटे ओटीएस प्रस्ताव (सितम्बर 2001) को इस आधार पर अनुमोदित कर दिया कि इकाई मुख्य मार्ग से आधा किलोमीटर दूर (कच्चे मार्ग पर) स्थित थी और सम्पत्तियो का प्राप्य मूल्य घटकर 1.54 करोड़ रूपये हो गया था जबकि मैट्रिक्स द्वारा आंकलित न्यूनतम ओटीएस 4.97 करोड़ रूपये था।
4.	राना पेपर लिमिटेड, मुजफ्फरनगर, 1996	3.94	6.26	3.94	3.45	3.45	0.49	0.49	निगम ने इकाई को, जो कि खुली एवं चालू हालत में थी, बन्द इकाई मानकर उसका निपटारा 3.30 करोड़ रूपये के कम ओटीएस पर "बन्द इकाइयों हेतु सहानुभूतिपूर्ण योजना" के अन्तर्गत कर दिया। चूंकि इकाई खुली थी एवं आबकारी शुल्क देती थी इसलिये ओटीएस को बाद में बढ़ाकर 3.45 करोड़ रूपये कर दिया गया जो कि 3.94 करोड़ रूपये के अवशेष देयों के विरूद्ध था।
5.	टेक्नीकास्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, दिल्ली, 1991	2.73	1.11	1.34	1.22	1.22	1.51	0.21	निगम ने 1.11 करोड़ रूपये पर आंकलित प्राइम प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य को मानते हुये ओटीएस अनुमोदित कर दिया किन्तु ऋणी (यू.के.मोदी) की व्यक्तिगत सम्पत्ति से इस धन की प्राप्ति की किसी भी सम्भावना की तलाश नहीं की जो कि स्वंय वित्तीय रूप से सुदृढ़ मोदी ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज को प्रतिनिधित्व करने वाली 15 से भी अधिक कम्पनियों के निदेशक मण्डल में निदेशक होने के कारण साधन-सम्पन्न व्यक्ति थे। एसएफसी एक्ट 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत निर्गत नोटिस (मार्च 1993) के

									सात साल बाद इकाई को अधिगृहीत करने के लिये पीआरसी निर्गत की गयी किन्तु ओटीएस के प्रस्ताव के बाद वापस ले ली गयी थी।
6.	माया डुपलेक्स लिमिटेड, मुजफ्फरनगर, 1996	5.93	2.66	4.01	2.60	2.60	3.33	1.41	निगम ने मैट्रिक्स के आधार पर आंकलित 4.01 करोड़ रूपये की न्यूनतम ओटीएस को राशि के विरूद्ध केवल 2.60 करोड़ रूपये के प्रस्ताव को ऋणी द्वारा दिये गये इस शपथपत्र पर विश्वास करते हुये स्वीकार कर लिया कि उसने अपनी सारी सम्पत्तियाँ पहले ही बेच दी है, जबकि ऋण लेते समय घोषित की गयी सम्पत्तियों को ऋण चुकाने से पहले नहीं बेचा जाना था।
7.	रेक्सनार्ड वूलेन यार्न्स (पी) लिमिटेड, जौनपुर, 1995	2.13	0.78	0.85	0.66	0.56	1.57	0.29	अनुमोदित मूल्य निर्धारक द्वारा 40 लाख रूपये पर आंकलित प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य को नजरअंदाज करते हुये और यह जानते हुये कि उद्यमी के नाम पर कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है, निगम ने 66 लाख रूपये के ओटीएस के प्रस्ताव (सितम्बर 1999) को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि यह मैट्रिक्स (84.52 लाख रूपये) से बहुत कम था यद्यपि बाद में निगम ने 55.85 लाख रूपये पर ओटीएस को अन्तिम रूप दे दिया (जनवरी 2002)।
8.	सोलर लैम्प वर्क्स, वाराणसी, 1982	1.41	0.19	0.05	0.15	0.15	1.26	0.04	निगम ने इकाई को ऋण का वितरण, सम्पत्तियों को बन्धक रखने के बजाय यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया की बैंक गारण्टी को स्वीकार करके किया। हालांकि ऋणी द्वारा सम्पत्तियों के साम्यमूलक प्रभार बनाने में असफल होने पर, निगम ने अगस्त 1983 में बैंक गारण्टी निवेदित की जिसको बैंक द्वारा यह कहते हुये आदृत नही किया गया (नवम्बर 1983) कि उक्त बैंक गारण्टी उनके द्वारा निर्गत नहीं की गयी थी। यद्यपि निगम द्वारा बैंक के विरूद्ध दायर किया गया दीवानी वाद (जनवरी 1984) लम्बित था (जनवरी 2003), निगम ने कुल देय 141.14 लाख रूपये के विरूद्ध 15 लाख रूपये का ओटीएस इस आधार पर अनुमोदित कर दिया (अगस्त 2002) कि अदालत के निर्णय की निकट भविष्य

									में आने की सम्भावना नही थी तथा सम्पत्तियों के बन्धक न होने के कारण यह विलोपित सम्पत्तियो का प्रकरण था। ओटीएस की राशि को पूर्णतया जमा करने पर (सितम्बर 2002) ऋणी को, फर्जी बैक गारण्टी जमा करने के लिये उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही करने के बजाये, 1.26 करोड़ रूपये के अवशेष दायित्वों से पूर्णत: मुक्त कर दिया गया।
9.	श्री गणेश राइस मिल्स, सहारनपुर, 1997	1.00	0.86	1.00	1.00	0.90	0.10	0.10	एक करोड़ रूपये के पूर्ण देयों के प्रस्ताव (जुलाई 1999) के निरस्तीकरण तथा बाद में 0.90 करोड़ रूपये पर समाधान (दिसम्बर 2001) के कारण 10 लाख रूपये की क्षति हुई।
10.	मार्कण्डेय प्लाईवुड (पी) लिमिटेड, सहारनपुर, 1998	1.15	1.37	1.15	0.71	0.71	0.44	0.44	इन पाँच प्रकरणो मे निगम ने न्यूनतम ओटीएस की राशि की गणना करने मे प्रर्वतक निदेशको की 5.10 करोड़ रूपये की व्यक्तिगत सम्पत्तियो को ध्यान मे नही रखा। इनमे से दो प्रकरणों[1] मे निगम ने बताया कि निदेशक फरार थे और/या सम्पत्तियाँ बिक चुकी थीं। एक प्रकरण[2] मे कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि परिसम्पत्तियो पर पारिवारिक विवाद के कारण मुकदमे बाजी की आशंका थी। बाकी के दो प्रकरणो मे कोई कारण नहीं दिया गया। प्रबन्धन के उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वे ऋण देते समय घोषित की गयी व्यक्तिगत सम्पत्तियों की विधिक रूप से सुरक्षा करने मे असफलता को न्यायोचित नही ठहरा सकते जिसके कारण निगम को हानि पहुंची।
11.	यूपी लाइम कैम, मुरादाबाद, 1996	6.51	4.75	3.60	1.99	2.15	4.36	2.60	
12.	हिमगिरी मेटल (पी) लिमिटेड, मुजफ्फरनगर, 1995	3.61	2.09	3.27	1.57	1.57	2.04	1.70	
13.	प्रेम सीमेण्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरनगर, 1997	1.98	1.31	0.91	0.79	0.79	1.19	0.52	
14.	इन्दिरा आयल मिल्स, मथुरा, 1993	0.61	0.05	0.17	0.05	0.05	0.56	0.12	
	योग	43.43	42.72	32.72	20.12	20.08	23.35	14.42	

टिप्पणी: सारणी के क्रम संख्या 8,11,13 पर दिये गये उपभोक्ताओं के प्रकरण में अनभीष्ठ लाभ की गणना निगम के पास उपलब्ध प्रतिभूति के सन्दर्भ में की गयी है क्योंकि प्रतिभूति का मूल्य, मैट्रिक्स के मूल्य से अधिक है तथा देय, प्रतिभूति के मूल्य से अधिक है।

प्रबन्धन द्वारा अगस्त 2003 में दिया गया उत्तर संतोषजनक नही समझा गया क्योंकि यह सारणी में दिये गये प्रत्येक प्रकरण के विरूद्ध पृथक रूप से दिये गये लेखा परीक्षा अभिमत को सम्बोधित नहीं करता।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया (जून 2003) उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2003)।

1 मार्कण्डेय प्लाईवुड (पी) लिमिटेड, सहारनपुर एवं इन्दिरा आयल मिल्स, मथुरा

2 यूपी लाइम कैम, मुरादाबाद

3.2.2 सम्भाव्यताविहीन इकाई को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से क्षति

घरेलू बाजार पर मुक्त आयात नीति के प्रभाव का आंकलन करने तथा ऋणी की ऋण-पात्रता का स्वतन्त्र सत्यापन सीधे उनके बैंकों से करने में हुई विफलता के कारण निगम को 11.68 करोड़ रूपये की हानि हुई।

निगम ने स्वर्णिमा आयल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (एसओआईएल) को उसकी वर्तमान क्षमता बढ़ाने के लिये 250 टन प्रतिदिन (टीडीपी) क्षमता वाली सालवेन्ट एक्सट्रेक्शन प्लाण्ट की अधिप्राप्ति के लिये 1.50 करोड़ रूपये का कार्यशील पूँजी सावधि ऋण (डब्लूसीटीएल) तथा 2.96 करोड़ रूपये की पट्टा सहायता (एलए) स्वीकृत की (मार्च एवं अप्रैल 1996)। ऋण को, पट्टाधीन सम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार, फैक्टरी की पट्टे के अधीन भूमि की साम्यमूलक गिरवी, स्थायी सम्पत्तियों के दृष्टिबन्धन तथा प्रवर्तकों की व्यक्तिगत प्रत्याभूतियों द्वारा सुरक्षित किया गया था।

प्रबन्धन की ओर से होने वाली निम्न चूकें लेखा परीक्षा के संज्ञान में आयीं (दिसम्बर 2002):

- एसओआईएल के वित्तीय विवरणों में स्पष्टत: इंगित था कि 1994-95 में 2.57 करोड़ रूपये का लाभ घटकर 1995-96 में 1.25 करोड़ रूपये हो गया था (दिसम्बर 1995 में समाप्त नौ महीनों के लिए) जिसका मुख्य कारण 1994 में मुक्त आयात नीति के परिणामस्वरूप आयातित खाद्य तेलों एवं तिलहनों के मूल्यों में गिरावट होना था। निगम ने ऋण सहायता देने का आंकलन करते समय एसओआईएल के न्यून लाभ के कारणों का, विशेष रूप से आयात नीति के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिये, पता लगाने हेतु कोई जांच नहीं की।
- एसओआईएल के बैंकर द्वारा, ऋण के वितरण से पहले दी गयी सूचना (15 अप्रैल 1996) के बावजूद कि एसओआईएल कुछ शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है और इसलिये उसको पूरी नकद साख सीमा वितरित नहीं की जा सकती, निगम ने एसओआईएल की ऋण-पात्रता पर ध्यान न देते हुये अप्रैल तथा मई 1996 में सम्पूर्ण ऋण वितरित कर दिया।
- जैसा कि वितरणपूर्व शर्तों में अपेक्षित था, ऋणी ने मशीनरी रखने के लिये भवन निर्माण पूर्ण नहीं किया था फिर भी उसे ऋण वितरित कर दिया गया।
- निगम ने, त्रिपक्षीय समझौते के बगैर, 1.46 करोड़ रूपये का आपूर्तिकर्ता के नाम का चेक, ऋणी को सौप दिया (10 मई 1996)। ऋणी ने आपूर्तिकर्ता के साथ साँठ-गाँठ कर फर्जी बैंक खाता खोला और चेक को धोखे से नकदीकृत करा लिया जो कि रोका जा सकता था यदि चेक सीधे आपूर्तिकर्ता को दिया जाता।
- ऋणी ने मई 1996 में एलए के अन्तिम वितरण के बाद ही पुनर्भुगतान में गड़बड़ी प्रारम्भ कर दी और देयों के भुगतान से सम्बन्धित अनेक वचनबद्धतायें आदृत नहीं कीं। अगस्त 1996 में निगम ने स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन एक्ट, 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत एसओआईएल की सम्पत्तियों को अधिगृहीत करने की नोटिस निर्गत

कर दी। व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र जोकि प्रवर्तकों के विरूद्ध विलम्बत: फरवरी 2001 में निर्गत किये गये थे, कार्यान्वित नहीं हो सके क्योंकि प्रवर्तक अपने निवास स्थान छोड़ चुके थे और उनका पता ठिकाना ज्ञात नहीं था। पुन: प्रवर्तकों के पास एसओआईएल के शेयरों एवं भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य चल/अचल सम्पत्ति नहीं थी।

एसओआईएल के निरीक्षण (अगस्त 2002) से स्पष्ट हुआ कि उसकी सम्पत्तियाँ बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के परित्यक्त और क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुयी थीं। एसओआईएल की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन 2.21 करोड़ रूपये किया गया (अक्टूबर 2002)। निगम के पास जनवरी 2003 तक संचित उसके 13.89 करोड़ रूपये के देयों (मूलधन: 1.33 करोड़ रूपये; ब्याज: 4.90 करोड़ रूपये; पट्टा किराया: 2.96 करोड़ रूपये; कम्पाउन्डिंग प्रभार: 4.70 करोड़ रूपये) के विरूद्ध कोई अन्य प्रतिभूति उपलब्ध नहीं थी।

अत:, घरेलू बाजार पर मुक्त आयात नीति के प्रभाव के आंकलन के बगैर तथा ऋणी को, उसके बैंकर द्वारा सूचित की गयी खराब साख-योग्यता के बावजूद, डब्लूसीटीएल का वितरण एवं वसूली के लिये बाध्यकारी कार्यवाही करने में देरी के कारण निगम को 11.68 करोड़ रूपये का नुकसान (निगम के पास उपलब्ध सम्पत्तियों के मूल्य को घटाकर) हुआ।

शासन ने बताया (अगस्त 2003) कि डब्लूसीटीएल अनुमोदन के समय एसओआईएल ने बैंक के साथ नियमित होना सूचित किया था, प्रर्वतकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी थी तथा देयों के निपटारे के लिये निगम की एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत प्रयास किया जा रहा था। प्रबन्धन ने तथापि अपनी चूकों, जिन्होंने उक्त गबन में सहायता दी, के लिये कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया। देयों के समाधान का प्रयास, प्रबन्धन द्वारा पहले की गयी चूकों को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। पुन: प्रवर्तक दिये गये पते पर खोजे नहीं जा सके जिससे अवशेष देयों की वसूली की सम्भावना क्षीण प्रतीत होती है।

3.2.3 दोषयुक्त स्वीकृतिपूर्व वित्तीय मूल्यांकन के कारण हानि

चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित कारपोरेट प्रत्याभूतिदाता की नेट वर्थ को स्वतन्त्र रूप से सत्यापित करने में विफलता के फलस्वरूप 7.09 करोड़ रूपये की हानि हुई।

निगम ने मेसर्स एस आर हरिराम (एसआरएचआर) को मोजे बुनने की मशीन के लिये 1.33 करोड़ रूपये की लीज सहायता (एलए) तथा होजरी सामानों के निर्माण (मोजे) के लिये 85 लाख रूपये का एक कार्यशील पूँजी सावधि ऋण (डब्लूसीटीएल) वितरित किया (फरवरी/मार्च 1997)। ऋणों को, सी-4/1, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया में स्थित 4.44 करोड़ रूपये मूल्य की प्लांट एवं मशीनरी के दृष्टिबन्धन द्वारा सुरक्षित किया गया था किन्तु प्लांट एवं मशीनरी की बनावट, क्रय की तिथि, क्रम संख्या एवं स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त, नोयडा की दूसरी इकाई की भूमि एवं भवन (मूल्य 1.10 करोड़ रूपये), वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली की भूमि

(4.24 करोड़ रूपये), एच लान होज़री लिमिटेड की कारपोरेट प्रत्याभूति (ऋणी की होल्डिंग कम्पनी) एवं प्रवर्तकों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति भी सम्पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की गयी थी। तथापि, वजीरपुर की सम्पत्ति का बंधन नही हो सका क्योंकि प्रवर्तकों ने बताया कि स्वामित्व के अभिलेख खो गये है जिसके विरूद्ध ग्राम बरौरी, दिल्ली की 2.30 करोड़ रूपये मूल्य की 2400 वर्ग मीटर कृषि भूमि को स्वीकार किया गया।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया (फरवरी 2003) कि निगम ने 1.33 करोड़ रूपये के सम्पूर्ण एलए का वितरण ऋणी एवं आपूर्तिकर्ता के साथ त्रिपक्षीय समझौतों - ताकि निगम के हित को सुरक्षित रखा जाये - के बिना ही मशीनरी के आपूर्तिकर्ता को अग्रिम के रूप में कर दिया। डब्लूसीटीएल का भुगतान भी प्राथमिक प्रतिभूतियों के मूल्य का सत्यापन किये बिना ही कर दिया गया। सम्पार्श्विक प्रत्याभूति के स्वामित्व के विलेखों के मूल्य एवं कारपोरेट प्रत्याभूति की वित्तीय हैसियत का स्वतंत्र सत्यापन भी नहीं किया गया जबकि होल्डिंग कम्पनी के समापन के लिये न्यायालय में पहले ही 1996 में दीवानी याचिका दायर की जा चुकी थी।

ऋणों के भुगतान में प्रारम्भ से ही सतत गड़बड़ियों के कारण निगम द्वारा एसआरएचआर की सम्पत्तियों पर जून 1998 में भौतिक कब्जा ले लिया गया जबकि प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में बन्धक अधिकतर मशीनें गायब पायी गयीं। सितम्बर 1998 में विलम्ब से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी जिसका परिणाम प्रतीक्षित था (मार्च 2003)। प्राथमिक प्रत्याभूति के रूप में बन्धक मशीनों (सी-4/1 वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया में स्थित) एवं सम्पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बन्धक बरौरी ग्राम दिल्ली की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया जिसका कारण लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त एच लान होजरी लिमिटेड की अधिग्रहीत भूमि एवं भवन को अदालत के आदेश के अनुपालन में अधिकृत समापक को वापस करना पड़ा (सितम्बर 1998)। प्रवर्तकों के विरूद्ध निर्गत किये गये (अगस्त 1998) व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्रों से कुछ भी प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि प्रवर्तकों के पास उनके अपने नाम से कोई सम्पत्ति नहीं थी।

अत:, कम मूल्य की सम्पार्श्विक प्रतिभूति को स्वीकार करने, प्राथमिक एवं सम्पार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य एवं स्वामित्व के स्वतन्त्र सत्यापन में कमी और कारपोरेट प्रत्याभूति दाता (होल्डिंग कम्पनी) की समापन प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के तथ्य के सत्यापन में विफलता के फलस्वरूप 7.09 करोड़ रूपये की ब्याज सहित हानि हुई (जनवरी 2003 तक) जिसके लिये अभी तक (मार्च 2003) किसी उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है।

प्रबन्धन ने कहा (जून 2003) कि जनवरी 1997 में ऋणों की स्वीकृति चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा प्राथमिक एवं सम्पार्श्विक प्रतिभूति के स्वामित्व के सत्यापन के बाद प्रमाणित किये गये प्रवर्तकों के नेट वर्थ के विरूद्ध दी गयी जोकि बाद में विपणनयोग्य/दोषरहित नहीं पायी गयीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कारपोरेट

प्रत्याभूतिदाता के समापन के लिये 1996 में दायर की गयी लम्बित याचिका का तथ्य और बन्धक प्रतिभूतियों के विपणनयोग्य होने में कमी, प्रबन्धन के संज्ञान में आने से छूट गयी जोकि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र पर निर्भर करने के बजाय, प्रवर्तकों/प्रत्याभूतिदाताओं के नेट वर्थ को स्वतन्त्र रूप से स्वयं सत्यापित करने से ज्ञात की जा सकती थी।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया (मई 2003); उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2003)।

3.2.4 लीज सहायता के दोषपूर्ण मूल्यांकन से हानि

अप्रचलित एवं सम्भाव्यताविहीन एमआरआई मशीन की अधिप्राप्ति के लिये ऋण स्वीकृत किये जाने के कारण निगम को 4.85 करोड़ रूपये की हानि हुई।

निगम ने शीला मेमोरियल हॉस्पिटल (एसएमएच), लखनऊ को उसके डाइगनॉस्टिक सेन्टर पर जीई मेडिकल सिस्टम, यूएसए से आयात की गयी पुनर्नवीकृत मैगनेटिक रेसोनेंस इमेजिंग मशीन (एमआरआई) लगाने के लिये 1.95 करोड़ रूपये की लीज सहायता (एलए) का वितरण किया (मई 1997 से अप्रैल 1998)। एलए, प्राथमिक प्रतिभूति (भूमि, भवन, एमआरआई मशीन एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ: 1.97 करोड़ रूपये) तथा सम्पार्श्विक प्रतिभूति (शीतालय: 70 लाख रूपये) द्वारा सुरक्षित किया गया था।

लेखा परीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2002) कि एसएमएच एक नव-स्थापित इकाई थी और निगम की एलए देने की पात्रता का मापदण्ड यह था कि ऋणी कम से कम तीन साल से परिचालन में हो तथा उसने पिछले दो वर्षों में लाभ अर्जित किया हो। निगम ने, परियोजना का मूल्यांकन करते समय, इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि क्या लाभप्रदता का आंकलन यन्त्र के अवशेष जीवन की अवधि हेतु तकनीकी अप्रचलनशीलता के जोखिम को ध्यान में रखते हुये किया गया है एवं क्या क्षेत्र में नयी क्षमताओं का समावेश हो रहा है क्योंकि ये परियोजना की सफलता के मुख्य कारक थे।

ऋणी ने प्रारम्भ से ही एलए की किश्तों के पुनर्भुगतान में गड़बड़ी की। निगम ने, यद्यपि, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत मई 2001 में एक नोटिस निर्गत की किन्तु, अभी तक (जून 2003) एसएमएच का भौतिक अधिग्रहण नहीं किया जिसका कोई कारण अभिलेखों में नहीं था। देयों की वसूली के लिये ऋणी के विरूद्ध व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र भी निर्गत नहीं किये गये। निगम द्वारा एसएमएच के देरी से किये गये निरीक्षण (नवम्बर 2002) में पता चला कि एमआरआई मशीन पिछले छ: महीनों से बन्द पड़ी थी तथा उसकी मरम्मत को अमितव्ययी समझा गया और इसलिये उसे कबाड़ घोषित कर दिया गया।

मूल्य निर्धारक ने सम्पार्श्विक प्रतिभूति (शीतालय) का मूल्य 44 लाख रूपये एवं अप्रचलित तथा कबाड़ एमआरआई मशीन का मूल्य 15 लाख रूपये (आपूर्तिकर्ता के कोटेशन के अनुसार) आंका था। भूमि (प्राथमिक प्रतिभूति) वास्तव में पट्टे पर ली गई थी तथा इसके स्वामित्व के मूल अभिलेखों को प्राप्त किये बिना, विक्रय विलेख की सत्यापित प्रति के आधार पर बन्धक कर ली गई थी। अत: उसकी कोई सुस्पष्ट विपणनशीलता नहीं थी और उसका मूल्य शून्य माना जाना चाहिये था। इस प्रकार, निगम के पास 5.44 करोड़ रूपये के कुल देयों (फरवरी 2003) के विरूद्ध केवल 59 लाख रूपये की कुल वैध प्रतिभूति थी, जिसके कारण 4.85 करोड़ रूपये की हानि हुई।

शासन ने बताया (अगस्त 2003) कि उपकरण नवीनतम तकनीक का था तथा उसकी अवशेष आयु, जैसा कि आपूर्तिकर्ता ने प्रमाणित की थी, आठ-दस वर्षो की थी एवं वहाँ केवल एक ही एमआरआई मशीन थी जो एसजीपीजीआई में स्थापित थी जहाँ मरीजों की एक लम्बी प्रतीक्षा सूची थी। यह भी बताया गया कि सभी प्रतिभूतियों का प्राप्ति योग्य मूल्य (सम्पार्श्विक प्रतिभूति को मिलाकर) 1.25 करोड़ रूपये था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम ने उपकरण की आयु का निर्धारण निजी परामर्शदाता/विशेषज्ञ के कुशल तकनीकी मत के आधार पर स्वतन्त्र रूप से करने के बजाय आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रमाणित आठ से दस वर्षो की अवशेष आयु पर भरोसा करके किया। यह तथ्य कि उपकरण अप्रचलित तकनीक का था एवं एसएमएच की असफलता उसके ग्राहकों की कमी के कारण थी, का स्वीकृतिपूर्ण खुलासा निगम ने स्वयं एसएमएच के ओटीएस प्रस्ताव हेतु बनायी गयी मूल्यांकन टिप्पणी में किया था। उत्तर में बतायी गयी उपलब्ध प्रतिभूतियों का मूल्य (1.25 करोड़ रूपये) सही नहीं है क्योंकि सम्पार्श्विक प्रतिभूति का मूल्य, निर्धारक के प्रमाण पत्र के अनुसार 44 लाख रूपये था तथा एमआरआई मशीन का मूल्य, मशीन के आपूर्तिकर्ता द्वारा 15 लाख रूपये आंका गया था (कुल 59 लाख रूपये)।

3.2.5 प्रायरिटी सेक्टर बाण्ड निर्गम में हानि

बाण्ड निर्गमन में "पुट एण्ड काल" विकल्प सम्मिलित न करने के विवेकहीन निर्णय के साथ ही ऊंची दर पर व्यवस्थापकों की सेवायें लेने के फलस्वरूप 5.29 करोड़ रूपये की हानि हुई।

निगम ने, 25 करोड़ रूपये के अतिशय अशंदान को रखने के विकल्प के साथ 25 करोड़ रूपये का, शासन द्वारा प्रत्याभूत, प्रायरिटी सेक्टर बाण्ड निर्गत करने का निर्णय लिया (जनवरी 1997)। प्रतियोगी दरों पर निधि प्राप्त करने के लिये निगम ने (जनवरी 1997) विभिन्न व्यवस्थापकों से आवश्यक निधि-संचलन हेतु वार्ताएँ की। प्रत्युत्तर में, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की सहायक पीएनबी कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड (पीएनबीसीएसएल) से 0.25 प्रतिशत शुल्क साथ में 5 लाख रूपये के नियत अवयव (कुल शुल्क 17.50 लाख रूपयें) तथा आरआर फाइनेन्शियल कन्सल्टैन्ट्स लिमिटेड (आरआरएफसीएल) से 1 प्रतिशत शुल्क साथ में 1 लाख रूपये के आउट आफ पाकेट व्यय (कुल 51 लाख रूपये) के प्रस्ताव प्राप्त हुये। पीएनबीसीएसएल ने अपने प्रस्ताव में 'पुट एण्ड काल' विकल्प का प्रस्ताव भी दिया था जिससे निगम अपने बाण्ड का, बाजार में उसका ब्याज मूल्य गिरने पर, परिपक्वता से पूर्व ही मोचन कर सकता था। निगम ने आरआरएफसीएल को उपरोक्त बाण्ड निर्गत करने के लिये अपना परामर्शदाता एवं पूर्ण व्यवस्थापक बनाया तथा 25 जनवरी 1997 को 1 प्रतिशत के शुल्क पर अधिकार पत्र दे दिया जिसे 30 जनवरी 1997 को बिना किसी उल्लिखित कारण के बढ़ाकर 1.6 प्रतिशत कर दिया गया। लेखा परीक्षा के दौरान (मार्च 2003) अभिलेखों की जाँच से स्पष्ट हुआ कि:

- बाण्ड निर्गम 3 फरवरी 1997 को खुला तथा पीएनबी आरआरएफसीएल के माध्यम से 4 फरवरी 1997 को 50 करोड़ रूपये की सम्पूर्ण राशि का अंशदान कर दिया गया।

निगम ने व्यवस्थापन शुल्क के रूप में आरआरएफसीएल को 81 लाख रूपये (50 करोड़ रूपये का 1.6 प्रतिशत साथ में 1.00 लाख रूपये) का भुगतान कर दिया (3 अप्रैल 1997)। पीएनबीसीएसएल के न्यूनतम प्रस्ताव की उपेक्षा करने से निगम को 63.50 लाख रूपये की हानि हुई।

- पीएनबीसीएसएल द्वारा प्रस्तावित 'पुट एण्ड काल' का विकल्प जिसके अन्तर्गत बाजार में ब्याज दर गिरने पर, चूँकि ब्याज दर सामान्यत: गिर रही थी, निगम अपने बाण्ड का परिपक्वता से पहले भुगतान कर सकता था, न चुनने के कारण मार्च 2003 तक 30 करोड़ रूपये के बाण्ड के मोचन में 4.05 करोड़ रूपये की हानि हुई और मार्च 2004 में शेष 20 करोड़ रूपये के बाण्ड के अन्तिम मोचन पर 60 लाख रूपये की हानि अवश्यम्भावी है। इस हानि से बचा जा सकता था यदि 11 प्रतिशत की प्रचलित ऋण की दर से ऋण लेकर बाण्ड का मोचन कराया जाता।

शासन ने बताया (अगस्त 2003) कि आरआरएफसीएल का प्रस्ताव इस लिये स्वीकृत किया गया क्योंकि उनके निर्गम की वार्षिकीकृत लागत (14.14 प्रतिशत), 5 वर्ष की अवधि के आधार पर, पीएनबीसीएसएल (14.27 प्रतिशत) की अपेक्षा कम थी एवं निगम ने 'पुट एण्ड काल' विकल्प के बजाय स्टेगर्ड मोचन विकल्प इसलिये चुना क्योंकि उसको तरलता के अभाव का सामना करना पड़ रहा था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सात वर्षो की अवधि के लिये आरआरएफसीएल के प्रस्ताव की वार्षिकीकृत लागत 14.23 प्रतिशत (1.6 प्रतिशत के पुनरीक्षित प्रस्ताव पर आगणित) के विरूद्ध पीएनबीसीएसएल की वार्षिकीकृत लागत 14.19 प्रतिशत आयेगी जो आरआरएफसीएल के प्रस्ताव की अपेक्षा कम थी। इसके अतिरिक्त, लागत और अधिक घटाने के लिये पीएनबीसीएसएल द्वारा उद्धृत 1 प्रतिशत की सीधी छूट पर और वार्ता की जा सकती थी क्योंकि छूट को निवेशकों को हस्तांतरित होना था न कि व्यवस्थापकों द्वारा रोका जाना था। पुन: 'पुट एण्ड काल' विकल्प निगम के हित में था क्योंकि बाजार की स्थिति ब्याज की घटती दरों की प्रवृति को इंगित कर रही थी जिसके कारण कोई भी जागरूक निवेशक 'पुट' विकल्प को नहीं चुनता।

3.2.6 सम्पार्श्विक प्रतिभूति के जाली अभिलेखों पर ऋण के वितरण से हानि

सम्पार्श्विक प्रतिभूति के अभिलेखों के सत्यापित न होने के कारण 4.50 करोड़ रूपये के देयों की वसूली नहीं हो सकी।

निगम ने स्पान ट्यूब्स लिमिटेड (एसटीएल), गाजियाबाद को स्टील ट्यूब्स बनाने के लिये, उपकरण पुनर्वित्तपोषण योजना (ईआरएस) के अन्तर्गत, जनवरी 1995 में 95 लाख रूपये का ऋण एवं नवम्बर 1995 में एक करोड़ रूपये का कार्यशील पूँजी सावधि ऋण स्वीकृत किया। ऋण, ईआरएस के अन्तर्गत अधिप्राप्त की जाने वाली प्रस्तावित प्लाण्ट एवं मशीनरी के दृष्टिबन्धन और एसटीएल की तत्कालीन सम्पत्तियों के द्वितीय प्रभार द्वारा सुरक्षित था। प्रवर्तकों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति के अतिरिक्त 1.62 करोड़ रूपये के

आवासीय भवनों एवं भूमि की सम्पार्श्विक प्रतिभूति भी प्राप्त कर ली गई थी। ऋण का वितरण जनवरी से दिसम्बर 1995 तक किया गया।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया (मार्च 2003) कि एसटीएल ने ऋण की अन्तिम किश्त के वितरण के तुरन्त बाद ऋण की अदायगी में चूक करना प्रारम्भ कर दिया था। प्रवर्तकों ने निगम से रिशेडयूलिंग एवं सम्पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बन्धक एक आवासीय भवन (मूल्य 65 लाख रूपये) को मुक्त करने की अनुमति माँगी (अगस्त 1998) और दिल्ली में स्थित उतने ही मूल्य की दूसरी दो सम्पत्तियाँ प्रस्तावित कीं। निगम ने नयी सम्पार्श्विक प्रतिभूति को उसके भौतिक अस्तित्व एवं स्वामित्व के कागजात का सत्यापन किये बिना स्वीकार कर लिया (अक्टूबर 1998) तथा पूर्व सम्पत्ति के बन्ध-पत्रों को मुक्त कर दिया। रिशेड्यूलिंग के बाद भी ऋणी के ऋण अदायगी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ (अक्टूबर 1998)। निगम द्वारा की गई एक जाँच (जून 1999) में यह पता चला कि सम्पार्श्विक प्रतिभूतियाँ फर्जी थीं और उनके कागजात जाली थे। अत: प्राथमिकी दर्ज करायी गयी (जुलाई 1999) और एसएफसी अधिनियम 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत ईआरएस के अधीन वित्त पोषित उपकरणों को अधिग्रहीत कर लिया गया (सितम्बर 2001), जबकि 55 लाख रूपये मूल्य की मशीनें गायब पायी गयीं। प्लान्ट एवं मशीनों की बची मदों को 25 लाख रूपये में बेच दिया गया (मई 2002)। निदेशकों के विरूद्ध व्यक्तिगत वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया (अगस्त 2001) किन्तु अब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003) क्योंकि प्रवर्तकों का पता-ठिकाना ज्ञात नहीं था। एसटीएल की भूमि एवं भवन को उस पर प्रथम प्रभार रखने वाले (स्टेट बैंक आफ इण्डिया) ने अधिगृहीत कर लिया था।

अत:, 4.50 करोड़ रूपये के देयों (मूलधन: 1.24 करोड़ रूपये तथा ब्याज: 3.26 करोड़ रूपये) की सम्पार्श्विक प्रतिभूति के भौतिक अस्तित्व एवं स्वामित्व के कागजात के सत्यापन न होने के कारण वसूली नहीं हो सकी, जिसके फलस्वरूप निगम को हानि हुई। इन चूकों के लिये किसी उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2003) कि अगर ऋणी जालसाजी नहीं करता तो कोई हानि नहीं होती क्योंकि सम्पार्श्विक प्रतिभूति को बदलने की अनुमति देते समय ऋणी के इरादे को सन्देहास्पद नहीं समझा गया था किन्तु बाद में ऋणी ने जाली अभिलेख जमा करके धोखा दिया। उत्तर सम्पार्श्विक प्रतिभूति के अभिलेखों का सत्यापन न करने की त्रुटि को छिपाने का प्रयास है।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया (जून 2003); उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2003)।

3.2.7 दोषपूर्ण आंकलन एवं अयोग्य इकाई को ऋण के वितरण के कारण हानि

दूसरी इकाई को पट्टे पर दिये जाने हेतु विवादित कारपोरेट प्रतिभूति के विरूद्ध उपकरण क्रय करने के लिये ऋण की स्वीकृति के फलस्वरूप 4.48 करोड़ रूपये की हानि हुई।

निगम ने उपकरण वित्तपोषण योजना (ईएफएस) के अन्तर्गत प्रामिस सिक्योरिटीज एण्ड क्रेडिट (प्रा) लिमिटेड (पीएससीएल) को कैमरा एंव ग्राफिक्स उपकरण खरीदने के लिये, जोकि उनकी होल्डिंग कम्पनी सृष्टि वीडियो कारपोरेशन लिमिटेड (एसवीसीएल) को

लीज/किराये पर देना था, 1.50 करोड़ रूपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया (जनवरी 1997)। ऋण (1) वित्तपोषित उपकरणों के दृष्टिबन्धन (2) होल्डिंग कम्पनी की कारपोरेट प्रत्याभूति एवं सम्पत्तियों के द्वितीय प्रभार (3) एसवीसीएल के एक लाख शेयरों के बन्धन के द्वारा सुरक्षित था।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया (मार्च 2003) कि:

- औद्योगिक संस्थान वित्तपोषित उपकरण के केवल अपने उपयोग हेतु ईएफएस के अन्तर्गत सहायता के लिये पात्र थे जबकि ऋणी प्रारम्भ से ही उपकरणों को अपनी होल्डिंग कम्पनी को पट्टे पर देना चाहता था।
- होल्डिंग कम्पनी कठिन संसाधनाभाव का सामना कर रही थी। अत: उसकी सम्पत्तियों को प्रत्याभूति के तौर पर स्वीकार करना ठोस आधार नहीं था।
- ऋणी कम्पनी की राजस्व-रूपरेखा जोखिमपूर्ण थी क्योंकि वह पूर्णतया होल्डिंग कम्पनी के व्यवसाय पर आश्रित थी जिसका कार्यकलाप संतोषजनक नहीं था।
- ऋणी द्वारा प्रस्तुत परियोजना-विवरण में तीन पाली की सेवाओं के विरूद्ध केवल एक पाली के व्यय को सम्मिलित किया गया था जिससे अशुद्ध लाभ प्रदर्शित होता था। इस प्रकार, परियोजना की संभाव्यता का आंकलन सही नहीं था।
- उपकरणों (वित्तपोषित) पर न तो यूपीएफसी का कोई पहचान चिन्ह था और न ही कम्पनी ने वित्तपोषित उपकरणों के कार्यस्थल पर आगमन के पश्चात उसके विस्तृत विवरण का अभिलेख रखा था।

ऋणी ने प्रारम्भ से ही ऋण की अदायगी में अनियमितता बरती। स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन एक्ट 1951 की धारा 29 के अंतर्गत एक नोटिस, इकाई को 15 दिन के अन्तर्गत अधिगृहीत करने हेतु निर्गत की गई (सितम्बर 1997) किन्तु उसका भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं किया गया क्योंकि उसने देय ब्याज का भुगतान कर दिया था। तथापि, मूलधन के अतिदेयों के मद में कोई भुगतान नहीं किया गया।

वित्तीय संस्थान के देयों के पुनर्भुगतान में सतत् अनियमितता के कारण प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन (पिकप) ने मूल कम्पनी की इकाईयों का भौतिक अधिग्रहण कर लिया (जून 1999)। निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में पिकप द्वारा किये गये पीएससीएल के निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया (जून 1999) कि उपकरण, जैसे कि निगम द्वारा वित्तपोषित किये गये थे वैसे ही दूसरे संस्थानों से भी वित्तपोषित कराये गये थे जिनमें से अधिकतर उपकरण अनुपलब्ध थे। पुलिस में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गई। प्रकरण की वितरण पत्रावली को गायब बताया गया जिसके लिये किसी उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया।

प्राथमिक जमानत जोकि वित्तपोषित उपकरण के रूप में थी अब उपलब्ध नहीं थी। होल्डिंग कम्पनी जिसकी कारपोरेट प्रत्याभूति ली गई थी, विवादित थी तथा जिन शेयरों का बन्धन किया गया था उनका कोई मूल्य नहीं था। अत: निगम को 4.48 करोड़ रूपये (मूलधन: 1.45 करोड़ रूपये तथा ब्याज एवं व्यय: 3.03 करोड़ रूपये, 15 अप्रैल

2003 तक) की हानि हुई। जिसके उत्तरदायित्व का अब तक कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2003) कि पीएससीएल को औद्योगिक संस्थान माना गया क्योंकि वह अपने आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के अनुसार उत्पादन गतिविधि के योग्य था और प्रक्षेपित लाभप्रदता तीन पालियों पर आधारित थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऋण की स्वीकृति के समय ऋणी द्वारा कोई भी उत्पादन सम्बन्धी गतिविधि नहीं चलायी जा रही थी और केवल एक पाली के व्यय पर विचार किया गया था।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया (जून 2003); उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2003)।

उत्तर प्रदेश वन निगम

3.2.8 निधियों के कुप्रबन्धन से हानि

35 सावधि जमाराशि रसीदों के नवीनीकरण में प्रबन्धन की विफलता एवं मध्यवर्ती अवधि के ब्याज के लिये कोई दावा प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप 2.24 करोड़ रूपये की हानि हुई।

निगम ने, मई 1992 से मार्च 1993 की अवधि में, इलाहाबाद बैंक, लखनऊ में 46 दिन से सात वर्ष की अवधि हेतु 11 से 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विभिन्न ब्याज दरों पर 35 सावधि जमा राशियों (एफडी) में 1.87 करोड़ रूपये का निवेश किया। तथापि, वह इन एफडी को, उनकी निर्धारित परिपक्वता तिथियों पर नवीनीकरण कराने में विफल रहा।

लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया (जून 2003) कि निगम ने सभी 35 एफडी को 22 मार्च 2000 को नकदीकरण के लिये प्रस्तुत किया जिसके विरूद्ध बैंक ने एफडी पर अंकित अवधि एवं ब्याज दरों पर 2.20 करोड़ रूपये (मूलधन: 1.87 करोड़ रूपये एवं ब्याज: 33 लाख रूपये) का भुगतान किया। निगम ने ओपेन डेटेड निवेश मानकर इन एफडी का परिपक्वता मूल्य 4.76 करोड़ रूपये (मूलधन: 1.87 करोड़ रूपये एवं ब्याज: 2.89 करोड़ रूपये 27 मार्च 2000 तक चक्रवृद्धि आधार पर) आगणित किया और 2.56 करोड़ रूपये के शेष ब्याज के लिये दावा प्रस्तुत किया (मई 2000)। बैंक ने इस दावे को नकार दिया जिसके विरूद्ध निगम ने बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई (जून 2000) और उनके निर्णय (मई 2003) के आधार पर बैंक ने दावे का पूर्ण एवं अन्तिम समाधान करते हुये केवल साधारण ब्याज पर आगणित 1.33 करोड़ रूपये के ब्याज का अतिरिक्त भुगतान कर दिया (30 जुलाई 2003)। अत:, प्रबन्धन की ओर से नवीनीकरण एवं पुनर्निवेश के अनुश्रवण में हुई कमी के कारण निगम को 1.23 करोड़ रूपये की हानि हुई जिसका विवरण निम्न है:

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	सावधि जमा की संख्या	अवधि	मूलधन	दावा किया गया ब्याज	प्राप्त ब्याज			ब्याज की हानि
					प्रथम[1] बार	द्वितीय[2] बार	योग	
1.	6	84 महीने	26.89	37.52	22.59	0.86	23.45	14.07
2.	1	72 महीने	0.67	0.78	0.44	0.05	0.49	0.29
3.	2	63 महीने	12.35	16.73	7.78	2.86	10.64	6.09
4.	26	46 दिन	147.51	233.66	2.19	129.39	131.58	102.08
योग	35		187.42	288.69	33.00	133.16	166.16	122.53

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2003) कि ओपेन डेटेड निवेश, निधि की तरलता को बनाये रखने के लिये किया गया था एवं आगे की मुकदमेबाजी और निधि को अवरोधन से बचाने के लिये 1.33 करोड़ रूपये का अन्तिम समाधान स्वीकृत किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने एफडीआर का नकदीकरण नहीं कराया और निगम के पास ऐसा कोई नियन्त्रण-तन्त्र नहीं था जिसके द्वारा पुनर्नामित/वर्षात पर अथवा निगम की तरलता की स्थिति के आधार पर जब कभी आवश्यक हो, नकदीकृत होने वाली एफडीआर के बारे में निगम को पता चल सके।

प्रकरण शासन को जून 2003 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2003)।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

3.2.9 कमीशन चार्ज का परिहार्य भुगतान

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के खाते को बंद करने के मुख्यालय के निर्देश के बावजूद आगरा एवं अलीगढ़ क्षेत्र ने बैंक में अपने खातों को चालू रखा और बैंक ड्राफ्ट बनवाने पर 19.11 लाख रूपये के परिहार्य कमीशन चार्ज का भुगतान किया।

निगम का स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एसबीआई) के साथ जुलाई 1976 से एक स्थायी समझौता था जिसके अन्तर्गत बैंक ने निगम को सममूल्य पर धन-प्रेषण की सुविधा प्रदान कर रखी थी। निगम को यह सुविधा मार्च 1999 तक ही उपलब्ध थी।

निगम की प्रार्थना पर एसबीआई ने, तथापि, चालू खातों में अधिक औसत शेषों को बनाये रखने जैसी कुछ शर्तों के साथ उक्त सुविधा को देना स्वीकार किया जो कि निगम को स्वीकार्य नहीं था। फलस्वरूप, पंजाब नेशनल बैंक के साथ वैकल्पिक व्यवस्था की गई जोकि निगम को वही सुविधा उपलब्ध कराने को तैयार था। सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को तदनुसार निर्देशित किया गया (जनवरी 1997) कि वे अपने एसबीआई के खातों को बन्द कर पीएनबी में खाते खोल लें।

लेखा परीक्षा में संज्ञान में आया (सितम्बर 2002) कि आगरा एवं अलीगढ़ क्षेत्रों ने मुख्यालय के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया और मार्च 1999 के बाद भी दिसम्बर 1999 तक एसबीआई में अपने खातों को चालू रखा तथा अप्रैल से दिसम्बर 1999 की

[1] बैंक द्वारा मार्च 2000 में दिये गये ब्याज को इंगित करता है।

[2] बैंकिग लोकपाल के निर्णय के अनुपालन मे बैंक द्वारा जुलाई 2003 में दिये ब्याज को इंगित करता है।

अवधि में बने बैंक ड्राफ्टों पर 19.11 लाख रूपये (अलीगढ़ क्षेत्र: 10.38 लाख रूपये तथा आगरा क्षेत्र: 8.73 लाख रूपये) कमीशन का भुगतान किया।

अत:, समझौते के समाप्त हो जाने के बाद (मार्च 1999) भी एसबीआई में खाता चालू रखने तथा पीएनबी, जिसके साथ बिना कमीशन के आधार पर धन का लेन-देन स्वीकार करने के समझौते को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, में खाता न खोलने के कारण निगम को 19.11 लाख रूपये का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

प्रकरण शासन एवं प्रबन्धन को जून 2003 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2003)।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

3.2.10 कन्टेनर फ्रेट स्टेशन की अविवेकपूर्ण रूप से संकल्पित परियोजना से हानि

बासमती चावल की अविवेकपूर्ण रूप से संकल्पित निर्यात क्षमता के आधार पर कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के स्थापन के कारण 40.93 लाख रूपये की हानि हुई

अपनी गतिविधियों के विस्तार तथा उससे अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से निगम ने आयातकों और निर्यातकों को उनके समीप ही माल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 30.40 लाख रूपये मूल्य की लागत से रूद्रपुर में कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना की (दिसम्बर 1998)। यह परियोजना पाँच पार्टियों के निर्यात/आयात व्यापार के अध्ययन के आधार पर, बिना इसकी विवेचना किये कि सीएफएस रूद्रपुर में उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं उनके लिये मितव्ययितापूर्ण होगी अथवा नहीं, परिकल्पित की गई थी।

परियोजना की उपयुक्तता निगम द्वारा रूद्रपुर में अपनी सुविधाओं हेतु निर्धारित प्रस्तावित दर-सूची (अक्टूबर 1997) पर आधारित थी जो कि निर्यातकों द्वारा व्यय की जा रही प्रचलित लागतों की अपेक्षा थोड़ी ही कम थी।

सम्प्रेक्षण के दौरान (अक्टूबर 2002) यह देखा गया कि सीएफएस रूद्रपुर का स्थापन मुख्य रूप से बासमती चावल की निर्यात क्षमता के कारण लाभप्रद माना गया था। सीएफएस, रूद्रपुर के माध्यम से प्रेषण निर्यातकों के लिए अपेक्षाकृत महँगा सिद्ध हुआ। स्थानीय चावल मिलर चावल का निर्यात सीधे नहीं कर रहे थे अपितु दिल्ली के निर्यात व्यापारियों के थोक आपूर्ति आदेशों का सम्भरण कर रहे थे जो चावल की आपूर्ति अपने दिल्ली स्थित गोदामों में लेते थे और हरियाणा तथा पंजाब की अन्य किस्मों के साथ मिश्रण के पश्चात उसका निर्यात करते थे। इस प्रकार निगम ने स्थानीय चावल मिलरों द्वारा बासमती चावल के निर्यात की तत्कालिक कार्यप्रणाली का समुचित अध्ययन नहीं किया। फलत: निगम के सीएफएस पर कन्टेनरीकरण ने, प्रत्याशित व्यवसाय के विरूद्ध शून्य से 11 प्रतिशत तक अत्यधिक कम व्यवसाय को आकृष्ट किया जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	विवरण	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1.	प्रक्षेपित निर्यात/आयात (टन निर्यात इकाई)	1200	1500	2000	2200	2200
2.	वास्तविक निर्यात/आयात (टन निर्यात इकाई)	1	0	4	242	118
3.	प्रक्षेपित के विरूद्ध वास्तविक निर्यात/आयात का प्रतिशत	0.08	0.00	0.20	11.00	5.36

अविवेकपूर्ण रूप से परिकल्पित उद्यम, सीएफएस पर नियुक्त कस्टम विभाग के कर्मचारियों पर 25.93 लाख रूपये के अदत्त स्थापना व्यय के उत्तरदायित्व सहित 2002-03 तक 40.93 लाख रूपये की हानि के रूप में परिणामित हुआ। पुनः, सीएफएस पर अवसंरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु किया गया 30.40 लाख रूपये का व्यय अधिकांशतः अनुपयोजित रह गया और परियोजना की सम्भाव्यता के अनुचित आंकलन के कारण परियोजना का उद्देश्य ही विफल हो गया।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (जून 2003) में कहा कि क्षेत्र के आयातकों/निर्यातकों ने अपर्याप्त अनुक्रिया दिखायी जिसके कारण सीएफएस को बन्द करने का प्रस्ताव अगस्त 2000 में रखा गया था किन्तु भारत सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गयी। उत्तर इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये मान्य नहीं है कि भारत सरकार ने कुमाँऊ-गढ़वाल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा पर्याप्त व्यवसाय उपलब्ध कराने के आश्वासन पर सीएफएस को मात्र मार्च 2001 तक ही चालू रखने हेतु निर्देशित किया था। निगम ने, तथापि, मार्च 2001 के पश्चात भी अलाभप्रद सीएफएस को बन्द करने का पुनः कोई प्रयत्न नहीं किया यद्यपि क्षेत्र की व्यावसायिक अनुक्रिया अत्यन्त दयनीय थी।

प्रकरण शासन को जून 2003 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2003)।

3.2.11 चावल के भण्डारण और सुपुर्दगी में असावधानी से हानि

गेहूँ का अनुचित भण्डारण करने और बीमा कम्पनी के समक्ष क्षतियों का दावा समय से प्रस्तुत न करने के कारण 21.60 लाख रूपये की हानि हुई

भारत सरकार की क्रय योजना के अन्तर्गत किसानों से सीधे अधिप्राप्त किया गया गेहूँ, निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अर्थात ढेरों के नीचे डनेज/बल्लियों का प्रयोग करते हुये तथा उपर से पालीथीन/तिरपाल से ढकते हुये, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को केन्द्रीय पूल तथा राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (एसएफ एण्ड सीएसडी) को राज्य पूल हेतु सौंपे जाने से पूर्व, केन्द्रों पर अल्पकालिक रूप से भण्डारित किया जाता है।

सम्प्रेक्षण में यह देखा गया (दिसम्बर 2002) कि केन्द्र प्रभारी, पूरनपुर ने 14 अप्रैल से 24 मई 2000 के मध्य 3912.30 एमटी गेहूँ अधिप्राप्त किया। इसके विरूद्ध एसएफ एण्ड सीएसडी को मात्र 3613.55 एमटी की बिक्री अंकित की गयी। 29.22 लाख रूपये का शेष 298.75 एमटी गेहूँ एसएफ एण्ड सीएसडी को उनके मण्डी समिति के गोदाम में नहीं पहुंचाया गया क्योंकि इसकी भण्डारण क्षमता समाप्त हो चुकी थी और केन्द्र प्रभारी गोदामों की संचलन योजना को जान पाने में असफल रहा। भण्डार को, निर्धारित प्रक्रिया

का अनुपालन किये बिना, सड़क के किनारे रखा गया यद्यपि केन्द्र प्रभारी के पास पर्याप्त भण्डारण सामग्री उपलब्ध थी। भारी वर्षा के कारण गेहूँ क्षतिग्रस्त हो गया जिसकी सूचना 14 जून 2000 को बीमा कम्पनी को दे दी गयी। बीमा कम्पनी के समक्ष दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही (जोकि जुलाई 2001 में प्रस्तुत किया गया) निगम ने क्षतिग्रस्त गेहूँ का अगस्त 2000 में 7.62 लाख रूपये में नीलाम कर दिया। बीमे का दावा अस्वीकृत कर दिया गया (जुलाई 2002) क्योंकि निगम वांछित सूचनायें उपलब्ध नहीं करा सका।

21.60 लाख रूपये की हानि के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया, यद्यपि निगम द्वारा की गयी प्राथमिक जाँच (जून 2000) में निष्कर्ष निकला कि गेहूँ की क्षति अपर्याप्त भण्डारण के कारण हुई थी। बीमा कम्पनी को आवश्यक सूचना उपलब्ध करा पाने में असफलता के कारण हानि और अधिक बढ़ गयी।

प्रबन्धन ने कहा (जून 2003) कि अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु जाँच बिठा दी गई है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम की ओर से उत्तरदायित्व के निर्धारण और सम्बन्धित कर्मचारियों से हानि की वसूली करने में लम्बी अवधि तक निष्क्रियता इसकी कार्यशैली हेतु सकारात्मक संकेत नहीं देते।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया (मई 2003); उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2003)।

लखनऊ 29 मार्च 2004
दिनांक

(बीरेन्द्र कुमार)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-द्वितीय
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ना. कौ

नई दिल्ली
दिनांक 31 मार्च 2004

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-1

(प्रस्तर संख्या 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 व 1.5.1 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2003 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बर्हिगमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी

{स्तम्भ 3(अ) से 4(र) के आंकड़े लाख रुपये में हैं}

क्रम सं0	क्षेत्र एवं कम्पनी/निगम का नाम	चालू वर्ष के अन्त तक प्रदत्त पूँजी (कोष्ठक के आंकड़े अंशपूँजी आवेदन धनराशि को और डैश शून्य राशि को इंगित करते हैं)					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण[1]	2002-03 की समाप्ति पर बकाया ऋण[2]			2002-03 के लिए ऋण/ अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष) 4(र)/3(य)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनियाँ	अन्य	योग	समता अंशपूँजी	ऋण		सरकारी	अन्य	योग	
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
अ.	कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ												
	कृषि एवं समवर्गीय												
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	3667.17 (-)	332.83 (-)	– (-)	– (-)	4000.00 (-)	–	500.00	–	500.00	-	500.00	0.13:1 (0.19:1)
2.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	38.25 (-)	– (-)	– (-)	32.95 (0.21)	71.20 (0.21)	–	–	-	–	-	-	- (9.27:1)
3.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	50.50 (-)	– (-)	– (-)	12.60 (1.26)	63.10 (1.26)	–	–	–	–	-	-	– (-)
4.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	22.73 (-)	- (-)	- (-)	8.11 (0.22)	30.84 (0.22)	-	169.70	-	169.70	-	169.70	5.46:1 (-)
5.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	15.30	-	- (-)	8.13 (1.89)	23.43 (1.89)	-	-	-	-	-	-	- (-)
6.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एवं ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड)	540.00 (447.00)	100.00 (-)	- (-)	- (-)	640.00 (447.00)	-	-	-	-	-	-	- (-)
7.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	150.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	150.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
8.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	107.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	107.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
9-	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	- (-)	- (-)	- (-)	66.00 (-)	66.00 (-)	-	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	**4590.95 (447.00)**	**432.83 (-)**	**- (-)**	**127.79 (3.58)**	**5151.57 (450.58)**	-	**669.70**	-	**669.70**	-	**669.70**	**0.12:1 (0.26:1)**

1 बाण्ड, डिवेंचर, अन्तर-निगम जमा को शामिल करके।

2 2002-03 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण को दर्शाता है।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	(4य)	4(र)	5
	उद्योग												
10.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	596.05 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	596.05 (-)	-	267.48	-	898.89	125.00	1023.89	1.72:1 (1.27:1)
11	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	573.94 (-)	- (-)	- (-)	-	573.94 (-)	-	-	-	191.40	-	191.40	0.33:1 (0.33:1)
12.	यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	76.25 (-)	- (-)	76.25 (-)	-	-	-	82.50	40.00	122.50	1.61:1 (1.61:1)
	क्षेत्रवार योग	**1169.99** **(-)**	**-** **(-)**	**76.25** **(-)**	**-** **(-)**	**1246.24** **(-)**	**-**	**267.48**	**-**	**1172.79**	**165.00**	**1337.79**	**1.07:1** **(1.42:1)**
	इलेक्ट्रानिक्स												
13.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	8765.98 (742.50)	- (-)	- (-)	- (-)	8765.98 (742.50)	-	1875.00	-	7194.00	-	7194.00	0.75:1 (0.56:1)
14.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	117.00 (-)	- (-)	117.00 (-)	-	-	-	-	20.00	20.00	0.17:1 (0.17:1)
15.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	124.08 (240.00)	50.63 (-)	174.71 (240.00)	-	-	153.29	-	153.29	153.29	0.37:1 (1.85:1)
16.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5792.51 (-)	- (-)	5792.51 (-)	-	-	-	-	970.00	970.00	0.17:1 (0.17:1)
	क्षेत्रवार योग	**8765.98** **(742.50)**	**-** **(-)**	**6033.59** **(240.00)**	**50.63** **(-)**	**14850.20** **(982.50)**	**-**	**1875.00**	**153.29**	**7194.00**	**1143.29**	**8337.29**	**0.53:1** **(0.43:1)**
	वस्त्र												
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (2176.00)	- (-)	3190.52 (-)	- (-)	3190.52 (2176.00)	-	-	-	-	1392.83	1392.83	0.26:1 (0.26:1)
18.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	8864.84 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	8864.84 (-)	-	-	-	1758.00	-	1758.00	0.20:1 (0.20:1)
	क्षेत्रवार योग	**8864.84** **(2176.00)**	**-** **(-)**	**3190.52** **(-)**	**-** **(-)**	**12055.36** **(2176.00)**	**-**	**-**	**-**	**1758.00**	**1392.83**	**3150.83**	**0.22:1** **(0.22:1)**
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स												
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	3644.49 (-)	1062.95 (-)	- (-)	- (-)	4707.44 (-)	-	200.00	-	2875.72	-	2875.72	0.61:1 (0.57:1)
	क्षेत्रवार योग	**3644.49** **(-)**	**1062.95** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**4707.44** **(-)**	**-**	**200.00**	**-**	**2875.72**	**-**	**2875.72**	**0.61:1** **(0.57:1)**
	निर्माण												
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	1000.00 (-)	 (-)	- (-)	-(-)	1000.00 (-)	-	-	475.00	1006.00	1875.00	2881.00	2.88:1 (2.41:1)
21.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
22.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	300.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	300.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**1400.00** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**1400.00** **(-)**	**-**	**-**	**475.00**	**1006.00**	**1875.00**	**2881.00**	**2.06:1** **(1.72:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
23.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	7689.31 (500.00)	6676.54 (-)	-	-	14365.85 (500.00)	-	-	3546.87	-	6158.16	6158.16	0.41:1 (0.28:1)
24.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	15.00	-	- (-)	- (-)	15.00 (-)	-	-	-	-	37.83	37.83	2.52:1 (2.52:1)
25.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	810.00 (322.82)	- (-)	- (-)	- (-)	810.00 (322.82)	35.00	-	700.00	-	3934.96	3934.96	3.47:1 (2.90:1)
	क्षेत्रवार योग	**8514.31 (822.82)**	**6676.54 (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**15190.85 (822.82)**	**35.00**	**-**	**4246.87**	**-**	**10130.95**	**10130.95**	**0.63:1 (0.48:1)**
	सार्वजनिक वितरण												
26.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	500.00 (50.39)	- (-)	- (-)	- (-)	500.00 (50.39)	-	-	-	1353.64	-	1353.64	2.46:1 (2.71:1)
	क्षेत्रवार योग	**500.00 (50.39)**	**- (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**500.00 (50.39)**	**-**	**-**	**-**	**1353.64**	**-**	**1353.64**	**2.46:1 (2.71:1)**
	चीनी												
27.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	59066.92 (426.00)	- (-)	- (-)	- (-)	59066.92 (426.00)	-	10500.00	-	3375.81	-	3375.81	0.06:1 (0.32:1)
28.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3618.28 (-)	- (-)	3618.28 (-)	-	-	550.95	400.00	47.30	447.30	0.12:1 (1.40:1)
29.	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3404.05 (-)	- (-)	3404.05 (-)	-	-	348.54	-	1962.76	1962.76	0.58:1 (0.47:1)
30.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	879.85 (-)	15.00 (-)	894.85 (-)	-	-	458.53	7.46	2517.37	2524.83	2.82:1 (2.33:1)
31.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड												
	क्षेत्रवार योग	**59066.92 (426.00)**	**- (-)**	**7902.18 (-)**	**15.00 (-)**	**66984.10 (426.00)**	**-**	**10500.00**	**1358.02**	**3783.27**	**4527.43**	**8310.70**	**0.11:1 (0.40:1)**
	पर्यटन												
32.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1512.53 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1512.53 (-)	-	-	-	48.33	-	48.33	0.03:1 (0.03:1)
	क्षेत्रवार योग	**1512.53 (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**1512.53 (-)**	**-**	**-**	**-**	**48.33**	**-**	**48.33**	**0.03:1 (0.03:1)**
	विद्युत												
33.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	179706.50 (0.12)	- (-)	- (-)	- (-)	179706.50 (0.12)	3282.00	15000.00	764.00	40920.34	98378.80	139299.14	0.78:1 (0.67:1)
34.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	37288.44 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	37288.44 (-)	-	-	-	6615.00	40318.48	46933.48	1.26:1 (1.31:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
35.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	435355.51 (109610.96)	- (-)	- (-)	- (-)	435355.51 (109610.96)	22589.50	28190.47	-	196157.86	129742.35	325900.21	0.60:1 (0.67:1)
36.	कानपुर इलेक्ट्रक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	6000.00 (-)	- (-)	6000.00 (-)	-	-	-	-	13500.00	13500.00	2.25:1 (2.25:1)
37.	यू0पी0एस0आई0डी0सी0 पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5.00 (-)	- (-)	5.00 (-)	-	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	**652350.45 (109611.08)**	**- (-)**	**6005.00 (-)**	**- (-)**	**658355.45 (109611.08)**	**25871.50**	**43190.47**	**764.00**	**243693.20**	**281939.63**	**525632.83**	**0.68:1 (0.72:1)**
	वित्त												
38.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2407.51 (516.50)	- (-)	- (-)	- (-)	2407.51 (516.50)	516.50	-	-	4047.73	1142.00	5189.73	1.77:1 (1.23:1)
39.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	11057.50 (-)	- (-)	- (-)	2500.00 (-)	13557.50 (-)	-	-	-	1750.00	8721.53	10471.53	0.77:1 (5.55:1)
40.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2999.95 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2999.95 (-)	-	1532.00	-	707.97	6447.76	7155.73	2.39:1 (2.19:1)
41.	अपलीज़ फाइनेन्सियल सर्विसेज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	5.87 (-)	105.87 (-)	-	-	-	-	414.76	414.76	3.92:1 (3.92:1)
	क्षेत्रवार योग	**16464.96 (516.50)**	**- (-)**	**100.00**	**2505.87**	**19070.83 (516.50)**	**516.50**	**1532.00**	**-**	**6505.70**	**16726.05**	**23231.75**	**1.19:1 (4.15:1)**
	विविध												
42.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	634.27 (-)	90.00 (-)	- (-)	- (-)	724.27 (-)	-	-	-	743.68	-	743.68	1.03:1 (1.29:1)
43.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
44.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	400.00 (50.00)	- (-)	- (-)	- (-)	400.00 (50.00)	-	-	-	-	-	-	- (-)
45.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	35.00 (36.00)	- (48.03)	- (-)	- (-)	35.00 (84.03)	-	-	-	-	-	-	- (-)
46.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड)	42.54 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	42.54 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**1211.81 (86.00)**	**90.00 (48.03)**	**- (-)**	**- (-)**	**1391.81 (134.03)**	**-**	**-**	**-**	**743.68**	**-**	**743.68**	**0.52:1 (0.64:1)**
	योग-अ (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)	**768057.23 (114878.29)**	**8262.32 (48.03)**	**23307.54 (240.00)**	**2699.29 (3.58)**	**802326.38 (115169.90)**	**26423.00**	**58234.65**	**6997.18**	**270804.03**	**317900.18**	**588704.21**	**0.64:1 (0.76:1)**
ब.	कार्यरत सांविधिक निगम												
	परिवहन												
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	25211.49	6925.29	-	-	32136.78	-	-	4900.00	965.00	14409.00	15374.00	0.48:1 (0.43:1)
	क्षेत्रवार योग	**25211.49**	**6925.29**	**-**	**-**	**32136.78**		**-**	**4900.00**	**965.00**	**14409.00**	**15374.00**	**0.48:1 (0.43:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
	वित्त												
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	11450.78	-	-	6477.68	17928.46	-	-	3095.00	-	115057.00	115057.00	6.42:1 (6.74:1)
	क्षेत्रवार योग	**11450.78**	**-**	**-**	**6477.68**	**17928.46**	**-**	**-**	**3095.00**	**-**	**115057.00**	**115057.00**	**6.42:1 (6.74:1)**
	कृषि एवं समवर्गीय												
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	558.25 (220.70)	558.25	-	-	1116.50 (220.70)	-	-	1000.00	-	12353.33	12353.33	9.23:1 (9.80:1)
	क्षेत्रवार योग	**558.25 (220.70)**	**558.25**	**-**	**-**	**1116.50 (220.70)**	**-**	**-**	**1000.00**	**-**	**12353.33**	**12353.33**	**9.23:1 (9.80:1)**
	वन												
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- (-)**
	विविध												
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.52	12.52	- (-)
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	-	-	-	-	-	-	-	704.78	12331.07	704.78	13035.85	- (-)
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	88.63	-	88.63	- (-)
	क्षेत्रवार योग								**704.78**	**12419.70**	**717.30**	**13137.00**	**- (-)**
	योग-ब (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)	**37220.52 (220.70)**	**7483.54 (-)**	**- (-)**	**6477.68 (-)**	**51181.74 (220.70)**	**-**	**-**	**9699.78**	**13384.70**	**142536.63**	**155921.33**	**3.03:1 (3.20:1)**
	कुल योग (अ+ब)	**805277.75 (115098.99)**	**15745.86 (48.03)**	**23307.54 (240.00)**	**9176.97 (3.58)**	**853508.12 (115390.60)**	**26423.00**	**58234.65**	**16696.96**	**284188.73**	**460436.81**	**744625.54**	**0.77:1 (0.91:1)**
स.	कार्यविहीन कम्पनियाँ												
	कृषि एवं समवर्गीय												
1.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	209.85 (-)	63.00 (-)	- (-)	- (-)	272.85 (-)	-	-	-	61.11	-	61.11	0.22:1 (0.22:1)
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	640.68 (-)	- (-)	- (-)	64.25 (-)	704.93 (-)	-	-	-	122.48	-	122.48	0.17:1 (0.17:1)
3.	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	44.00 (121.75)	6.00 (121.75)	- (-)	- (-)	50.00 (243.50)	-	-	-	109.75	-	109.75	0.37:1 (0.37:1)
	क्षेत्रवार योग	**894.53 (121.75)**	**69.00 (121.75)**	**- (-)**	**64.25 (-)**	**1027.78 (243.50)**	**-**	**-**	**-**	**293.34**	**-**	**293.34**	**0.23:1 (0.23:1)**
	उद्योग												
4.	माहम्मदाबाद पीपुल्स टेनरी लिमिटेड	3.06 (-)	- (-)	- (-)	2.55 (-)	5.61 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
5.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	1.63 (-)	- (-)	1.63 (-)	-	-	-	-	3.00	3.00	1.84:1 (1.84:1)
6.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	562.59 (-)	- (-)	- (-)	187.41 (-)	750.00 (-)	-	-	-	37.50	-	37.50	0.05:1 (0.05:1)
7.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	177.72	15.50 (9.00)	193.22 (9.00)	-	-	_	554.62	1149.26	1703.88	8.43:1 (8.43:1)
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	527.86 (-)	10.00 (-)	- (-)	- (-)	537.86 (-)	-	-	-	194.23	-	194.23	0.36:1 (0.36:1)
9.	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनिरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2921.72 (-)	1702.23 (-)	4623.95	-	-	-	-	13885.08	13885.08	3.00:1 (3.00:1)
10.	दि टरपेन्टाईन सब्सीडियरी इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (दि इण्डियन टरपेण्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	15.56 (-)	- (-)	15.56 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
11.	इण्डियन यौविन कम्पनी लिमिटेड	2.74 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2.74 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
12.	उत्तर प्रदेश एक्स्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	4.85 (-)	- (-)	4.85 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
13.	उत्तर प्रदेश टायर ऐण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	183.16 (-)	- (-)	183.16 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**1096.25 (-)**	**10.00 (-)**	**3304.64 (-)**	**1907.69 (9.00)**	**6318.58 (9.00)**	-	-	-	**786.35**	**15037.34**	**15823.69**	**2.50:1 (2.50:1)**
	इलेक्ट्रानिक्स												
14.	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2.55 (-)	- (-)	2.55 (-)	-	-	-	-	2.77	2.77	1.09:1 (1.09:1)
15.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5.25 (-)	- (-)	5.25 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	- (-)	- (-)	**7.80 (-)**	-	**7.80 (-)**	-	-	-	-	**2.77**	**2.77**	**0.36:1 (0.36:1)**
	वस्त्र												
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	16079.37 (4653.00)	- (-)	- (-)	- (-)	16079.37 (4653.00)	-	-	-	8945.00	-	8945.00	0.43:1 (0.43:1)
17.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	16.20 (-)	- (-)	26.00 (-)	- (-)	42.20 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
18.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	375.54 (-)	- (-)	375.54 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**16095.57 (4653.00)**	- (-)	**401.54 (-)**	- (-)	**16497.11 (4653.00)**	-	-	-	**8945.00**	-	**8945.00**	**0.42:1 (0.42:1)**
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स												
19.	हैण्डलूम इन्टेसिव डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन प्रोजेक्ट (विजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2.00 (-)	- (-)	2.00 (-)	-	-	-	208.67	-	208.67	104.34:1 (104.34:1)
	क्षेत्रवार योग	- (-)	- (-)	**2.00 (-)**	- (-)	**2.00 (-)**	-	-	-	**208.67**	-	**208.67**	**104.34:1 (104.34:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
	खनन												
20	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	5640.48 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	5640.48 (-)	-	-	-	1949.61	-	1949.61	0.35:1 (0.35:1)
21.	विन्ध्याचल अग्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3.73 (-)	3.87 (-)	7.60 (-)	-	-	-	-	84.42	84.42	11.11:1 (11.11:1)
	क्षेत्रवार योग	**5640.48** **(-)**	**-**	**3.73** **(-)**	**3.87** **(-)**	**5648.08** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**1949.61**	**84.42**	**2034.03**	**0.36:1** **(0.36:1)**
	क्षेत्र विकास												
22.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	123.30 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	123.30 (-)	-	-	-	5.00	-	5.00	0.04:1 (0.04:1)
23.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	129.80 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	129.80 (-)	-	-	-	35.00	-	35.00	0.27:1 (0.27:1)
24.	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	1.22 (-)	- (-)	1.22 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
25.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	67.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	67.00 (-)	-	-	-	65.93	-	65.93	0.98:1 (0.98:1)
26.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	125.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	125.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
27.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	70.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	70.00 (-)	-	-	-	85.79	-	85.79	1.22:1 (1.22:1)
28.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	5.00	-	5.00	0.05:1 (0.05:1)
29.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	93.56 (-)	- (-)	- (-)	32.47 (-)	126.03	-	-	-	91.60	-	91.60	0.73:1 (0.73:1)
30.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
31.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	70.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	70.00 (-)	-	-	-	30.00	-	30.00	0.43:1 (0.43:1)
32.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	25.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	25.00 (-)	-	-	-	64.60	-	64.60	2.58:1 (2.58:1)
33.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	46.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	46.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**949.66** **(-)**	**-** **(-)**	**1.22** **(-)**	**32.47** **(-)**	**983.35** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**382.92**	**-**	**382.92**	**0.39:1** **(0.39:1)**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
34.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	45.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	45.00 (-)	-	-	-	125.00	-	125.00	2.78:1 (2.78:1)
	क्षेत्रवार योग	**45.00** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**45.00** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**125.00**	**-**	**125.00**	**2.78:1** **(2.78:1)**
	सीमेण्ट												
35.	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	6828.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	6828.00 (-)	-	-	-	12476.52	-	12476.52	1.83:1 (1.83:1)
	क्षेत्रवार योग	**6828.00** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**6828.00** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**12476.52**	**-**	**12476.52**	**1.83:1** **(1.83:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल												
36.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	18.75 (-)	- (-)	- (-)	3.27 (-)	22.02 (-)	-	-	-	533.00	-	533.00	24.21:1 (24.21:1)
37.	उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	1.27 (-)	- (-)	1.27 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
38.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	658.73 (-)	- (-)	658.73 (-)	-	-	-	1102.00	-	1102.00	1.67:1 (1.67:1)
	क्षेत्रवार योग	**18.75** (-)	**-** (-)	**660.00** (-)	**3.27** (-)	**682.02** (-)	**-**	**-**	**-**	**1635.00**	**-**	**1635.00**	**2.40:1** **(2.40:1)**
	वित्त												
39.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	77.77 (-)	- (-)	-	65.68 (-)	143.45 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**77.77** (-)	**-**	**-**	**65.68** (-)	**143.45** (-)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	विविध												
40	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	818.22 (-)	- (-)	-(-)	0.20 (-)	818.42 (-)	-	-	-	311.43	-	311.43	0.38:1 (0.70:1)
	क्षेत्रवार योग	**818.22** (-)	**-** (-)	**-** (-)	**0.20** (-)	**818.42** (-)	**-**	**-**	**-**	**311.43**	**-**	**311.43**	**0.38:1** **(0.70:1)**
	कुल योग-स (सभी कार्यविहीन कम्पनियाँ)	**32464.23** **(4774.75)**	**79.00** **(121.75)**	**4380.93** **(-)**	**2077.43** **(9.00)**	**39001.59** **(4905.50)**	**-**	**-**	**-**	**27113.84**	**15124.53**	**42238.37**	**0.96:1** **(0.97:1)**
	कुल योग (अ+ब+स)	**837741.98** **(119873.74)**	**15824.86** **(169.78)**	**27688.47** **(240.00)**	**11254.40** **(12.58)**	**892509.71** **(120296.10)**	**26423.00**	**58234.65**	**16696.96**	**311302.57**	**475561.34**	**786863.91**	**0.78:1** **(0.91:1)**

टिप्पणी: उन कम्पनियों एवं निगमों को छोड़कर, जिन्होने वर्ष 2002-2003 के लेखों को अन्तिम रूप दिया था (कम सं0 अ-3), उपरोक्त आंकड़े अनन्तिम है और जैसे कि कम्पनी/निगमों ने दिये है।

परिशिष्ट–2

(प्रस्तर संख्या 1.2.4, 1.3., 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.5.3 व 1.5.4 में सन्दर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी

(स्तम्भ 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रुपये में)

क्रम सं0	क्षेत्र एवं कम्पनियों/निगमों के नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ(+)/ हानि(–)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(–)	नियोजित पूँजी (अ)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	वर्षों के अनुसार लेखों का बकाया	आवर्त	श्रम शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ															
	कृषि एवं समवर्गीय														
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	29.03.1967	2000-01	2003-04	(-)721.93	159.11	4000.00	(-)6193.07	1510.19	(-)328.13	-	2	35003.94	1965
2.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी और गन्ना विकास	27.08.1975	2001-02	2003-04	(-)64.82		71.20	(-)420.73	323.22	(-)64.82	-	1	12.77	21
3.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी और गन्ना विकास	27.08.1975	2002-03	2003-04	(-)16.56		63.10	(-)77.74	145.78	3.50	2.40	शून्य	27.10	14
4.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी और गन्ना विकास	27.08.1975	2001-02	2002-03	(-)32.45	-	30.84	(-)93.74	175.28	(-)10.16	-	1	6.06	19
5.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी और गन्ना विकास	27.08.1975	2001-02	2003-04	(-)5.72		23.30	(-)9.64	340.02	9.84	2.89	1	44.68	अनुपलब्ध
6.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कार्पोरेशन लिमिटेड)	सिंचाई	26.05.1976	2000-01	2002-03	48.82	(-)691.73	640.00	(-)1217.91	(-)149.57	48.82	-	2	14718.10	796
7.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	कृषि	30.03.1978	2000-01	2003-04	3.35		150.00	(-)3.59	26502.32	3.35	0.01	2	881.65	971
8.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	मत्स्य	27.10.1979	1995-96	2002-03	1.26		100.00	(-)278.35	237.83	1.26	0.53	7	289.92	278
9.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	कृषि	15.02.2002	[1]											
	क्षेत्रवार योग					(-) 841.48 (+) 53.43		5078.44	(-) 8294.77	(-) 149.57 (+) 29234.64	(-) 403.11 (+) 66.77			50984.22	4064

[1] प्रथम लेखे देय नहीं है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	उद्योग														
10.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	ग्रामीण व लघु उद्योग	01.06.1958	1994-95	2002-03	(-)198.96	42.19	596.05	(-)768.05	1303.48	24.72	1.90	8	5534.05	387
11.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	2000-01	2002-03	26.16		573.94	(-)685.60	531.10	31.36	9.42	2	360.44	50
12.	यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ग्रामीण व लघु उद्योग	27.04.1976	1990-91	1998-99	(-) 47.05	-	76.26	(-) 272.71	(-) 54.51	(-) 28.61	-	12	16.50	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-) 246.01 (+) 26.16**		**1246.25**	**(-) 1726.36**	**(-) 54.51 (+) 1834.58**	**(-) 28.61 (+) 56.08**			**5910.99**	**437**
	इलेक्ट्रानिक्स														
13.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स	20.03.1974	2001-02	2003-04	(-)79.28		7751.31	(-)49.30	7542.10	(-)79.28	-	1	175.72	47
14.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	10.04.1977	2001-02	2002-03	(-)282.05	-	117.00	(-)548.90	479.06	(-)192.85	-	1	203.60	अनुपलब्ध
15.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	01.02.1979	2000-01	2001-02	(-)19.44	-	174.71	(-)278.67	1071.48	43.77	4.08	2	1012.84	अनुपलब्ध
16	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	18.10.1979	1995-96	1997-98	(-)3212.23	-	5315.59	(-) 19693.43	5206.05	(-) 406.07	-	7	9715.47	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-) 3593.00**		**13358.61**	**(-) 20570.30**	**14298.69**	**(-) 678.20 (+) 43.77**			**11107.63**	**47**
	वस्त्र														
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	20.08.1974	2001-02	2003-04	(-)571.61		3190.52	(-)9303.79	(-)95.03	(-)183.01	-	1	3400.73	1106
18.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	वस्त्र	20.08.1976	200:-02	2002-03	(-)1264.92		8864.84	(-)10862.33	3913.45	(-)915.69	-	1	15394.31	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-)1836.53**		**12055.36**	**(-) 20166.12**	**(-) 95.03 (+)3913.45**	**(-) 1098.70**			**18795.04**	**1106**
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स														
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	ग्रामीण व लघु उद्योग	09.01.1973	1990-91	2002-03	(-)92.02		1325.49	(-)1407.55	5944.77	44.34	0.75	12	12592.72	2374
	क्षेत्रवार योग					**(-)92.02**		**1325.49**	**(-)1407.55**	**5944.77**	**44.34**			**12592.72**	**2374**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	निर्माण														
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	18.10.1972	1999-2000	2000-01	370.44	(-)66.08	1000.00	1329.39	3174.70	474.44	14.94	3	26906.11	7250
21.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	01.05.1975	2001-02	2003-04	(-)285.39	509.60	100.00	692.87	1282.09	(-)281.67	-	1	20391.79	3763
22.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	27.03.1987	2001-02	2002-03	(-)7.55	-	300.00	356.27	667.71	(-)7.55	-	1	256.10	178
	क्षेत्रवार योग					**(-) 292.94 (+) 370.44**		**1400.00**	**2378.53**	**5124.50**	**(-) 289.22 (+) 474.44**			**47554.00**	**11191**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास														
23.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25.03.1975	1996-97	2003-04	8.98		5922.62	727.55	13477.97	8.98	0.07	6	529.71	547
24.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25.06.1976	2001-02	2003-04	127.74		15.00	589.49	662.60	127.74	19.28	1	14216.50	624
25.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	हरिजन एवं समाज कल्याण	26.04.91	1996-97	2001-02	(-)31.94	-	100.00	(-)6.13	1757.43	1.23	0.07	6	19.31	17
	क्षेत्रवार योग					**(-) 31.94 (+) 136.72**		**6037.62**	**(-) 6.13 (+) 1317.04**	**15898.00**	**137.95**			**14765.52**	**1188**
	सार्वजनिक वितरण														
26.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	खाद्य एवं रसद	22.10.1974	1988-89	2003-04	(-)204.64	4.05	327.50	(-)300.48	548.59	(-)101.90	-	14	3090.21	765
	क्षेत्रवार योग					**(-)204.64**		**327.50**	**(-)300.48**	**548.59**	**(-)101.90**			**3090.21**	**765**
	चीनी														
27.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	26.03.1971	1999-2000	2003-04	(-)16982.46	-	47595.92	(-)139110.73	(-)2904.62	(-)1416.62	-	3	48664.63	889
28.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	18.04.1975	1999-2000	2003-04	267.87		2407.54	(-)3358.06	1730.21	404.09	23.35	3	3041.51	274
29.	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	18.04.1975	1998-99	2002-03	(-)945.25		3404.05	(-)9256.64	(-)1615.55	(-)265.32		4	2140.11	801

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
30.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	30.05.1986	2000-01	2002-03	(-)476.64		894.86	(-)4892.70	(-)1351.23	(-)125.95	-	2	1050.20	743
31.	उत्तर प्रदेश स्टेट चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	16.05.2002	[1]											
	क्षेत्रवार योग					**(-)18404.35 (+) 267.87**		**54302.37**	**(-)156618.13**	**(-) 5871.40 (+) 1730.21**	**(-)1807.89 (+) 404.09**			**54896.45**	**2707**
	पर्यटन														
32.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	05.08.1974	2001-02	2003-04	(-)151.51		1512.53	(-)743.77	1141.76	(-)150.01	-	1	1244.35	698
	क्षेत्रवार योग					**(-)151.51**		**1512.53**	**(-)743.77**	**1141.76**	**(-)150.01**			**1244.35**	**698**
	विद्युत														
33.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	22.08.1980	2001-02	2003-04	(-) 21556.46		176424.50	(-) 67136.51	255232.58	10772.16	4.22	1	267065.57	अनुपलब्ध
34.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	15.04.1985	2001-02	2003-04	(-) 1993.43		70.00	(-) 13094.24	32602.86	3007.68	9.23	1	15291.12	अनुपलब्ध
35.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	30.11.1999	2001-02	2003-04	(-) 160898.40		361133.93	(-) 375310.30	436292.97	(-) 112947.77		1	699354.53	अनुपलब्ध
36.	कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	21.07.1999	जुलाई 1999 से मार्च 2000	2002-03	[2]		6000.00		32645.76			3	11095.01	3364
37.	यू0पी0एस0आई0डी0सी0 पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	11.04.2000	[3]	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
	क्षेत्रवार योग					**(-) 184448.29**		**54362843**	**(-) 455541.05**	**756774.17**	**(-) 112947.77 (+) 13779.84**			**992806.23**	**3364**
	वित्त														
38.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	29.03.1961	2001-02	2003-04	1653.94		2407.51	1646.67	10072.76	2284.70	22.68	1	4838.58	718
39.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	29.03.1972	2001-02	2003-04	(-)7392.32	2254.00	13557.50	(-)31497.33	93609.32	2094.36	2.24	1	4722.43	315

1 प्रथम लेखे देय नहीं हैं.

2 दिनांक 15.01.2000 की शासकीय अधिसूचना के अनुसार, कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड की 997.12 लाख रूपये की हानि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को स्थानान्तरित की गई थी ।

3 प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
40.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	17.11.1984	1991-92	2003-04	(-)25.62		357.50	(-)25.39	820.67	(-)25.62	-	11	26.15	24
41.	अपलीज़ फाइनेन्सियल सर्विसेज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	05.01.1988	1997-98	1998-99	(-) 39.55	-	105.87	(-) 39.53	534.08	14.43	2.70	5	128.63	
	क्षेत्रवार योग					**(-) 7457.49 (+) 1653.94**		**16428.38**	**(-) 31562.25 (+) 1646.67**	**105036.83**	**(-) 25.62 (+)4393.49**			**9715.79**	**1057**
	विविध														
42.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	20.01.1966	1999-2000	2003-04	(-)306.90		704.27	(-)1842.75	71.89	(-)240.91	-	3	984.45	150
43.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	नियोजन	15.03.1977	2000-01	2003-04	(-)21.64		100.00	(-)72.55	27.45	(-)21.64	-	2	178.67	122
44.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	वक्फ	27.04.1987	1994-95	2003-04	1.68	-	100.00	1.95	82.64	1.68	2.03	8	15.08	अनुपलब्ध
45.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	17.03.1988	1997-98	2001-02	(-)17.79	-	25.00	(-)50.95	168.31	(-)17.79	-	5	17.25	43
46.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड)	हरिजन एवं समाज कल्याण	23.05.1989	1998-99	2002-03	207.64	-	42.54	549.44	591.58	207.92	35.01	4	2764.70	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-) 346.33 (+) 209.32**		**971.81**	**(-) 1966.25 (+) 551.39**	**941.87**	**(-) 280.34 (+) 209.60**			**3960.15**	**315**
	योग-अ (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)					**(-)215228.65**	-	**657672.79**	**(-)693009.53**	**(+)936251.55**	**(-) 98201.00**			**1227423.30**	**29410**
ब. कार्यरत सांविधिक निगम															
	परिवहन														
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	01.06.1972	2001-02[1]	2003-04	(-)12144.70		32136.78	(-) 83127.78	(-) 37348.08	10617.85		1	6431.07	47369
	क्षेत्रवार योग					**(-)12144.70**		**32136.78**	**(-) 83127.78**	**(-) 37348.08**	**(-)10617.85**			**6431.07**	**47369**
	वित्त														
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	औद्योगिक विकास	01.11.1954	2001-02[1]	2003-04	(-) 7219.63		17928.46	(-) 62175.51	139063.12	8374.19	6.02	1	10418.08	1039
	क्षेत्रवार योग					**(-) 7219.63**		**17928.46**	**(-) 62175.51**	**139063.12**	**8374.19**			**10418.08**	**1039**
	कृषि एवं समवर्गीय														
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	सहकारिता	19.03.1958	2001-02	2003-04	3016.28	(-) 107.90	1116.50	7599.15	23074.39	3334.68	14.45	1	18440.87	1991
	क्षेत्रवार योग					**3016.28**		**1116.50**	**7599.15**	**23074.39**	**3334.68**			**18440.87**	**1991**

[1] लेखे सम्प्रेक्षण के अन्तर्गत है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	वन														
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	वन	25.11.1974	1998-99	1999-2000	(+)2930.30	-	-	35245.27	35756.00	2930.00	8.19	4	16284.00	2848
	क्षेत्रवार योग					**(+)2930.30**	**-**	**-**	**35245.27**	**35756.00**	**2930.00**	**8.19**		**16284.00**	**2848**
	विविध														
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास	03.04.1966	1997-98[1]	2003-04	1615.80	-	-	5429.30	17625.01	2767.98	15.70	5	7341.08	3724
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नगर विकास	06.06.1975	2001-02[2]	2003-04	89.47			(-) 12535.40	565879.31	2778.86	0.49	1	20450.62	16623
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	खाद्य एवं रसद	05.05.1965	[3]									6		अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**1705.27**			**(-) 12535.40 (+) 5429.30**	**583504.32**	**5546.84**			**27791.70**	**20347**
	योग-ब (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)					**(-) 11712.48**		**51181.74**	**(-)109564.97**	**(+)744049.75**	**(+)9567.86**	**1.28**		**79365.72**	**73594**
	कुल योग (अ+ब)					**(-) 226941.13**		**708854.53**	**(-)802574.50**	**(+)1680301.30**	**(-)88633.14**			**1306789.02**	**103004**
स. कार्यविहीन कम्पनियाँ															
	कृषि एवं समवर्गीय														
1.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	पशुपालन	05.03.1975	1995-96	2003-04	(-)62.84		272.85	(-)428.49	110.23	(-)38.00	-	7	337.90	142
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	06.04.1977	1984-85	1994-95	(-) 66.57	-	190.76	(-) 255.33	80.72	(-) 51.97	-	18		330
3.	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	पशुपालन	07.12.1974	1997-98	2003-04	(-)22.89		50.00	(-)61.68	368.97	(-)22.41	-	5	92.02	32
	क्षेत्रवार योग					**(-) 152.30**		**513.61**	**(-) 745.50**	**559.92**	**(-) 112.38**			**429.92**	**504**
	उद्योग														
4.	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टेनरी लिमिटेड	नियोजन	21.12.1964	1976-77	1992-93	(-) 0.01	-	5.61	(-) 4.26	1.35	(-) 0.01	-	26		अनुपलब्ध
5.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ग्रामीण व लघु उद्योग	28.06.1972	1974-75	1984-85	(-) 0.81	-	0.92	(-) 0.81	6.79	(-) 0.81	-	28	0.39	अनुपलब्ध
6.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	उद्योग व औद्योगिक विकास	28.12.1972	1991-92	1995-96	10.71	-	750.00	(-) 6482.96	1114.18	36.32	3.26	11	631.34	अनुपलब्ध

1 लेखों की सम्प्रेक्षा हो गयी है एवं निगम ने सूचित किया है कि वे लेखों को पुनरीक्षित कर रहे है, अनन्तिम लेखे वर्ष 1998-99 से 2000-01 के प्राप्त हुए है।

2 लेखें सम्प्रेक्षा में है

3 1997-98 के दौरान सम्प्रेक्षा सौपी गई थी, लेखे अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	1.01.1975	1999-2000	2002-03	(-)181.25		193.22	(-)4147.39	(-)1417.50	192.86		3	962.47	259
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	1993-94	2003-04	(-)33.62		537.86	(-)764.55	244.18	(-)19.41	-	9	186.85	अनुपलब्ध
9.	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनिरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	12.04.1985	1997-98	2002-03	-	-	4623.95	-	8387.22	-	-	5	निर्माणाधीन	अनुपलब्ध
10.	दि टरपेन्टाईन सब्सीडियरी इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (दि इण्डियन टरपेण्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	11.07.1939	1977-78	-	(-)1.91	-	15.56	-	11.64	(-)0.47	-	25		26
11.	इण्डियन बौविन कम्पनी लिमिटेड	वस्त्र	22.02.1964	10.03.1988 से 09.09.1988	-	-	-	-	-	-	-	-	14		अनुपलब्ध
12.	उत्तर प्रदेश एक्स्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	28.06.1972	1975-76	–	(-)1.55	-	4.85	–	12.39	(-)0.41	–	27		अनुपलब्ध
13.	उत्तर प्रदेश टायर ऐण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	14.01.1976	1992-93	-	(-) 217.08	-	183.16	(-) 996.09	(-) 405.96	209.53	-	10	138.08	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					(-) 436.23 (+)10.71		**6315.13**	**(-) 12396.06**	(-)1823.46 (+) 9777.75	(-) 21.11 (+)438.71			**1919.13**	**285**
	इलेक्ट्रानिक्स														
14.	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	23.05.1977	1979-80	1983-84	(-) 0.78	-	2.55	(-) 3.37	1.86	(-) 0.36	-	23	0.05	अनुपलब्ध
15.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	31.03.1978	[1]	–	–	–	5.25	–	-	–	–	25	निर्माणाधीन	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					(-)0.78		**7.80**	(-)3.37	**1.86**	(-)0.36			**0.05**	-
	वस्त्र														
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	वस्त्र	02.12.1969	1997-98	1998-99	(+)280.63	-	16079.37	(-) 18056.07	3844.60	1700.60	44.23	5	20857.91	अनुपलब्ध

[1] लेखे आरम्भ से ही अन्तिमीकृत नही हुये ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
17.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	05.12.1975	1990-91	2002-03	(-)17.98		26.00	(-)33.50	53.25	(-)16.13	-	12	475.42	74
18.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	14.06.1976	1994-95	-	(-) 165.77	_	375.54	(-) 1195.91	(-) 49.09	85.35	-	8	26.72	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					(-)183.75 (+)280.63		**16480.91**	**(-)19285.48**	(-)49.09 (+)3897.85	(-)16.13 (+)1785.95			**21360.05**	**74**
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स														
19.	हैण्डलूम इन्टेसिव डेवलपमेण्ट प्रोजेक्ट (विजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ग्रामीण व लघु उद्योग	13.09.1976	1989-90	2001-02	(-)15.09	12.78	2.00	75.71	299.86	(-)4.04	-	1[1]	1750.24	62
	क्षेत्रवार योग					**(-)15.09**		**2.00**	**75.71**	**299.86**	**(-)4.04**	-		**1750.24**	**62**
	खनन														
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग व औद्योगिक विकास	23.03.1974	1999-2000	2003-04	(-)2159.63		5640.48	(-)4401.48	176.82	(-)2159.63		3	118.53	3
21.	विन्ध्याचल अग्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	05.12.1985	1987-88	1995-96	(-) 11.78	-	0.002[2]	(-)11.30	0.79	(-) 10.86	-	15	0.22	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-) 2171.41**		**5640.48**	**(-) 4412.78**	**177.61**	**(-) 2170.49**			**118.75**	**3**
	क्षेत्र विकास														
22.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30.03.1971	1991-92	1997-98	(-) 8.72	_	123.30	(-)129.27	(-) 0.98	(-) 8.71	-	11	46.21	अनुपलब्ध
23.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30.03.1971	1987-88	1994-95	(-)13.64	-	114.80	(-)107.90	19.02	(-)13.64	-	15	130.37	अनुपलब्ध
24.	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	क्षेत्रीय विकास	02.03.1974	1986-87	1993-94	(-) 0.01	-	2.40	(-) 0.65	4.45	(-) 0.01	-	16	शून्य	अनुपलब्ध
25.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.01.1976	1983-84	1992-93	(-) 11.42	-	67.00	(-) 11.42	39.52	(-) 3.97	_	19		अनुपलब्ध

1 उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन में 01.04.1991 से संविलीन ।

2 270 रुपये मात्र ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
26.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.01.1976	1984-85	1994-95	(-) 69.26	-	125.00	(-) 90.00	449.13	(-) 56.84	-	18	386.95	अनुपलब्ध
27.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.01.1976	1981-82	1992-93	0.44	-	50.00	1.49	60.57	0.52	0.86	21	169.69	अनुपलब्ध
28	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1986-87	1989-90	11.24	2.51	100.00	(-) 33.13	132.02	12.48	9.45	16	564.65	अनुपलब्ध
29.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1985-86	1995-96	2.36	-	122.03	(-) 118.16	61.31	2.36	3.85	17	353.94	अनुपलब्ध
30.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1995-96	2002-03	(-)13.20	-	100.00	(-)91.27	16.82	(-)13.20	-	7	0.60	1
31.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	31.03.1976	1987-88	1993-94	(-)2.71	-	70.00	(-)26.38	88.29	(-)2.71	-	15	147.02	अनुपलब्ध
32.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	30.03.1978	1988-89	1999-2000	(-)11.23	-	25.00	(-)21.80	68.73	(-)0.57	-	14	146.74	अनुपलब्ध
33.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	क्षेत्रीय विकास	15.03.1975	1976-77	-	0.28	-	46.00	-	46.27	0.28	0.61	26	-	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-) 130.19 (+) 14.32**		**945.53**	**(-) 629.98 (+) 1.49**	**(-) 0.98 (+) 986.13**	**(-) 99.65 (+) 15.64**			**1946.17**	**1**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास														
34.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	02.08.1975	1982-83	1990-91	(-) 4.00	-	45.00	0.45	70.44	(-) 4.00	-	20	3.13	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-)4.00**		**45.00**	**0.45**	**70.44**	**(-)4.00**			**3.13**	-
	सीमेण्ट														
35.	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग व औद्योगिक विकास	29.03.1972	1995-96	1996-97	(-)4775.52	-	6828.00	(-) 42599.38	(-) 23980.30	(-) 2291.33	-	7	11301.85	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-)4775.52**		**6828.00**	**(-)42599.38**	**(-)23980.30**	**(-)2291.33**			**11301.85**	-
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल														
36	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग व औद्योगिक विकास	22.02.1924	2001-2002	2003-04	(-)366.28		22.02	(-)3449.48	(-)2764.33	(-)355.85	-	1	29.53	314
37.	उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	12.01.1982	1996-97	1999-2000	(-)0.08	-	1.27	(-)0.10	1.76	(-)0.08	-	6	0.14	अनुपलब्ध

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
38.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग व औद्योगिक विकास	23.04.1979	1992-93	-	(-) 617.54	-	658.73	(-) 3531.51	(-) 1844.86	(-) 50.57	-	10	226.21	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-) 983.90**		**682.02**	**(-) 6981.09**	**(-) 4609.19 (+) 1.76**	**(-) 406.50**			**255.88**	**314**
	वित्त														
39.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	24.04.1973	1990-91	2002-03	0.28		133.46	0.66	148.17	0.35	0.24	12	47.90	52
	क्षेत्रवार योग					**0.28**		**133.46**	**0.66**	**148.17**	**0.35**			**47.90**	**52**
	विविध														
40.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	संस्थागत वित्त	10.09.1975	1999-2000	2003-04	(-)19.97		818.42	(-)1024.68	388.33	30.48	0.08	3	48.11	अनुपलब्ध
	क्षेत्रवार योग					**(-)19.97**		**818.42**	**(-)1024.68**	**388.33**	**30.48**			**48.11**	
	कुल योग-स (सभी कार्यविहीन कम्पनियाँ)					**(-)8567.20**		**38412.36**	**(-)88000.01**	**(-)14153.34**	**(-)2854.86**			**39181.18**	**1243**
	कुल योग (अ+ब+स)					**(-)235508.33**		**747266.89**	**(-)890574.51**	**(+)1666147.96**	**(-)91488.00**			**1345970.20**	**104247**

नोट- (अ) क्रम सं0: अ-23,25,38,39,40,41ब-2 और स-39 वाली वित्त पोषक कम्पनियों/निगमों को छोड़कर जहाँ नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी के कुल आरम्भिक शेषों और अन्तिम शेषों के मध्यमान, मुक्त आरक्षित निधि, बाण्ड्स, जमा तथा ऋणों (वित्त पुनर्पोषण सहित) के रूप में आगणित की जाती है, नियोजित पूँजी, कार्यशील पूँजी और निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) के योग का प्रतिनिधित्व करती है।

(ब) क्रम सं0 स-17 एवं 19 की कम्पनियाँ विलय के अन्तर्गत है।

(स) क्रम सं0 स-10,11,12,13,14,15,18,33 एवं 38 की कम्पनियाँ समापन के अन्तर्गत है। समापन की सम्बन्धित तिथियाँ है:

क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि
10	01.04.1978	11	01.09.1973	12	19.04.1986	13	09.01.1996	14	10.06.1996	15	10.06.1996
18	20.02.1996	33	07.06.1977	38	19.02.1994						

परिशिष्ट-3

(प्रस्तर संख्या 1.2.3 व 1.5.1 में संदर्भित)

प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया और वर्ष के दौरान ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन और प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूति को मार्च 2003 की समाप्ति पर दर्शाती हुई विवरणी

(स्तम्भ 3 (अ) से 7 के आंकड़े लाख रुपये में हैं)

क्रम सं0	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान[1] व अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूति एवं वर्ष के अन्त में बकाया[2]					वर्ष के दौरान देयों की माफी				ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया	वर्ष के दौरान ऋण जिन्हें अंशपूँजी में परिवर्तित किया गया
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंको से नकद साख	अन्य स्रोतों से ऋण	आयातों के सम्बन्ध में बैंको द्वारा खोले गये लेटर आफ क्रेडिट	विदेशी सलाहकारों/ ठेकेदारों से अनुबन्ध के अन्तर्गत भुगतान देयता	योग	ऋण भुगतान अपलिखित	ब्याज माफी	दण्ड ब्याज माफी	योग		
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	(स)	5(द)	(6)	(7)
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ																
1.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	(2000.00)	-	-	-	(2000.00)	-	-	-	-	-	-
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	(139.74)	-	-	-	(139.74)	-	-	-	-	-	

1 उपदान मे, वर्ष की समाप्ति पर प्राप्य उपदान जिसको कोष्ठकों मे दिखाया गया है, सम्मिलित है।

2 कोष्ठकों मे दिखाये गये आंकड़े वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूति को इंगित करते है।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	(स)	5(द)	(6)	(7)
3.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	500.00 (203.39)	-	-	-	500.00 (203.39)	-	-	-	-	-	-
4.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	-	-	19175.00[1]	19175.00[1]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड		1.42	-	1.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	-	340.00[1]	-	340.00[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	-	-	- (3270.00)	-	-	-	- (3270.00)	-	-	-	-	-	-
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम की इकाई)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2147.00	-	-	2147.00	-	-
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	1505.44	-	-	1505.44[1]	- (1923.40)	-	-	-	- (1923.40)	-	-	-	-	-	-
10.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	13176.23	-	13176.23	-	- (3991.58)	-	-	- (3991.58)	-	-	-	-	-	-
11.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	-	-	-	-	- (37.83)	-	-	-	- (37.83)						
12.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	-	-	-	-	5265.04 (5265.04)	-	-	-	5265.04 (5265.04)	-	-	-	-	-	-
13.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	-	-	-	-	3000.00 (604.00)	600.00 (600.00)	-	-	3600.00 (1204.00)	-	-	-	-	-	-
14.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	54135.00 (54135.00)	-	-	-	54135.00 (54135.00)	4006.00	17023.88	-	21029.88	-	

[1] अनुदान

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	(स)	5(द)	(6)	(7)
15.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	-	-	- (2715.03)	-	-	-	- (2715.03)	-	-	-	-	-	-
16.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	-	-	600.00 (593.11)	-	-	-	600.00 (593.11)	-	-	-	-	-	-
17.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-	-	42.00	42.00	-	4357.00 (13700.00)	-	-	4357.00 (13700.00)	-	-	-	-	-	-
18.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	-	482.38	-	482.38	-	- (40318.48)	-	-	- (40318.48)	-	-	-	-	-	-
19.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	-	69000.00 30920.00[1]	-	69000.00 30920.00[1]	-	14826.00 (172216.94)	-	-	14826.00 (172216.94)	-	-	-	-	-	-
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	317.49	-	-	317.49	-	- (1142.00)	-	-	- (1142.00)	-	-	-	-	-	-
21.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	-	50.00[1]	-	50.00[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	30.00 (73.59)	80.75[1] (73.59)	-	80.75[1] 30.00 (147.18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	-	105.00[1]	-	105.00[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (अ)	**347.49 (73.59) 1505.44[1]**	**82660.03 (73.59) 31495.75[1]**	**42.00 - 19175.00[1]**	**83049.52 (147.18) 52176.19[1]**	**63500.04 (70886.54)**	**19783.00 (231969.00)**	-	-	**83283.04 (302855.54)**	**6153.00**	**17023.88**	-	**23176.88[2]**	-	-
ब. कार्यरत सांविधिक निगम																
1	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	-	-	-	-	-	5100.00 (104.91)	-	-	5100.00 (104.91)	-	-	-	-	-	-
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	-	-	-	-	-	2560.00 (78111.50)	-	-	2560.00 (78111.50)	-	-	-	-	-	-
3	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	646.79	-	-	646.79	-	4000.00 (11040.00)	-	-	4000.00 (11040.00)	-	-	-	-	-	-
4	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम		206.70	-	206.70	- (200.00)	-	-	-	- (200.00)	-	-	-	-	-	-
	योग-ब	**646.79**	**206.70**	-	**853.49**	**- (200.00)**	**11660.00 (89256.41)**	-	-	**11660.00 (89456.41)**	-	-	-	-	-	-
	कुल योग (अ+ब)	**994.28 (73.59) 1505.44[1]**	**82866.73 (73.59) 31495.75[1]**	**42.00 - 19175.00[1]**	**83903.01 (147.18) 52176.19[1]**	**63500.04 (71086.54)**	**31443.00 (321225.41)**			**94943.04 (392311.95)**	**6153.00**	**17023.88**	-	**23176.88**	-	-

[1] अनुदान

[2] सरकार द्वारा माफ किया गया 21.47 करोड़ रूपये का स्थगित विक्रय कर सम्मिलित है।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	(स)	5(द)	(6)	(7)
स. कार्यविहीन कम्पनियाँ																
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (55.51)	-	-	- (55.51)	-	-	-	-	-	-
2.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)					- (2200.00)	-	-	-	- (2200.00)	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (537.00)	-	-	- (537.00)	-	-	-	-	-	-
4.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (479.68)	-	-	- (479.68)	-	-	-	-	-	-
5.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	-	-	- (335.00)	-	-	-	- (335.00)	-	-	-	-	-	-
	कुल योग-स	-	-	-	-	- (2535.00)	- (1072.19)	- (-)	- (-)	- (3607.19)	-	-	-	-	-	-
	कुल योग (अ+ब+स)	994.28 (73.59) 1505.44[1]	82866.73 (73.59) 31495.75[1]	42.00 (-) 19175.00[1]	83903.01 (147.18) 52176.19[1]	63500.04 (73621.54)	31443.00 (322297.60)	- (-)	- (-)	94943.04 (395919.14)	6153.00	17023.88	-	23176.88	-	-

[1] अनुदान

परिशिष्ट-4

(प्रस्तर संख्या 1.3 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002
अ. देयतायें	321.37	321.37	321.37
पूँजी (पूँजीगत ऋण एवं अंश पूँजी सहित)			
ऋण:			
सरकारी:			
केन्द्र	-	-	9.00
राज्य	9.96	11.80	10.65
अन्य	79.71	92.33	118.03
निधियाँ	1.42	0.49	0.62
व्यापारिक देय और अन्य चालू देयतायें (प्रावधानों सहित)	468.28	596.93	675.15
योग अ	**880.74**	**1022.92**	**1134.82**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	561.03	630.60	645.91
घटाया: ह्रास	394.43	429.72	466.49
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	166.60	200.88	179.42
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	2.04	4.71	5.55
निवेश	1.04	1.75	1.87
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	106.39	109.69	116.70
संचित हानि	604.66	705.89	831.28
योग ब	**880.74**	**1022.92**	**1134.82**
स. नियोजित पूँजी[1]	**(-) 193.24**	**(-) 281.65**	**(-) 373.48**

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	100.00	100.00	179.28
अंश आवेदन राशि	-	-	-
आरक्षित निधि एवं अन्य आरक्षण व आधिक्य	20.47	20.35	20.23
ऋण:			
(i) बाण्ड्स एवं ऋण पत्र	763.48	808.22	820.76

[1] नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को इंगित करती है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002
(ii) स्थायी जमा	-	-	-
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	445.61	394.98	375.16
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	-	-	20.00
(v) अंश पूँजी के स्थान पर ऋण			
(अ) राज्य सरकार	9.80	51.06	-
(ब) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	8.80	8.80	-
(स) न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	20.00	20.00	-
(vi) अन्य (राज्य सरकार को सम्मिलित करके)	75.25	1.50	1.50
अन्य देयतायें एवं प्रावधान	306.61	384.33	377.16
योग अ	**1750.02**	**1789.24**	**1794.09**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
नकद एवं बैंक अवशेष	81.06	96.77	22.95
निवेश	44.22	42.70	102.42
ऋण एवं अग्रिम	1103.44	1010.08	973.78
निबल अचल परिसम्पत्तियाँ	31.74	22.41	16.58
अन्य परिसम्पत्तियाँ	40.56	47.50	36.38
विविध व्यय	-	-	-
लाभ एवं हानि खाता	449.00	569.78	641.98
योग ब	**1750.02**	**1789.24**	**1794.09**
स. नियोजित पूँजी[1]	**1442.99**	**1403.75**	**1390.63**

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	13.37	13.37	13.37
आरक्षण एवं आधिक्य	40.07	66.00	86.00
उपदान	0.30	0.30	0.30
ऋण: सरकारी	-	-	-
अन्य	1.16	10.00	131.07
व्यापार देयता एवं चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	27.05	37.66	65.55
योग अ	**81.95**	**127.33**	**296.29**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	47.26	66.41	247.13
घटाया: ह्रास	11.80	13.88	21.49
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	35.46	52.53	225.64
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	1.48	10.03	7.00
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	45.01	64.77	63.65
लाभ एवं हानि खाता	-	-	-
योग ब	**81.95**	**127.33**	**296.29**
नियोजित पूँजी[2]	**54.90**	**89.67**	**230.74**

[1] नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, सीड राशि, ऋण पत्र, संचय (उनको छोड़कर जिन्हें बाहर के निवेशों द्वारा स्पष्ट रूप से निधि प्रदान एवं समर्थन किया गया), बाण्ड्स, जमा एवं ऋण (पुन: वित्त पोषण को शामिल करके) के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के माध्य को दर्शाता है।

[2] नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
अ. देयतायें			
आरक्षण एवं आधिक्य	287.35	323.15	352.45
ऋण:	0.16	0.16	0.16
चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	73.52	103.87	147.54
अन्य देयतायें	7.00	7.00	7.00
योग अ	**368.03**	**434.18**	**507.15**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	10.92	10.31	11.16
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	354.64	421.45	493.94
संचित हानि	-	-	-
विविध व्यय	2.47	2.42	2.05
योग ब	**368.03**	**434.18**	**507.15**
स. नियोजित पूँजी[1]	**292.04**	**327.89**	**357.56**

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
अ. देयतायें			
आधिक्य	28.38	35.88	54.29
ऋण	195.49	158.75	128.46
जमा	39.40	46.82	76.59
चालू देयतायें (पंजीकरण शुल्क को सम्मिलित करके)	247.41	250.78	265.16
देयताओं पर सम्पत्ति का आधिक्य	0.62	0.03	1.25
योग अ	**511.30**	**492.26**	**525.75**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	1.15	1.39	1.50
निवेश	49.33	84.29	84.34
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	460.82	406.58	439.91
योग ब	**511.30**	**492.26**	**525.75**
स. नियोजित पूँजी[1]	**214.56**	**157.19**	**176.25**

[1] नियोजित पूँजी निवल परिसम्पत्तियां (पूंजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (अनन्तिम)
अ. देयतायें			
ऋण	324.04	334.33	342.93
सरकार से अनुदान	3527.26	4013.46	4476.30
जमा	817.14	955.09	1211.09
चालू देयतायें	1054.89	1287.08	1565.11
अनुपभोगित सामग्री पर सेन्टेज	29.42	27.68	31.01
पेन्शन एवं ग्रेच्युटी	6.00	15.38	6.00
अवर्गीकृत आरक्षण	28.90	20.72	19.70
योग अ	**5787.65**	**6653.74**	**7652.14**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	849.36	941.12	1021.96
घटाया: ह्रास	18.67	19.86	24.73
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	830.69	921.26	997.23
निवेश	286.72	278.31	302.89
चालू परिसम्पत्तियाँ	4558.39	5327.92	6226.67
घाटा	111.85	126.25	125.35
योग ब	**5787.65**	**6653.74**	**7652.14**
स. नियोजित पूँजी[1]	**4334.19**	**4962.10**	**5658.79**

[1] नियोजित पूँजी निवल परिसम्पत्तियां (पूंजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

परिशिष्ट–5

(प्रस्तर संख्या 1.3 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

अ. कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002
परिचालनगत			
(अ) राजस्व	701.82	677.45	662.70
(ब) व्यय	783.30	821.53	833.19
(स) आधिक्य(+)/कमी(-)	(-) 81.48	(-) 144.08	(-) 170.49
अपरिचालनगत			
(अ) राजस्व	16.84	61.07	64.31
(ब) व्यय	17.69	14.84	15.27
(स) आधिक्य(+)/कमी(-)	(-) 0.85	46.23	49.04
योग			
(अ) राजस्व	718.66	738.52	727.01
(ब) व्यय	800.99	836.37	848.46
(स) शुद्ध लाभ(+)/हानि(-)	(-) 82.33	(-) 97.85	(-) 121.45
पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	17.69	(+) 14.84	15.27
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	(-) 64.64	(-) 83.01	(-) 106.18
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत			

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1. आय			
(अ) ऋण पर ब्याज	156.05	141.44	93.73
(ब) अन्य आय	11.38	8.54	10.42
(स) एनपीए प्रावधान वापस लाए गए	-	20.01	7.96
योग 1	**167.43**	**169.99**	**112.11**
2. व्यय			
(अ) दीर्घावधि ऋण पर ब्याज	178.05	163.20	155.94
(ब) गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	8.90	-	-
(स) अन्य व्यय	34.95	30.71	28.37
योग 2	**221.90**	**193.91**	**184.31**
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(-) (1-2)	(-) 54.47	(-) 23.92	(-) 72.20
4. अन्य विनियोजन	-	(-) 96.87	-
5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि[1]	-	-	-
6. अन्य विनियोजन	-	-	-
7. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	-	-	-
8 लाभांश दत्त/देय	-	-	-
9. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	123.58	139.28	83.74
10. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	8.56	9.92	6.02

[1] विशिष्ट आरक्षित निधि एवं कर निर्धारण के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए लाभांश के लिए तैयार चालू वर्ष के लाभ को निरूपित करता है।

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1. आय			
(अ) भण्डारण प्रभार	98.82	142.84	184.13
(ब) अन्य आय	0.77	0.95	0.28
योग 1	**99.59**	**143.79**	**184.41**
2. व्यय			
(अ) स्थापना प्रभार	16.39	20.16	24.13
(ब) ब्याज	0.19	0.16	3.18
(स) अन्य व्यय	66.45	98.48	126.94
योग 2	**83.03**	**118.80**	**154.25**
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(-)	(+) 16.56	(+) 24.99	(+) 30.16
4. अन्य विनियोजन			
5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	13.03	24.57	
6. वर्ष के लिए लाभांश	1.12	1.20	1.20
7. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	16.75	25.15	33.34
8. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	30.51	28.04	14.45

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1. आय			
विक्रय	178.37	128.12	162.84
अन्य आय	29.86	27.84	35.43
अन्तिम रहतिया	67.92	106.77	147.67
योग 1	**276.15**	**262.73**	**345.94**
2. व्यय			
क्रय	39.07	74.06	124.25
अन्य व्यय	75.25	84.95	85.62
प्रारम्भिक रहतिया	117.19	67.92	106.77
योग 2	**231.51**	**226.93**	**316.64**
शुद्ध लाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	15.29	10.92	8.19

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
1. आय			
(अ) सम्पत्ति से आय	48.26	51.81	52.07
(ब) अन्य आय	14.25	15.89	23.80
योग 1	**62.51**	**67.70**	**75.87**
2. व्यय			
(अ) स्थापना	22.51	25.87	30.37
(ब) ब्याज	22.00	14.63	11.52
(स) अन्य व्यय	16.91	19.70	17.82
योग 2	**61.42**	**60.20**	**59.71**
3. आय का व्यय पर आधिक्य	1.09	7.50	16.16
4. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	23.09	22.13	27.68
5. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	10.76	14.08	15.70

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (अनन्तिम)
1. आय			
सेन्टेज	73.61	70.62	87.34
सर्वेक्षण एवं परियोजना शुल्क	5.44	4.33	5.87
ब्याज	30.43	47.23	59.78
अनुदान	37.95	53.40	57.76
अन्य	31.25	27.70	37.96
योग 1	**178.68**	**203.28**	**248.71**
2. व्यय			
स्थापना प्रभार	126.69	144.86	150.78
रख-रखाव पर व्यय	20.91	26.59	47.18
ब्याज	29.07	27.39	26.90
अन्य व्यय	18.75	18.22	22.01
ह्रास	0.58	0.62	0.95
योग 2	**196.00**	**217.68**	**247.82**
कमी (-) आधिक्य (+)	(-) 17.32	(-) 14.40	(+) 0.89
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	11.75	12.99	27.79
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	0.27	0.26	0.49

परिशिष्ट–6

(प्रस्तर संख्या 1.3.5 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के परिचालनात्मक कार्यसम्पादन को दर्शाती विवरणी

अ. कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002
विद्यमान वाहनों की औसत संख्या			
(अ) निगम बसें	6531	6405	6186
(ब) किराये की बसें	1367	1396	1008
योग	**7898**	**7801**	**7194**
सड़क पर वाहनों की औसत संख्या	5804	5605	5460
वाहनों के उपयोजन का प्रतिशत (निगम)	89	88	88
कर्मचारियों की संख्या	48792	47369	45960
कर्मचारी वाहन अनुपात	7.47:1	7.39:1	7.43:1
वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की संख्या	2135	2022	2145
मार्ग किलोमीटर	465320	460385	470140
परिचालित किलोमीटर (लाख में)			
(अ) सकल	7282	7076	6975
(ब) प्रभावी			
(i) निगम बसें	5553	5384	5742
(ii) किराये की बसें	1549	1511	1057
कुल प्रभावी परिचालित किलोमीटर (लाख में)	7102	6895	6799
(स) मृत किलोमीटर	180	181	176
सकल किलोमीटर से मृत किलोमीटर का प्रतिशत	2.47	2.56	2.52
औसत किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन	245	241	258
औसत परिचालन व्यय प्रति किलोमीटर (पैसे)	1128	1212	1247
प्रति किमी औसत राजस्व व्यय (पैसे)	1012	1071	1068
प्रति किमी परिचालन व्यय में पिछले वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	4.25	7.45	2.89
प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि(-) (पैसे)	(-) 116	(-) 141	(-) 179
परिचालित डिपो की संख्या	114	115	115
खराब होने की औसत संख्या प्रति लाख किलोमीटर पर	4.30	4.50	3.77
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटना की औसत संख्या	0.19	0.18	0.15
परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	2316	2146	2043
धारित अनुपात	63	59	57
प्राप्त किलोमीटर प्रति लीटर:			
(अ) डीजल	4.69	4.72	4.82
(ब) इंजन तेल	894	935	1093

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन पत्र	339	79.97	40	24.37	38	12.09
प्राप्त आवेदन पत्र	296	126.75	481	148.56	766	246.35
योग	**635**	**206.72**	**521**	**172.93**	**804**	**258.44**
स्वीकृत आवेदन पत्र	219	73.17	406	114.31	620	161.73
निरस्त/वापस/अस्वीकृत/ कम किये गये आवेदन पत्र	376	109.18	77	46.53	158	81.89
वर्ष के अन्त में लम्बित आवेदन पत्र	40	24.37	38	12.09	26	14.82
वितरित ऋण	237	69.65	235	58.40	386	100.19
वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	17986	1103.44	15879	1010.08	16193	973.78
वर्ष की समाप्ति पर वसूली की अतिदेय राशि						
(अ) मूल	-	242.68		234.22		238.68
(ब) ब्याज	-	692.36		1043.12		1001.07
योग (अ+ब)	**-**	**935.04**		**1277.34**		**1239.75**
वसूली प्रमाण पत्र मामलों से सम्बन्धित राशि		551.25		671.46		691.33
योग		**551.25**	**-**	**671.46**		**691.33**
कुल बकाया ऋण पर अतिदेय ऋण का प्रतिशत		84.74		126.46		127.31

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

विवरण	1999-2000	2000-01	2001-02
आवरित केन्द्रों की संख्या	133	154	185
वर्ष की समाप्ति तक सृजित भण्डारण क्षमता (लाख टन में)			
(अ) स्वामित्व में	11.94	12.90	19.48
(ब) किराये पर	5.97	10.76	15.00
योग (अ+ब)	**17.91**	**23.66**	**34.48**
वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग (लाख टन में)	15.25	21.46	33.81
उपयोग का प्रतिशत	85.15	90.70	98.06
औसत राजस्व प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	633.05	670.00	545.42
औसत व्यय प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	544.33	541.00	456.21
लाभ(+)/हानि(-) प्रति टन (रुपये)	(+) 88.72	(+) 129.00	(+) 89.21

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
1 लकड़ी, चिरान लकड़ी सहित (लाख घन मीटर में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष[1]	3.92	6.70	7.53
(ब) विक्रय	1.87	3.19	4.35
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) विभागीय प्रयोग एवं अन्य निष्पादन	0.02	0.01	-
(इ) अन्तिम शेष	2.03	3.50	3.18
2 तेन्दू पत्ता (मानक बोरे लाख में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष[1]	4.41	4.40	5.61
(ब) विक्रय	4.19	3.97	5.23
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) अन्तिम शेष	0.22	0.43	0.38
3. बाँस (लाख बण्डल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष[101]	2.51	3.44	2.07
(ब) विक्रय	0.90	2.63	1.47
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) अन्तिम शेष	1.61	0.81	0.60
4. कृषि उत्पादन (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष[1]	0.38	0.22	0.22
(ब) विक्रय	0.33	0.20	0.21
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	0.01	-
(द) अन्तिम शेष	0.05	0.01	0.01
5. बैली घास (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष[1]	0.30	0.42	0.36
(ब) विक्रय	0.15	0.19	0.22
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	0.01	-
(द) अन्तिम शेष	0.15	0.22	0.14
6. जड़ी-बूटी (लाख किग्रा में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष[1]	3.41	6.67	9.29
(ब) विक्रय	0.28	1.12	4.43
(स) हानियाँ/कमिया	0.01	0.03	0.34
(द) अन्तिम शेष	3.12	5.52	4.52

1 प्रारम्भिक शेष मे वर्ष के दौरान उत्पादन सम्मिलित है।

परिशिष्ट-7

(प्रस्तर संख्या- 1.9 में संदर्भित)

आन्तरिक सम्प्रेक्षण/आन्तरिक नियन्त्रण पर टिप्पणियों को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 साउथ-ईस्ट जोन, इलाहाबाद	आन्तरिक सम्प्रेक्षा प्रणाली कम्पनी के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।
2.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 सेतु निर्माण इकाई-I एवं II , बलिया सेतु निगम इकाई, गोरखपुर सेतु निगम इकाई-I	यूनिट की आन्तरिक सम्प्रेक्षा प्रणाली कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप नही है। आन्तरिक सम्प्रेक्षा प्रणाली यूनिट स्तर पर अंगीकृत नहीं की गई। आन्तरिक सम्प्रेक्षण नहीं किया गया।
3.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, बाराबंकी इकाई	आन्तरिक सम्प्रेक्षण नही किया गया इसलिए आन्तरिक सम्प्रेक्षण का उद्देश्य पूर्णतया पूर्ण नहीं हुआ। इस प्रकरण पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।
	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, रोहनकलाँ इकाई	प्रतिवेदन स्थिति, कार्य-क्षेत्र एवं क्षमता का स्तर आन्तरिक सम्प्रेक्षा प्रणाली हेतु पर्याप्त है लेकिन आन्तरिक सम्प्रेक्षा द्वारा लिया गया समय यूनिट के आकार के अनुरूप नही है।
	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, बिजनौर इकाई	प्रतिवेदन स्थिति, कार्य-क्षेत्र एवं क्षमता का स्तर आन्तरिक सम्प्रेक्षा प्रणाली हेतु पर्याप्त है लेकिन आन्तरिक सम्प्रेक्षा द्वारा लिया गया समय यूनिट के आकार के अनुरूप नही है।
	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, सहारनपुर इकाई	प्रतिवेदन स्थिति, कार्य-क्षेत्र एवं क्षमता का स्तर आन्तरिक सम्प्रेक्षा प्रणाली हेतु पर्याप्त है लेकिन आन्तरिक सम्प्रेक्षा द्वारा लिया गया समय यूनिट के आकार के अनुरूप नही है।
	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, जरवल रोड इकाई	आन्तरिक सम्प्रेक्षण नही किया गया इसलिए आन्तरिक सम्प्रेक्षण का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं हुआ। इस प्रकरण को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।
4.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	रिटेल शाप एवं अकबरपुर यूनिट के सन्दर्भ मे आन्तरिक सम्प्रेक्षण नहीं किया गया।
5.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	आन्तरिक सम्प्रेक्षण नही किया गया।
6.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	आन्तरिक सम्प्रेक्षण नहीं किया गया।
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, सर्विसिंग डिवीजन गोरखपुर	आन्तरिक सम्प्रेक्षण नहीं किया गया।
	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कैटलफीड फैक्ट्री गोरखपुर	आन्तरिक सम्प्रेक्षण नहीं किया गया।
	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, मार्केटिंग डिवीजन एण्ड फूड ग्रेन प्रोक्योरमेन्ट स्कीम, गोरखपुर	आन्तरिक सम्प्रेक्षण नहीं किया गया।
8.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	कम्पनी की आन्तरिक सम्प्रेक्षा प्रणाली को कम्पनी के व्यवसाय एवं बढ़ते हुए आकार के अनुसार विस्तारित/सुदृढ़ीकृत किये जाने की आवश्यकता है।
9.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	वर्ष के समापन पर आन्तरिक सम्प्रेक्षा की जाती है। यह सुझाव दिया जाता है कि आन्तरिक सम्प्रेक्षा अधिक बार एवं लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ही की जानी चाहिए।
10.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी की आन्तरिक सम्प्रेक्षा प्रणाली को कम्पनी के बढ़ते हुए आकार एवं प्रकृति के अनुसार सुदृढ़ीकृत किये जाने की आवश्यकता है। आन्तरिक सम्प्रेक्षा समय से नहीं पूर्ण की जाती है। कुछ इकाइयों में आन्तरिक सम्प्रेक्षा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के अन्तराल के बाद की गयी एवं कुछ यूनिटो में आन्तरिक सम्प्रेक्षा अभी तक नहीं की गयी। अनुपालन तन्त्र पूर्णरूप से असफल रहा क्योंकि अवलोकनों एवं अनुशंसाओं का अनुपालन असाधारण रूपसे विलम्बित था।
	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट इलाहाबाद-II ट्रांससमिशन ईस्ट	आन्तरिक सम्प्रेक्षण नहीं किग गया।
	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा जोन	आन्तरिक सम्प्रेक्षा प्रणाली अपर्याप्त एवं कम्पनी के आकार के अनुरूप नहीं है। अधिकतर इकाइयों में या तो आन्तरिक सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए या प्रतिवेदन की अनुपालन आख्या नहीं बनायी गयी।

परिशिष्ट-8

(प्रस्तर संख्या 1.10 में संदर्भित)

कम्पनियों, जिनके व्यवसाय विगत 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ रूपये से कम थे तथा जिनके लेखे प्रमाणित किये गए, के व्यवसाय को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे (वर्ष)	व्यवसाय (लाख रूपये में)				
			अद्यतन वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2001-2002	12.77	107.96	142.66	171.84	198.60
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2002-2003	27.10	114.87	142.87	161.71	206.37
3.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2001-2002	6.06	18.74	29.09	36.18	46.16
4.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2001-2002	44.68	59.12	90.51	105.70	74.25
5.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1995-96	289.92	265.81	270.09	233.44	201.21
6.	यूपीएसआईसी पौट्रीज लिमिटेड	1990-91	16.50	19.59	15.80	9.86	57.21
7.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1991-92	26.15	36.11	24.57	28.62	11.31
8.	अपलीज़ फाइनेन्सियल सर्विसेज़ लिमिटेड	1997-98	128.63	71.61	50.04	55.26	67.88
9.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	2000-2001	178.67	239.67	210.34	165.11	171.39
10.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1994-95	15.08	15.45	16.80	15.39	11.59
11.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	1997-98	17.25	17.79	19.46	25.20	20.98
12.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2001-2002	256.10	238.52	395.24	235.93	320.79
13.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1996-97	19.31	72.85	14.06	2.66	0.31

परिशिष्ट–8अ

(प्रस्तर संख्या 1.10 में संदर्भित)

कम्पनियाँ, जो लगातार पाँच वर्षों से घाटा दे रही हैं, जिससे निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाती विवरणी

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लगातार 5 वर्षों की हानि, जिससे निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया					
1.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	18.10.1979	**वर्ष**	**1995-96**	**1994-95**	**1993-94**	**1992-93**	**1991-92**
			शुद्ध मूल्य	(-) 14377.84	(-) 11165.41	(-) 8112.91	(-) 5653.09	(-) 4214.43
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 3212.23	(-) 3118.95	(-) 3044.82	(-) 2638.66	(-) 2855.52
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	20.08.1974	**वर्ष**	**2001-2002**	**2000-2001**	**1999-2000**	**1998-99**	**1997-98**
			शुद्ध मूल्य	(-) 3937.27	(-) 3384.15	(-) 4589.14	(-) 3682.32	(-) 2445.09
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 571.61	(-)806.23	(-) 906.82	(-) 1236.36	(-) 545.05
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	26.03.1971	**वर्ष**	**1999-2000**	**1998-99**	**1997-98**	**1996-97**	**1995-96**
			शुद्ध मूल्य	(-)91167.51	(-) 74126.81	(-) 56357.05	(-) 40663.00	(-) 20726.65
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 16982.46	(-) 17769.70	(-) 16090.88	(-)19893.86	(-) 12036.63
4.	नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	18.04.1975	**वर्ष**	**1998-99**	**1997-98**	**1996-97**	**1995-96**	**1994-95**
			शुद्ध मूल्य	(-) 5813.21	(-) 4845.62	(-) 4181.53	(-) 3255.51	(-) 3442.13
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 945.25	(-) 809.13	(-) 830.09	(-) 759.71	(-) 562.09
5.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	30.05.1986	**वर्ष**	**2000-2001**	**1999-2000**	**1998-99**	**1997-98**	**1996-97**
			शुद्ध मूल्य	(-) 1248.44	(-)3521.21	(-) 894.86	(-) 2352.37	(-) 1948.29
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 476.64	(-) 548.52	(-) 625.83	(-) 404.08	(-) 541.67
6.	यूपीएसआईसी पौट्रीज लिमिटेड	27.04.1976	**वर्ष**	**1990-91**	**1989-90**	**1988-89**	**1987-88**	**1986-87**
			शुद्ध मूल्य	(-) 196.48	(-) 149.43	(-) 129.77	(-) 93.44	(-) 68.13
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 47.05	(-) 36.67	(-) 36.33	(-) 26.57	(-) 36.64
7.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड	10.04.1977	**वर्ष**	**2001-2002**	**अक्टूबर 1999 से मार्च 2001**	**अक्टूबर 1998 से सितम्बर 1999**	**अप्रैल 1997 से सितम्बर 1998**	**अप्रैल 1996 से मार्च 1997**
			शुद्ध मूल्य	(-) 441.06	(-) 148.21	(-) 34.46	(+) 59.08	(+) 72.90
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 282.05	(-) 108.63	(-) 92.63	(-) 13.81	(-) 33.99
8.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	29.03.1972	**वर्ष**	**2001-2002**	**2000-2001**	**1999-2000**	**1998-99**	**1997-98**
			शुद्ध मूल्य	(-) 17939.83	(-) 10547.51	(-) 3665.22	(-) 196.46	(+) 5126.37
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 7392.32	(-) 6882.29	(-) 5968.76	(-) 5322.83	(-) 3794.18

परिशिष्ट -9

(प्रस्तर संख्या 1.11 में संदर्भित)

विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों (आईआर) को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या	वर्ष जबसे प्रस्तर अनिस्तारित है
1.	कृषि एवं समवर्गीय	5	35	180	1979-80
2.	चीनी एवं गन्ना विकास	8	201	538	1985-86
3.	सिचाई	1	7	44	1994-95
4.	मत्स्य	1	6	28	1995-96
5.	ग्रामीण व लधु उद्योग	4	32	193	1980-81
6.	नियोजन	1	8	19	1992-93
7.	उद्योग एवं ओद्योगिक विकास	11	88	529	1979-80
8.	निर्यात संवर्धन	2	19	77	1988-89
9.	वस्त्र	3	38	92	1985-86
10.	इलेक्ट्रानिक्स	5	20	87	1987-88
11.	लोक निर्माण	2	293	854	1979-80
12.	क्षेत्र विकास	1	4	8	1980-81
13.	हरिजन व समाज कल्याण	5	37	133	1986-87
14.	गृह	1	5	21	1996-97
15.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2	71	125	1978-79
16.	पर्यटन	1	4	5	1992-93
17.	अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ	2	5	51	1988-89
18.	परिवहन	1	182	802	1981-82
19.	सहकारिता	1	9	43	1991-92
20.	वन	1	32	111	1997-98
21.	पंचायती राज	1	6	17	1983-84
22.	विद्युत	4	2274	8667	1982-83
	योग	**63**	**3376**	**12624**	

परिशिष्ट–10

(प्रस्तर संख्या 1.11 में संदर्भित)

विभागवार ड्राफ्ट प्रस्तरों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	विभाग का नाम	ड्राफ्ट प्रस्तरों की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	निर्गमन की अवधि
1.	कृषि	2		जुलाई 2003
2.	विद्युत	15	2	मई 2003 से जुलाई 2003
3.	परिवहन	1		जुलाई 2003
4.	लघु उद्योग	2		जून 2003
5.	उद्योग	5		मई 2003 से जुलाई 2003
6.	लोक निर्माण	1		जुलाई 2003
7.	चीनी एवं गन्ना विकास	2		मई 2003 से जुलाई 2003
8.	वन	1		जुलाई 2003
9.	सहकारिता	2		मई 2003 से जुलाई 2003
	योग	**31**	**2**	

परिशिष्ट–11

(प्रस्तर संख्या 1.13 में संदर्भित)

अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार 619–बी के अन्तर्गत कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

(5 से 19 तक के स्तम्भों में आँकड़े: लाख रूपये में)

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यरत/ कार्यविहीन)	लेखों का वर्ष	प्रदत्त पूंजी	अंश पूंजी				ऋण			अनुदान			अंश पूंजी, ऋण एवं अनुदान द्वारा कुल निवेश			लाभ(+) /हानि(-)	संचित लाभ(+) /हानि(-)
					राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियाँ द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियाँ द्वारा	अन्य	राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियाँ द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियाँ द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियाँ द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियाँ द्वारा	राज्य सरकार	राज्य सरकार के कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियाँ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	कार्यरत	2002-03	200.00	-	82.00 (41.00)	40.00 (20.00)	78.00 (39.00)	-	25.00	-	-	-	-	-	107.00	40.00	61.88	(-)167.50
2.	उ0प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत	2001-02	334.37	96.25 (28.79)	-	84.00 (25.12)	154.12 (46.09)		-	-	-	-	-	96.25	84.00		28.00	1027.92
3.	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	कार्यविहीन	1994-95	24.25	उपलब्ध नहीं[1]	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-	25.00	-	-	25.00	-	-	(+)0.003	(-) 7.06
4.	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	कार्यविहीन[2]		-	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-		-	-	-	-	-	-	-		
5.	स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड	कार्यविहीन	1978-79	90.00	-	55.00 (61.11)	-	35.00 (38.89)	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	(-)45.00	

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े प्रदत्त पूँजी से प्रतिशतता को दर्शाते है

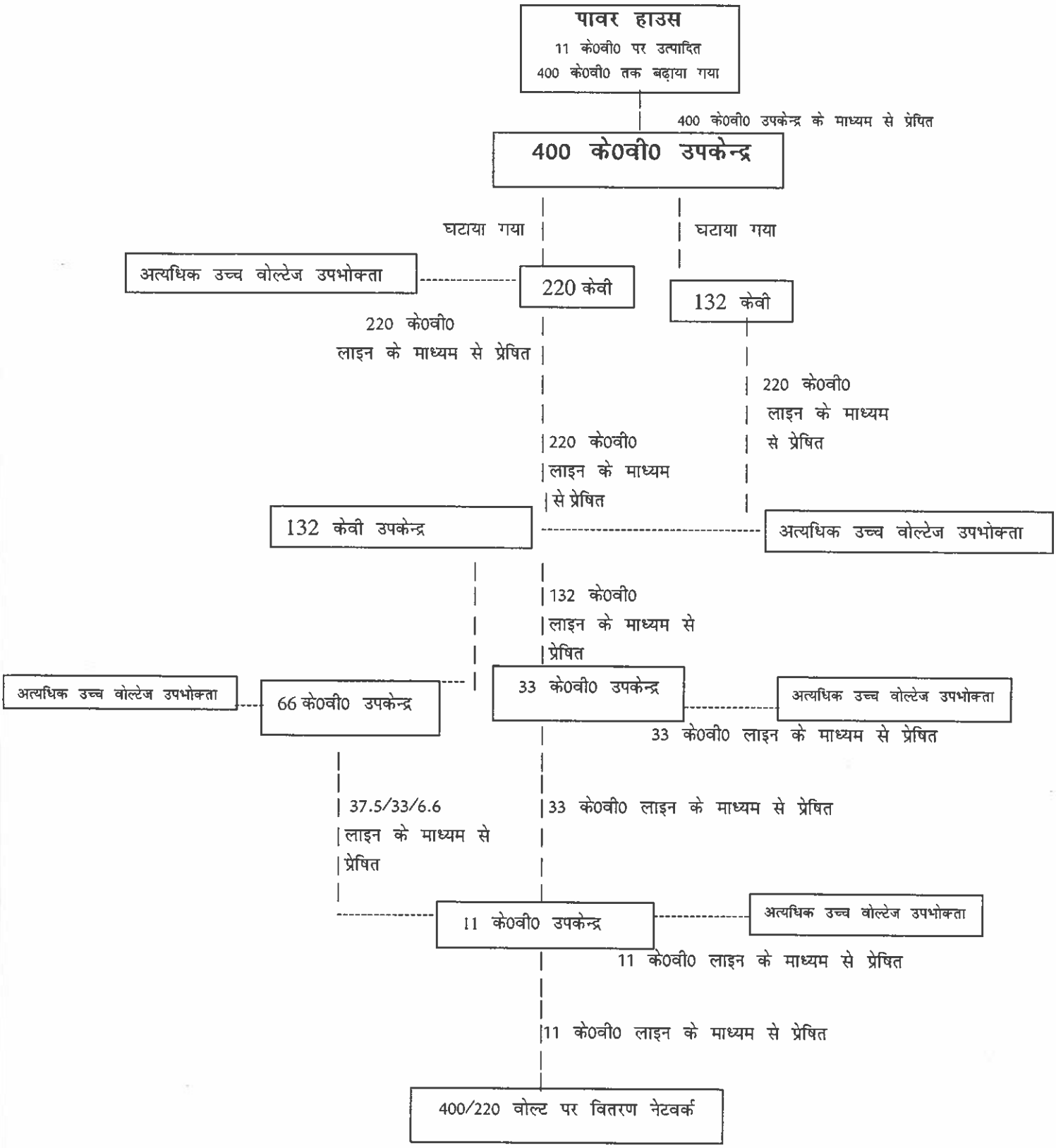
[1] कम्पनी द्वारा सूचना नहीं दी गई

[2] लेखे आरम्भ से ही अन्तिमीकृत नहीं हुए।

परिशिष्ट-12

(प्रस्तर 2.1.1 संदर्भित)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में एक आदर्श पारेषण एवं वितरण व्यवस्था को दर्शाता फ्लो चार्ट



परिशिष्ट-13

(प्रस्तर 2.1.5 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में 2002-03 तक पाँच वर्षों की अवधि में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों एवं प्राप्तियों को दर्शाती विवरणी

(अ) 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र (क्षमता एम0वी0ए0 में एवं लागत करोड़ रुपये में)

वर्ष	लक्ष्य			प्राप्ति			प्राप्ति/कमी (+)/(-)			क्षमता में कमी (प्रतिशत)
	भौतिक		वित्तीय	भौतिक		वित्तीय	भौतिक		वित्तीय	
	संख्या	क्षमता	लागत	संख्या	क्षमता	लागत	संख्या	क्षमता	लागत	
(अ) नये उपकेन्द्र										
1998-99	271	1045	*175.10*	90	418.50	*81.61*	- 181	- 626.50	*- 93.49*	59.95
1999-00	153	609	*120.04*	61	309	*61.80*	- 92	- 300	*- 58.24*	49.26
2000-01	95	375	*80.00*	61	311	*62.20*	- 34	- 64	*- 17.80*	17.06
2001-02	40	210	*42.00*	67	347	*69.40*	+ 27	+137	*+ 27.40*	--
2002-03	60	300	*62.00*	50	265.00	*41.55*	- 10	- 35	*- 20.45*	11.67
योग	**619**	**2539**	*479.14*	**329**	**1650.50**	*316.56*	**-290**	**- 888.50**	*- 162.58*	**34.99**
(ब) वर्तमान उपकेन्द्र की क्षमता में बढ़ोत्तरी										
1998-99	698	2002	*107.06*	215	585.50	*50.35*	- 483	- 1416.50	*- 56.71*	70.75
1999-00	292	833	*71.80*	141	431.50	*37.11*	- 151	- 401.50	*- 34.69*	48.20
2000-01	130	470	*43.00*	130	413.00	*35.52*	--	- 57.00	*- 7.48*	12.13
2001-02	55	225	*23.00*	80	242.50	*19.32*	+ 25	+ 17.50	*+ 3.68*	--
2002-03	100	300	*33.00*	98	339.00	*24.56*	- 2	+ 39.00	*+ 8.44*	--
योग	**1275**	**3830**	*277.86*	**664**	**2011.50**	*166.86*	**- 611**	**- 1818.50**	*- 111.00*	**47.48**

(ब) 33 के0वी0 लाइनों का निर्माण (लम्बाई सर्किट किमी में एवं मूल्य करोड़ रूपये में)

वर्ष	लक्ष्य		प्राप्ति		प्राप्ति/कमी (+)/(-)		कमी (प्रतिशत)
	लम्बाई	वित्तीय	लम्बाई	वित्तीय	लम्बाई	वित्तीय	
1998-99	1165	*29.50*	616.29	*22.19*	- 548.71	*- 7.31*	47.10
1999-00	580	*22.12*	673.04	*23.58*	+ 93.04	*+ 1.46*	-
2000-01	470	*16.00*	533.80	*18.68*	+ 63.80	*+ 2.68*	-
2001-02	264	*11.00*	631.37	*26.39*	+ 367.37	*+ 15.39*	-
2002-03	360	*17.00*	585.00	*27.62*	+ 225	*+ 10.62*	--
योग	**2839**	*95.62*	**3039.50**	*118.46*	**- 200.50**	*+ 22.84*	--

परिशिष्ट-14

(प्रस्तर 2.1.18 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में उप-केन्द्रों के विलम्बित ऊर्जीकरण को दर्शाती विवरणी

निष्पादनकारी ई0एस0 डब्ल्यू0डी0	33 के0वी0 उपकेन्द्र/ लाइन	मूल्य (करोड़ रुपये में)	पूर्ण होने का माह	ऊर्जीकृत होने का माह एवं विलम्ब	विलम्ब होने के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मेरठ	गुडाना	1.00	1/2002	7/2002 (5 माह)	अनिर्मित बे
मेरठ	शामली	1.07	3/2000	1/2003 (34 माह)	अनिर्मित बे
इलाहाबाद	दिलीपपुर	1.06	4/1999	5/2001 (25 माह)	अनिर्मित बे
इलाहाबाद	शंकरगढ़	0.38	3/2000	10/2001 (18 माह)	अनिर्मित बे
इलाहाबाद	हथगाँव	1.29	3/2001	12/2001 (9 माह)	अनिर्मित बे
वाराणसी	जफरपुर	0.95	2/2000	6/2001 (18 माह)	अनिर्मित बे
इलाहाबाद	देवमई	0.50	11/2001	3/2002 (4माह)	अनिर्मित उपकेन्द्र
इलाहाबाद	पहाड़पुर	0.50	7/2001	12/2001 (5माह)	अनिर्मित उपकेन्द्र
इलाहाबाद	सदाहा	0.40	1/2002	3/2002 (2 माह)	अनिर्मित उपकेन्द्र
कानपुर	रसूलाबाद	0.49	6/2002	2/2003 (8माह)	अनिर्मित उपकेन्द्र
मेरठ	उद्योगकुंज	0.67	2/1999	6/1999 (4 माह)	अनिर्मित लाइन
इलाहाबाद	कालाकांकर	0.65	2/1999	5/2000 (15माह)	अनिर्मित लाइन
	योग	**8.96**			

टिप्पणी: दिलीपपुर उपकेन्द्र के प्रकरण में 7.95 लाख रुपये मूल्य के कन्डक्टर, लाइन से चोरी हो गये एवं 2.06 लाख रुपये मूल्य की भण्डार सामग्री, लाइन के ऊर्जीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त हो गयी।

परिशिष्ट-15

(प्रस्तर 2.1.21 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में बजटीय सहायता के अन्तर्गत पूर्ण किये गये 33 के0वी0 उपकेन्द्रों एवं 33 के0वी0 लाइनों के समय व लागत अतिक्रमण को दर्शाती विवरणी

क्र0 सं0	उपकेन्द्र/लाइन/ जिला का नाम	परियोजना का मूल्य (लाख रुपये में)	वित्त पोषण का वर्ष	2002-03 में परियोजना की संशोधित लागत	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण/ऊर्जीकृत होने की तिथि/माह	लागत अतिक्रमण (लाख रुपये में)	समय अतिक्रमण (माह में)	विलम्ब एवं लागत अतिक्रमण के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	मोहनपुरी, मेरठ	87.37	1999-00	92.99	3/2001	1.9.02	5.62	18	ई0एस0डी0 से भण्डार सामग्री की विलम्ब से आपूर्ति
2.	रघुनाथपुर, मेरठ	95.72	1998-99	104.05	3/1999	3.6.02	8.33	39	निधि का विलम्ब से स्थानान्तरण
3.	कुदाना, मुजफ्फरनगर	71.31	2001-02	75.38	3/2002	15.7.02	4.07	4	निधि का विलम्ब से स्थानान्तरण
4.	मिल्खानाम, रामपुर	106.63	1999-00	108.53	3/2000	3.7.02	1.90	27	निधि का विलम्ब से स्थानान्तरण
5.	गोण्डा सिटी, गोण्डा	104.62	199-99	110.77	3/1999	18.7.02	6.15	39	निधि का विलम्ब से स्थानान्तरण
6.	चित्रकूट	88.32	1998-99	101.81	3/1999	17.8.02	13.49	40	निधि का विलम्ब से स्थानान्तरण
7.	नादान महल रोड, लखनऊ	271.00	1999-00	298.10	3/2001	5.8.02	27.10	16	निधि का विलम्ब से स्थानान्तरण
8.	बनकटा बाजार, देवरिया	79.43	1998-99	89.94	1/2000	1/.03	10.51	36	निधि का विलम्ब से स्थानान्तरण
9.	पकरी बाजार, देवरिया	76.47	1998-99	85.84	3/2000	3/03	9.37	36	निधि का विलम्ब से स्थानान्तरण
10.	कुरवार, फैजाबाद	65.78	5.9.1998	97.20	3/1999	10.10.01	31.42	31	निधि का विलम्ब से स्थानान्तरण
11.	अल्लापुर, इलाहाबाद	101.52	1998-99	109.76	3/1999	4/2000	8.24	13	निधि का विलम्ब से स्थानान्तरण
12.	ऊँचागाँव, मुजफ्फरनगर	103.96	2001-02	108.53	3/2002	28.10.02	4.57	6	निधि का उपलब्ध न होना
13.	मंडी समिति, सहारनपुर	69.72	2000-01	89.29	3/2002	3.11.02	19.57	7	विवरण प्राप्त नही
14.	सिकन्दरपुर, अम्बेदकरनगर	80.61	1998-99	85.46	3/2001	31.3.03	4.85	24	विवरण प्राप्त नही
15.	मंगारी, फैजाबाद	100.13	2001-02	101.81	3/2002	30.11.02	1.68	8	निधि का प्राप्त न होना
16.	श्रवणखेरा, कानपुर देहात	86.12	2001-02	92.85	3/2002	3/03	6.73	12	निधि का प्राप्त न होना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17.	डेरापुर, कानपुर देहात	95.80	2001-02	106.29	3/2002	26.10.02	10.49	6	निधि का प्राप्त न होना
18.	पहाड़ी, बांदा	80.61	1998-99	85.46	3/2000	31.3.03	4.85	36	विवरण प्राप्त नहीं
19.	महाराजगंज, संतरविदास नगर	121.71	2001-02	122.81	3/2002	18.2.03	1.10	11	निधि का प्राप्त न होना
20.	सोनाही शिवगढ़, प्रतापगढ़	98.07	2001-02	99.57	3/2002	31.12.02	1.50	9	निधि का प्राप्त न होना
21.	हरीहरपुर, प्रतापगढ़	98.07	2001-02	99.57	3/2002	31.1.03	1.50	10	निधि का प्राप्त न होना
22.	फाफामऊ, इलाहाबाद	84.73	1998-99	89.94	3/2000	12.3.03	5.21	36	विवरण प्राप्त नहीं
23.	चौपटिया पार्क, लखनऊ	127.34	2001-02	140.07	3/2002	11.11.02	12.73	7	निधि का प्राप्त न होना
24.	रूनकाटा, आगरा (टी टी योजना)	100.00	2000-01	100.00	3/2002	3/2003	अनुपलब्ध	12	वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने में विलम्ब
25.	कुर्सी रोड, बाराबंकी	150.00	1999-00	150.00	3/2001	31.3.2003	अनुपलब्ध	24	33 के0वी0 बे के पूर्ण न होने के कारण विलम्ब
26.	सिहोना, बिजनौर	91.65	2001-02	92.85	3/2002	4/2003	1.20	12	प्राक्कलन एवं पैकेज तैयार करने में विलम्ब
27.	भगवानपुर, मेरठ	95.93	2001-02	97.33	3/2002	7/2003	1.40	15	निधि एवं सामग्रियों का उपलब्ध न होना
28.	रघुनाथपुर, बुलन्दशहर	87.37	2001-02	88.37	3/2002	10/2002	1.00	7	निधि एवं सामग्रियो का उपलब्ध न होना
29.	यूपीएसआईडीसी, शाहजहाँपुर	146.64	19.8.2000	146.64	3/2001	6/2003	--	26	33 के0वी0 लाइन के निर्माण में विलम्ब
30.	अमृतपुर, फर्रूखाबाद	79.43	1998-99	79.43	3/1999	4/2003	--	48	विवरण प्राप्त नहीं
31.	बिल्डिंग सेन्टर, इन्दिरा नगर, लखनऊ	127.43	2000-01	140.17	3/2003	7/2003	12.74	4	निधि एवं सामग्रियों का प्राप्त न होना
	योग	**3173.49**		**3390.81**			**217.32**		

परिशिष्ट-16

(प्रस्तर 2.1.21 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में बजटीय सहायता के अन्तर्गत अपूर्ण 33 के0वी0 उपकेन्द्रों एवं 33 के0वी0 लाइनों के लागत एवं समय अतिक्रमण को दर्शाती विवरणी

क्र0 सं0	उपकेन्द्र/लाइन/ जिलों का नाम	वित्त पोषण का वर्ष	परियोजना का लागत (लाख रुपये में)	परियोजना की पुनरीक्षित लागत 2002-03 में	लागत वृद्धि (लाख रुपये में)	निर्माण/ऊर्जीकृत होने की निर्धारित तिथि/ माह	वित्त पोषण के पश्चात् व्यतीत समय (वर्षों में) (3/2003 तक)	पूर्ण करने हेतु अनुमत समय	समय अतिक्रमण (वर्षों में)	विलम्ब एवं लागत अतिकमण का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	शिहारी मिलक, रामपुर	1998-99	99.85	108.53	8.68	3/1999	4	1	3	आंकलन एवं पैकेज का तैयार नहीं करना
2.	सहसपुर, बिजनौर	1998-99	100.21	101.81	1.60	3/1999	4	1	3	आंकलन एवं पैकेज का तैयार नही करना
3.	उमरी, बिजनौर	2001-02	100.21	101.81	1.60	3/2002	1	1	--	आंकलन एवं पैकेज का तैयार नही करना
4.	अमरोहा-II, जे0 पी0 नगर	2001-02	101.53	113.83	12.30	3/2002	1	1	--	आंकलन एवं पैकेज का तैयार नही करना
5.	भगतपुर, मुरादाबाद	2001-02	121.60	124.21	2.61	3/2002	1	1	--	आंकलन एवं पैकेज का तैयार नही करना
6.	धरमपुर, बुलन्दशहर	2001-02	95.93	115.25	19.32	3/2002	1	1	--	निधि एवं सामग्री की अनुपलब्धता
7.	गोविन्दपुरी, गाजियाबाद	2001-02	73.05	80.95	7.90	3/2002	1	1	--	निधि एवं सामग्री की अनुपलब्धता
8.	दतियाना, गाजियाबाद	2001-02	112.83	121.67	8.84	3/2002	2	1	1	निधि एवं सामग्री की अनुपलब्धता
9.	ऊँचागाँव, मथुरा	1998-99	110..90	113.01	2.11	3/2002	4	1	3	निधि एवं सामग्री की अनुपलब्धता
10.	समेरा, फिरोजाबाद	1998-99	91.60	99.57	7.97	3/1999	4	1	3	निधि एवं सामग्री की अनुपलब्धता
11.	कुसमुरा, मैनपुरी	1998-99	89.20	94.94	5.74	3/1999	4	1	3	अव्यवस्थित निर्णय
12.	नुमाईश कैम्प, मुजफ्फरपुर	2001-02	110.08	139.99	29.91	3/2000	1	1	--	निधि की अनुपलब्धता
13.	जलेसर, एटा	2000-01	80.00	80.00	00	3/2002	2	1	1	विवरण प्राप्त नही
14.	अमनीगंज, फैजाबाद	2001-02	104.49	106.29	1.80	3/2002	1	1	--	निधि की अनुपलब्धता
15.	डाफी, वाराणसी	2001-02	105.28	118.01	12.73	3/2002	1	1	--	निधि की अनुपलब्धता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16.	चोपण, सोनभद्र	1998-99	75.00	82.50	7.50	3/2000	4	1	3	निधि की अनुपलब्धता
17.	गोपालगंज, आजमगढ़	1998-99	79.43	89.94	10.51	3/2000	4	1	3	विवरण प्राप्त नहीं
18.	नईगंज, जौनपुर	2001-02	89.51	96.00	6.49	3/2002	1	1	--	निधि की अनुपलब्धता
19.	जमुनीपुर, कोटवा, इलाहाबाद	1998-99	35.00	69.78	34.78	3/2000	4	1	3	निधि की अनुपलब्धता
20.	दोखावा, प्रतापगढ़	2001-02	106.63	108.53	1.90	3/2001	2	1	1	निधि की अनुपलब्धता
21.	लखनऊ विश्वविद्यालय	2001-02	105.05	140.07	35.02	3/2002	1	1	--	निधि की अनुपलब्धता
22.	टिकैतराय तालाब, लखनऊ	2001-02	117.17	128.89	11.72	3/2002	1	1	--	निधि की अनुपलब्धता
23.	हस्तपुर, अलीगढ़	1998-99	160.04	210.27	50.23	3/1999	4	1	3	विवरण उपलब्ध नहीं
24.	संधना, सीतापुर	1998-99	98.86	98.86	--	3/2000	4	1	3	33/11 के0वी0, सिधौली का निर्माण पूर्ण न होने के कारण
25.	रामपुर मथुरा, सीतापुर	1998-99	95.62	95.62	--	3/2000	4	1	3	33/11 के0वी0, सिधौली का निर्माण पूर्ण न होने के कारण
26.	गोविन्दपुरी, गाजियाबाद	1998-99	73.05	80.95	7.90	3/2000	4	अनुपलब्ध	3	विवरण उपलब्ध नहीं
27.	केदारनगर, अम्बेदकर नगर	2000-01	103.17	113.49	10.32	3/2002	2	अनुपलब्ध	1	निधि की अनुपलब्धता
28.	भीटी, अम्बेदकरनगर	2000-01	108.91	115.25	6.34	3/2002	2	अनुपलब्ध	1	निधि की अनुपलब्धता
29.	रमईपुर, संतरविदास नगर	2000-01	106.63	108.53	1.90	3/2002	2	अनुपलब्ध	1	निधि की अनुपलब्धता
30.	कमलापुर, कौशाम्बी	1998-99	80.61	85.46	4.85	3/2000	4	अनुपलब्ध	3	विवरण उपलब्ध नहीं
31.	सर्वोदय नगर, लखनऊ	2001-02	161.30	177.43	16.13	3/2003	2	अनुपलब्ध	1	निधि की अनुपलब्धता
32.	बाइस ख्वाजा, इटावा	1998-99	74.54	74.93	0.39	3/2000	4	अनुपलब्ध	1	निधि की अनुपलब्धता
33.	साढ़, कानपुर देहात	1998-99	102.35	104.05	1.70	3/2000	4	अनुपलब्ध	3	निधि की अनुपलब्धता
34.	ईपीआईपी, आगरा	2001-02	104.41	104.41	--		1	अनुपलब्ध	--	विवरण उपलब्ध नहीं
		योग	**3374.04**	**3704.83**	**330.79**					

परिशिष्ट-17

(प्रस्तर 2.1.24 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में स्वीकृत प्राक्कलन/पैकेज/विशिष्टियों से अधिक सामग्री की खपत को दर्शाती विवरणी

क्र0 सं0	उपकेन्द्र/लाइन का नाम	पैकेज संख्या	उपलब्ध कराई गई स्टाक सामग्री की मूल्य (लाख रुपये में)	वास्तविक उपयोग की गई स्टाक सामग्री का मूल्य (लाख रुपये में)	सामग्री का अधिक उपयोग
वाराणसी खण्ड (ईयूसीडी)					
1.	कुकमत्ता	127/98-99	2.36	4.90	2.54
2.	नारदघाट	128/98-99	1.64	1.99	0.35
3.	देवकीनंदन हवेली	8/98-99	0.98	1.32	0.34
4.	वेतवा आनंद	11/98-99	1.31	1.40	0.09
5.	गौतम विहार कालोनी	148/98-99	1.17	2.72	1.55
6.	इन्दिरा नगर विस्तार	67/98-99	1.74	1.98	0.24
7.	नीलकंठ	125/98-99	3.25	3.80	0.55
8.	डायमंड होटल	10/98-99	1.30	1.38	0.08
9.	स्पिलिटिंग दशाश्वमेघ फीडर	52/97-98	1.77	3.28	1.51
10.	बरकाबाद	93/99-00	2.52	3.60	1.08
11.	अम्बिया मंडी कब्रिस्तान	85/99-00	2.10	2.34	0.24
12.	लहरतारा नई बस्ती	67/99-00	3.92	5.07	1.15
13.	यू/जी केबिल भदायन को बिछाना	110/99-00	2.52	2.99	0.47
14.	अत्यधिक केबिल का निर्गमन	138/01-02	18.50	19.50	1.00
15.	डाफी लाइन	अनुपलब्ध	2.15	3.79	1.64
16.	निजी उपभोक्ता का औद्योगिक फीडर से स्थानान्तरण	25/00-01	8.07	13.16	5.09
कानपुर खण्ड (ईएसडब्ल्यूडी)					
17.	रूरा डेरापुर	अनुपलब्ध	20.11	21.62	1.51
18.	सैफई-जसवंतनगर लाइन	अनुपलब्ध	6.11	9.13	3.02
	योग		**81.52**	**103.97**	**22.45**

परिशिष्ट-18

(प्रस्तर 2.1.25 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों/लाइनों को ऊर्जीकृत किये जाने के बाद सामग्री के निर्गमन को दर्शाती विवरणी

खण्ड का नाम	उपकेन्द्र/लाइन का नाम	ऊर्जीकृत होने का महीना	सामग्री निर्गमन की अवधि	विलम्बित अवधि (महीनों में)	निर्गमित सामग्री का कुल मूल्य (लाख रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ईएसडब्ल्यूडी गोरखपुर	विक्रम ज्योति, बस्ती उपकेन्द्र	11/2000	1/2001 से 2/2001	3	0.33
	हरैया-विक्रम ज्योति लाइन	11/2000	1/2001	2	7.55
	हरपुर-गंगटही लाइन	12/2000	2/2001 से 3/2001	3	3.76
	अड्डा बाजार, महाराजगंज उपकेन्द्र	10/2001	12/2001	2	3.47
ईएसडब्ल्यूडी बरेली	देवरिया कलान, पीलीभीत उपकेन्द्र	3/2001	4/2001 से 7/2001	4	7.91
	जमौर, शाहजहाँपुर लाइन	2/1998	4/1998 से 6/1998	4	0.34
	अठालिया, शाहजहाँपुर लाइन	10/1999	11/1999 से 3/2000	5	0.30
	पनवरिया, बदायूँ उपकेन्द्र व लाइन	3/2000	4/2000 से 9/2002	30	23.89
	इण्डस्ट्रियल एरिया, बदायूँ उपकेन्द्र और लाइन	3/1996	4/1996 से 12/1996	9	30.10
	शेरगढ़, बरेली उपकेन्द्र व लाइन	7/2001	10/2001 से 10/2002	14	9.36
	कुतुबखाना, बरेली उपकेन्द्र व लाइन	6/1998	9/1998 से 8/1999	14	0.53
	इज्जत नगर बरेली, उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि	8/2002	10/2002 से 12/2002	4	1.20
ईएसडब्ल्यूडी वाराणसी	सुजानगंज, उपकेन्द्र व लाइन	9/1999	10/1999 से 11/2000	14	27.63
	कोटवा, नारायणपुर लाइन	8/2000	10/2000 से 1/2001	4	1.50
	पटवध कौटुक, उपकेन्द्र व लाइन	3/2000	5/2000 से 3/2001	12	2.82
	जफरपुर उपकेन्द्र	2/2000	3/2000	1	1.27
	शुखपुरा, उपकेन्द्र व लाइन	5/2000	7/2000 से 2/2001	9	2.90

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	खमरिया, उपकेन्द्र	11/1999	2/2000 से 7/2000	8	0.38
	पन्नुगंज उपकेन्द्र व लाइन	1/2000	2/2000 से 7/2000	6	0.16
	माल्डीह उपकेन्द्र	2/2000	3/2000 से 5/2000	3	0.26
	दुर्गागंज उपकेन्द्र	10/2001	2/2002	4	0.04
ईडब्ल्यूडी, फैजाबाद	बाबा का बाजार उपकेन्द्र	3/2000	4/2000 से 12/2000	9	7.12
	देवकाली उपकेन्द्र	3/2000	4/2000 से 10/2000	7	5.85
	पलहारी उपकेन्द्र	3/1997	4/1997 से 2/1998	11	3.23
	नियावाँ उपकेन्द्र	3/1999	6/1999	3	1.10
ईयूसीडी, वाराणसी	लालपुर उपकेन्द्र	3/1999	5/1999 से 2/2000	11	30.27
	एम ई एस, उपकेन्द्र	11/2001	3/2002 से 8/2002	9	2.43
ईएसडब्ल्यूडी, लखनऊ	टेहरावन देहगहाँ, हरदोई उपकेन्द्र	3/2000	4/2000 से 3/2001	12	0.96
	टेहरावन दिघावन, हरदोई उपकेन्द्र	3/2000	8/2000	5	0.25
ईएसडब्ल्यूडी, मेरठ	चिरंजीव विहार, गाजियाबाद लाइन	7/2000	8/2000 से 1/2001	6	2.16
	चिरंजीव विहार, गाजियाबाद उपकेन्द्र	7/2000	8/2000 से 1/2001	6	37.03
				महायोग	**216.10**

परिशिष्ट-19

(प्रस्तर 2.1.26 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में रेस्पो के मानकों से अधिक किये गये व्यय को दर्शाती विवरणी

अ. उपकेन्द्र

खण्डों का नाम	33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों की संख्या	समझौते के अनुसार वास्तविक लागत (लाख रूपये में)	रेस्पो की लागत (लाख रूपये में)	अधिक व्यय लाख रूपये में)	रेस्पो की लागत से अधिक व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, इलाहाबाद	21	55.92	28.17	27.75	98.51
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, लखनऊ	20	79.62	27.26	52.36	192.08
ई0डब्ल्यू0डी0, फैजाबाद	18	69.89	24.21	45.68	188.68
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, वाराणसी	26	57.99	35.93	22.06	61.40
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, गोरखपुर	18	34.96	29.95	5.01	16.73
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, बरेली	18	89.06	23.11	65.95	285.37
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, झाँसी	5	25.92	7.51	18.41	245.14
ई0यू0सी0डी0, वाराणसी	3	13.45	3.86	9.59	248.45
योग	**129**	**426.81**	**180.00**	**246.81**	**137.12**

ब. क्षमता में वृद्धि

खण्डों का नाम	33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों की संख्या	क्षमता में वृद्धि (एम0वी0ए0) से	तक	वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	रेस्पो के लागत (लाख रुपये में)	अधिक व्यय (लाख रुपये में)	रेस्पो लागत से अधिक व्यय का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, इलाहाबाद	10	42.50	63.50	9.58	4.98	4.60	92.36
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, लखनऊ	6	23.50	40.50	5.98	3.56	2.42	67.98
ई0डब्ल्यू0डी0, फैजाबाद	6	31.00	49.00	6.17	4.14	2.03	49.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, वाराणसी	16	103.00	166.50	15.65	12.43	3.22	25.90
ई0यू0सी0डी0, वाराणसी	1	10.00	15.00	5.38	1.01	4.37	432.67
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, गोरखपुर	6	26.59	42.00	6.11	4.61	1.50	32.54
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, बरेली	6	26.51	51.00	14.13	5.08	9.05	178.14
कुल	**51**	**263.00**	**427.50**	**63.30**	**35.81**	**27.19**	**75.93**

स. 33 के0वी0 लाइन्स

खण्डों का नाम	33 के0वी0 लाइनों की संख्या	लाइनों की कुल लम्बाई (सर्किट किमी में)	समझौते के अनुसार वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)	रेस्पो की लागत (लाख रुपये में)	अधिक व्यय (लाख रुपये में)	रेस्पो की लागत से अधिक व्यय का प्रतिशत
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, इलाहाबाद	20	209.42	79.48	44.92	34.56	76.94
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, लखनऊ	19	210.389	75.38	51.73	23.65	45.72
ई0डब्ल्यू0डी0, फैजाबाद	25	172.00	80.67	44.55	36.12	81.08
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, वाराणसी	15	139.97	38.67	30.98	7.69	24.82
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, मेरठ	36	288.190	117.64	61.72	55.92	90.60
ई0यू0सी0डी0, मुरादाबाद	6	43.30	21.50	10.03	11.47	114.36
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, बरेली	21	164.51	102.44	35.14	67.30	191.52
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, झाँसी	6	61.00	18.14	13.30	4.84	36.39
योग	**148**	**1288.77**	**533.92**	**292.37**	**241.55**	**82.62**
महायोग (अ+ब+स)					**515.55**	

परिशिष्ट-20

(प्रस्तर 2.1.31 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में लाइनों को विखण्डित न करने के कारण सामग्री के दुर्विनियोग को दर्शाती विवरणी

खण्ड/उपकेन्द्र/ लाइन का नाम	लाइन की लागत (लाख रूपये में)	समझौते का माह/विखण्डन में आने वाली लागत	दुर्विनियोजित सामग्री का मूल्य (लाख रुपये में)	कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ई0एस0डब्ल्यू0डी, वाराणसी/साहूपुरी-चन्दौली लाइन (9.4 सर्किट कि0मी0)	47.86	अगस्त 2002 (1.85 लाख रूपये)	32.34	निष्प्रयोज्य लाइन विखण्डित नहीं की गयी। फरवरी 1994 एवं जुलाई 2001 के निरीक्षण दर्शाते है कि पहले निरीक्षण के उपरान्त सामग्री की चोरी हुई। चोरी, लाइनों को विखण्डित न करने के कारण हुई जिसके लिए अगस्त 2002 में 1.85 लाख रुपये का अनुबन्ध किया गया था। विखण्डन कार्य की शुरूआत अभी तक नहीं हुई थी।
औरई-ठठेरा लाइन वाराणसी (13.645 सर्किट कि0मी0)	37.11	अगस्त 2002 (0.68 लाख रूपये)	20.91	जुलाई 2001 में हुआ निरीक्षण दर्शाता है कि सामग्री की चोरी जनवरी 1994 के निरीक्षण के उपरान्त हुई। विखण्डन की लागत अगस्त 2002 में हुए अनुबन्ध के अन्तर्गत 0.68 लाख रुपये थी। कार्य अभी भी शुरू नहीं हुआ था।
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, शाहजहाँपुर, मोहम्मदी (30 सर्किट/कि0मी0)	102.29	अप्रैल 1999 (1.84 लाख रूपये)	96.93	लाइन के विखण्डन में देरी के कारण चोरी सम्भव हुई। अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने के समय कन्डक्टर लाइन पर उपलब्ध नहीं थे। अनुबन्ध 5.4.99 को 1.84 लाख रुपये का निष्पादित हुआ किन्तु कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ था।
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, बरेली, नवादा-वजीरगंज लाइन (32.30 सर्किट/कि0मी0)	45.50	मार्च 1999 (2.45 लाख रूपये)	30.53	लाइन के विखण्डन में देरी के कारण चोरी सम्भव हुई। अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने के समय कन्डक्टर लाइन पर उपलब्ध नहीं थे। अनुबन्ध 27.3.99 को 2.45 लाख रुपये का निष्पादित हुआ किन्तु कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ था।
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, बरेली भमौरा-बिनावर लाइन (8.60 सर्किट/कि0मी0)	19.14	फरवरी 1999 (1.87 लाख रूपये)	7.80	लाइन के विखण्डन में देरी के कारण चोरी सम्भव हुई। अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने के समय कन्डक्टर लाइन पर उपलब्ध नहीं थे। अनुबन्ध 26.2.99 को 1.87 लाख रुपये का निष्पादित हुआ किन्तु कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ था।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, बरेली कलोन-जरीमपुर (15 सर्किट/कि0मी0)	31.25	जनवरी 2002 (3.50 लाख रूपये)	14.13	चोरी लाइन के विखण्डन में देरी के कारण सम्भव हुई। अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने के समय कन्डक्टर लाइन पर उपलब्ध नहीं थे। 15.01.2002 को 3.50 लाख रुपये का अनुबन्ध निष्पादित किया गया परन्तु कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ था।
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, बरेली चंदौसी-मुंडिया लाइन (16 सर्किट/कि0मी0)	23.11	अक्टूबर 1998 (1.80 लाख रूपये)	7.16	लाइन के विखण्डन में देरी के कारण चोरी सम्भव हुई। अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने के समय कन्डक्टर लाइन पर उपलब्ध नहीं थे। 12.10.98 को 1.80 लाख रुपये का अनुबन्ध निष्पादित किया गया परन्तु कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ था।
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, आँवला-आसिफपुर (24 सकिट/कि0मी0)	39.97	अक्टूबर 1998 (3.03 लाख रूपये)	23.82	लाइन के विखण्डन में देरी के कारण चोरी सम्भव हुई। अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने के समय कन्डक्टर लाइन पर उपलब्ध नहीं थे। 7. 10.98 को 3.03 लाख रुपये का अनुबन्ध निष्पादित किया गया, परन्तु कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ था।
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, बरेली, भूटा-बिलासपुर (20 सर्किट/कि0मी0)	31.05	अक्टूबर 1998 (1.99 लाख रूपये)	20.68	लाइन के विखण्डन में देरी के कारण चोरी सम्भव हुई। अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने के समय कन्डक्टर लाइन पर उपलब्ध नहीं थे। 7. 10.98 को 1.99 लाख रुपये का अनुबन्ध निष्पादित किया गया। परन्तु कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ था।
ई0एस0डब्ल्यू0डी0, बरेली बदायूँ-के-काकाराला (8.5 सर्किट/कि0मी0)	14.01	मार्च 1999 (1.14 लाख रूपये)	8.06	लाइन के विखण्डन में देरी के कारण चोरी सम्भव हुई। अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने के समय कन्डक्टर लाइन पर उपलब्ध नहीं थे। 24.3.99 को 1.14 लाख रुपये का अनुबन्ध निष्पादित किया गया परन्तु कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ था।
योग	**391.29**	**20.15**	**262.36**	

परिशिष्ट-21

(प्रस्तर 2.1.32 में संदर्भित)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निक्षेप कार्यों के सम्बन्ध में कम निक्षेपों को दर्शाती विवरणी

प्रयोगकर्ता संगठन का नाम/निष्पादन ई0एस0डब्ल्यू0डी खण्ड	कार्य का नाम	प्राप्त निक्षेप (करोड़ रुपये में)/ माह	वास्तविक लागत (करोड़ रुपये में)	कम निक्षेप (करोड़ रुपये में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर/बरेली	33 के0वी0 लाइन, शाहजहाँपुर	0.72 (अगस्त 2000)	1.30	0.58	ई0डी0डी0-I, शाहजहाँपुर द्वारा प्राक्कलन निष्पादन खण्ड के परामर्श/वास्तविक सर्वेक्षण के बिना तैयार किये गये जिसके कारण प्राक्कलन का कम निर्धारण हुआ और परिणामत: निक्षेप कम जमा हुआ। पुनरीक्षित नियम एवं शर्ते (टी0सी0) खण्ड द्वारा प्रस्तुत नही की गयी।
उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर/मेरठ	33 के0वी0 लाइन, ट्रोनिका सिटी	0.70 (अगस्त 1997)	1.14	0.44	यद्यपि वन विभाग द्वारा अनुमति न दिये जाने के कारण लाइन की लम्बाई में वृद्धि हुई किन्तु खण्ड द्वारा निक्षेप के लिए कोई भी पुनरीक्षित मांग प्रस्तुत नहीं की गयी।
उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर/आगरा	33 के0वी0 लाइन, तालानगरी	0.30 (जनवरी 1994)	0.33	0.03	ई0एस0डब्ल्यू0डी0, आगरा (1996-97) द्वारा तैयार निष्पादित प्राक्कलन के आधार पर कोई पुनरीक्षित मांग नहीं की गई।
निबन्धक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ई0यू0सी0डी0, इलाहाबाद	33 के0वी0 लाइन, उच्च न्यायालय और उपकेन्द्र	1.83 (अप्रैल 1996)	2.11	0.28	कम्पनी के लम्बित निर्णय के कारण स्थापना/पर्यवेक्षण व्यय की वसूली नहीं की जा सकी।
कमाण्डेण्ट, 47 बटालियन पी0ए0सी0, टास्क फोर्स, बरेली/मेरठ	33 के0वी0 लाइन, कर्पूरी पूरम-गाजियाबाद एवं उपकेन्द्र	1.01 (अप्रैल 1999)	1.10	0.09	प्राक्कलन ई0यू0डी0डी0-I, गाजियाबाद द्वारा 1998-99 के निर्गमन दर पर बनाये गये थे परन्तु उसका पुनरीक्षण, कमाण्डेण्ट, 47 बटालियन पी0ए0सी0 टास्क फोर्स, बरेली द्वारा वर्ष 1999-2000 में आंकलित राशि के जमा होने में देरी के कारण, 1999-2000 के भण्डार निर्गमन दर के आधार पर नहीं किया गया।
सिंचाई विभाग, उरई/झाँसी	33 के0वी0 लाइन, जखलौन पम्प कैनाल एवं उपकेन्द्र	3.40 (अप्रैल 1997)	3.88	0.48	वास्तविक व्यय की माँग न किया जाना।
	योग	**7.96**	**9.86**	**1.90**	

परिशिष्ट–22

(प्रस्तर 2.2.4 में संदर्भित)

लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के परिचालनात्मक निष्पादन को दर्शाती विवरणी

क्र सं	विवरण	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	योग
1.	प्राप्त ऊर्जा (एमयू)	1899.903	2058.952	2150.022	2296.789	2391.780	10797.446
2.	विक्रीत ऊर्जा (एमयू)	1256.662	1372.373	1524.647	1579.775	1707.092	7440.549
3.	ऊर्जा की हानि (एमयू)	643.241	686.579	625.375	717.014	684.688	3356.897
4.	ऊर्जा हानि (प्रतिशतता)	33.86	33.35	29.09	31.22	28.63	31.09
5.	विक्रीत ऊर्जा की कुल लागत (करोड़ रूपये में)	287.35	328.80	398.90	457.64	474.42	1947.11
6.	विक्रीत ऊर्जा का कुल मूल्य प्रति केडब्ल्यूएच (5/2) (रूपये में)	2.29	2.40	2.62	2.90	2.78	2.62
7.	आंकलित राजस्व (करोड़ रूपये में)	294.89	356.93	409.50	436.98	489.94	1988.24
8.	वसूल किया गया राजस्व (करोड़ रूपये में)	243.73	279.42	366.24	351.58	400.14	1632.11
9.	गिरावट (7-8) (करोड़ रूपये में)	60.16	77.51	43.26	85.40	89.80	356.13
10.	संकलन दक्षता (प्रतिशतता में)	79.60	78.28	89.44	80.46	81.67	82.09
11.	प्रति केडब्ल्यूएच आंकलित राजस्व (रूपये में)	2.35	2.60	2.69	2.77	2.87	2.67
12.	प्रति केडब्ल्यूएच वसूला गया राजस्व (रूपये में)	1.87	2.04	2.40	2.23	2.34	2.19
13.	प्रति केडब्ल्यूएच निर्धारण और वसूली के बीच अंतर (रूपये में) (11-12)	0.48	0.56	0.29	0.54	0.53	0.48
14.	प्रति केडब्ल्यूएच निर्धारित राजस्व और प्रति केडब्ल्यूएच विक्रीत ऊर्जा की लागत के मध्य अंतर (रूपये में) (11-6)	0.05	0.20	0.15	(-) 0.07	0.14	0.05

परिशिष्ट–23

(प्रस्तर 2.2.7 में संदर्भित)

लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के सम्बन्ध मे अवस्थापित और मानकों से अधिक क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों को दर्शाती विवरणी

परिवर्तक क्षमता (केवीए) का विवरण	स्थापित परिवर्तकों की संख्या	क्षतिग्रस्त परिवर्तक	क्षतिग्रस्तता की प्रतिशतता	मानकों से अधिक क्षतिग्रस्तता (सं)	निर्गमन दर (लाख रूपये में)	मूल्य (लाख रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1998-99						
25	1524	375	24.61	344	0.22	75.68
63	575	182	31.65	170	0.36	61.20
100	274	152	55.47	146	0.50	73.00
160	45	11	24.44	10	0.75	7.50
250	472	94	19.92	84	0.90	75.60
400	567	163	28.75	151	1.80	271.80
630	130	39	30.00	36	3.05	109.80
1000	44	8	18.18	7	3.25	22.75
योग	**3631**	**1024**	**28.20**	**948**		**697.33**
1999-2000						
25	1565	340	21.73	308	0.23	70.84
63	585	159	27.18	147	0.37	54.39
100	227	135	59.47	130	0.50	65.00
160	43	18	41.86	17	0.75	12.75
250	489	94	19.22	84	1.00	84.00
400	593	176	29.68	164	1.60	262.40
630	131	32	24.43	29	2.32	67.28
1000	45	8	17.78	7	3.27	22.89
योग	**3678**	**962**	**26.16**	**886**		**639.55**
2000-2001						
25	1671	395	23.64	361	0.24	86.64
63	644	195	30.28	182	0.39	70.98
100	288	167	57.99	161	0.50	80.50
160	51	17	33.33	15	0.75	11.25
250	549	130	23.68	119	0.99	117.81
400	767	166	21.64	150	1.63	244.50
630	162	56	34.57	52	2.32	120.64
1000	46	5	10.87	4	3.25	13.00
योग	**4178**	**1131**	**27.07**	**1044**		**745.32**
2001-2002						
25	1705	427	25.04	392	0.24	94.08
63	684	221	32.31	207	0.40	82.80
100	307	150	48.86	143	0.49	70.07
160	53	17	32.08	16	0.61	9.76
250	561	124	22.10	112	0.92	103.04
400	832	127	15.26	110	1.75	192.50
630	168	28	16.67	24	2.25	54.00
1000	40	10	25.00	9	3.45	31.05
योग	**4350**	**1104**	**25.38**	**1013**		**637.30**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2002-03						
25	1767	499	28.24	463	0.24	111.12
63	689	271	39.33	257	0.44	113.08
100	305	208	68.20	201	0.45	90.45
160	47	31	65.95	30	0.69	20.70
250	547	93	17.00	82	0.88	72.16
400	874	177	20.25	159	1.50	238.50
630	280	35	12.50	29	2.45	71.05
1000	45	8	17.78	7	3.77	26.39
योग	**4554**	**1322**	**29.03**	**1228**		**743.45**
महायोग	**20391**	**5543**	**27.04**	**5119**		**3462.95**

परिशिष्ट–24

(प्रस्तर 2.2.8 में संदर्भित)

लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन की वितरण हानि को दर्शाती विवरणी

विवरण	1998–99 वितरण हानि (एमयू)	प्रतिशत (%)	1999–2000 वितरण हानि (एमयू)	प्रतिशत (%)	2000–2001 वितरण हानि (एमयू)	प्रतिशत (%)	2001–02 वितरण हानि (एमयू)	प्रतिशत (%)	2002–03 वितरण हानि (एमयू)	प्रतिशत (%)
मण्डल–I										
ईयूडीडी, हुसैनगंज	45.024	21.98	46.536	22.16	44.399	20.75	71.462	31.52	61.250	26.77
रेजीडेन्सी	68.628	35.15	52.326	28.06	63.503	31.15	70.423	34.16	69.493	33.50
चौक	88.589	52.08	83.577	45.13	80.690	39.58	92.982	42.44	84.506	38.07
योग	**202.241**	**35.47**	**182.439**	**31.36**	**188.592**	**30.33**	**234.867**	**36.03**	**215.249**	**32.70**
मण्डल–II										
ईयूडीडी, अलीगंज	100.227	39.73	93.137	35.55	89.460	33.14	86.102	29.81	78.185	26.27
इन्दिरानगर	55.090	37.27	46.587	29.92	46.045	27.33	48.926	27.14	35.602	20.39
गोमतीनगर	28.205	22.45	40.094	27.68	45.741	30.93	29.996	18.80	31.882	18.34
ईडीडी, रहीमनगर	52.391	27.63	61.853	30.91	57.248	28.08	68.242	30.87	63.075	26.86
योग	**235.913**	**32.98**	**241.671**	**31.69**	**238.494**	**30.18**	**233.266**	**27.45**	**208.744**	**23.70**
मण्डल–III										
ईयूडीडी, ऐशबाग	76.015	42.48	83.214	39.80	75.339	34.07	85.598	35.13	84.607	33.47
आलमबाग	46.015	28.38	55.520	31.00	44.110	24.18	51.156	27.23	53.071	27.53
कानपुर रोड	31.874	41.33	29.202	33.55	21.528	22.25	23.491	22.96	19.608	16.80
सेस	51.183	27.30	94.533	39.48	57.312	24.10	88.636	33.92	103.409	35.61
योग	**205.087**	**33.76**	**262.469**	**36.73**	**198.289**	**26.84**	**248.881**	**31.30**	**260.695**	**30.57**
योग–लेसा	**643.241**	**33.86**	**686.579**	**33.35**	**625.375**	**29.09**	**717.014**	**31.22**	**684.688**	**28.63**

परिशिष्ट-25

(प्रस्तर 2.2.8 में संदर्भित)

लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के सम्बन्ध में विक्रीत ऊर्जा के रूप में लेखांकित अधिक ऊर्जा के साथ-साथ वास्तविक हानि को दर्शाती विवरणी

वर्ष/श्रेणी	भार	बुक की गई ऊर्जा (एमयू)	प्रतिमाह बुक की गई ऊर्जा (केडब्ल्यूएच)	मानकानुसार ऊर्जा की अपेक्षित बुकिंग (एमयू)	बिक्रीत बुक की गई अधिक ऊर्जा (एमयू)	बुक/घोषित कुल हानि (एमयू)	वास्तविक हानि की मात्रा (एमयू)	अधिक विक्रीत ऊर्जा जोड़ने के पश्चात् हानि (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					(3-5)		(6+7)	
1998-1999								
पीटीडब्ल्यू	32871 बीएचपी	106.007	357	36.155	69.852	643.241	716.735	37.72
एसटीडब्ल्यू	287 अदद	15.910	4620	12.268	3.642			
स्ट्रीट लाइट	10.382 एमडब्ल्यू	40.495	325	44.850	-			
1999-2000								
पीटीडब्ल्यू	29651 बीएचपी	66.198	247	32.613	33.585	686.579	722.547	35.09
एसटीडब्ल्यू	312 अदद	15.720	4198	13.337	2.383			
स्ट्रीट लाइट	9.624 एमडब्ल्यू	29.645	257	41.575	-			
2000-2001								
पीटीडब्ल्यू	38026 बीएचपी	101.547	296	41.825	59.722	625.375	686.816	31.94
एसटीडब्ल्यू	311 अदद	15.013	4023	13.294	1.719			
स्ट्रीट लाइट	12.497 एमडब्ल्यू	41.939	280	53.987	-			
2001-2002								
पीटीडब्ल्यू	31678 बीएचपी	86.897	304	44.852	42.045	717.014	773.076	33.66
एसटीडब्ल्यू	282 अदद	18.389	5434	12.054	6.335			
स्ट्रीट लाइट	13.223 एमडब्ल्यू	64.805	408	57.123	7.682			
2002-2003								
पीटीडब्ल्यू	34389 बीएचपी	91.316	294	48.690	42.626	684.688	738.834	30.89
एसटीडब्ल्यू	282 अदद	20.965	6195	12.054	8.911			
स्ट्रीट लाइट	13.152 एमडब्ल्यू	59.425	377	56.816	2.609			

परिशिष्ट–26

(प्रस्तर 2.2.11 में संदर्भित)

लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के सम्बन्ध में अमीनाबाद और चौक क्षेत्रों में सीआईबी योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व निष्पादित हो चुके कार्यों को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	कार्यों का विवरण	पैकेज संख्या	निष्पादित कार्यों पर व्यय (लाख रूपये में)	पूर्णता की तिथि (एमबी संख्या/पृष्ठ संख्या/दिनांक)
1.	33 केवी कार्य:			
	(i) 33/11 केवी उपकेन्द्र चौक की क्षमता का आवर्धन (5+10) एमवीए से (2×10) एमवीए	11/एसआई/97.98	35.00	16/81/4.9.98
	(ii) 33 केवी, 3×300 एमएम एक्सएलपीई केबल 132 केवी उपकेन्द्र नीबूपार्क से शहीद स्मारक 2.25 किमी	50/एसआई/97-98	75.00	उपलब्ध नहीं/12.4.99
	(iii) 3.80 किमी 33 केवी लाइन का बदला जाना, एसीएसआर डाग से पैथर कंडक्टर (शहीद स्मारक से अमीनाबाद उपकेन्द्र)	25/एसआई/97-98	4.00	उपलब्ध नहीं/27.2.00
	योग		114.00	
2.	11 केवी कार्य:			
	(i) 33/11 केवी उपकेन्द्र चौक पर पुराने 11 केवी स्विचगियर का बदला जाना	60/एसआई/97-98	24.70	15/43/3.8.98
	(अ) इनकमिंग 2 अदद			
	(ब) बस कप्लर 1 अदद			
	(स) आउटगोइंग 7 अदद			
	(ii) 33/11 केवी उपकेन्द्र चौक पर 11 केवी नये स्विचगियर का अवस्थापन, आउटगोइंग 2 अदद	उपलब्ध नही	4.70	15/52/28.3.99
	योग		29.40	
3.	नये 11/.4 केवी 400 केवीए उपकेन्द्र का निर्माण:			
	(i) गुलमर्ग (गुइने रोड)	89/एसआई/99-00	4.65	25/119/7.6.2000
	(ii) सोहबतियाबाग	51/एसआई/98-99	4.31	15/54/3.11.99
	(iii) राजाबाजार	50/एसआइ/98-99	4.19	15/54/आर/28.11.99
	(iv) मोहिनीपुरवा	29/एसआई/98-99	6.79	20/165/13.3.2000
	(v) राधाग्राम	40/एसआई/98-99	4.64	20/97/6.4.99
	(vi) अस्तबल चारबाग	20/एसआई/97-98	9.17	21/119/13.9.99
	(vii) मौलवीगंज	18/एसआई/97-98	7.74	21/105/18.7.99
	(viii) पाण्डेयगंज	51/एसआई/99-00	4.05	21/129/26.11.99
	(ix) गन्नेवाली गली	9/एसआई/97-98	7.94	13/90/24.6.98
	(x) कैसरबाग सब्जीमंडी	शून्य	18.54	25/117/21.5.2000
	(xi) लाटूस रोड	27/एसआई/99-00	4.45	25/109/20.4.2000
	योग		76.47	
4.	11/.4 केवी 250 केवीए उपकेन्द्र का निर्माण			
	(i) कश्मीरी मुहल्ला	61/एसआइ/97-98	5.81	22/3/15.11.98
	(ii) हुसैनाबाद	49/एसआई/99-00	5.41	27/85/18.3.2000
	(iii) गढ़ी पीर खाँ	159/एसआई/96-97	5.81	13/160/28.3.99
	(iv) ठाकुरगंज	153/एसआई/96-97	5.01	20/97/6.4.99
	(v) बाबा हजारीबाग	37/एसआई/97-98	9.17	13/160/1.4.99
	योग		31.21	

क्रम संख्या	कार्यों का विवरण	पैकेज संख्या	निष्पादित कार्यों पर व्यय (लाख रूपये में)	पूर्णता की तिथि (एमबी संख्या/पृष्ठ संख्या/दिनांक)
5.	**परिवर्तकों और कुर्सी की बाड़ लगाना**			
	बाढ़ का कार्य			
	(i) बिल्लोपुरवा	12/कार्य/एसआईडी/99-00		उपलब्ध नहीं/29.2.2000
	(ii) कोनेश्वर मंदिर	"	1.22	उपलब्ध नहीं/4.2.2000
	(iii) अकबरी गेट	"		उपलब्ध नहीं/16.2.2000
	(iv) नखास चौराहा	12/कार्य/एसआईडी/99-00	0.32	उपलब्ध नहीं/23.2.2000
	(v) मशकगंज	19/ईएसआईडी/00-01	0.28	उपलब्ध नहीं/7.12.2000
	कुर्सी का कार्य			
	(i) रामपुरवा	2/ईएसआईडी/99-00	0.13	उपलब्ध नहीं/25.9.99
	(ii) बुचपुरा	10/ईएसआईडी/99-00	0.13	उपलब्ध नहीं/30.9.99
	(iii) अकबरी गेट	"	0.13	उपलब्ध नहीं/25.10.99
	(iv) नखास चौराहा	"	0.13	उपलब्ध नहीं/28.9.99
	(v) गुलमर्ग	"	0.13	उपलब्ध नहीं/26.9.99
	(vi) हलवासिया	13/ईएसआईडी/00-01	0.13	उपलब्ध नहीं/5.8.2000
	योग		2.60	
6.	**11 केवी एचटी केबल बिछाने का कार्य:**			
	(i) 3×50 वर्गमीटर केबल:		2.04	
	बाबा अकबरी गेट से रविदास मार्ग	37/एसआई/97-98		13/161/1.4.99
	(ii) 3×70 वर्ग मीटर केबल:		2.52	
	श्रीराम रोड से गन्ने वाली गली	9/एसआई/97-98		13/82/25.5.98
	(iii) 3×120 वर्गमीटर केबल			
	अमीनाबाद से मौलवीगंज	17/एसआई/97-98		21/103/28.7.99
	अमीनाबाद से हाथीखाना	18/एसआई/97.98		16/159/16.5.98
	मौलवीगंज से अस्तबल चारबाग	20ध्एसआईध्97-98		21/101/28.7.99
	अमीनाबाद से श्रीराम रोड	48/एसआई/97-98	104.65	13/166/12.4.99
	अकबरी गेट से रिंग मैन	39/एसआई/97-98		20/48/20.6.98
	अमीनाबाद से रकाबगंज	40/एसआई/97-98		14/69/16.7.98
	अमीनाबाद से ख्यालीगंज	45/एसआई/97-98		30/26/4.9.2000
	विक्टोरिया से राजाबाजार	34/एसआई/97-98		13/183/19.8.99
	विक्टोरिया से तॉंगा पार्क	36/एसआई/97-98		2/98/आर/15.9.98, 15.2.99
	विक्टोरिया से हिरन पार्क	52/एसआई/97-98		2/98/आर/11.9.98
	सरकटा नाला से चौपटिया	49/एसआई/97-98		22/12/3.2.99
	अकबरी गेट से सरकटा नाला	55/एसआई/97-98		22/12/5.2.99
	(iv) 3×185 वर्गमीटर केबल			
	अमीनाबाद से खुर्शीदबाद	21/एसआई/97-98		21/123/15.10.99
			24.30	
	योग		133.51	
	सार:			
	(i) 33 केवी कार्य	.	114.00	
	(ii) 11 केवी कार्य	.	29.40	
	(iii) 11/.4 400 केवीए उपकेन्द्र	.	76.47	
	(iv) 11/.4 250 केवीए उपकेन्द्र	.	31.21	
	(v) परिवर्तकों की कुर्सी और बाड़	.	2.60	
	(vi) भूमिगत केबल बिछाने का कार्य	.	133.51	
	योग	.	387.19	

परिशिष्ट–27

(प्रस्तर 2.2.20 में संदर्भित)

लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के संबंध में उपभोक्ताओं की वृद्धि, संयोजित भार और ऊर्जा के उपभोग को दर्शाती विवरणी

उपभोक्ता की श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या	संयोजित भार (एमडब्ल्यू)	उपभोगित यूनिटें (एमयू)	प्रति केडब्ल्यू प्रतिदिन उपभोग (के.डब्ल्यूएच)	कुल उपभोग के सापेक्ष उपभोग का प्रतिशत
1998-99					
गैर सरकारी					
घरेलू बत्ती व पंखा	332322	416.270	685.448	4.6	60.39
वाणिज्यिक बत्ती व पंखा	53334	128.728	179.494	3.9	15.81
औद्योगिक	4130	41.964	46.166	3.1	4.07
बड़े व भारी	129	56.995	117.871	5.7	10.39
पीटीडब्ल्यू	5054	24.715	106.007	11.9	9.34
योग	**394969**	**668.672**	**1134.986**	**4.7**	**100.00**
सरकारी					
स्ट्रीट लाइट	27	10.382	40.495	10.0	33.28
पब्लिक वाटर वर्क्स	288	16.695	60.716	10.1	49.90
एसटीडब्ल्यू	287	3.572	15.910	12.4	13.08
सरकारी ट्यूबवेल	73	1.056	4.556	12.0	3.74
योग	**675**	**31.705**	**121.677**	**10.7**	**100.00**
महायोग	**395644**	**700.377**	**1256.663**	**5.0**	
1999-2000					
गैर सरकारी					
घरेलू बत्ती व पंखा	348560	490.874	802.986	4.5	63.59
वाणिज्यिक बत्ती व पंखा	57854	134.850	198.524	4.1	15.72
औद्योगिक	4220	32.790	66.142	5.6	5.24
बड़े व भारी	124	57.509	128.826	6.2	10.21
पीटीडब्ल्यू	5081	22.294	66.198	8.2	5.24
योग	**415839**	**738.317**	**1262.676**	**4.8**	**100.00**
सरकारी					
स्ट्रीट लाइट	27	9.624	29.645	8.6	27.03
पब्लिक वाटर वर्क्स	320	17.133	60.023	9.7	54.71
एसटीडब्ल्यू	312	3.644	15.720	11.9	14.33
सरकारी ट्यूबवेल	73	1.056	4.310	11.3	3.93
योग	**732**	**31.457**	**109.698**	**9.7**	**100.00**
महायोग	**416571**	**769.774**	**1372.374**	**4.9**	
2000-01					
गैर सरकारी					
घरेलू बत्ती व पंखा	364703	544.331	899.091	4.6	64.24
वाणिज्यिक बत्ती व पंखा	62269	151.467	235.848	4.3	16.85
औद्योगिक	4079	44.919	49.154	3.0	3.51
बड़े व भारी	129	51.626	113.910	6.1	8.14
पीटीडब्ल्यू	5164	28.591	101.547	9.7	7.26
योग	**436344**	**820.934**	**1399.550**	**4.7**	**100.00**
सरकारी					
स्ट्रीट लाइट	32	12.497	41.939	9.3	33.53
पब्लिक वाटर वर्क्स	325	17.447	63.843	10.2	51.03
एसटीडब्ल्यू	311	3.644	15.013	11.4	12.00
सरकारी ट्यूबवेल	73	1.056	4.302	11.3	3.44
योग	**741**	**34.644**	**125.097**	**10.0**	**100.00**
महायोग	**437085**	**855.578**	**1524.647**	**5.0**	

उपभोक्ता की श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या	संयोजित भार (एमडब्ल्यू)	उपभोगित यूनिटें (एमयू)	प्रति केडब्ल्यू प्रतिदिन उपभोग (केडब्ल्यूएच)	कुल उपभोग के सापेक्ष उपभोग का प्रतिशत
2001-02					
गैर सरकारी					
घरेलू बत्ती व पंखा	375898	557.972	923.030	4.6	64.97
वाणिज्यिक बत्ती व पंखा	64400	163.051	245.642	4.2	17.29
औद्योगिक	3664	38.399	54.555	3.9	3.83
बड़े व भारी	123	49.299	110.619	6.2	7.79
पीटीडब्ल्यू	4430	23.818	86.897	10.1	6.12
योग	**448515**	**832.539**	**1420.743**		**100.00**
सरकारी					
स्ट्रीट लाइट	59	13.223	64.805	13.6	40.75
पब्लिक वाटर वर्क्स	377	18.703	70.459	10.5	44.30
एसटीडब्ल्यू	282	4.110	18.389	12.4	11.56
सरकारी ट्यूबवेल	73	1.212	5.380	12.3	3.39
योग	**791**	**37.248**	**159.033**	**11.9**	**100.00**
महायोग	**449306**	**869.787**	**1579.776**	**5.0**	
2002-03					
गैर सरकारी					
घरेलू बत्ती व पंखा	398735	568.796	867.106	4.2	63.86
वाणिज्यिक बत्ती व पंखा	68816	178.300	233.568	3.6	17.20
औद्योगिक	2776	35.382	51.891	4.0	3.82
बड़े व भारी	125	52.320	113.924	5.0	8.39
पीटीडब्ल्यू	4470	25.857	91.316	9.7	6.73
योग	**474922**	**860.655**	**1357.805**	**4.3**	**100**
सरकारी					
स्ट्रीट लाइट	59	13.152	59.429	12.4	33.01
पब्लिक वाटर वर्क्स	500	24.870	91.635	10.1	50.90
एसटीडब्ल्यू	282	4.110	20.965	14.0	11.65
सरकारी ट्यूबवेल	73	1.212	7.994	18.1	4.44
योग	**914**	**43.344**	**180.023**	**11.4**	**100**
महायोग	**475836**	**903.999**	**1537.828**	**4.7**	**--**

नोट: दो श्रेणी के उपभोक्ता अर्थात् स्कूल व निजी संस्थान और रेलवे ट्रैक्शन क्रमशः 70.077 एमडब्ल्यू और 4.250 एमडब्ल्यू का भार रखते थे।

परिशिष्ट–28

(प्रस्तर 2.2.21 में संदर्भित)

लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के अल्प प्रभारण को दर्शाती विवरणी

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	उपभोक्ता का नाम	देय प्रतिभूति की धनराशि	जमा की गई प्रतिभूति की धनराशि	शेष
1.	ईडीडी, रहीमनगर	एसजीपीजीआई	101.77	15.00	86.77
2.	ईयूडीडी, इन्दिरानगर	एचएएल	92.51	16.46	76.05
		इन्दिरा डाइग्नास्टिक सेन्टर	0.87	0.11	0.76
3.	ईयूडीडी, गोमतीनगर	टेल्को	80.03	59.54	20.49
		इण्डियन होटल	19.73	2.40	17.33
		सहारा इण्डिया	4.11	-	4.11
		टेक्निकल एसोसिएट्स	4.36	0.11	4.25
		दुर्गा फ्लोर मिल	8.30	-	8.30
		आल इण्डिया रेडियो	19.10	-	19.10
4.	ईयूडीडी, आलमबाग	गैरीसन इन्जीनियर्स (ई एण्ड एम) (इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स)	227.18	शून्य	227.18
		रेलवे वर्कशाप आलमबाग (इलेक्ट्रिकल इंजीनियर)	88.46	शून्य	88.46
		रेलवे कालोनी सीपीएच आलमबाग	88.01	शून्य	88.01
	योग		**734.43**	**93.62**	**640.81**

परिशिष्ट–29

(प्रस्तर 2.2.24 में संदर्भित)

लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण–पत्र (आरसी) के निर्गमन, वापसी और वसूली को दर्शाती विवरणी

(करोड़ रूपये में)

विवरण	1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02		2002-03	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
वर्ष के प्रारम्भ में वसूली हेतु शेष वसूली प्रमाण–पत्र	1827	26.50	1829	26.53	1814	26.75	1814	26.75	2611	30.53
वर्ष के दौरान निर्गत	2	0.03	29	0.39	शून्य	शून्य	1007	4.62	1295	7.16
योग (1+2)	**1829**	**26.53**	**1858**	**26.92**	**1814**	**26.75**	**2821**	**31.37**	**3906**	**37.69**
जिलाधिकारी द्वारा वापस किया गया	शून्य	शून्य	44	0.17	शून्य	शून्य	205	0.83	846	4.35
वसूला गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5	0.01	135	0.37
वर्ष के अन्त में शेष	1829	26.53	1814	26.75	1814	26.75	2611	30.53	2925	32.97

परिशिष्ट-30

(प्रस्तर 2.2.32 में संदर्भित)

लखनऊ विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन के सम्बन्ध में केबल बिछाने के कार्यों (ईयूसीडी-I) में हुए अतिरिक्त व्यय को दर्शाती विवरणी

(रूपये में)

कार्य का विवरण	मात्रा किमी में	समझौते के अधीन प्रदत्त लागत	प्रति किमी लागत	540 प्रति मीटर की दर से रोड प्रभार जोड़ने के पश्चात् प्रति किमी लागत	टीएसपीसी-II लखनऊ द्वारा प्रदत्त प्रति किमी लागत	लागत	अतिरिक्त व्यय (रूपये)
33/11 केवी केबल बिछाने का कार्य							
3x35/50 वर्गमीटर	0.5	79559.16	159118.32	699118.32	645250	53868.32	26934.16
3x70 वर्गमीटर	5.0	820263.65	164052.73	704052.73	645250	58802.73	294013.65
3x120 वर्गमीटर	8.0	1363012.16	170376.52	710376.52	645250	65126.52	521012.16
3x185 वर्गमीटर	2.5	664050.42	265620.16	805620.16	603500	202120.16	505300.42
3x300 वर्गमीटर	0.5	137416.50	274833.00	814833.00	608000	206833.00	103416.50
33 केवी							
3x300 वर्गमीटर	5.0	1647879.00	329575.80	869575.80	608.000	261575.80	1307879.00
योग	**21.5**						**2758555.89**

परिशिष्ट-31

(प्रस्तर 2.3.4 में सन्दर्भित)

2001-02 तक पाँच वर्षों की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
				(अनन्तिम)	
देनदारियाँ					
1. प्रदत्त पूँजी	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2. आरक्षित एवं आधिक्य	23.94	28.06	29.79	30.91	28.81
3. सुरक्षित/असुरक्षित ऋण	--	--	8.48	21.00	24.06
4. चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान	194.82	206.29	234.66	245.74	198.09
योग	**228.76**	**244.35**	**282.93**	**307.65**	**260.96**
परिसम्पत्तियाँ					
1. अचल परिसम्पत्तियाँ	38.23	43.48	54.64	58.23	88.11
घटाया: ह्रास	31.82	34.23	38.76	42.31	47.26
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियाँ	6.41	9.25	15.88	15.92	40.85
2. निवेश	12.02	12.02	16.52	16.52	4.50
3. चालू परिसम्पत्तियाँ ऋण तथा अग्रिम					
(i) संचित ब्याज	2.98	3.04	3.73	4.59	3.34
(ii) देनदार	40.19	39.23	36.73	34.31	37.42
(iii) नगद और बैंक शेष	84.36	92.80	112.07	127.98	84.02
(iv) भण्डार सामग्री	36.37	39.08	40.17	45.38	34.63
(v) ऋण और अग्रिम (अग्रिम कर को छोड़कर)	22.02	22.15	27.35	29.00	25.45
(vi) अग्रिम कर	24.41	26.78	30.38	33.95	30.75
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम	210.33	223.08	250.53	275.21	215.61
योग	**228.76**	**244.35**	**282.93**	**307.65**	**260.96**
नियोजित पूँजी	**21.92**	**26.04**	**31.75**	**45.39**	**58.37**
निवल मूल्य	**17.44**	**21.56**	**23.29**	**24.41**	**22.31**

टिप्पणी:

1. नियोजित पूँजी शुद्ध अचल परिसम्पत्तियों के साथ कार्यशील पूँजी को प्रदर्शित करती है।
2. निवल मूल्य, प्रदत्त पूँजी और मुक्त आरक्षित निधि व आधिक्य में से अमूर्त परिसम्पत्तियों को घटाकर प्रदर्शित करता है।
3. आरक्षित और आधिक्य मे समस्त पाँच वर्षो मे 16.44 करोड़ रुपये की विनिमय परिवर्तन आरक्षित निधि और 0.06 करोड़ रुपये की पूँजी आरक्षित निधि सम्मिलित है। विनिमय परिवर्तन व पूँजी आरक्षित निधि को निवल मूल्य की गणना करते समय अलग कर दिया गया है।
4. तरल परिसम्पत्तियों मे, अग्रिम कर को छोड़कर, देनदार, नगद व बैंक शेष और ऋण व अग्रिम सम्मिलित है।

परिशिष्ट–32

(प्रस्तर 2.3.4 में सन्दर्भित)

2001–02 तक पाँच वर्षों की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के कार्यचालन परिणाम को दर्शाती विवरणी

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
अ. आय				(अनन्तिम)	
1. कृत कार्य का मूल्य	188.98	221.80	263.66	275.65	219.21
2. अन्य प्राप्तियाँ (ब्याज व अन्य)	6.33	4.95	5.39	5.21	16.85
योग	**195.31**	**226.75**	**269.05**	**280.86**	**236.06**
ब. व्यय					
1. कार्य व्यय	173.56	198.54	234.87	246.83	203.93
2. प्रशासनिक व्यय	17.78	21.60	25.25	28.03	29.17
3. ह्रास	1.10	2.48	4.57	3.56	4.91
4. पट्टा किराया	0.23	--	0.46	--	--
योग	**192.67**	**222.62**	**265.15**	**278.42**	**238.01**
स. लाभ (+)/हानि (-)	2.64	4.13	3.90	2.44	(-) 1.95
द. कृत कार्य की लागत	186.34	217.67	259.76	273.21	221.16
य. पूर्व अवधि का समायोजन	--	(-) 0.01	(-) 0.20	(-) 0.08	(-) 0.15
र. समायोजन के पश्चात् लाभ/हानि	2.64	4.12	3.70	2.36	(-) 2.10
ल. कर हेतु प्रावधान	--	--	1.42	0.93	--
ब. कर के पश्चात् लाभ/हानि	2.64	4.12	2.28	1.43	(-) 2.10
श. आगे लाई गई हानि	(-) 6.58	--	--	--	--
ष. लाभ/हानि का विनियोजन	(-) 3.94	4.12	2.28	1.43	(-) 2.10
स. लाभांश	--	--	0.56	0.30	--
ह. आर्थिक चिट्ठे में ले जाया गया लाभ/हानि	(-) 3.94	4.12	1.72	1.13	(-) 2.10

परिशिष्ट-33

(प्रस्तर 2.3.7 में सन्दर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को पूर्ण किये गये संविदा कार्यों की लाभप्रदता की स्थिति को दर्शाती विवरणी

क्र0सं0	कार्य का नाम	प्रारम्भ की तिथि	पूर्णता की मूल तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	ग्राहक द्वारा प्रमाणित संविदा का अन्तिम मूल्य	कार्य पर कुल व्यय	लाभ/हानि	ग्राहक द्वारा यथा प्रमाणित मूल्य के विरूद्ध लाभ का प्रतिशत
					(लाख रुपये में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	बनबसा स्पर कार्य चरण-2, बरेली	मई 96	अगस्त –97	अगस्त-97	66.80	63.07	3.73	5.9
2.	शाहदरा ड्रेन-2, गाजियाबाद	जनवरी-94	सितम्बर-95	दिसम्बर-97	336.50	306.38	30.12	8.9
3.	छुटवा नाला सेतु, राँची	जनवरी-95	मार्च-97	जनवरी-98	187.12	201.97	(-) 14.85	--
4.	हिन्डन कट कैनाल सेतु, वसुन्धरा एन्क्लेव के समीप, नई दिल्ली	मई-97	जून-95	मार्च-98	89.55	87.90	1.65	1.9
5.	साफी और पिपरवार सेतु, राँची	जनवरी-95	जून-97	फरवरी-98	293.00	281.12	11.88	4.2
6.	लाइनिंग कार्य, शारदा कैनाल, बिस्वा	अप्रैल-96	जून-98	मार्च-98	144.84	145.06	(-) 0.22	--
7.	गंजाम, उड़ीसा में सेतु पैकेज 1 और 2 के अन्तर्गत	मार्च-94	मार्च-96	जून--98	3374.14	3232.4	141.74	4.4
8.	0.75-5 कि0मी0 में सेतु, बड़ौदा गुजरात (संविदा 1ए)	जनवरी-94	मई-96	दिसम्बर-98	1886.47	2061.04	(-) 174.57	--
9.	माहिम सेतु, मुम्बई	जनवरी-96	सितम्बर-98	मार्च-99	1742.00	1280.32	461.69	36
10.	दिल्ली में क्लोवर लीव्ज	जनवरी-96	अप्रैल-97	अक्टूबर-98	582.91	638.25	(-) 55.34	
11.	शाहदरा ड्रेन सेतु-IV, नोएडा	सितम्बर-97	अप्रैल-98	नवम्बर-98	171.43	139.70	31.73	22.7
12.	शाहदरा ड्रेन सेतु-III, नोएडा	नवम्बर-97	जून-98	दिसम्बर-98	166.32	127.21	39.11	30.7
13.	फ्लाई ओवर परियोजना, जम्मू	मई-94	नवम्बर-96	मार्च--99	2790.14	3003.47	(-) 213.33	--
14.	एनएच-5 भुवनेश्वर पर सेतु लॉट ओआर-2	फरवरी-95	अगस्त-98	दिसम्बर-99	3954.63	4139.40	(-) 184.77	--
15.	महानदी सेतु, कटक (उड़ीसा) लॉट ओआर-3	जनवरी-95	जुलाई-98	दिसम्बर-99	4113.02	4068.04	44.98	1.1
16.	गोल्डेन डाईज जंक्शन, फ्लाई ओवर, मुम्बई	अप्रैल-98	सितम्बर-99	मार्च-2000	2030.03	1683.52	346.51	20.6
17.	जीएमएलआर जंक्शन फ्लाई ओवर, मुम्बई	अक्टूबर-98	मार्च-2000	मार्च-2000	1738.38	1402.34	336.04	23.9
18.	राजापुरी क्रीक सेतु, राजगढ़, रोहा	मार्च-96	मार्च-99	नवम्बर-99	1076.96	1034.16	42.80	4.1
19.	माही कोटेर और मिनी सेतु, 75.5-85.2 कि0मी0 में (संविदा 2बी) बड़ौदा, गुजरात	जुलाई-93	अक्टूबर-95	अक्टूबर-99	932.29	1087.60	(-) 155.31	--
20.	महात्मा गाँधी सेतु, अहमदाबाद	दिसम्बर-96	दिसम्बर-98	दिसम्बर-99	629.12	614.55	14.57	2.4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21.	आरओबी, तिलकनगर, नई दिल्ली	जनवरी-95	जनवरी-97	जनवरी-99	1299.42	1284.42	15.00	1.2
22.	जनक सेतु मरम्मत कार्य, दिल्ली	जुलाई-99	दिसम्बर-99	दिसम्बर-99	76.82	69.79	7.03	10
23.	सीएफ रिहन्द सेतु सोनभद्र, रेणुकूट का अवशेष कार्य	मार्च-98	मार्च-99	जनवरी-99	634.17	365.07	269.10	73.7
24.	आरओबी सुल्तानपुर का रेलवे भाग	अक्टूबर-92	जून-97	दिसम्बर-99	28.55	74.99	(-) 46.44	--
25.	स्वामी विवेकानन्द सेतु, अहमदाबाद	दिसम्बर-96	दिसम्बर-98	जून-2000	1562.87	1429.93	132.94	9.3
26.	काली सिन्ध सेतु, झलावर, (राजस्थान)	नवम्बर-97	फरवरी-2000	मार्च-2001	594.72	683.90	(-) 89.18	--
27.	जनक सेतु, नई दिल्ली की मरम्मत	जनवरी-2000	सितम्बर-2000	जनवरी-2001	67.25	45.60	21.65	47.5
28.	पोरूर टैक सेतु, चेन्नई	अप्रैल-99	जुलाई-2000	अक्टूबर-2001	956.80	910.42	46.38	5
29.	उल्हास क्रीक सेतु, कल्याण, मुम्बई	अक्टूबर-97	अप्रैल-2000	नवम्बर-2001	1105.32	1259.45	(-) 154.43	--
30.	के0बी0 यादव चौक फ्लाई ओवर, मुम्बई	मार्च--99	सितम्बर-2000	सितम्बर-2001	1421.91	1362.94	58.97	4.3
31.	नया माही सेतु, बड़ौदा	सितम्बर--99	दिसम्बर-2001	मार्च--2002	3532.85	3340.52	192.33	5.7
32.	शेदी और वतरक सेतु (संविदा 1बी) बड़ौदा	जनवरी-94	अप्रैल-96	जनवरी-2001	1727.04	1972.25	(-) 245.21	--
33.	गंगा सेतु, भागलपुर	अप्रैल-91	अप्रैल-96	जनवरी-2001	10431.73	11185.55	(-) 753.82	--
34.	गंगा सेतु, भागलपुर का पहुँच मार्च	जनवरी-96	जून--99	मई-2001	5554.73	4657.88	896.85	19.2
35.	राजा गार्डेन, नई दिल्ली पर ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर,	मई-97	नवम्बर-99	नवम्बर-2001	3767.22	4161.30	(-) 394.08	--
36.	पीरागढ़ी चौक, नई दिल्ली पर फ्लाई ओवर,	सितम्बर-98	मार्च--2000	मार्च--2002	1587.67	1848.87	(-) 261.20	--

परिशिष्ट–34

(प्रस्तर 2.3.7 में सन्दर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को अपूर्ण संविदा कार्यों की स्थिति को दर्शाती विवरणी

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्रारम्भ की तिथि	पूर्णता की मूल तिथि	प्रतिशतता में भौतिक प्रगति	ग्राहक द्वारा यथा प्रमाणित संविदा का मूल्य	कार्य पर व्यय	लाभ/हानि
					(लाख रुपये में)		
1.	महानदी सेतु, बौद्ध के पास (उड़ीसा)	अप्रैल-98	अप्रैल-2001	91.17	2724.16	1951.15	773.01
2.	घाघरा सेतु, माँझी घाट, बलिया	मार्च-00	मार्च-2001	93	1293.63	1485.81	(-) 192.18
3.	घाघरा सेतु का पहुँच मार्ग और निर्देश बन्ध	मार्च-00	मार्च-2001	22	188.19	289.63	(-) 101.44
4.	कृष्णा नदी, विजयवाड़ा पर सेतु	मई-99	मई-2002	94.67	5109.35	4973.42	135.93
5.	माहीम प्रतिच्छेद बिन्दु, माहीम पर इंटरचेंज	मई-99	दिसम्बर-2001	88	4148.70	3779.70	369.00
6.	आँन्ध्र प्रदेश के एनएच-5 ओगल में 20 सेतुओं का निर्माण	नवम्बर-01	दिसम्बर-2003	4.35	159.09	274.52	(-) 115.43
7.	लुधियाना का रेलवे उपरिगामी सेतु	नवम्बर-00	अप्रैल-2002	30.26	313.62	453.42	(-) 139.80
8.	सफदरजंग फ्लाई ओवर, नई दिल्ली	दिसम्बर-99	जून-2002	53.25	1345.65	2006.54	(-) 660.89
9.	धौलाकुँआ फ्लाई ओवर परियोजना	नवम्बर-00	मई-2003	24	297.37	553.97	(-) 256.60
10.	कानपुर का रेलवे उपरिगामी सेतु (रेलवे का भाग)	जनवरी-01	जुलाई-2001	60	23.83	26.10	(-) 2.27
11.	जिला केन्द्र जनकपुरी, नई दिल्ली का फ्लाई ओवर,	फरवरी-00	मई-2001	99.52	726.54	612.28	114.26
12.	तवी सेतु-III, जम्मू	नवम्बर-97	अक्टूबर-2000	50.28	469.32	594.24	(-) 124.92
13.	भगवानदास मार्ग, उपमार्ग, नई दिल्ली	फरवरी-01	जनवरी-2002	72	45.38	95.77	(-) 50.39
14.	गोमती नदी लखनऊ पर रेलवे सेतु	मई-01	अप्रैल-2002	14	68.95	114.56	(-) 45.61
15.	शहजाद नदी सेतु, ललितपुर	मार्च-00	सितम्बर-2001	40	129.58	106.19	23.39
16.	मुरादाबाद बाईपास परियोजना	अप्रैल-99	अक्टूबर-2001	95.20	8138.68	7764.10	374.58
17.	रेलवे उपरिगामी सेतु, फतेहपुर	अगस्त-01	जुलाई-2002	34	31.61	34.60	(-) 2.99

परिशिष्ट-35

(प्रस्तर 2.4.4 में सन्दर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

(लाख रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-2003 (प्राविधानित)
देयतायें					
(अ) प्रदत्त पूँजी	1512.53	1512.53	1512.53	1512.53	1512.53
(ब) आरक्षण एवं आधिक्य					
(i) पूँजीगत आरक्षित निधि	-	-	21.96	22.14	19.98
(ii) विदेशी विनिमय आरक्षित निधि	1.67	1.67	-		-
(स) ऋण					
(i) राज्य सरकार से	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33
(ii) उपार्जित एवं देय ब्याज	-	-	-		-
(द) चालू देयतायें एवं प्रावधान					
चालू देयतायें	2597.70	3152.62	1433.96	1034.54	1012.18
अन्य प्रावधान	-	72.91	100.85	125.74	141.39
ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	-	161.61	169.51	185.01	191.18
योग	**4160.23**	**4949.67**	**3287.14**	**2928.29**	**2925.59**
परिसम्पत्तियाँ					
(य) सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	1868.69	2146.69	2396.77	2517.59	2585.70
(र) घटाया: ह्रास	883.13	1000.55	1131.80	1252.50	1361.34
(ल) निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	985.56	1146.14	1264.97	1265.09	1224.36
(ब) पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	107.31	33.27	4.00	--	-
(स) निवेश	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
(श) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	2913.89	3307.49	1440.92	919.42	795.12
(ह) संचित हानि	153.27	462.76	577.24	743.77	906.10
(क्ष) विविध व्यय	0.19	-	-	-	-
योग	**4160.23**	**4949.67**	**3287.14**	**2928.29**	**2925.59**
नियोजित पूँजी	1409.06	1261.37	1175.08	1024.23	865.91
शुद्ध मूल्य	1359.07	1049.77	935.29	768.76	606.43

टिप्पणी:

(i) नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

(ii) शुद्ध मूल्य, प्रदत्त पूँजी (अंश आवेदन राशि सहित) और मुक्त आरक्षित निधि एवं आधिक्य में से अमूर्त परिसम्पत्तियों को घटाकर शेष राशि को निरूपित करता है।

परिशिष्ट-36

(प्रस्तर 2.4.4 में सन्दर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कार्य चालन परिणाम को दर्शाती विवरणी

(लाख रुपये में)

विवरण	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03 (प्राविधानित)
आय:					
परिचालन आय (बिक्री एवं संचालित टुअर)	1040.89	1118.49	1197.67	1116.61	1135.00
अन्य आय	121.66	131.59	159.22	127.74	128.75
कुल परिचालन आय	1162.55	1250.08	1356.89	1244.35	1263.75
स्कन्ध मे वृद्धि (+)/कमी (-)	(+)4.35	(-)3.21	(-)2.07	(-)1.75	(-)2.40
योग (अ)	**1166.90**	**1246.87**	**1354.82**	**1242.60**	**1261.35**
व्यय:					
परिचालन व्यय (क्रय एवं टुअर)	288.24	277.15	299.25	292.93	302.66
प्रशासनिक व्यय (वैयक्तिक सहित)	778.61	941.96	1011.62	981.94	1002.96
अन्य व्यय (ब्याज एवं आस्थगित राजस्व व्यय)	1.88	1.88	1.50	1.50	1.50
कुल परिचालन व्यय	1068.73	1220.99	1312.37	1276.37	1307.12
परिचालन लाभ	98.17	25.88	42.45	(-) 33.77	(-)45.77
ह्रास	87.15	104.74	120.14	117.75	106.69
पूर्व अवधि के समायोजन	(-) 1.32	230.62	36.78	15.01	9.87
योग (ब)	**1154.56**	**1556.35**	**1469.29**	**1409.13**	**1423.68**
लाभ (+)/हानि (-) (अ-ब)	(+)12.34	(-)309.48	(-)114.47	(-) 166.53	(-)162.33
कुल परिचालन व्यय का कुल आय पर प्रतिशत	**91.59**	**97.92**	**96.87**	**102.72**	**103.63**

परिशिष्ट-37

(प्रस्तर 2.4.5 में सन्दर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में परिचालन के अध्यधीन इकाइयों के परिचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

विवरण	वर्ष	इकाइयों की संख्या	आय	व्यय	परिचालन लाभ/हानि (-)
होटल	1998-99	51	992.34	809.05	183.29
	1999-00	52[1]	1091.22	901.21	190.01
	2000-01	52	1168.46	976.49	191.97
	2001-02	39[2]	1099.84	934.79	165.05
	2002-03	41[3]	1111.82	968.86	142.96
योग			**5463.68**	**4590.40**	**873.28**
अपटुअर्स एण्ड परिवहन	1998-99	4	71.71	65.76	5.95
	1999-00	4	49.45	42.73	6.72
	2000-01	4	63.50	57.22	6.28
	2001-02	4	70.23	64.52	5.71
	2002-03	4	65.72	59.68	6.04
योग			**320.61**	**289.91**	**30.70**
अग्रिम आरक्षण केन्द्र	1998-99	6	13.20	20.51	(-)7.31
	1999-00	6	16.17	23.53	(-)7.36
	2000-01	6	18.05	19.73	(-)1.68
	2001-02	6	19.39	20.50	(-)1.11
	2002-03	3[4]	14.18	16.51	(-) 2.33
योग			**80.99**	**100.78**	**(-) 19.79**
विविध (जल-क्रीड़ा, टेन्ट, कालोनी, शिल्प-ग्राम आदि)	1998-99		0.87	3.93	(-)3.06
	1999-00		21.31	26.78	(-)5.47
	2000-01		54.64	51.34	3.30
	2001-02		24.50	11.46	13.04
	2002-03		21.43	7.55	13.88
योग			**122.75**	**101.06**	**21.69**
महायोग (अ+ब+स+द)			**5988.03**	**5082.15**	**905.88**

[1] एक होटल की वृद्धि (अप्रैल 1999 में पर्यटन निदेशालय से अधिग्रहीत पर्यटक आवास गृह, बटेश्वर)।

[2] जुलाई 2001 में बन्द 11 होटल और मई 2001 में उत्तरांचल को हस्तान्तरित होटल (राही होटल, हरिद्वार और पीरानेकलियर, हरिद्वार)।

[3] 2002-03 के दौरान तीन होटलों (संकिसा, यात्री निवास, अयोध्या और यात्री निवास, इलाहाबाद) की प्रभावी वृद्धि और एक होटल (पर्यटक आवासगृह, चुनार) की बन्दी ।

[4] जुलाई 2002 में बन्द चेन्नई, चण्डीगढ़ और अहमदाबाद के अग्रिम आरक्षण केन्द्र ।

परिशिष्ट–38

(प्रस्तर 2.4.9 में सन्दर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में सितारा स्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं को दर्शाती विवरणी

क्र0 सं0	सुविधायें	एक सितारा	दो सितारा	तीन सितारा	चार सितारा	पाँच सितारा
1.	किराये पर उठाने योग्य कक्षों की न्यूनतम संख्या	10	10	20	25	25
2.	शयनकक्ष का आकार (अ) एकल (ब) दोहरा	 100 वर्ग फीट 120 वर्ग फीट	 100 वर्ग फीट 120 वर्ग फीट	 120 वर्ग फीट 140 वर्ग फीट	 120 वर्ग फीट 140 वर्ग फीट	 180 वर्ग फीट 200 वर्ग फीट
3.	किराये पर उठाने योग्य स्नान गृह युक्त कक्षों का प्रतिशत	न्यूनतम 25 प्रतिशत एवं अवशेष प्रत्येक चार कक्षों के लिए एक स्नान गृह	न्यूनतम 75 प्रतिशत एवं अवशेष प्रत्येक चार कक्षो के लिए एक स्नान गृह	100 प्रतिशत	लांग बाथ्स अथवा अत्याधुनिक शॉवर चैम्बर्स वाले न्यूनतम 50 प्रतिशत स्नान गृह सहित 100 प्रतिशत	100 प्रतिशत, सभी लांग बाथ्स अथवा अत्याधुनिक शॉवर चैम्बर्स वाले
4.	स्नान गृहों का आकार	30 वर्ग फीट	30 वर्ग फीट	36 वर्ग फीट	36 वर्ग फीट	45 वर्ग फीट
5.	स्नान गृहो मे गर्म एवं शीतल जल की आपूर्ति	गर्म पानी की पर्याप्त आपूर्ति सहित चालू शीतल जल	गर्म पानी की पर्याप्त आपूर्ति सहित चालू शीतल जल	चालू गर्म एवं शीतल जल	चालू गर्म एवं शीतल जल	चालू गर्म एवं शीतल जल
6.	वातानुकूलन (अ) व्यक्तिगत कक्ष (ब) सार्वजनिक कक्ष	 - -	 कम-से-कम 25 प्रतिशत कक्षों मे -	 कम-से-कम 50 प्रतिशत कक्षों मे -	 सभी कक्ष सभी कक्ष	 सभी कक्ष सभी कक्ष
7.	स्वागत कक्ष एवं अन्य सुविधायें	एक टेलीफोन सहित स्वागती काउण्टर और मेहमानों एवं आगन्तुकों के लिए एक टेलीफोन	एक टेलीफोन सहित स्वागती काउण्टर, प्रत्येक कक्ष मे कॉलबेल या एक टेलीफोन और प्रत्येक तल पर एक टेलीफोन, यदि प्रत्येक कक्ष में एक पृथक टेलीफोन न हो	स्वागती एवं सूचना काउन्टर, बुक स्टाल, मान्यता प्राप्त ट्रेवेल एजेन्सी, मुद्रा बदलने एवं लॉकर की सुविधायें, प्रत्येक कक्ष मे टेलीफोन	स्वागती एवं सूचना काउन्टर, बुक स्टाल, मान्यता प्राप्त ट्रेवेल एजेन्सी, मुद्रा बदलने एवं लॉकर की सुविधायें, प्रत्येक कक्ष मे टेलीफोन, लेफ्ट लगैज रूम। प्रत्येक कक्ष में रेडियो या प्रसारित संगीत का प्राविधान, स्तरीय लाण्ड्री और ड्राई क्लीनिंग सेवाओं का प्राविधान	स्वागती एवं सूचना काउन्टर, बुक स्टाल, मान्यता प्राप्त ट्रेवेल एजेन्सी, मुद्रा बदलने एवं लॉकर की सुविधायें, प्रत्येक कक्ष में टेलीफोन, लेफ्ट लगैज रूम। प्रत्येक कक्ष में रेडियो या प्रसारित संगीत का प्राविधान, स्तरीय लाण्ड्री और ड्राई क्लीनिंग सेवाओं का प्राविधान

क्र0 सं0	सुविधायें	एक सितारा	दो सितारा	तीन सितारा	चार सितारा*	पाँच सितारा
8.	कारों के लिए पार्किंग सुविधायें	-	पर्याप्त रिक्त स्थान	पर्याप्त रिक्त स्थान	पर्याप्त रिक्त स्थान	पर्याप्त रिक्त स्थान
9.	लिफ्ट	-	-	दो से अधिक मंजिलों (भूतल सम्मिलित करते हुए) वाले भवन में पर्याप्त संख्या में लिफ्टे	दो से अधिक मंजिलों (भूतल सम्मिलित करते हुए) वाले भवन में पर्याप्त संख्या में लिफ्टे	दो से अधिक मंजिलों (भूतल सम्मिलित करते हुए) वाले भवन में पर्याप्त संख्या में लिफ्टे
10.	डाइनिंग रूम/जल-पान गृह	आवश्यक	आवश्यक	वातानुकूलित	वातानुकूलित	वातानुकूलित
11.	व्यंजन	-	-	-	अन्तर्राष्ट्रीय और भारतीय	अन्तर्राष्ट्रीय और भारतीय
12.	बार	-	-	यदि कानूनन अनुमन्य हो	यदि कानूनन अनुमन्य हो	यदि कानूनन अनुमन्य हो
13.	कान्फ्रेंस सुविधायें	-	-	-	-	एक या अधिक कान्फ्रेंस रूम, बैन्क्वेट हाल और निजी डाइनिंग रूम

परिशिष्ट–39

(प्रस्तर 2.4.19 में सन्दर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में 2001–02 तक के पाँच वर्षों के दौरान अग्रिम आरक्षण केन्द्रों द्वारा अधिप्राप्य व्यवसाय को दर्शाती विवरणी

(लाख रुपये में)

क्र0सं0	अग्रिम आरक्षण केन्द्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
1	**चण्डीगढ़**					
	आय - आवासीय बुकिंग	0.50	1.38	0.60	1.48	.91
	व्यय - उपरिव्यय	0.17	0.21	0.15	0.18	0.28
2	**अहमदाबाद**					
	आय - आवासीय बुकिंग	1.71	0.85	1.09	1.78	0.84
	आय - पैकेज टुअर	0.20	0.10	0.08	0	0.11
	कुल बुकिंग	1.91	0.95	1.17	1.78	0.95
	उपरिव्यय	0.66	0.25	0.21	0.31	0.66
3	**चेन्नई**					
	आय - आवासीय बुकिंग	2.05	1.81	1.44	2.09	2.20
	आय - पैकेज टुअर	0	0	0.61	0.39	1.30
	कुल बुकिंग	2.05	1.81	2.05	2.48	3.50
	उपरिव्यय	0.35	0.45	0.94	0.81	0.72
4	**मुम्बई**					
	आय - आवासीय बुकिंग	2.77	3.29	5.69	10.69	6.26
	आय - पैकेज टुअर	0	0	3.71	4.33	4.13
	कुल बुकिंग	2.77	3.29	9.30	15.02	10.39
	उपरिव्यय	1.66	2.41	3.04	2.76	2.20
5	**कोलकाता**					
	आय - आवासीय बुकिंग	7.63	9.24	10.41	18.15	12.66
	आय - पैकेज टुअर	0	0	1.16	4.70	6.15
	कुल बुकिंग	7.63	9.24	11.57	22.85	18.81
	उपरिव्यय	1.29	1.25	1.53	2.03	2.23
6	**दिल्ली**					
	आय - आवासीय बुकिंग	17.67	11.70	21.81	39.20	25.28
	आय - पैकेज टुअर	15.14	9.76	13.09	14.01	14.47
	कुल बुकिंग	32.81	21.46	34.90	53.21	39.75
	उपरिव्यय	12.67	12.65	12.71	13.64	14.41

परिशिष्ट–40

(प्रस्तर 2.4.21 में सन्दर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को शीर्ष 14 होटलों में कर्मचारियों के नियोजन को दर्शाती विवरणी

एफ ओ ए[1], एफ एण्ड बी ए[2] और एच के ए[3] नियुक्त नहीं	एफ ओ ए नियुक्त नहीं	एफ एण्ड बी ए नियुक्त नहीं	दैनिक भृत्ति के आधार पर नियोजित कर्मचारी				
कुशीनगर (27.86)*	इलाहाबाद (116.88)*	राजा की मण्डी, आगरा (29.89)**	होटल का नाम	वेटर	एफ ओ ए	एफ एण्ड बी ए	कॉमिस
			लखनऊ	6	5		2
			कुशीनगर	1	1		1
			सीकरी, आगरा				1
गुलिस्तान, आगरा (14.33)*	हरिद्वार (86.64)*	झाँसी (11.76)**	राजा की मण्डी, आगरा	7	1		
			हरिद्वार	2			2
मुरादाबाद (54.68)*		उन्नाव (15.60)**	मुरादाबाद	3			1
बरेली (34.47)*			बरेली	3			
ताज खेमा, आगरा (34.03)*			ताज खेमा	1			
हिन्डन (42.46)*			हिन्डन	2			1
रायबरेली (36.46)*			रायबरेली	1			
वाराणसी (69.38)*			वाराणसी	2		1	
			उन्नाव	2		1	3
				30	7	2	11

* कोष्ठक के आंकड़े इकाई की, लाख रुपयों में, कुल वार्षिक आय (2001-02) को प्रदर्शित करते है।

** कोष्ठक के आंकड़े इकाई की, लाख रुपयों में, जल-पान गृह से *वार्षिक आय (2001-02) को प्रदर्शित करते हैं।*

[1] एफ ओ ए से तात्पर्य फण्ट आफिस असिस्टेंट से है।

[2] एफ एण्ड बी ए से तात्पर्य खाद्य एवं पेय सहायक से है।

[3] एच के ए से तात्पर्य हाउस कीपिंग ऐटेण्डेन्ट से है।

परिशिष्ट–41

ऊर्जा क्षेत्र से सम्बन्धित समीक्षाओं में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों की शब्दावली

केडब्ल्यूएच	किलोवाट घंटा
एमयू	मिलियन यूनिट
एमवीए	मेगावोल्ट एम्पियर
केवी	किलो वोल्ट
एलटी	लो टेन्शन
एचटी	हाई टेंशन
बीएईएस	बाम्बे सब–अर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई
एमवीएआर	मेगावोल्ट एम्पियर रिएक्टिव
सीईए	सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी
बीएचपी	ब्रेक हार्स पावर
सीआईबी	क्रिटिकल इन्फास्ट्रक्चर बैलेंसिंग स्कीम
एक्सएलपीई	एक्सएलपीई (केबल का ब्राण्ड नाम)
एलएचएफडी	भार×घंटा×गुणक×दिन
एलएमवी	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज
एससी	सरचार्ज
एचवी	हाई वोल्टेज
एमआईएस	मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम
आरसी	रिकवरी सर्टिफिकेट
ईएसपीसी	इलेक्ट्रिसिटी स्टोर प्रोक्योरमेंट सर्किल
आईबीआरडी	इण्टरनेशनल बैंक फॉर रिकन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट
आरएमटी	रनिंग मीटर
पीसीसी पोल	प्रीस्ट्रेस्ट कंक्रीट सीमेण्ट पोल
एचवीडीएस	हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम

शुद्धि-पत्र

क्रम सं0	संदर्भ	के स्थान पर	पढ़ें
1	पृष्ठ - 183	क्रम सं. 24, 25	क्रम सं. 22, 23

वाणिज्यिक
सर्वाधिकार सुरक्षित
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2004

मूल्य : रूपये 65 डालर 5

http://cagindia.org/states/uttarpradesh/2003

आर्मी प्रिंटिंग प्रेस
33 नेहरू रोड, कैन्ट सदर, लखनऊ फोन : 2481164